अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन : झाँसी जनपद की मोंठ तहसील के विशेष सन्दर्भ में

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
की समाजशास्त्र विषय में ''डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी''
की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

सन् 2004

अनुसंधित्सु-
(श्रीमती) रीता कुशवाहा
शोध पंजीकरण सं.- १५२९
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निर्देशक-
डॉ- एस०डी० सिंह
डी. लिट्
उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
नारायण महाविद्यालय, शिकोहाबाद

सह-निर्देशक-
डॉ- आर०पी० निमेष
आचार्य- समाज कार्य विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

समर्पण

परम पूज्य पतिदेव

डॉ० आर० एस० कुशवाहा जी के

श्री चरणों में

शत् शत् नमन के साथ

सादर समर्पित

रीता

निर्देशक-
डॉ- एस० डी० सिंह
पी-एच.डी., डी.लिट्
उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग एवं शोध केन्द्र
नारायण (पी.जी.) कालेज, शिकोहाबाद (उ.प्र.)
(सम्बद्ध : डॉ- बी.आर. अम्बेदकर वि.वि., आगरा)

दूरभाष : ०५६७६-२३५३४१
निवास : अभिषेक कुटीर
६९४, सरस्वती नगर,
(निकट राजकीय बस स्टेण्ड)
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
पिन कोड- २०५१३५

दिनांक 21 सितम्बर, २००४

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थिनी (श्रीमती) रीता कुशवाहा, शोध पंजीकरण संख्या १५२९; बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ने अपना अनुसन्धान कार्य

"अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन : झाँसी जनपद की मोंठ तहसील के विशेष सन्दर्भ में

शोध शीर्षक पर मेरे तथा सह-निर्देशक डॉ- आर०पी० निमेष के मार्ग निर्देशन में पूर्ण किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि -
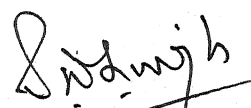
(१) हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह आपका मौलिक कार्य है।

(२) आपने विभाग में २४ महिनों से अधिक समय उपस्थिति देकर अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण किया है।

(३) आप पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कुछ भी देय अवशेष नहीं है।

(४) हमने यह शोध प्रबन्ध शोध समिति के निर्देशानुसार तथा शोध अनुक्रमणिका के अनुरूप ही पूर्ण कराया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में, हम इस शोध-प्रबन्ध के मूल्याँकन की प्रबल संस्तुति एवं अनुसंशा करते हैं।

शोधार्थिनी के उज्ज्वल भविष्य की अनेकानेक मंगल कामनाओं सहित।

(डॉ- आर० पी० निमेष)
सहनिर्देशक

(डॉ- एस० डी० सिंह)
निर्देशक

उपोद्घात

प्रस्तुत अनुसन्धान कार्य अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है जो आनुभविक तथ्यपरक वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत ही नहीं करता, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ज्वलन्त समस्या के संदर्भ में उन तथ्यों को उजागर एवं रेखांकित करता है जो वृद्धावस्था के अन्तराल में अशक्त तथा जर्जर शरीरों वाले वृद्धजनों द्वारा पग-पग पर सहन की जाती हैं। भले ही वृद्धास्था एक स्वाभाविक एवं जैविकीय स्थिति है जो सबको आनी है। फिर वृद्धावस्था गम्भीर एवं जटिल समस्या क्यों हैं? क्या यह अपने अंक में विभिन्न सामाजिक आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक इत्यादि समस्याओं के समेटे रहती है। प्रो. बेन्जामिन श्लॉस ने लिखा है कि वृद्धावस्था, मानव जीवन की एक गम्भीर, जटिल एवं सार्वभौमिक समस्या है जो एक विशिष्ट बीमारी के समान है; यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है। पाश्चात्य भौतिकतावादी संस्कृति की चमक दमक के प्रभावों के तीव्र परिवर्तनों के इस दौर में परिवारों की संरचना एवं उसके प्रकार्यो में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप वृद्धों की सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति नहीं कर पा रहे हैं। नि:सन्देह एवं निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि वृद्धों और परिवारों के मध्य सफल समायोजन/सामंजस्य नहीं हो पा रहे हैं, सम्प्रति वृद्धों का जीवन समस्याग्रस्त, दूभर एवं नारकीय हो रहा है। साथ ही वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दुर्वलता के साथ-साथ, परिवार की संरचना (ढाँचे) में परिवर्तन, वृद्धों की सत्ता एवं उनके प्रभाव में कमी, जर्जर शरीर वाले इन वृद्धों की उपेक्षा, उनके साथ दुर्व्यबहार, मार पीट, परिवार के सदस्यों द्वारा अन्त: क्रियाएं न करना, पारिवारिक गतिविधियों से उनके लगाव में कमी या लगाव में अन्तर आने के लिए उत्तरदायी हैं; वहीं व्यक्ति को परिवार एवं सामाजिक समायोजन, एकाकीपन एवं अलगाव, पृथक्करण, खाली समय का रचनात्मक उपयोग न होना तथा स्वयं व आश्रितों के भरण पोषण हेतु अपर्याप्त आय, वृद्धों की अपनी स्वयं की कोई आय न होना; स्वाभाविक जौर पर उन्हें परिजनों के आश्रित बना देती हैं जिससे वृद्धों को फालतू समझने की प्रवृत्ति भी बढती जा रही है; इसलिए अब लोग वृद्धावस्था से घबराने लगे हैं। प्रस्तुत शोध कार्य इसी प्रयोजन से प्रेरित एक लघु प्रयास है। जो वृद्धजनों की विभिन्न समस्याएं उजागर तो करेगा ही; साथ ही समस्या समाधान के लिए व्यवहारिक सुझाव भी बतायेगा। सम्प्रति; जिसकी उपादेयता एवं महत्व की अनुभुति तो पाठकगण एवं विषय के विद्वान मनीषि ही कर सकेंगे कि शोध अध्येता अपनी लक्ष्य पूर्ति में कहाँ तक सफल रही है।

Rita Kushwaha
"अनुसंधित्सु"

शोध प्रतिवेदन के प्रति आभार

प्रस्तुत शेध प्रबन्ध; बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की समाजशास्त्र विषय में ''डॉक्टर ऑफ फिलासफी'' की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस शोध-प्रबन्ध की आधारशिला रखने के लिए सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की शोध समिति (Research Degree Committee) बधाई की पात्र है, जिसने प्रथम दृष्टया शोध की रूपरेखा/अनुक्रमणिका अनुमोदित करके अनुसन्धान कार्य हेतु मार्ग प्रशस्त कर मेरा उत्साहवर्द्धन किया है।

प्रत्येक नवीन कार्य के लिए कोई न कोई प्रेरणाश्रोत अवश्य हुआ करता है। मेरी हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की समस्त शैक्षिक उपलब्धियों एवं अनुसान्धान कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रथम प्रेरणा श्रोत अंकुरित करने का श्रेय मुख्य रूप से मेरे परमपूज्य पतिदेव डॉ. आर. एस. कुशवाहा जी, जो कि एक रीडर रसायन विज्ञान हैं, को ही जाता है क्यों कि आपने मुझे सदैव ही अधिकाधिक उच्चतर शैक्षिक उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया अपितु जैसे ही प्रथम श्रेणी में मैंने समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, तभी से उनके मन में प्रबल जिज्ञासा तथा उत्कण्ठा थी कि मैं भी डॉक्ट्रेट की उपाधि हासिल करूँ। इसी जिज्ञासा के वषीभूत आपने मेरी भेंट गुरूवर डॉ- एस. डी. सिंह जी, एम.ए.एम.एस.सी, पी-एच.डी., डी.लिट्., उपाचार्य एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद तथा डॉ. आर.पी. निमेष, प्रोफेसर समाज विज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड वि.वि. झाँसी से शोध-शीर्षक चयन हेतु कराकर आप दोनों ने मेरी रूचि का शीर्षक ही अनुमोदित ही नहीं किया अपितु दोनों ने ही मेरा मार्ग निर्देशन करना भी सहज ही स्वीकार कर लिया; जिसके लिए आभार प्रकट करना मेरा पुनीत दायित्व व कर्तब्य है। बस फिर क्या था; आपने अनुसंधान कार्य हेतु ताना बाना बुनने, विषय सामग्री जुटाने

''साहित्य की समीक्षएं व सिंहावलोकन'' (रिव्यू) करने मे उद्देश्य से मुझे अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ भेजा। कृतज्ञता ज्ञापन एवं विशेष आभारी हूँ अपने दोनों गुरूजनों की........। जिन्होंने उचित मार्गदर्शन कर आज का स्वर्णिम दिन दिखाया है।

शोधार्थिनी विभिन्न विषम विशेषज्ञों: डॉ. पी.वी.एस. तोमर जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर; डॉ. ए.एन. सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; डॉ. के. सी. श्रीवास्तव फिरोजाबाद; डॉ. जी.के. अग्रवाल पूर्व कुलपति- आगरा विश्वविद्यालय, आगरा; डॉ. जे.पी. पचौरी आचार्य- गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर तथा डॉ. राजेश्वर प्रसाद पूर्व निदेशक समाज विज्ञान संस्थान, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा; डॉ. जे.पी. नाग चेयरमेर शोध समिति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी आदि की भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर मेरा उत्साहवर्द्धन किया है। और जब-जब मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हुई; मुझे ढाढस बँधाया।

अन्त में, लेकिन कम आभारी नहीं हूँ अपने परिजनों की; जिन्होंने शोध के अन्तराल में मुझे पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन से मुक्त रखा है। विशेष आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन व धन्यवाद उन समस्त सूचनादाताओं का जिन्होंने प्रथम दृष्टया निःसंकोच अपने व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान कर मेरे अध्ययन को पूरा करने में मेरी आद्योपान्त सहायता की है। साथ ही उन समस्त महानुभावों जिनके नामों का उल्लेख पृथक से करना यहाँ सम्भव न हो सकता है, को पुनः पुनः धन्यवाद के साथ- जिन्होंने मेरी आधी अधूरी कंटीली राह को अवलोकित कर ज्वाज्वल्यमान बनाया है।

अनुसंधित्सु
Rita Kushwaha
(रीता कुशवाहा)

अनुक्रमणिका एवं अध्यायीकरण

क्रमशः......२

संलग्न-तालिकाओं की सूची

क्रमशः.....२

क्रमशः.....३

क्रमशः.....४

क्रमशः.....५

****

अध्याय 1

भूमिका

अध्ययन समस्या एवं उसका महत्त्व :

वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मानव-जीवन चक्र की एक अनिवार्य दशा है; जो सभी को आती है एवं सभी को आनी है। हमारे देश की संस्कृति में वृद्धों का स्थान सामाजिक संस्थाओं में सर्वोपरि रहा है; परम्परागत संयुक्त परिवार व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं वर्ण व्यवस्था इसके सम्पुष्ट तथा सशक्त प्रमाण हैं कि उनकी क्या दशायें थीं? कैसा सम्मान दिया जाता था? तथा प्रस्थिति कैसी थी? यह निर्विवाद सत्य है कि वर्तमान युवजन केन्द्रित, व्यक्तिवादी तथा भौतिकतावादी संस्कृति ने 'कर्ता' के रूप में शक्ति का ह्रास ही नहीं किया है; बल्कि वृद्धजनों की प्रस्थिति को भी अवरोही रूप में कुप्रभावित किया है। वर्तमान सन्दर्भों में वह अलग थलग सा होता जा रहा है, आदर सम्मान खो चुका है और वर्तमान परिवेश एवं परिस्थितियों में तो उसके लिए पारिवारिक सामंजस्य की समस्या भी जनित हो रही है। उनके जीवन के अनुभवों का लाभ लेना तो दूर; उनसे नई पीढी के लोग परामर्श लेना तक पसन्द नहीं करते, यह कैसी बिडम्बना है? वर्तमान परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य एवं विकास के दौर में नई पीढी के लोग वृद्धों की पुरानी विचारधारा को अब बिल्कुल पसन्द नहीं करते हैं। अत: 'बृद्धजन' जब रहन-सहन, खान-पान व अन्य बातों में दखल देते हैं तो नई पीढी के युवजन, वृद्धों की उपेक्षा करते हैं, तब वृद्धजन इस उपेक्षा को सहन नहीं कर पाते हैं और अपने को अपमानित महसूस करते हैं जिससे वृद्ध एवं युवावर्ग में मानसिक तौर पर शीत संघर्ष चलता रहता है जिसे अन्तर पीढी संघर्ष कहा जा सकता है। वृद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवर्तन से प्रसन्न नहीं होते; न ही परिवर्तन पसन्द करते हैं। यहाँ तक कि परिवर्तनशील परिस्थितियों में वे सामंजस्य तक नहीं

कर पाते। इतना ही नहीं, उनके सम्मुख सामाजिक तौर पर विभिन्न समस्यायें यथा: समय व्यतीत करने, घरेलू पर्यावरणीय, भावनात्मक, शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं, आर्थिक व पूंजी के रखरखाव, मानसिक, मनोसामाजिक, पारिवारिक सामंजस्य, तथा आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि समस्यायें प्रमुख हैं। जबकि वृद्धावस्था एक मानवीय अनिवार्यता, स्वाभाविक जैविकीय प्रक्रिया एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया का ही अंग है। जिसमें वह शेष जीवन के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण विकसित कर लेता है जिससे वह स्वयं को विघटित तथा दबा हुआ व उपेक्षित महसूस करने लगता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या; परिवार व समाज के साथ उचित समयोजन न कर पाने की है।

वृद्धावस्था की अवधारणा :

सामान्य रूप से वृद्धावस्था व्यक्ति की वह दशा/अवस्था है जब वह उस समय कार्यकलापों में भाग लेने योग्य नहीं रहता है, जो एक औसत वयस्क के लिए विशिष्ट होती हैं। प्राय: शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में ह्रास तथा सामाजिक कार्यकलापों से विलगता की भावना वृद्धावस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शरीर में परिवर्तन आना एक स्वाभाविक जैवकीय प्रक्रिया है तथा इसी प्रक्रिया में मनुष्य में कुछ जैवकीय परिवर्तन घटित होते हैं, जिनके लक्षण मनुष्य के शरीर में भी दिखाई देने लगते हैं। प्राय: लोगों की यह धारणा है कि 'बुढापा' जीवन के उत्तरार्द्ध की गति होता है, लेकिन यह धारणा गलत है क्योंकि 'वृद्धावस्था' किसी भी प्रकार से जीवन के उत्तरार्द्ध की गति नहीं है। हालांकि यह सही है कि वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति में अवश्य कमी आ जाती है लेकिन अनेक वृद्ध अपनी इस शारीरिक कमी को अपनी दक्षता, योग्यता व बौद्धिकता के द्वारा पूरा कर लेते हैं। वृद्धावस्था में जीवन की सफलता प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने अपनी प्रौढावस्था में इस जीवन की वास्तविकता के प्रति अपने को किस प्रकार से तैयार किया है? मानसिक विघटन, व्यक्ति को लापरवाह, किसी बात का ध्यान न रखने वाला, आत्मकेन्द्रित एवं समाज से सही समायोजन न होने वाला बना सकता है। इसके बावजूद जब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही अपने सम्बन्ध में या दूसरों के सम्बन्ध में तथा अपने शेष जीवन के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण विकसित कर लेता है तो यह स्थिति किसी भी व्यक्ति को शीघ्र ही अक्षम बना सकती है। जो व्यक्ति प्रौढावस्था में अपने

जीवन के प्रति रूचि को खोते जाते हैं सम्प्रति वे शीघ्र ही विघटित व दबा हुआ महसूस करने लगते हैं।

वृद्धावस्था को निर्धारित करने वाले तत्व :	उम्र (५८⁺ वर्ष)
	शारीरिक स्थिति / परिवर्तन
	चिकित्सीय जाँच / अक्षम

नि:सन्देह, भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दशाओं के फलस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या समाज के साथ उनके सही समायोजन न करने की है। समाज के विविध क्षेत्रों के आनुभविक अध्ययनों के द्वारा यह देखा गया है कि जो मनुष्य वृद्धावस्था की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं वे समाज में सफलतापूर्वक संयोजन कर लेते हैं अधिकांश वृद्ध स्वास्थ्य के गिरने, नौकरी के हट जाने और आमदनी में कमी आने आदि के कारण काफी मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं। जिनके कारण इन व्यक्तियों में निराशा, कुंठा, नकारात्मक व्यवहार तथा उत्तेजना आदि की भावनाएं पनप जाती हैं जो समाज के साथ सही समायोजन करने में बाधक होती हैं।[१]

शारीरिक दृष्टि में वृद्धों को दो भागों अर्थात् सक्षम वृद्ध व अक्षम वृद्धों में विभाजित किया जा सकता है। यह सही है कि वृद्धावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति अनेक रोगों तथा बीमारियों का शिकार हो जाता है। इन रोगों के फलस्वरूप व्यक्ति अक्षम वृद्धों की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सही उपचार के द्वारा सक्षम वृद्धों की श्रेणी में लाया जा सकता है।[२]

पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में वृद्धों व वृद्धावस्था की समस्याएं उनके विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण भिन्न-भिन्न हैं। पश्चिमी समाज युवजन केन्द्रित, व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी है। वहाँ माता-पिता तथा सन्तान के मध्य सम्बन्ध भावनात्मक आधार पर आधारित नहीं होतें। जबकि पूर्वी देशों अर्थात् भारत में माता-पिता से सन्तान के सम्बन्ध भावनात्मक अधिक होते हैं। भारतीय जीवन में व्यक्ति का परिवार से बिछुडना कभी नहीं होता। माता-पिता, बच्चों के पालन-पोषण एवं उनकी सफलता को

अपने जीवन का प्रमुख ध्येय समझते हैं। पुत्र अपने परिवार में पिता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना अपना परम्परागत नैतिक कर्तव्य समझता है। भारत में परिवार ही केवल एक ऐसी संस्था है जिससे वृद्धावस्था की सुरक्षा की अपेक्षा की जा सकती है किन्तु बदली हुई परिस्थितियों व वर्तमान परिवर्तनशील परिवेश में वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक सा कर दिया है।

वर्तमान समय में भारत में वृद्धावस्था प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। भारत में वृद्धावस्था की सही स्थिति हमें सन् १९७८ के समाज कल्याण में स्वामीनाथन सरोजा के एक प्रकाशित लेख में देखने को मिलती है। स्वामीनाथन सरोजा के अनुसार वृद्धों की जिन्दगी और समय; और भी दुखमय (कष्टमय) हो जाते हैं, जब दुर्भाग्य से उनमें चलने-फिरने की शक्ति न रहे या बिस्तर पकड़ ले या उनका देखना, सुनना कम हो जाए और उनकी याददाश्त (स्मरण शक्ति क्षीण हो जाय) कमजोर पड़ जाए। उस समय तो वृद्धावस्था का अभिशाप दुगुना बढ जाता है, और जब बुढापे में शारीरिक शक्ति और निर्धनता साथ-साथ आ जाएं तो फिर कहना क्या?[3]

सामाजिक संगठन एवं वर्ण व्यवस्था में वृद्धों की प्रस्थिति :

प्राचीन समय में भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था; हिन्दू सामाजिक संगठन की एक धुरी थी। व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही होता था। वानप्रस्थ आश्रम, वृद्धावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। मनु के अनुसार व्यक्ति जब यह देख लें कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ गई है; सिर के बाल सफेद हो गए हैं; सन्तान की सन्तान हो गई है तब उसे घर बार का मोह त्याग कर जंगल की ओर चला जाना चाहिए। वानप्रस्थियों के जंगल के आश्रमों को गुरूकुल कहा जाता था। जहाँ समाज के विभिन्न वर्णों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे। इन गुरूकुलों की सारी व्यवस्था गृहस्थाश्रम पर थी। गुरूकुलों की समाप्ति के पश्चात धीरे-धीरे वृद्धों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार प्रणाली पर आ गई तथा संयुक्त परिवार को वृद्धों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाने लगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली जीवान्त तथा जिंदा है, वहाँ यह सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समय में

अनेक परिवर्तनकारी शक्तियों ने संयुक्त परिवार प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन कर इसको एकाकी बना दिया है जिसके कारण आज वृद्ध व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पश्चिमी शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा व्यक्तिवादिता की भावनाओं के कारण वृद्ध अपने को असुरक्षित व असहाय पाते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्धों के आदर एवं सम्मान की परम्परा रही है लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि आज भारत में यह परम्परा तेजी के साथ टूटती जा रही है। संयुक्त परिवार व्यवस्था ने नई पीढी के व्यक्तित्व को विघटित कर पुरानी तथा नयी पीढी दोनों ने बहुत कुछ खोया है। समाज के परिवर्तनशील मूल्य हमारी परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ हमारी संस्कृति की धरोहर को भी नष्ट कर रहे हैं। आज इस आधुनिकतावादी संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। आज नई पीढी के लोगों के पास अपने बुजुर्गो/वृद्धजनों से विचार-विमर्श करने, सलाह लेने तथा उनकी इच्छाओं तक को जानने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मनःस्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है जो अपने सारे जीवन की पूंजी को उस नई पीढी के व्यक्तित्व को विघटित कर देता है। प्रायः यह कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति नई पीढी के साथ समायोजित नहीं कर पाते जिसके कारण उनको अनेक सामाजिक-व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पडता है। जबकि वास्तविकता कुछ और तथा कुछ भिन्न है। मेरी दृष्टि में नई पीढी यदि थोडा आदर व सम्मान वृद्धों को दे तो यह समायोजन न करने की स्थिति पैदा ही नही होती। पृथकीकरण की समस्या भी इसी कारण से हमें नगरीय परिवेश की तुलना में ग्रामीण अंचलों में ज्यादा देखने को मिलती है।

भारत में वृद्धों की समस्या पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण वृद्धों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वे वृद्ध, जो सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त हैं; दूसरे ऐसे वृद्ध हैं, जो जीवनभर कार्य करते रहते हैं अर्थात् ऐसे वृद्ध कभी सेवा-निवृत्त नहीं होते। वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पडता है। सेवानिवृत्त वृद्ध उस समय अपने को अधिक परेशान तथा असुरक्षित पाता है जबकि उनकी आर्थिक रूप से सहायता देने वाला

कोई न हो। नि:संतान, अविवाहित एवं परित्यक्त व जीर्ण, रोगों के कारण भी वृद्ध अपने को असुरक्षित पाते हैं। सेवानिवृत्त वृद्धों की एक प्रमुख समस्या उनके खाली समय के उपयोग की भी है। सुखी जीवन के लिए जीवन की अनवरतता तथा समुदाय के साथ अंत:क्रियाएं दोनों ही अनिवार्य हैं। इसलिए वृद्धों की सक्रियता तथा उपयोगिता की भावना को बनाए रखने के लिए समाज को उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा सम्पूर्ण जीवन के अनुभव रूपी ज्ञान के भण्डार से लाभ उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

यह वास्तविकता हर व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए कि बुढापा जीवन की अनिवार्यता है अर्थात बुढापा सबको अनिवार्यत: आना ही है। जीवन के प्रति व्यक्ति को सही दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह समय रहते अपने जीवन की योजना बना ले ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात उसको मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना न करना पडे। वृद्धावस्था एक मानवीय समस्या है इसलिए इसके समाधान के लिए मानवीय संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।[४]

भारतीय समाज में आश्रम-व्यवस्था समाज के नियमन एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक वैज्ञानिक कार्यक्रम था। आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं इसलिए इस व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था को नए रूप में और आधुनिक समाज की इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना होगा। वृद्धावस्था की समस्या जो कि प्रमुख रूप में सुरक्षा, स्वस्थ्य समायोजन व पृथकीकरण की है, के निराकरण के लिए अन्य देशों की योजनाओं के पीछे भागने की बजाय वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था को नवीन वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए और इसके लिए समाज के समाज सुधारकों, प्रशासकों, उद्योगपतियों व बुद्धिजीवियों को मिलकर सोचना होगा और मनन तथा चिन्तन करना होगा ताकि इसे अधिकतम सामाजिक हित की दृष्टि से आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। वास्तव में भारत के लिए वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था नवीन परिस्थितियों में वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस व्यवस्था से जहाँ समाज की स्वयं स्वार्थ सिद्धि होगी, वहीं वृद्धों के लिए वे परामर्श प्राप्ति के केन्द्र होंगे। अर्थात् इस व्यवस्था के द्वारा स्वार्थ एवं परमार्थ का मधुर समन्वय हो सकता है क्यों कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि -

वृद्धावस्था मानव जीवन एक गम्भीर, जटिल एवं सार्वभौमिक समस्या है। तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान दौर में परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवार अनाथों, विधवाओं, विधुरों तथा वृद्धों की सहायता एवं सुरक्षा देने का कार्य पूर्व की भाँति नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि आज वृद्धों और परिवार के बीच सफल समायोजन नहीं हो पा रहा है और वृद्धों का पारिवारिक जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है।

वृद्धावस्था एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक स्थिति है। अतः वृद्धावस्था एवं इसकी समस्याएं इस संसार में मानव जीवन एवं सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही अस्तित्व में रही हैं। वास्तव में वृद्धावस्था मानव जीवन की गम्भीर एवं जटिल समस्या है जो अपने पहलू में अनेकानेक समस्याएं समेटे रहती है। ***बेन्जामिल श्लॉस*** ने वृद्धावस्था की बहुमुखी समस्याओं के सम्बन्ध में लिखा है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है; वह व्यक्ति जो जीवित रहता है; अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड़ लेती हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के साथ-साथ व्यक्ति को परिवार एवं सामुदायिक समायोजन, एकाकीपन एवं अलगाव, खाली समय का सृजनात्मक उपयोग न होना तथा स्वयं अपने एवं आश्रितों के पोषण हेतु अपर्याप्त आय आदि अनेकानेक समस्याएं उसे घेरे रहती हैं।[5]

यह निर्विवाद सत्य है कि आज की दुनियाँ में वृद्धों को फालतू वस्तु समझने की प्रवृत्ति बढती ही जा रही है, इसलिए वृद्ध लोग वृद्धावस्था से घबराने लगे हैं। अतः साम्प्रत भारत में वृद्ध लोगों की पारिवारिक स्थिति कैसी है? तथा उनके परिवार का स्वरूप व परिवार में वृद्धावस्था के कारण उनकी सत्ता व प्रभाव में क्या-क्या अन्तर आया है? और परिवार के सदस्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का स्वरूप कैसा है? प्रस्तुत शोध इसी प्रयोजन के लिए प्रेरित एक लधु प्रयास है।

परिवार, मानव समाज का सर्वाधिक प्राचीन, मौलिक, महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक संस्था तथा संगठन है। विश्व के प्रत्येक समाज में, सामाजिक विकास के सभी युगों में, परिवार के दर्शन अवश्य होते हैं। परिवार, समाज के सभी संगठनों का केन्द्र एवं

एक धुरी होता है। क्यों कि परिवार व्यक्ति की आधारभूत सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान युग में परिवार की संरचना एवं प्रकार्यो में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में परिवार के अन्तर्गत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिणामस्वरूप परिवार के कार्य बडे परिसीमित होते जा रहे हैं। इसी सन्दर्भ में परिवार; अनाथों, विधवाओं, विधुरों एवं वृद्धों आदि की सहायता एवं सुरक्षा देने का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवार वृद्धों के साथ सफल समायोजन करने में असमर्थ हो रहे हैं; फलतः वृद्धों का जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है। परिवार में वृद्धों की दयनीय स्थिति को ***भीष्म साहनी की कहानी*** 'चीफ की दावत' सही रूप से उजागर करती है जिसमें अपनी शान में बट्टा समझकर बुढिया माँ को छिपा दिया जाता है।[६]

सुस्पष्ट है कि पहले; समाज में बुजुर्गो को जो मान- सम्मान और दर्जा हासिल था, अब वो बात धीरे-धीरे खत्म होने लगा है। एकल परिवार की बढती प्राथमिकता से पारिवारिक दायरे में बुजुर्ग धीरे-धीरे उपेक्षित होते जा रहे हैं। उनकी सुख-सुविधाओं का खयाल रखना तो दूर की बात है, लोगों के लिए वे भार सरीखे लगने लगे हैं। बुजुर्गो के प्रति यह उपेक्षात्मक रवैया क्या परिवार और समाज के लिए उचित है? बुजुर्गो की उपेक्षा से उपजी त्रासदी पर एक दृष्टि :

उगते सूर्य की पूजा और डूबते सूरज की उपेक्षा की परम्परा के चलते विस्तार लेती वृद्धजनों की दुनियाँ में छाए संकट के बादल के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वयं बुजुर्ग (वृद्धजन), परिजन, समाज, सरकार, पश्चिमी प्रभाव या बदलती परिस्थितियाँ? नैतिक अवमूल्यन व मानव मूल्यों के संकट काल में जहाँ जनसामान्य को अनेक प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जीवन के अंतिम पडाव के लोगों का विभिन्न समस्याओं से जूझना भी स्वाभाविक है। चूँकि वृद्धों की अपेक्षा व त्रासदी जीवन को लेकर विभिन्न मंचों पर जताई जाने वाली क्षणिक चिंता के आलावा कभी गंभीर चिन्तन व सार्थक बहस की नौबत आई, इसलिए सुखद परिस्थिति की कल्पना करना अकलमंदी भी

नहीं है। इसी सोच को लेकर; कि वास्तविक स्थिति क्या है? जानने की जिज्ञासा इस शोध का मौलिक उद्देश्य है।

दुनियाँ में बूढ़ों की बढती संख्या के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् उन्नीस सौ निन्यानवे (१९९९) को 'बुजुर्गों के वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे उसका मकसद वृद्धों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान दिलाना था। यह वर्ष बूढ़ों को क्या कुछ दे पाया या दे पायेगा, यह तो समय ही बताएगा। संसार में हर महीने करीब दस लाख लोग साठ वर्ष की उम्र पार कर वृद्धजनों की भीड के आकार को बढा रहे हैं। सन् उन्नीस सौ पचास में पूरी दुनिया में बुजुर्गों की संख्या बीस करोड थी। औसत आयु के निरन्तर बढने तथा जन्म दर के घट जाने को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सन् दो हजार एक (२००१) तक संसार में बूढ़ों की संख्या साठ करोड हो जाएगी। सन् दो हजार पचीस (२०२५) में जब दुनिया की आबादी साठ अरब होगी तब उसमें बूढ़ों की तादात एक अरब बीस करोड हो जायेगी जो उस समय के बच्चों की संख्या की लगभग दो गुनी होगी। ***नेशनल सेम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन : १९९८*** का अनुमान है कि चौथाई सदी के बाद सत्तर प्रतिशत वृद्ध विकासशील देशों में रह रहे होंगे।[७]

उन्नीस सौ इक्यानवे की जनगणना के आधार पर भारत में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या पाँच करोड छियासठ लाख अस्सी हजार (५०६६८०००) थी, जिनमें सर्वाधिक पिचानवे लाख, छियालीस हजार नौ सौ तैंतालीस वृद्ध (९५४६९४३) उत्तर प्रदेश में थे। बीते वर्ष (सन् २०००) के आखिर में संसद में उपलब्ध कराए गए एक सर्वेक्षण विवरण के तहत बूढ़ों की संख्या सात करोड तीस लाख थी, जो कुल जनसंख्या का करीब सात प्रतिशत है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक सन् दो हजार एक (२००१) तक बूढ़ों की संख्या करीब आठ करोड हो जायेगी। ***वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन*** (WHO) द्वारा कराया गया सर्वेक्षण कम चौकानें वाला नहीं है। बीते बीस वर्षों में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में तिरानवे प्रतिशत (९३%) तथा सत्तर वर्ष से अधिक अवस्था के नागरिकों की तादात में एक सौ एक (१०१.०० %) प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[८]

प्रो. जाफरी (१९९९) का कहना है कि बूढ़ों की शोचनीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में देश के सौ मेहनतकशों में ग्यारह (११%) व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं। रोजी-रोटी की चिंता से मुक्ति न पाने वाले इस वृद्धों में पच्चीस प्रतिशत (२५%) लोग हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है कि बूढ़ों में सभी प्रकार के मनोरोग पाए जाते हैं। तीस प्रतिशत (३०%) बृद्ध डिप्रेशन रोग से पीडित हैं। बूढ़ों में आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा भावनात्मक चिन्ताएं बढने से वे अपने को न केवल उपेक्षित महसूस करने लगे हैं अपितु भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य तथा आश्रय जैसी सामाजिक मूलभूत समस्याओं के कारण आज जिन्दगी के प्रति उनका मोह भी भंग होता जा रहा है।

अनुसंधित्सु के सोच से शायद कह कहना गलत न होगा कि संयुक्त परिवार के विघटन का सर्वाधिक खामियाजा इन वृद्धों को ही उठाना पड रहा है। जीवन के अन्तिम छोर पर जहाँ इन्हें पारिवारिक स्नेह और सेवाटहल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है; वहीं इनकी पीडा में रोज-ब-रोज इजाफा ही हुआ है; तथा होता जा रहा है। एकल परिवारों के अस्तित्व में आने तथा परिवार का दायरा पति, पत्नी व बच्चों तक ही सीमित हो जाने के कारण ''वृद्ध समाज'' पारिवारिक परिदृश्य से लगभग ओझल हो गया है। बूढ़ों की स्थिति अंगुली के पके नाखून की तरह; जिन्हें बेरहम काटकर फेंक दिया जाता है। पहले संयुक्त परिवार में घर के वृद्ध या वृद्धा का परिजनों पर रौब-दौब होता था। उनकी डांट व प्रेम का भी अर्थ होता था। उन्हें कभी बुजुर्गियत का दायित्व निभाना होता था, तो कभी बच्चों के संग बच्चा बनकर प्रेम सुधा बरसाने की जिम्मेदारी को पूरा करना पडता था। वृद्धा को अपने घर में ही नहीं मोहल्ले-पडौस में भी सम्मान किया जाता था, किस्मत वालों को ही बुजुर्गो की छत्रछाया मिल पाती है, किन्तु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत, भिन्न व शोचनीय है।

पाश्चात्य सभ्यता के भौतिकतावादी बढते प्रभाव से परिवार टूट रहे हैं। मनुष्य हवेली में अपने ही द्वारा खडी की गई दीवारों के जाल में फँसकर रह गया है। रात-दिन में पूर्व की भाँति वही चौबीस घंटे होते हैं, पर आज किसी के पास समय नहीं है। घर में तीन पीढी के लोग रहते हैं किन्तु एक दूसरे से अनजान। पति दफ्तर आने-जाने के कारण थक

कर शीघ्र सो जाते हैं। बच्चों का अधिकांश समय स्कूल व होमवर्क में गुजर जाता है, पत्नी पाकशाला व गृह कार्य या फिर नौकरी आदि में उलझी रहती हैं। प्रत्येक सदस्य की अपनी अलग दुनिया में मन होने के कारण 'बूढे' घर में रहते हुए भी उपेक्षित हैं। क्या वे केवल दो समय का भोजन, वस्त्र और सिर छिपाने के लिए चारपाई भर स्थान के मोहताज बनकर रह गए हैं? नई पीढी को अपने कार्यों में पुरानी पीढी का दखल तो दूर; सलाह लेना तक स्वीकार्य नहीं हैं।

घर में वृद्ध पति-पत्नी हालात से समझौता कर किसी-न-किसी प्रकार समय काटते रहते हैं, किन्तु बुजुर्ग जोडी के टूट जाने पर अपनों की उपेक्षा का दंश उन्हें जीते जी मार डालता है। निराश्रित बूढों की दीनहीन दशा व उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर शासन द्वारा विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत एक सौ पच्चीस रूपये मासिक सहायता देने का प्रावधान है। करीब चार रूपये दैनिक की दर से देय यह धनराशि जहां अपर्याप्त है, वहीं हर महीने इसका भुगतान भी नहीं किया जाता। योजना का राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से पूरे वर्ष की पेंशन एक हजार पांच सौ रूपये का चेक किसी न किसी समारोह में देने का मंसूबा बनाया जाता है, जिससे अशक्त, विकलांग, अंधे व अत्यधिक वृद्धों को समारोह तक आने-जाने में काफी असुविधा का सामना तो करना ही पडता है, कभी-कभी अपात्र व्यक्ति चेक प्राप्त कर उसका दुरूपयोग भी कर लेता है।

अपने ही लोगों में अजनबी और उपेक्षित बन गए वृद्धों की सुध लेते हुए वाजपेयी सरकार ने जिस ''राष्ट्रीय नीति'' (१९९९) को स्वीकृति दी है, उसके तहत बूढों की वित्तीय, स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण व अन्य जरूरतों को पूरा कर उनका जीवन सुखमय बनाने का निर्णय लिया गया है बूढों के पारिवारिक, सामाजिक व भावनात्मक उत्पीडन को रोकने के लिए उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रयास यह भी रहेगा कि वृद्ध किसी भी दशा में अपने को अकेला, हीन और असहाय न समझें। बूढों की इच्छा का ध्यान रखते हुए उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने के अलावा उन्हें रचनात्मक, सृजनात्मक, अपेक्षित, शान्तिपूर्ण व संतोषप्रद जीवन जीने के अवसर मुहैया

कराने तथा सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय मदद लेने की योजना के सुखद परिणाम की आशा की जानी चाहिए। देश, समाज व परिवार के लिए उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विशिष्ट व्यक्ति, आदर्श परिवार, जागरूक समुदाय व समाजसेवी संस्थाएं न केवल उनका मार्ग प्रशस्त करें, अपितु उनकी हर सम्भव सहायता भी करें।

उल्लेखनीय है कि वृद्ध समाज का पचहत्तर प्रतिशत (७५.०० प्रतिशत) भाग गांवों में रहता है इसलिए वहां बूढ़ों की दिक्कतें भी कम नहीं हैं। सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण अंचलों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं, दवा, वस्त्र तथा यातायात में कर मुक्ति से वृद्धों को काफी लाभ हो सकेगा। आवास हेतु मामूली व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा बूढ़ों को अपने साथ रखने वाले परिवारों को इनकम टैक्स में छूट देने जैसी रियायतों से कई समस्याओं का निदान सम्भव है। परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव को फिर से स्थापित करने के लिए समाज सेवा से जुडे लोगों को अनुकरणीय पहल भी करनी होगी। हमारी भारत सरकार ने आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक व भावनात्मक असुरक्षा के दलदल में फंसे वृद्धजनों के लिए घोषित राष्ट्रीय नीति में उनके हितों का ध्यान रखकर जो अपनत्व दिखाया है, वह अपनों के द्वारा दिए गए घावों पर मरहम रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सच्चाई यह भी है कि सरकार व जन सेवी संस्थान बूढ़ों की सुरक्षा, सेवा तथा समाज में उनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए कितना ही कुछ क्यों न कर लें, किन्तु ईमानदाराना प्रयास, पारिवारिक स्नेह तथा आत्मसम्मान की बहाली के बिना उनकी सन्तुष्टि समभव नहीं हैं।[९]

“.........कल तक वे भी ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी-जल्दी तैयार होते थे। उन्हें घर का ढेर सारा काम निबटाना होता था। वे दोस्तों-पडौसियों के साथ लंबी गप्पे हांका करते थे, उन्हें लगता था कि उनके आस-पास सारा कुछ ज्यों का त्यों बना रहेगा, आजीवन। अपने आस-पास की दुनिया का केन्द्र वे बने रहेंगे हमेशा-हमेशा के लिए। पर ऐसा भला होता कहाँ है? समय का पहिया कभी नहीं रूकता और देखते ही देखते इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। आज अपनी ही रचाई-बसाई दुनिया में उन्हें पूछने

वाला कोई नहीं। बेटा-बेटी-बहू को अपने से ही फुरसत नहीं है। हरेक की अपनी व्यस्तताएं हैं। पोते-पोतियां जब दादाजी, दादीजी और नाना-नानी कहते, उनके आस-पास हंसते-खिलखिलाते धमाचौकडी मचाते हैं, तब जाकर कहीं उनमें जीवन का संचार हो पाता है। पीछे छूटे तमाम वर्ष और घटनाएं सहसा अपनी याद दिला जाती हैं।''- अनुसंधित्सु

उल्लेखनीय है कि वर्ष १९९९ बडे बूढों के वर्ष के रूप में मनाया गया है। सरकार ने बुजुर्गो के लिए कई तरह की रियायतों की घोषणा कर रखी है। आयकर में दस हजार रूपये तक की छूट दी गई है, रेल किराया उन्हें अब कम देना होगा। हवाई यात्राओं पर भी रियायत मिलेगी। पर सवाल यह है कि हमारे बुजुर्गो में से कितने लोग इतना कमाते हैं कि उन्हें आयकर में छूट और हवाई यात्रा के लिए रियायत चाहिए? और फिर क्या इतना कुछ कर देने भर से ही उन्हें अपेक्षित प्रतिष्ठा और सुविधाएं मिल जायेंगी? लिहाजा, कहा जा सकता है कि सरकारी घोषणाएं सहज प्रतीकात्मक हैं और उनका प्रभाव सीमित ही रहेगा। बुजुर्गो की दशा-दिशा में इससे क्रांतिकारी बदलावों की सोच की उम्मीद फिजूल ही है।

विगत साल यानी वर्ष १९९९ व २००० की पहली अक्टूबर से बुजुर्गो को सम्मानित करने के आयोजनों का श्रीगणेश किया; भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं ने। शहरों में बुजुर्गो को आमंत्रित किया गया, पार्को में सभाएं हुई। ब्लडप्रेशर और मधुमेह जैसी आम बीमारियों की जांच की गयी। लेकिन विडम्बना यह कि ज्यादातर जगहों पर जिन लोगों को यह दायित्व सौंपा गया, न तो वे प्रशिक्षित थे और न ही समर्पित। कई जगहों पर अफरा-तफरी फैल गई। बर्फी-समौसे कम पड गए, खाने के पैकेटों की लूट मच गई। यह सब देख बुजुर्गो की निराशा और बढ गई और वे क्षुब्ध होकर अपने घरों को लौट गए। भले ही इस अवसर पर बैंक की ओर से बुजुर्गो के लिए विशेष योजनाओं की बात कही गई, उन्हें नए खाते खोलने, ऋण लेने आदि के लिए आमंत्रित किया गया। पर यहां भी निराशा ही हाथ लगी। बैंक की योजनाओं का बारीकी से अध्ययन करें तो साफ पता चलता है कि कोई भी योजना बुजुर्गो की वास्तविक दिक्कतों को संबोधित नहीं करती। जगह-जगह 'हैल्थ मेला' का आयोजन किया गया। स्वस्थ रहने के उपाय सुझाए गए,

दमा हो, गठिया हो, जोडों का दर्द हो, डिप्रेशन हो, एंजाइना हो, मोतियाबिंद हो, दवा की पर्चियाँ बनाकर दे दी गई। पर इस बात को नजर अंदाज किया गया कि इन बीमारियों के इलाज के लिए बार-बार चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पडती है। अक्सर देखा जाता है कि जीने का जोश कम न हो, इसलिए इन आयोजनों में लच्छेदार और जोशीले व्याख्यान दिए जाते हैं। शतायु होने के नुसखे बताए जाते हैं। उदाहरण पेश किए जाते हैं, नीरद सी. चौधरी ने अपनी आखिरी किताब सौ साल की उम्र में लिखी। खुशवंत सिंह चौरासी साल के हो चुके हैं, मौरारजी देसाई सौ साल तक सक्रिय थे, हरिवंश राय बच्चन भी अब नब्बे तक पहुंच गए हैं। 'वाशिंगटन पोस्ट' के संपादक-पद से रिटायर होने के बाद जेम्स विगिन्स ९५ साल की आयु में आज भी अपना निजी अखबार निकाल रहे हैं।[१०]

(एक सीनियर सिटीजन के मुख से); मैं भी बतौर एक वरिष्ठ नागरिक जहाँ जाता हूँ, ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। बडी-बडी बातें करने वाले भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ बुजुर्गो की हालत क्या है? ज्यादातर बुजुर्गो की मानसिक स्थिति चिंतनीय है। पारिवारिक अवहेलना और तमाम दिक्कतों के चलते ही उनका यह हाल है। निराशा और एकाकीपन के बोझ तले उनकी कमर और झुक गई है। हम कभी नहीं सोचते कि क्या सुबह दूध-सब्जी लाना, बच्चों को बस स्टाप तक छोडना और स्कूल से लाने के लिए जाना ही उनकी जिंदगी रह गई है? क्या जीवन के अंतिम पडाव में दूसरों की झिडकियाँ और उपेक्षाभरी नजरों की मार खाने-सहने को ही ये जीवित हैं? हाल ही में ***'अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हैल्थ'*** में बुजुर्गो के सामने पेश आने वाली दिक्कतों से जुडा एक लेख छपा था। इसमें यह भी बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिक आम स्वास्थ्य परेशानियों के लिए जो दवाएं खाते हैं, उनके चलते सीढियाँ चढते समय या अत्यधिक शारीरिक श्रम के दौरान उनका शारीरिक संतुलन गडबडा सकता है और वे गिर भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि बुजुर्गो की दिक्कतों को नजर अंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है।[११]

बुजुर्गो के लिए आज के भीड भाड के माहौल में विशेषकर शहरों में सडक पर निकलना तो मौत को बुलावा देना ही समझिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का धीरज किसी में नहीं है। सबको जल्दी से जल्दी अपना काम निबटाना है। सडक पार करते

समय बुजुर्गों को 'बुड्डे मरना है क्या?' सरीखा स्नेह वचन भी अक्सर सुनने को मिलता है। दूसरी ओर पश्चिम की ओर देखिए, वहाँ बुजुर्गों को सडक पर साइकिल की सवारी करते देखा जा सकता है। उन्हें रास्ता पार कराना हो तो ट्रैफिक तक रोक दी जाती है। हमारे यहां घरों में बच्चों को खिलाते, बिजली, पानी, फोन आदि के बिल अक्सर बुजुर्ग ही जमा करते देखे जाते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन दिक्कत तब है जब बुजुर्गों को ताने सुनने को मिलते हैं। इसी तरह कई घरों में टीवी देखने को लेकर भी बुजुर्गों को उलटी-सीधी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। अच्छा तो यही होगा कि बुजुर्ग (यदि शिक्षित हों) तो ज्यादातर समय टीवी के बजाए पत्र-पत्रिकाएं आजकल इतनी महीन प्रिंट का इस्तेमाल करती हैं कि बुजुर्गों के लिए इन्हें पढना दुरूह तथा दूभर हो जाता है। खैर ये दिक्कतें तो कुछ भी नहीं हैं। सबसे गम्भीर चिन्ता तो उनकी मनोदशा को लेकर है। उम्र के साथ-साथ स्मरण-शक्ति का ह्रास होना तो स्वाभाविक ही है। शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती ही जाती है। ऐसे में उपेक्षा और अलग-थलग पड जाने से अधिकांशतः बुजुर्ग अवसाद और कुंठा के शिकार हो जाते हैं इस तथ्य को निर्विवाद स्वीकार करना ही होगा।

अनुसंधित्सु की दृष्टि में बुजुर्गों को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि आपको उनकी जरूरत है। उन्हें अकेलेपन से बचाइए। अपने को उनके हिसाब से समायोजित (एडजस्ट) करने की कोशिश करिए। वे आजीवन आपके सिर पर नहीं बैठे रहेंगे, यह मानकर चलिए। जो थोडे दिन उनके साथ बिताने हैं, खुशी-खुशी बिताइए। उनकी गलतियों के लिए उन्हें कोसिए मत; और न ही बात-बात पर उन पर झल्लाइए। अपितु सामंजस्य स्थापित करने एवं समायोजन करने के अधिकतम प्रयास करने चाहिए। हमें अपने सोच बदलने होंगे तभी बुजुर्गों की दिक्कतें खतम होंगी तथा जब उनका परिवार उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करेगा। लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सरकार ने जो 'ओल्ड-होम्स' वृद्धजनों के सामाजिक पुनर्वास हेतु बनाए हैं, उनकी दशा बहुत ही खराब है। निजी क्षेत्र के 'ओल्ड होम्स' तो इतने मँहगे हैं कि पूछिए

मत। सरकार को बुजुर्गो की सुविधा असुविधा का अधिकतम ध्यान रखते हुए नई योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि वृद्धजनों की समस्याएं सुलझायी जा सकें।

प्रो. सुधा एस. सिलावट (१९९५:११) के अनुसार हमारे देश की संस्कृति में वृद्धों का स्थान सामाजिक संस्थाओं में सर्वोपरि है, हमारे देश के परिवारों एवं समाज में वृद्धों को आदर, सम्मान एवं श्रद्धा भाव से देखा जाता है; तो दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका को, जिसे प्राय: एक नया देश कहा जाता है, कुछ ही दिनों के अनुभव करने लगा है कि उसमें 'बृद्धता' आ रही है। हमारे देश का राष्ट्र के रूप में प्रारम्भ उपनिवेश काल में हुआ था और तब से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक अथवा प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक हमारे देश की जनता 'नौजवानी की प्रवृत्ति' वाली थी। दूसरे देशों से आकर इस देश में बसने पर कभी नियंत्रण नहीं था और आगन्तुक लोगों में बहुधा सन्तानोत्पत्ति करने की उम्र वाले लोग ही होते थे, इस कारण हमारे देश की आबादी में वृद्धों की अपेक्षा नौजवानों की संख्या ही अधिक रही है।[१२]

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार सन् २००० तक दुनिया में ६० वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वृद्धों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होगी। जिसके कारण जनसंख्या का ढांचा पूर्णतया अलग होगा तथा इससे समस्त स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाएं अस्त-व्यस्त हो जायेंगी। इस शताब्दी के अंत तक भारत में ही ६० वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या कुल जनसंख्या का १८ प्रतिशत हो जाएगी। इससे निश्चित तौर पर एक नई चुनौती पैदा होगी। यह संभव भी हैं क्योंकि जीव चिकित्सा तकनीक एवं औषधियों के कारण चेचक, क्षय रोग, हैजे जैसी बीमारीयों पर नियंत्रण हो जाने से जीवन अवधि में बढोतरी हुई है।

अब समय आ गया है जब हमारी राष्ट्रीय सरकार को समयोचित कदम उठा कर वृद्ध नागरिकों के समुचित कल्याण एवं देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए। क्यों कि इन वृद्धों ने अपनी शक्ति राष्ट्र के निर्माण में लगाई है और इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है इसलिए राष्ट्र का भी यह नैतिक दायित्व है कि वह उन्हें वृद्धावस्था में समुचित जीवन स्तर, आवास, चिकित्सीय देखभाल

एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। चूँकि भारत गाँवों का देश है जिसकी ८०% से भी अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है अत: यह स्वीकार किया जा सकता है कि हमारे देश के अधिकतर वृद्ध गाँवों में रहते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ग्रामीण वृद्धों की समस्याएं शहरी वृद्धों की तुलना में कम हैं क्योंकि यहाँ अभी भी संयुक्त परिवार की प्रणाली मौजूद है। यह कहना तथा स्वीकार करना एक मिथक मात्र है, अब वहाँ ऐसा नहीं है। पूर्व अध्ययनों की समीक्षाओं से स्पष्ट है कि विभिन्न कारणों से ग्रामीण वृद्ध बहुत कष्टप्रद जीवन जीते हैं। लाभदायक रोजगार प्राप्त करने एवं आधुनिक जीवन जीने की आकाँक्षा से नवयुवक गाँवों को छोडकर नगरों और महानगरों में चले जाते हैं। वे अपने पीछे खेतों की देखभाल करने और अपना इंतजाम स्वयं करने के लिए वृद्धों को गाँवों में छोड जाते हैं। ऐसा आनुभविक अध्ययनों का निष्कर्ष है। शासन की कल्याण योजना के तहत शहरी अस्पतालों में शहरी वृद्धों के लिए कुछ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु गांवों के जर्जर वृद्धों के लिए हमारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था (CARE) एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में कोई उल्लेखनीय व्यवस्था नहीं की गई। बीमारी के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कभी-कभी ही कोई उपस्थित रहता है। उनकी पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती सम्प्रति वे खुशहाल कैसे रह सकते हैं? उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में सेवानिवृत्त वृद्धों को अवकाश ग्रहण करने के बाद कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पडता जबकि गाँवों में वृद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करते हैं। हमारे देश में ८० साल से अधिक वृद्ध लगभग २०० नगरों और महानगरों में रहते हैं जबकि शेष अर्थात लगभग ३ करोड वृद्ध गाँवों में रहते हैं। आर्थिक असुरक्षा एवं बुरा स्वास्थ्य उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार देश में ६० वर्ष से ऊपर के ३४ लाख पुरूष और १४ लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उन्हें परिवार और समाज से उपेक्षित करके कष्टप्रद अंत के लिए छोड दिया था। सन् १९७७ में समाज कार्य विद्यालय दिल्ली द्वारा एक वृद्धजनों का सर्वेक्षण अध्ययन किया गया था। जिनकी कोई आय नहीं थी (अध्ययन की पृष्ठ संख्या १२४ से)। इसी भाँति सन् १९७२ में मद्रास समाज कार्य विद्यालय ने सर्वेक्षण किया था। उसके

अनुसार ५१.८ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई आमदनी नहीं थी (अध्ययन की पृष्ठ संख्या ४३६से)। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा सन् १९७५ में किए गए आनुभविक अध्ययन से पता चलता है कि ५१.१ प्रतिशत बुजुर्गो की स्वयं की कोई आय नहीं है। (अध्ययन की पृष्ठ संख्या५५ से)। यह निर्विवाद सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वृद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से भविष्य में कठिन समस्या उत्पन्न होगी। इससे सरकार का ध्यान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से हटेगा और जिसका नियोजन पर दुष्प्रभाव पडेगा। अत: इस समस्या से जूझने के लिए समय से पूर्व ही उचित कदम उठाने चाहिए। अनुसंधित्सु की दृष्टि में यह एक व्यापक कार्य है जिसे केवल सरकार द्वारा अकेले सम्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी एवं ऐच्छिक संगठनों का सहयोग तथा समर्थन आवश्यक ही नहीं अपितु वाँच्छनीय है।

दिल्ली समाज कार्य विद्यालय के (१९७७:१२३) के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ५० प्रतिशत वृद्धों की तंदरूस्ती व स्वास्थ्य अच्छा है परन्तु वे लाभदायक कार्यो में संलग्न नहीं हैं। इससे पता चलता है कि अवकाश प्राप्त सक्रिय बुजुर्गो के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाने की संभावना है। समाज कल्याण बोर्ड और समाज कल्याण मंत्रालय ऐच्छिक संगठनों तथा अभिकरणों के सहयोग से वृद्धों की क्षमताओं का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में कर सकते हैं :

- पोषाहार कार्यक्रम,
- समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम,
- प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा,
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन/कल्याण सेवाएं,
- जन जागरण कार्यक्रम तथा सेवाएं,
- सहयोग परियोजनाएं (सहकारी भंडार),
- समग्र साक्षरता अभियान,
- समाज सेवा/कार्य इत्यादि।

दुनिया के प्रत्येक हिस्से में ऐच्छिक संगठनों ने सरकारी प्रयत्नों के अलावा वृद्धों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्भाग्य से भारत में कुछ धार्मिक संस्थाओं को छोड कर किसी भी ऐच्छिक संगठन ने वृद्धों के कल्याण के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। यह सच है कि जनता और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता न मिलने पर कोई भी ऐच्छिक संगठन नहीं चल सकता; परन्तु यह भी सच है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के अभाव में ऐच्छिक संगठन अच्छा कार्य नहीं कर सकता।

विद्वान समाजशास्त्री ***डॉ. परिपूर्णानन्द वर्मा*** (वृद्धावस्था-समाजकल्याण-जनवरी १९८३:३०) से; कहावत है, 'जब साठा, तब पाठा' अर्थात् साठ वर्ष की उम्र हो जाने पर मनुष्य वास्तव में परिपक्व युवा हो जाता है। यह तो एक धारणा हुई पर पश्चिमी अमेरिका तथा कनाडा में यह मान्यता है कि साठ को पार करने के बाद अधिकांश बूढे सठियाने लगते हैं और उनकी इस मानसिक स्थिति को 'सेनाइल डिमेंटिया' कहते हैं जिनका अर्थ होता है 'जराजन्य (बुढापे से पैदा) मूर्ख चिन्तता' यानि बुढापे में पैदा होने वाली मानसिक मूर्खता। इस रोग का ठेठ हिन्दी नाम 'बुढमस' भी है। बुढापे में इस रोग के कारण बूढे के घर वाले साथी सम्बन्धी भी ऊब जाते हैं और उससे कतराने लगते हैं। भारतवर्ष में, जहाँ आज की स्थिति के अनुसार साठ वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग सवा करोड है, लगभग २५ लाख वृद्ध जराजन्य मूर्ख चिन्ता के रोगी समझे जाते हैं। अमेरिका में वहाँ की नवीनतम खोज के अनुसार ६५ वर्ष की उम्र के ऊपर की लगभग साढे दो करोड की आबादी में से १० से १५ लाख व्यक्ति इस रोग के शिकार समझे जाते हैं। इस बीमारी या दोष के सम्बन्ध में अब जोरों से खोज चल रही है। वृद्धों की मानिसक स्थिति के सम्बन्ध में नए तथ्य सामने आये हैं। मानसिक मूर्ख चिन्ता बुढापे के पहले भी होती है। बीसवीं सदी के शुरू के वर्षो में जर्मनी के एक वैज्ञानिक तथा चिकित्सक डॉ. अलझेमेर ने इस बीमारी का पता लगाया था। उसी को आधार मानकर अब खोज करके पता चला है कि इस रोग को असाध्य मानकर समाज वृद्धों की चिकित्सा न करके उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है। यह रोग वृद्धों में केवल प्रधानतः इस कारण होता है कि उनका सामाजिक सम्पर्क, साथ-संग, पारिवारिक सेवा तथा क्रियाशील जीवन छूट जाने

से उनके मन में एक तनाव पैदा हो जाता है जिससे जराजन्य मूर्खचिन्तता पैदा हो जाती है। यदि उनकी देख-रेख ठीक से हो, उनकी उम्र के मुताबिक काम में लगे रहने की स्थिति पैदा की जा सके तो यह बुढापे का मानसिक रोग अच्छा हो सकता है।

अमेरिका के 'राष्ट्रीय शोध संस्थान' ने इस सम्बन्ध में खोज करके अक्टूबर, १९८१ में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की चिकित्सकीय अनुसन्धान समिति की बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस समिति के निर्णय के अनुसार जराजन्य मूर्ख चिन्तता पर ही विचार करने के लिए एक कमेटी की बैठक अप्रैल, १९८२ में हुई थी तथा दूसरी बैठक अक्टूबर, १९८२ में हुई जिसमें यह विचार किया गया कि वृद्धों की इस दिशा में सेवा करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाए। ***टामस ईगलटन*** नामक एक अमेरिकी सिनेट सदस्य ने नवम्बर, १९८१ में कहा था, इस बीमारी के कारण वृद्ध लोग नित्य जीवन के साधारण काम नहीं कर पाते। इस बीमारी के लक्षण शुरू से ही मालूम होने लगते हैं। हालांकि हरेक व्यक्ति के लक्षण भिन्न होते हैं पर प्रायः इसकी शुरूआत होती है, स्वस्थ जनों में भी भुलक्कडपन से। रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें वे भूलने लगते हैं जिससे पता चलता है कि उनकी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है। जिन चीजों या व्यक्तियों के नाम और चेहरों से वे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, उन्हें भी भूलने लगते हैं और पहचानने में कठिनाई भी होती है। यही रोग बढते-बढते इतना ज्यादा हो जाता है कि वे आसपास की चीजों को भी नहीं पहचान सकते हैं, न याद रख पाते हैं। धीरे-धीरे जैसा कि ***प्रो. अलझेमेर ने कहा, "यह बीमारी उनका मन लूट लेती है और उनका दिल टूट जाता है।"*** इस बीमारी का और दर्दनाक लक्षण है- वर्तमान की कोई बात याद नहीं रहती। व्यक्ति स्नान करके उठने पर भी भूल जाता है कि स्नान किया या नहीं? पर अतीत की, प्रारंभिक जीवन की बातें चलचित्र की तरह सामने आती रहती हैं, याद आने लगती हैं। इन सब लक्षणों की संसार के हर भाग में बडे-बडे चिकित्सक तथा वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। 'मन के ऊपर डाका' पडने के पहले उसे रोका जाए।

डा. रोबर्ट काटजॉन (१९८७:२०५) इसी रोग पर वर्षों से खोज कर रहे हैं। उनका कथन है कि बुढापे में एकांत, अकेलापन, समाज तथा परिवार की उपेक्षा से ऐसा

मानसिक तनाव पैदा होता है कि मस्तिष्क को छोटे-छोटे झटके लगने लगते हैं। इससे मस्तिष्क के तन्तु मरने लगते हैं। यदि इस मानसिक तनाव को रोकने का उपाय किया जाए तो वृद्ध का सठियाना रोका जा सकता है। विद्वान प्रोफेसर डा. अलवर्ट लास्केर का कहना ठीक ही है कि अगर चिकित्सा से लकवा या दिल का दौरा रोका जा सकता है तो यह रोग क्यों नहीं रूक सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (१९८२) की जन सम्पर्क एवं वरिष्ठ सूचना अधिकारी कुमारी जॉन बुश ने ७ अप्रैल, १९८२ को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' के अवसर पर न्यूयार्क में राष्ट्रसंघ कक्ष में गैर सरकारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य है- सन् २००० तक संसार में सभी के लिए स्वास्थ्य। दूसरे शब्दों में, 'सबके जीवन के वर्ष बढ जाएं' विश्व में ६० वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या इस समय लगभग २८ करोड़ है। सन् २००० तक ६०-८० वर्ष की उम्र वालों की संख्या आज से दुगुनी हो सकती है। इतनी अधिक जनसंख्या से समाज में नई समस्याएं पैदा होगीं कि ये वृद्धजन क्या करें? इन वृद्धों की दो तिहाई जनसंख्या प्रगतिशील गरीब देशों में होगी। उनके भरण-पोषण का उपाय अभी से सोचना होगा। अन्यथा ''वृद्धजनों की समस्या'' भयावह हो जायगी। कुमारी जॉन बुश का कथन है कि हम लोग बीमार वृद्धों की चर्चा तो करते हैं पर यह भूल जाते हैं कि ७०-८० से ऊपर ऐसे लाखों वृद्ध हैं जो पूर्ण स्वस्थ हैं और समाज में बडा उपयोगी जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन इस तरह बना लिया है कि जवान लोग भी उनका साथ पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि ऐसे वृद्धों का आदर्श समाज के लोगों के सामने रखा जाए तो बडा कल्याण होगा। कुमारी बुश ने समाज में महान कार्य करने वाले वृद्धों के नाम गिनाए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में ८६ वर्षीय अपने पिता का भी जिक्र किया है, जो लंदन में रहते हैं और अपने क्लब की जान हैं। वे कहती हैं, ''आवश्यकता इस बात की है कि हम वृद्ध सेवा की विशेष आवश्यकता पर ध्यान दें। बुढापा केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है किन्तु एक मानसिक स्थिति सम्बन्धी दशा भी है। अभी तक, विशेषकर औद्योगिक देशों में यह धारणा थी कि बुढापा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई समाधान व इलाज सम्भव नहीं है। लोग बूढे को बीमार बच्चा समझते हैं।'' इस

मानसिकता को त्यागना होगा तथा उनके साथ सामंजस्य व समायोजन कर उनके अनुभवों का लाभ लेना होगा जिससे उनमें सन्तोष की भावनाएं बलवती होंगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (१९९९) के प्रतिवेदन के अनुसार महानिदेशक डॉ. महालर कहते हैं, ''बूढ़ों को ऐसा समझा जाता है कि मानो वे कब्र की ओर लडखडाते पैर बढा रहे हैं। मन और शरीर की बीमारी से तबाह हो चुके हैं, उनमें दूसरों के प्रति प्रेम तथा ममता की भावना समाप्त हो गई है, वे अपनी देख-रेख नहीं कर सकते। यह सब धारणाएं नितान्त गलत हैं, झूठी हैं, भ्रामक हैं। वे समाज में उपयोगी काम कर सकते हैं। उनमें ममता है, प्रेम है और स्वाबलम्बन की भावना भी। उनका मन और बुद्धि धुंधली नहीं है। वृद्धों को निस्सहाय तथा निरर्थक समझने की भावना हमें त्याग देनी चाहिए।'' आपने व्यवहारिक सुझाव देते हुए कहा है कि भारत में इसीलिए आज राष्ट्रसंघ तथा उसके स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वैच्छिक अभिकरणों के सहयोग से वृद्धजनों के प्रति आदर, सेवा तथा समाज द्वारा उनकी देखरेख का अभियान चलाया गया है। सौभाग्य से, भारतवर्ष में वृद्धों का आदर, उनकी सेवा तथा परिवार में उनका मान सम्मान हमारी सभ्यता का पवित्र अंग है। फिर भी यहाँ संयुक्त परिवार टूटने से स्थिति बदल रही है। अतएव सावधानी की आवश्यकता है। वृद्धों की सेवा के लिए समाज कल्याण के क्षेत्र में उचित प्रबन्ध करना होगा। तभी वृद्धजनों की समस्याएं सुलझ सकेंगी।

वृद्धावस्था को निर्धारित करने वाले कारक :

वृद्धावस्था, सामान्यत: ५० वर्ष के बाद की आयु सम्बन्धी अवस्था को माना जाता है किन्तु विद्वानों के अनुसार वृद्धावस्था को निर्धारित करने वाले कारकों में उम्र, शारीरिक स्थिति तथा चिकित्सीय परीक्षण/जाँच को प्रमुखता प्रदान की जाती है। आशय यह है कि इस अवस्था को निम्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है :

(१) उम्र: जन्म से मृत्यु तक की अवस्था को वैज्ञानिकों ने कई अन्य अवस्थाओं में विभक्त किया है जिसमें वृद्धावस्था सबसे अन्तिम अवस्था है। यह अवस्था ५० वर्ष से ६० वर्ष के मध्य मानी जाती है किन्तु ६० वर्ष से अधिक वय के व्यक्ति भी इसी अवस्था के अन्तर्गत आते हैं, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो।

(२) शारीरिक स्थिति : उम्र बढने के साथ-साथ शारीरिक परिवर्तन तथा बदलाव होना स्वाभाविक ही है। बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा शिथिल/ढीली पड जाती है, झुर्रियाँ पड जाती हैं, दाँत गिर जाते हैं, सामाजिक अनुभवों का ज्ञान बढता जाता है, चलने फिरने पर शीघ्र थकान आ जाती है, श्रवण शक्ति क्षींण हो जाती है, तो कुछ सुन ही नहीं पाते। अतः वृद्ध अवस्था में इन्सान शारीरिक रूप से कमजोर, जर्जर तथा असहाय हो जाता है। इन समस्त शारीरिक लक्षणों से वृद्धावस्था को निर्धारित किया जा सकता है।

(३) चिकित्सीय परीक्षण/जाँच : वृद्धावस्था में व्यक्ति/इन्सान कमजोर हो जाता है; शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही तरह की अवस्था में कई रोग व बीमारियाँ एक साथ घर कर जाती हैं। चिकित्सीय परीक्षण सम्बन्धी आनुभविक अध्ययनों में पाया गया है कि अधिकांशतः प्रकरणों में ब्लड प्रेशर, हड्डियों व जोडों में दर्द, गठिया, लकवा, दिल का दौरा, सुगर की बीमारी आदि बीमारियों में से कोई न कोई बीमारी अवश्य हो जाती है। इन शारीरिक लक्षणों से कह दिया जाता है कि व्यक्ति वृद्ध हो चला है। इस वृद्धावस्था में व्यक्ति विभिन्न मनोविकारों से ग्रस्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप उत्सुकता में कमी, निराशा, आलस्य प्रमाद, चिडचिडापन, एकान्त प्रियता इत्यादि लक्षण भी दृष्टिगण होने लगते हैं। अतः इन समस्त लक्षणों व कारकों से पता लगाया जा सकता है कि वृद्धावस्था में ही व्यक्ति पदार्पण कर जीवनयापन कर रहा है। साथ ही इस अवस्था में चिन्ता करने का सिलसिला जबरदस्त रूप से शुरू हो जाता है।

वृद्धावस्था के अन्य प्रमुख लक्षण :

वृद्ध अवस्था (६०⁺ वर्ष) में व्यक्ति में स्नायु दुर्बलता, आत्मकेन्द्रित, सम्वेदनशील, निराशावादी, दुखी, विषादमय एवं भविष्य के प्रति चिन्तित व उलझे हुए रहते हैं; जिसके फलस्वरूप सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपना जीवन व्यवस्थित व सन्तुलित नहीं रख पाते हैं क्योंकि उन्हें चल-अचल सम्पत्ति के रख रखाव की चिन्ता भी सालती है; साथ ही मरने तक अपने

पास धन सुरक्षित रखने की गुप्त बातें तथा मृत्यु हो जाने पर परिवार का क्या होगा? इत्यादि बातें भी निराशावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती रहती हैं।

(१) वृद्धावस्था एक मानवीय सामाजिक समस्या है।

(२) वृद्धावस्था एक अनिवार्य दशा तथा सबके समक्ष आने वाली एक स्वाभाविक जैविकीय प्रक्रिया है।

(३) सामाजिक कार्यकलापों से बिलगता की भावना, वृद्धावस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है।

(४) वृद्धावस्था, मानव जीवन के उत्तरार्द्ध की गति होती है जो उनके सारे जीवन की पूंजी ''ज्ञान के भण्डार'' से परिपूर्ण होती है।

******

सन्दर्भ-सूची

१. वन्दना रानी ; वृद्धों की स्थिति-अतीत से वर्तमान तक, प्रकाशित शोध-पत्र ''सामाजिक सहयोग'' राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध-पत्रिका, श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थान, उज्जैन (म.प्र.), वर्ष २, अंक-८, १९८७

२. कौर कुलदीप ; शरीर-विज्ञान : सक्षम व अक्षम वृद्धजन, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा (उ.प्र.), १९९७, पृष्ठांकन-३७१

३. सिंह शम्भूनाथ ; वृद्धावस्था प्रमुख समस्या के रूप में अभिशाप ''समाज कल्याण'' केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड, समाजकल्याण भवन, नई दिल्ली जनवरी, १९७८, पृष्ठ ४२

४. गजेन्द्र गटकर ; डिस-एबिल इन इण्डिया ; गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, पुणे, १९८८, पृष्ठ १०५

५. सिंह एस० डी० ; वृद्धजन - सेवानिवृत्त एवं साधारण- एक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण ''जन सहयोग'' समाजशास्त्रीय शोध पत्रिका, पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ , १९९५ पृष्ठ ७-१०

६. रानी वी० के० ; ''वृद्धों की पारिवारिक स्थिति''- राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा (सामाजिक विज्ञानों की शोध-पत्रिका) वर्ष-१ अंक-१, जनवरी-जून १९९६, पृष्ठ ६७-६८, समाज विज्ञान विकास संस्थान चान्दपुर, बिजनौर (उ०प्र.)

७. रानी वी० के० ; ''नेशनल सेम्पिल सर्वे रिपोर्ट- १९९८, ऐन आर्गनाइजेशन ऑफ गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृष्ठ-१२

८. जाफरी एम०ए० ; ''भार नहीं प्रतिष्ठा के हकदार हैं बुजुर्ग''- प्रकाशित लेख दैनिक समाचार-पत्र : अमर उजाला, १२ मार्च १९९९ पृष्ठ-१०

९. जाफरी एम०ए० ; राष्ट्रीय नीति : १९९९ बाजपायी सरकारी ''सीनियर सिटीजन्स'' शासकीय परिपत्र, भारत सरकार, नई दिल्ली-१९९९, पृष्ठ ३

१०. भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिकोहाबाद द्वारा प्रायोजित ''वृद्धजन सम्मान समारोह'' अक्टूबर १, २०००; प्रकाशित : दैनिक जागरण समाचार-पत्र, पृष्ठ-१२

११. Ramamurthy V.S. ; DREAM-2001; Monthly Newsletter of Vigyan Prasar, March 2001, Vol.3, New Delhi, page-40.

१२. सिलाबट एस० एस० ; वृद्धावस्था की समस्याएं ; प्रकाशित शोध-पत्र : ''सामाजिक सहयोग''- श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान उज्जैन (म.प्र.) राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका, वर्ष ४ अंक-१४, १९९५ पृष्ठ-११

******

अध्याय 2

साहित्य का पुनरावलोकन

निस्सन्देह, सामाजिक अनुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक शोध के प्रमुख सोपानों के अन्तर्गत ''साहित्य का पुनरावलोकन'' तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करना अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। क्योंकि अनुसन्धान कार्य से सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों को समीक्षा किए बिना; एक अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान कार्य के सुचारू संचालन हेतु सही दिशा प्राप्त करना नितान्त असम्भव होता है। यदि साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षाएं कर ली जांय तो अनुसंधित्सु यह जान लेता है कि प्रस्तुत अनुसन्धान से सम्बन्धित किन-किन पहलुओं, शीर्षकों, उपशीर्षकों पर अनुसन्धान कार्य आनुभविक रूप में सम्पादित किए जा चुके हैं; तथा कौन-कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ व प्रविधियाँ उनमें प्रयोग की गयीं, और किस अनुसंधान-अभिकल्प को अपनाया गया; साथ ही तत्सम्बन्धित प्रमुख-प्रमुख निष्कर्ष तथा समस्याएं क्या-क्या रहीं हैं? यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक सामाजिक समस्या का देश, काल एवं परिस्थितियों से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, अतः इस दृष्टि से भी पूर्व अध्ययनों से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करना अनुसन्धान के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं होता; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है। परिवर्ती परिवेश में अपने अनुसंधान कार्य में क्या-क्या समस्याएं जनित हो सकती हैं? किन पद्धतियों व प्रविधियों से अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा? किन-किन पहलुओं, आयामों तथा कारकों का अध्ययन; पूर्व (अतीत) में हो चुका है? और किन पहलुओं का नहीं; तथा किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना अवशेष है? अध्ययन किस भाँति (कैसे) किया जाय; कि अनुसंधान कार्य सरलता, सहजता तथा

सुगमता से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप में पूर्ण हो जाय तथा अनुसन्धित्सु को समय, धन तथा श्रम भी कम अपव्यय करना पड़े ; इत्यादि; यह सब कुछ एक अध्ययनकर्ता को साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रसंग में प्रो. बेसिन का कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ***बेसिन एफ.एच.*[7] *(१९६२:४०) के अनुसार :*** प्रत्येक अनुसन्धान कार्य में "सम्बन्धित साहित्य एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा" अनुसन्धान योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान हुआ करता है क्योंकि प्रत्येक अनुसन्धान कार्य, आरम्भ में अस्पष्ट होने के कारण दुरूह एवं जटिल प्रतीत होता है। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसन्धान की जटिलता एवं अस्पष्टता दोनों ही समस्याएं (बाधाएं) लगभग समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि साहित्य के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध अध्ययन के लिए विश्वसनीय, तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन-सामग्री, किस भाँति तथा कैसे प्राप्त हो सकती है? सााहित्य के पुनरावलोकन तथा समीक्षा करने के कुछ अन्य प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-

(१) अध्ययनकर्ता को शोध समस्या के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित हो जाता है।

(२) अनुसन्धान कार्य हेतु अनुसन्धान प्रारूप एवं उपयोगी पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ अनुसंधित्सु को स्पष्ट हो जाती हैं कि अध्ययन कैसे सम्पादित करना है।

(३) साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसंधित्सु को अनुसन्धान सम्बन्धी भ्रमात्मक तथा सन्देहात्मक स्थितियां सुस्पष्ट हो जाती हैं; सम्प्रति अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता का सोच स्पष्ट हो जाने की बजह से अध्ययन करने में सरलता हो जाती है। इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान हेतु शोध-प्रारूप, अध्ययन-पद्धतियाँ तथा प्रविधियों के ज्ञान के अतिरिक्त, दिशा बोध हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से अनुसंधित्सु में अतिरिक्त अभिज्ञान तथा अन्तर्दृष्टि विकसित हो जाती है।

प्रोफेसर बोर्ग जी.पी.*[2] *(१९६३:४८) के शब्दों में : "सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन किसी भी अनुसन्धानकर्ता को इस योग्य बना देता है कि वह पूर्व में किए हुए अनुसन्धान कार्यो का पता लगा सके, और उनका अध्ययन करके तत्सम्बन्धित समीक्षा

कर सके। ऐसा करने से अध्ययनकर्ता अपने अनुसन्धान कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा पद्धतियों इत्यादि का उचित चयन करके अतिरिक्त ज्ञानार्जन के आधार पर अनुसन्धान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त कर लेता है।''

सर्वश्री पुरुषोत्तम[3] (१९९१:११०) के अनुसार ''सामान्यत: मानव-ज्ञान के तीन पक्ष- (१) ज्ञान को एकत्रित करना (२) एक दूसरे तक पहुँचाना (३) अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि करना; होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसन्धानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि वास्तविकता के समीप/निकट आने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। अतिरिक्त ज्ञान के अर्जन तथा विस्तृत ज्ञान-भण्डार में इनका योगदान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। उसी भाँति अनुसन्धान-प्रक्रिया में ''साहित्य का पुनरावलोकन'', अनुसन्धान उपक्रम का एक ऐसा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोपान होता है; जो कि वर्तमान के गर्त में निहित होता है अर्थात् मनुष्य; अपने अतीत में संचारित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर अनुसन्धान कार्य के माध्यम से नवीन ज्ञान का सृजन करता है।

सर्व श्री सिंह एस.पी.[4] (१९७५:१४) के अनुसार : किसी भी शोध-समस्या का चयन कर लेने के पश्चात, यह आवश्यक ही नहीं; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि उस अनुसन्धान-विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का पुरावलोकन कर; तत्सम्बन्धित विषयगत समीक्षाएं कर ली जांय क्योंकि ऐसा करने से-

(१) अनुसन्धित्सु के मन: पटल में अध्ययन-समस्या के सन्दर्भ में एक स्पष्ट अन्तर्दृष्टि तथा ज्ञान बोध विकसित हो जाता है।

(२) अनुसन्धित्सु को अनुसन्धान कार्य हेतु उपयुक्त पद्धतियों तथा प्रविधियों का आभास तथा समुचित ज्ञान हो जाता है।

(३) साहित्य की समीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित परिकल्पनाओं/शोध-प्रश्नों के निर्माण में सहायक होती है।

(४) विभिन्न शोध-अध्येताओं द्वारा एक ही अनुसन्धान कार्य को फिर से दोहराने की गलती नहीं हो पाती और अध्ययन-समस्या से सम्बन्धित उन आयामों

(पहलुओं) पर, जिन पर अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं दिया अथवा अछूते रह गए; या फिर अज्ञानतावश छूट गए; अनुसन्धित्सु को उन समस्त अछूते आयामों का भी आभास हो जाता है।

सर्वश्री स्टॉफर सेम्युअल[४] *(१९६२:७३)* का कहना है कि सम्बन्धित साहित्य के गहन अध्ययन एवं उसकी समीक्षा के अभाव में कोई भी अन्वेषण कार्य करना "अन्धे के तीर" के तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा के अभाव में कोई भी अनुसन्धान कार्य एक कदम भी प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता; जब तक कि अनुसन्धानकर्ता को इस बात का ज्ञान तथा जानकारी नहीं है कि प्रस्तुत अनुसन्धान के क्षेत्र में किन-किन पक्षों पर कितना कार्य हो चुका है? कौन-कौन से स्रोत प्राप्त हैं?; तब तक वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन-समस्या का चयन कर सकता है, और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर; अनुसन्धान कार्य को गति प्रदान कर सकता है। इसका मौलिक कारण यह है कि प्रत्येक अनुसन्धान कार्य का प्रमुख उद्देश्य; किसी समस्या विशेष पर नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन तथा विचार करके उसमें नवीनता लाना अथवा समस्या की नवीन ढंग से तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखकर अनुसन्धित्सु ने अपने अनुसन्धान कार्य के सुचारू संचालन तथा सफलता हेतु अध्ययन करने से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करने का प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन को उचित दिशा एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो सके।

भारत में यद्यपि वृद्धों के सम्बन्ध में अनुसन्धानकार्य अत्यन्त ही अल्प हुए हैं। इस अवस्था की उम्र-निर्धारण के सम्बन्ध में विद्वान भी एक मत नहीं हैं; कोई विद्वान इस अवस्था को ५५$^+$ वर्ष से मानता है, तो कुछ विद्वान ६०$^+$ आयुवर्ग (वर्ष) से; तो कुछ रोजगार विरत होने से जोडते हैं। लेकिन तथ्यात्मक रूप में जनगणना विभाग १९९१, भारतीय संदर्भ में वृद्धावस्था ६०$^+$ आयु वर्ग तथा इससे अधिक उम्र को वृद्ध मानता है। निम्न तालिका भारत में इस अवस्था के व्यक्तियों के सम्बन्ध में संख्या, प्रतिशतता तथा दशक वृद्धि (सन् १९५१ से सन् १९९१ तक) भारत में वृद्धजन व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या के साथ प्रतिशतता तथा होने वाली दशक वृद्धि पर पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है।[५]

TABLE NO. 2(1) : POPULATION OF PERSONS 60+ IN INDIA

Population of persons 60+ (In India) in Millions				
Year	No. of Persons	% of the Population	Total	Decadal Increase in Population 60+ Growth-rate (%)
1951	20.190	5.66	--	--
1961	24.712	5.63	4.522	22.40
1971	32.700	5.97	7.988	32.31
1981	42.172(a)*	6.49	10.472	31.02
1991	54.685(b)*	6.54	11.513	26.67
2000	75.696(b)*	7.63	29.011	38.42

* (a) Excluding Assam
* (b) Projected

भारतीय राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन[11] (N.S.S.O.) ***के ४२वें चक्र-१९८९*** के आंकडों के अनुसार बृद्धावस्था के ग्रामीण तथा नगरीय तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

TABLE NO. 2(2) : FACTS ABOUT THE AGED PERSONS OF INDIA (RURAL/URBAN)

FACTS ABOUT THE AGED (MALES & FEMALES)			
S.No.	Classification of Aged Persons	Rural	Urban
1.	Persons in Lakhs	394.51	87.35
2.	Sex Ratio (No. of Females per 1000 Males)	675	697
3.	Economically Independent	34.02%	28.94%
4.	Gainfully employed	40.55%	26.76%
5.	Living alone	7.99%	5.94%
6.	Willing to shift to the home for the aged	19.10%	17.60%
7.	Having chronic disease	45.00%	44.80%
8.	Physically Immobile	5.40%	5.50%

प्रस्तुत तथ्य वृद्धावस्था की समस्या के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनायें दर्शाते हैं। प्रो. पचौरी जे.पी.[8] ***(वृद्धावस्था: एक सामाजिक विवेचन, समाजकल्याण, अंक ७, १९९२-२०) के अनुसार-*** भारत में वृद्धावस्था एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर

सामने आ रही है, जो एक स्वाभाविक जैविकीय प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य में शारीरिक लक्षण उभरने लगते हैं; जो मानव के जीवन चक्र की उत्तरार्द्ध की गति होती है, जिसे 'बुढापा' कहते हैं; यह अवस्था एक वास्तविकता एवं अनिवार्यता है, जो अक्षमता की दशा होती है। इसमें व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित अनुभव करता है। इस प्रकार वृद्धावस्था एक मानवीय समस्या है। इसके समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था की विभिन्न समस्यायें होती हैं; जो प्राय: शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं समायोजन सम्बन्धी होती हैं।

सिंह एस.डी.*[९] *(वृद्धजन- साधारण एवं सेवानिवृत्त: एक विश्लेषण, १९९५:७) के अनुसार भारत में वृद्धों की समस्या पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण वृद्धों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- प्रथम: वे बृद्ध जो सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं से निवृत्त हैं, द्वितीय: वे जो जीवनभर कार्य करते हैं किन्तु कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, अन्य व्यक्तियों की तुलना में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे उस समय अपने को अधिक परेशान तथा असुरक्षित महसूस करते हैं जब उनकी आर्थिक सहायता करने वाला कोई न हो। नि:सन्तान, अविवाहित एवं परित्यक्त व जीर्णशीर्ण, शारीरिक अक्षमता तथा रोग ग्रस्तता के कारण भी अपने को असहाय पाते हैं। सेवानिवृत्त बृद्धों की एक प्रमुख समस्या उनके खाली समय के उपयोग की भी है। सुखी जीवन के लिए जीवन की अनवरतता तथा समुदाय के साथ अन्त:क्रिया दोनों अनिवार्य हैं। इसलिए वृद्धों की सक्रियता तथा उपयोगिता की भावना को बनाए रखने के लिए समाज को उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान भण्डार से लाभ उठाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

प्रो. सिलावट सुधा एस.*[१०] *(वृद्ध अवस्था की समस्यायें- सामाजिक सहयोग १९९५:११) के अनुसार वृद्धावस्था को उम्र, शारीरिक स्थिति तथा मानसिक दशायें; कारक निर्धारित करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में उत्सुकता में कमी, निराशा, आलस्य, अक्षमता, चिडचिडापन, एकाग्रप्रियता, सामंजस्य का अभाव, उपदेश देना आदि प्रमुख हैं। जो कि शारीरिक तथा मानसिक लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति आत्म केन्द्रित,

संवेदनशील, निराशावादी, दुखी, विशादमय एवं भविष्य के प्रति चिन्तित रहते हैं। इसलिए अपना जीवन व्यवस्थित तथा सन्तुलित नहीं कर पाते हैं। इनकी प्रमुख समस्याओं में, समय व्यतीत करने तथा मनोरंजन की समस्या, आवास की समस्या, सामाजिक-सामंजस्य, आर्थिक तथा पूंजी की देखभाल समस्यायें प्रमुख होती हैं।

प्रो. सुनील गोयल[11] (प्रॉब्लम्बस ऑफ दि ट्राइवल ऐज्ड: नीड टू इण्टिग्रेट दैम इन्टु दि फेमिली, १९९७:४०-४५) के अनुसार वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है बल्कि (१) मानव के जीवनचक्र की अन्तिमदशा, (२) स्वाभाविक जैविकीय प्रक्रिया तथा (३) प्रत्येक मानव के लिए एक अनिवार्यता है; इसमें अन्योन्याश्रित तथा भांति-भांति की समस्यायें-शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक तथा आर्थिक जनित होती हैं। इनके जीवन के अनुभवों का लाभ लेने के लिए इन्हें समाज तथा परिवार में एकीकृत तथा सामंजस्य करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान सम्भव हो सके।

सुश्री रानी वन्दना[12] (वृद्धों की पारिवारिक स्थिति : १९९९:६७) ने अपने ५०-५० ग्रामीण-नगरीय न्यादर्शो के आनुभविक अध्ययन में पाया है कि-

(१) ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में वृद्धों के परिवारों के स्वरूपों की संरचनाओं में भिन्नता स्पष्ट दिखायी देती है।

(२) ग्रामीण अंचलों में नगरीय की तुलना में वृद्धजनों को कुछ अवसरों पर अपेक्षाकृत अधिक सम्मान व आदर दिया जाता है साथ ही कार्यो के सम्बन्ध में उनसे पूछकर सलाह मशबिरा भी लिया जाता है किन्तु किए गए अध्ययन में मात्र ४८ प्रतिशत परिवारों में ऐसा पाया गया है।

(३) परम्परागत भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार की सत्ता; परिवार के वयोबृद्ध (४० प्रतिशत) के परिवारों में ही पायी गयी है लेकिन वृद्धजनों की स्थिति पर भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी मूल्यों के फलस्वरूप स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं।

(४) परिवारों की सत्ता वृद्धों के हाथ से युवाओं; तो कुछ परिवारों में युवा महिलाओं के हाथ में, जो परिवार की उत्पादन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाते हैं; के हाथों में हस्तान्तरित हो रही है।

(५) मात्र १७.५ प्रतिशत परिवारों में परिवार की समस्त सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर वृद्ध कर्ता/मुखियाओं का प्रभाव निर्णायक पाया गया है। शेष ८२.५ प्रतिशत परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों का वर्चस्व देखने में आया है।

(६) वृद्धजनों द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्त:क्रियाओं के सन्दर्भ में पाया गया कि वृद्धों की वृद्धावस्था के फलस्वरूप इनकी कमाऊ भूमिका में परिवर्तन हो जाने के कारण उनके परिवार के सदस्यों ने उनके साथ अपनी अन्त:क्रियाओं में परिवर्तन कर लिया है।

(७) अध्ययन के दौरान पारिवारिक गतिविधियों का गहन अध्ययन करने पर विदित हुआ है कि ६७.६० प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों में वृद्धजनों का लगाव परिजनों से यथावत/पूर्ववत है जबकि ३२.४० प्रतिशत परिवारों में यह परिजन सम्बन्धी लगाव पूर्ववत नहीं पाया गया है तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी ये वृद्धजन कम रूचि लेते पाए गए हैं।

इन्स्टीट्यूट ऑफ सोसल वर्क दिल्ली[13] *(१९७७:१२४)* द्वारा नई दिल्ली के परिवारों में वृद्धजनों की स्थिति पर एक सर्वेक्षण दल द्वारा एक गहन तथा सूक्ष्मत: अध्ययन किया गया जिससे प्राप्त आनुभविक निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं-

(१) ३७ प्रति. परिवारों में वृद्धजनों के प्रति परिजनों के दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण पाए गए हैं।

(२) सर्वेक्षित वृद्ध निदर्शितों में से ४९.३ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई निजी (वैयक्तिक) आय नहीं थी। इसलिए अपनी आवश्यकताओं के लिए वे परिजनों पर आश्रित पाए गए। ये समस्त वृद्धजन मन से दुखी तथा बोझिल पाए गए हैं।

(३) ४२.५ प्रतिशत सर्वेक्षित वृद्धजन सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्तकर्ता पाए गए जो अपनी-अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेते हैं; इनका परिवार में महत्व तथा सम्मान भी अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

(४) अध्ययन में ३६.५ प्रतिशत वृद्धजनों की दिनचर्या सामान्य पायी गयी। इन सूचनादाताओं ने बताया कि वे घर के कामकाजों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार हाथ भी बंटाते हैं।

(५) पेंशनभोगी सूचनादाताओं ने यह स्पष्टत: स्वीकार किया कि पेंशन मिलने के लिए सप्ताह पूर्व से उनकी देखरेख व पूछ अच्छी की जाती है और पेंशन के पैसे परिजनों की आवश्यकताओं के लिए देते रहने तक उनकी खुशामद अच्छी की जाती है किन्तु तदोपरान्त उनके साथ अति उपेक्षापूर्ण तथा उदासीन व्यवहार किया जाता है। इससे वृद्धजन उपेक्षा की अनुभूति का अनुभव करते पाए गए हैं।

(६) वृद्धा निदर्शितों ने स्पष्ट तौर पर बताया कि वे नाती-पोते खिलाती रहती हैं अत: मन बहलाव होता रहता है; ७०.६७ प्रतिशत निदर्शितों ने बताया कि उनका जीवन नीरस है; परिजनों का व्यवहार उनके प्रति उदासीन व उपेक्षापूर्ण रहता है क्योंकि उनका कोई आय का स्त्रोत व साधन नहीं है, वे पूर्णत: परिजनों व बहू बेटों पर आश्रित हैं।

अग्रवाल दामोदर[२४] (१९९९:९३) के कथनानुसार अच्छा तो यही होगा कि बृद्धजन अपना अधिकांश समय दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रम तथा सीरियल देखकर मनोरंजन करके तनाव रहित जीवनयापन करें ताकि उन्हें यह अहसास न हो कि वे अब बेकार हैं, उनके सामने दिक्कतें हैं। सबसे गम्भीर चिन्ता तो उनकी मनोदशा सम्बन्धी होती है, इसलिए ऐसे क्षणों में उन्हें घरेलू कार्यो में व्यस्त रहना चाहिए। ऐसा न करने वाले वृद्धजन उपेक्षित और अलग-थलग अनुभव करने लगते हैं जो नैराश्य के कारण कुण्ठाग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें अकेलेपन से बचाइए, उन्हें सदैव स्मरण कराते रहिए कि आपको उनकी बहुत जरूरत है, यह मानकर चलता चाहिए कि वे हमेशा हमारे सिर पर बोझ बने बैठे नहीं रहेंगे। उनकी गलतियों के लिए उन्हें कोसिए मत और न हीं बात-बात पर उन पर झल्लाइए। वृद्धजनों की दिक्कतें तभी दूर होंगी जब उनको परिवार में उन्हें पूरे मान-सम्मान के साथ दर्जा मिलता रहेगा।

प्रोफेसर भट्टाचार्य बी.एन[२५] (वृद्धों के प्रति : १९८२:३४) ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि हमारी सरकार को वृद्ध नागरिकों (सीनियर सिटीजन्स) के कल्याण एवं देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनानी होगी क्योंकि- (१) सन्

१९७१ की जनगणना के अनुसार भातर में ६०⁺ वर्ष के ३४ लाख पुरूष तथा १४ लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके पास आमदनी का कोई स्त्रोत/साधन नहीं था; उन्हें परिवार तथा समाज से उपेक्षित करके कष्टप्रद अन्त के लिए छोड दिया था (२) विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराये गए यथा: (क) सन् १९७७ में समाज कार्य विद्यालय दिल्ली द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार ४९.३ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई आय नहीं थी (ख) सन् १९८२ में मद्रास समाज कार्य संस्थान द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार ५१.८ प्रतिशत वृद्धों की आय का कोई स्त्रोत नहीं था (ग) सन् १९७५ में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के समाजकार्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि ५१.९ प्रतिशत बुजुर्गो की स्वयं की कोई आय नहीं है (घ) समाज कार्य संस्थान, दिल्ली के सन् १९७७ के आनुभविक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ५० प्रतिशत वृद्धों की तन्दुरूस्ती अच्छी है परन्तु वे लाभदायक कार्यो में संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अवकाश प्राप्त सेवारत सक्रिय वृद्धों के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाने की परमावश्यकता है।

समाजकल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली[१६] *(१९८२:११)* द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय विचार गोष्ठी में वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी प्रयासों व भूमिकाओं के बीच समन्वय पर चर्चा हुई जिसके तदनन्तर प्रस्तुत की गयी सिफारिशें निम्नवत् हैं-

- वृद्धों की देखभाल एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनायी जाय।
- वृद्धों के लिए गाँवों और शहरों में होस्टल्स तथा अवकाश सदनों की व्यवस्था की जाय।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा स्वैच्छिक संगठनों तथा अभिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वृद्धों की सेवाओं का भरपूर उपयोग किया जाय।
- वृद्धों के प्रति सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व की भावना को महत्व प्रदान करने के लिए जन जागरण अभियानों के द्वारा जन चेतना तथा जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए।

इन समस्त उक्त सिफारिशों के संदर्भ में आम राय यह थी कि इन्हें अकेले सरकार लागू नहीं कर सकती क्यों कि एक ओर तो समस्याएं अत्यन्त विषम और जटिल हैं; और दूसरी ओर वृद्धजनों के प्रति हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं। इन दोनों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करके केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली द्वारा अपनी परम्परागत भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने पर बल दिया गया। सभी इस बारे में एक मत थे कि समाजकल्याण विभाग सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाये। यह भी स्वीकार किया गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जन सहयोग और लोगों की सहभागिता/भागीदारी प्राप्त करने की क्षमता है। इस प्रकार स्वैच्छिक समाज कार्य के लिए एक प्रबल आन्दोलन की उन्नति उन सभी पर निर्भर करती है जो हमारे विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में अधिक रूचि रखते हैं।

सर्व श्री सुरभि दाभाड़े[७७] *(शिक्षित सेवानिवृत्त महिलाएं- एक सर्वेक्षण; १९९७:९)* ने अपने १०० न्यादर्शो के एक आनुभविक अध्ययन के आधार पर पाया कि

- सेवा निवृत्त हो जाने पर महिलाएं विशेषतः वृद्ध; परिवारों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने में असफल महसूस करती हैं क्योंकि वे स्वेच्छाचारी जीवनयापन करने में अधिक विश्वास करती हैं; बहुओं तथा बेटों के बन्धन में रहना नहीं चाहती हैं।
- पेंशन के अतिरिक्त आमदनी का कोई अन्य स्त्रोत नहीं पाया गया है; तथा अध्ययन की गयी ७१.१५ प्रतिशत निदर्शित सूचनादाताएं पेंशन से ही अपनी गुजर बसर करती हैं।
- घरेलू तनावों से बचने के लिए वे स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने एवं तीर्थ करने में विश्वास करती हैं, ग्रीष्मावकाश के दिनों में वे प्रायः बाहर भ्रमण करने चली जाती हैं।
- अधिकांशतः वृद्धाएं अपनी पेंशन को परिवार पर व्यय न करके अपने ऊपर ही व्यय करती हैं अतः इनके ४८ प्रतिशत परिवारों में छोटी-छोटी बातों पर पारिवारिक तनाव देखने को मिले हैं।
- भले ही सेवानिवृत्त वृद्धाएं स्वयं अनुशासित रहकर, परिजनों को अपने अनुशासन में रखना पसन्द करती हैं; जिसमें ९०.५ प्रतिशत निदर्शित असफल पायी गयी हैं।

- सेवानिवृत्त महिलाएं; घर गृहस्थी से बाहरी सामाजिक कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक रूचि लेती हैं, घरेलू कार्यों में नहीं।
- सर्वेक्षितों में से ८० प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि वे घर के रखरखाव व साज सज्जा में अत्यन्त अधिक रूचि लेती हैं, परिजनों द्वारा उनके अनुरूप कार्य न करने, उनकी बातें न मानने पर वे झुंझलाहट व तनावयुक्त पायी गयी हैं।

इन समस्त आनुभविक अध्ययनों के तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि शिक्षित सेवानिवृत्त महिलाएं पारिवारिक सामंजस्य व समायोजन तथा समन्वय करने में असफल रहती हैं क्यों कि वे स्वभावतः चिडचिढी हो जाती हैं; तथा अपने अनुरूप ही कार्य कराना पसन्द करती हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में कम सम्भव है या फिर सम्भव ही नहीं है।

Professor Goel S.K. & Karole O.P.[18] **(The Problems of Ageing: 1997:43)** has stated that the age is an important factor that determines the dependency of a person. Though life expactancy has gone above 55 years in India; in rural areas, this is the age from where the aged feel neglected and uncared for. More than half of the senior citizens where the study was conducted, was above 60 years of age, and of this a majority were of females. The problems faced by the ageing be indicated as below :

In view of the increase in the population of the aged and mounting expenditure on their welfare; it is all the more necessary that the aged involve themselves in voluntary services for the development of the nation. It would be in the interest of the aged themselves to involve them in a voluntary service mode to fillt their time gainfully & arrest writing off of their skills, capacities & experience. To put in a nutshel there is a need to integrated the aged into their family; and to make them wanted & accepted in the family and in the society as well.

सर्वश्री राजौरिया सीमा[१९] (वृद्धजनों की स्वास्थ्य समस्याएं- १९९८:१०७) ने अनुसूचित जातियों की ५० वृद्ध महिलाओं का गहन सर्वेक्षण करके उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर आनुभविक अध्ययनोपरान्त संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए लिखा है कि- (१) अनुसूचित जातियों की शत प्रतिशत वयोवृद्धाएं अशिक्षित हैं अत: वे अपने स्वास्थ्यों तथा रखरखाव के प्रति अत्यन्त उदासीन पायी गयी हैं (२) ९०.५ प्रतिशत सर्वेक्षित वयोवृद्धाओं के स्वास्थ्य उम्र के साथ-साथ खराब होने के कारण विभिन्न रोगों/बीमारियों (यथा: क्षयरोग, दमा रोग, दृष्टिहीनता, लिकूरिया, कमर झुकना, चर्म रोगों, जोडों व हड्डियों में दर्द, गठिया, लकवा, सुगर की बीमारी, अन्धता आदि) की शिकार पायी गयी हैं (३) बीमार होने पर भी वे परहेज नहीं करती अपितु उदासीनता बरतती हैं तथा कहती हैं कि हमें अब क्या करना? (४) ४८ प्रतिशत सर्वेक्षित स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरबाह पायी गयी हैं जो खाने में अच्छा लगता है, खा लेती हैं, (५) प्राय: वयोवृद्धाएं कहती पायी गयी हैं कि- ''सब कुछ देख लिया; भगवान, अब तौ उठा ले।'' अर्थात् वे अब और अधिक कष्टमय जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती।

इन उपरोक्त समस्त विभिन्न प्रकरणों पर किए गए सर्वेक्षणों तथा आनुभविक सूक्ष्म अध्ययनों; तथा तत्सम्बन्धित समीक्षाओं से वृद्धावस्था की अवधारणा, वृद्धजनों के अनुभवों तथा वृद्धजनों की समस्याएं स्पष्ट हुई हैं। साथ ही :

(१) शोध समस्या के सम्बन्ध में अनुसंधित्सु में अतिरिक्त ज्ञानार्जन, अन्तर्दृष्टि एवं सामान्य ज्ञान विकसित हुआ है जिससे इस शोधकार्य में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध हुआ है।

(२) वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति शासकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों तथा अभिकरणों की भाँति-भाँति भूमिकाओं की जानकारी तथा वृद्धजनों के लिए क्रियान्वित हितार्थ योजनाओं के प्रति संज्ञान विकसित हुआ है।

(३) वर्तमान तक (उक्त शोध प्रकरण से) अछूते विन्दुओं/प्रकरणों की जानकारी भी शोधार्थिनी को हुई है जिनको प्रस्तुत शोध-अध्ययन में महत्व प्रदान करते हुए अध्ययन सम्पादित किया जायेगा।

******

सन्दर्भ-सूची

१. बेसिन एच.एफ. ; व्यवहारिक विज्ञानों में साहित्य समीक्षाएं, मैक मिलन कम्पनी (प्रा.लि.) मद्रास, १९६२, पृष्ठांकन-४०

२. बोर्ग जी.पी. ; सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में साहित्य का सिंहावलोकन; जैन ब्रदर्स एण्ड सन्स पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स बॉम्बे, १९६३ पृष्ठ- ४८

३. सिंह पुरूषोत्तम राय; सामाजिक अनुसंधान के मूल तत्व; सरस्वती प्रकाशन, दरभंगा (बिहार), वर्ष १९९१, पृष्ठ-११०

४. सिंह एस.पी.; इण्टररिलेसन्स इन ऐन ऑर्गनाइजेशन, आलोक प्रकाशन (प्रा. लि.) जयपुर (राजस्थान), १९७५ पृष्ठ-१५

५. स्टाउफर सेम्युअल; रिव्यु : ए मेजर स्टैप ऑफ इन्वैस्टीगेशन इन सोसल साइन्सेज, अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिव्यु, अंक-२३, वर्ष १९६२, पृष्ठ-७३

६. 'योजना' : योजना भवन, भारत सरकार नई दिल्ली अंक ९, दिसम्बर, १९९८ पृष्ठ-२

७. नेशनल सेम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (भारतीय राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन) प्रतिवेदन १९८९ के आंकडों पर आधारित, नई दिल्ली-१९९०

८. पचौरी जे.पी.; वृद्धावस्था : एक सामाजिक विवेचन, समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याणबोर्ड, नई दिल्ली, अंक-७ फरवरी १९९२ पृष्ठ- २०-३७

९. सिंह एस० डी० ; वृद्धजन : सामान्य एवं सेवानिवृत्त- एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण "जन सहयोग" शोध-पत्रिका, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ , १९९५ पृष्ठ ७-१०

१०. सिलावट सुधा एस; वृद्धावस्था की समस्याएं, 'सामाजिक सहयोग' त्रैमासिक शोध पत्रिका, वर्ष-४, अंक १४, श्री कृष्ण शोध संस्थान उज्जैन (म.प्र.), १९९५ पृष्ठ-११

११. Goyal Sunil; The Problems of the Tribal Aged; Need to Integrate them into the family; SAMAJIC SAHAYOG, Quarterly Research Journal, UJJAIN (M.P.) 1997, p.40-45, Vol. 6(21).

१२. रानी वन्दना; वृद्धों की पारिवारिक स्थिति; 'राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा' सामाजिक विज्ञानों की शोध-पत्रिका, समाज विज्ञान विकास संस्थान चान्दपुर, बिजनौर (उ.प्र.) वर्ष-१, अंक-१, जनवरी-जून; १९९९ पृष्ठ-६७

१३. ....; इन्स्टीट्यूट ऑफ सोसल वर्क नई दिल्ली, सर्वेक्षण (प्रतिवेदन) वृद्धजनों की समस्याएं; १९७७, पृष्ठांकन-१२४

१४. अग्रवाल दामोदर; वृद्धजनों के मनोरंजन में दूरदर्शन की भूमिका, प्रकाशित शोध-पत्र, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, सेमीनार अंक, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिकोहाबाद, जनवरी १९९८, पृष्ठ-१३

१५. भट्टाचार्य बी.एन.; वृद्धों के प्रति दृष्टिकोण; 'समाज कल्याण' पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली- अगस्त १९८२, पृष्ठ-३४

१६. ....; वृद्धजन : सरकारी प्रयास एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाएं; (विचारगोष्ठी) 'समाज कल्याण', केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, १९८२, पृष्ठ-११

१७. सुरभि दाभाड़े; शिक्षित सेवानिवृत्त महिलाएं: एक अध्ययन; समाज विज्ञान संकाय वार्षिक पत्रिका, औरंगाबाद विश्वविद्यालय औरंगाबाद द्वारा प्रकाशित, १९९७, पृष्ठ-९

१८. Goyal S.K. & Karole O.P.; The Problems of Aging; A social Survey: "Samajic Sahyog" National Quarterly Research Journal, Published by Research Management Syndicate S.K.S. Sansthan Ujjain (M.P.), Vol. 6(21), 1997, page-43.

१९. राजौरिया सीमा; 'वृद्धजनों की स्वास्थ्य समस्याएं- एक अध्ययन' प्रकाशित शोध-प्रबन्ध दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग प्रकाशन आगरा (उ.प्र.) १९९८, पृष्ठ-१०७

******

अध्याय 3

अनुसन्धान-प्रचना एवं पद्धतिशास्त्र

(1) ''किसी भी अध्ययन-विषय का विकास, उसकी उचित अध्ययन पद्धतियों के विकास पर निर्भर करता है, न कि विषय सामग्री पर।''[1]

-करलिंगर एफ.एन.; दि फाउन्डेसन्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, रिनेहार्ट एण्ड बिन्सटन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क, १९६४ पृ.४

(2) **"A Research Design is the Logical and systematic planning and directing of a piece of research."[2]**

-Young P.V.; Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall of India (Pvt.Ltd.) New Delhi, 1960 p.131.

मानव विश्व का सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है। उसकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के लिए सजग प्रहरी बनकर समाधान खोजने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना, नवीन ज्ञान की खोज करना तथा उसका सत्यापन करना, उसके लिए एक जटिल समस्या होती है। समस्या से सम्बन्धित पक्षों के विषय में यथार्थ ज्ञान किन-किन तरीकों तथा प्रविधियों किया जाय, ताकि अनुभवसिद्ध तथ्यों को ज्ञात करके निरीक्षण, परीक्षण तथा सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से सम्बन्धित क्रियाशील, अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी हासिल की जा सके एवं विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं और नवीन तथ्यों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों की खोज की जा सके। इसके लिए उसे यह सोचना पडता है कि ऐसा करने के लिए शोध अध्ययन किस प्रकार किया जाय? ताकि संग्रहीत सूचनाएं विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त हो सकें। सामाजिक अनुसंधानों की अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करते हुए सर्वश्री सैलटिज, जहोदा तथा कुक ने ''बौद्धिक'' (नोरमेटिव) तथा ''व्यवहारिक'' (ऐप्लाईड) दो भागों में वर्गीकृत किया है। सामान्य शब्दों में बौद्धिक उद्देश्य को सैद्धान्तिक ज्ञान और व्यवहारिक उद्देश्य

को उपयोगितावादी कहा जा सकता है। इनका स्पष्टीकरण करते हुए इसी सन्दर्भ में प्रो. कपिल ने लिखा है कि- बौद्धिक शोध के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं तथा प्रघटनाओं के सन्दर्भ में मौलिक सिद्धान्तों व नियमों की गवेषणा की जाती है; जो इस ओर इंगित करती है कि एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? जबकि व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत मानव व्यवहार से सम्बन्धित समस्या का गहन अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक सुझाव दिए जाते हैं। ''स्पष्टत: व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत किसी/किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है।''[३] परन्तु सर्वश्री करलिंगर[४] एफ.एन. (१९६४:२७) के अनुसार अनुसंधान कार्य प्राय: निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं-

(१) विशुद्ध (मौलिक) अनुसंधान

(२) क्रियात्मक अनुसंधान

(३) व्यवहारिक अनुसंधान

उपरोक्त में से प्रस्तुत अनुसंधान कार्य की प्रकृति व्यवहारिक है; क्योंकि इसका उद्देश्य उपयोगितावादी एवं समाज की व्यवहारगत तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के कारणों की खोज करना एवं समाज पर पडने वाले प्रभावों को जानना होता है।

शोध प्ररचना (अभिकल्प/प्रारूप) :

सामान्यत: सामाजिक अनुसंधान एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप देने और उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए अध्ययनकर्ता को एक व्यवस्थित प्रारूप का निर्माण करना होता है जो शोध से सम्बन्धित समस्या की प्रकृति, उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुरूप करना होता है। संक्षेप में शोध के आरम्भिक स्तर पर बनायी गयी रूपरेखा को शोध प्ररचना (प्रारूप या अभिकल्प) कहते हैं। इस प्रकार शोध अभिकल्प अनुसंधान के विषय में बनाई गयी एक ऐसी प्ररचना अथवा रूपरेखा होती है, जो न केवल अध्ययन को व्यवस्थित बनाकर उसे सही दिशा प्रदान करती है, बल्कि अध्ययन से सम्बन्धित विवादास्पद दशाओं पर भी नियंत्रण लगाए

रखने में भी सहायता देती है। स्पष्टतः शोध अभिकल्प, अनुसंधान के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों पहलुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है; जिसमें अहम् भूमिका का निर्वाह; अध्ययन पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ करती हैं।

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि शोध प्ररचना का मुख्य कार्य अध्ययन को व्यवस्थित करते हुए अनुसन्धान को निश्चित दिशा प्रदान करना होता है। परिणामतः शोध प्ररचना शोध-कार्य आरम्भ करने से पूर्व निर्णय-निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है जो शोध को अध्ययन के अन्तराल में आने वाली विषम परिस्थितियों एवं तत्जनित समस्याओं पर नियंत्रण लाती हैं। शोध प्ररचना के शास्त्रीय अर्थ को समझने के लिए यह आवश्यक ही नहीं; अपितु अनिवार्य है कि शोध अभिकल्प के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की कुछ प्रतिनिधि परिभाषाओं का उल्लेख किया जाय-

<u>अभिकल्प क्या है?</u> :

सामान्यतः ''अभिकल्प'' (डिजाइन) एक प्रारूप या संरचना होती है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित योजना व नीति निर्धारित की जाती है। ***सर्वश्री करलिंगर*** [4] ***(१९६४:२९८) के शब्दों में-*** अभिकल्प-निर्माण एक योजना निर्माण होती है, जिसकी कोई न कोई विशिष्ट संरचना एवं नीति निर्धारित होती है।

परन्तु ***समाजशास्त्री सर्वश्री एकॉफ*** [5] ***आर.एल. (१९६५:२७) के अनुसार*** ''जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है, उसके उत्पन्न होने के पहले निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया अभिकल्प होती है।'' लेकिन शोध अभिकल्प को विभिन्न विद्वानों ने भाँति-भाँति से स्पष्ट किया है-

(१) ***सर्वश्री यंग*** [6] ***(१९६०:९५) के शब्दों में*** ''एक शोध अभिकल्प, शोध का तार्किक एवं व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन होता है।''

(२) ***प्रो. विमल शाह*** [7] ***(१९६२:७३-७४) के अनुसार*** ''शोध अभिकल्प किसी भी अनुसंधान अध्ययन की एक योजना होती है, जिसका आयोजन प्रत्येक अध्ययन में किया जाता है, चाहे वह अध्ययन नियंत्रित हो अथवा अनियंत्रित, भावना प्रधान हो अथवा वस्तुनिष्ठ।''

(३) *प्रो. करलिंगर[९] एफ.एन. (१९६०:२५५) के शब्दों में* ''एक शोध अभिकल्प, अनुसंधान की एक योजना, संरचना तथा नीति होती है जिसका उपयोग शोध से सम्बन्धित प्रश्नों (परिकल्पनाओं) के उत्तर प्राप्त करने एवं शोध सम्बन्धी विवादों पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है।''

(४) *सर्वश्री अलफ्रेड जे. कान्ह[१०] (१९६३:५८) के शब्दों में* ''शोध अभिकल्प की सर्वोत्तम परिभाषा अध्ययन की तार्किक युक्ति के रूप में की जाती है; जो एक प्रश्न का उत्तर देने, परिस्थिति का वर्णन करने अथवा परिकल्पनाओं की सत्यता एवं सार्थकता की जाँच (परीक्षण) करने से सम्बन्धित है; जिसके द्वारा कार्य विधियाँ, संकलित तथ्य एवं संकलित तथ्यों का विश्लेषण तीनों ही सम्मिलित होते हैं; के एक विशिष्ट समूह के अध्ययन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा की जाती है।''

इस प्रकार शोध प्ररचना, अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में बनाई गयी एक योजना, संरचना एवं रणनीति होती है जिसकी संरचना इस प्रकार की जाती है कि शोध प्रश्नों या निर्मित परिकल्पनाओं के उत्तर सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकें तथा विषमताओं (असमानताओं) को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार प्ररचना शोध अध्ययन की वह कार्ययोजना एवं नीति होती है जिसके अन्तर्गत अनुसन्धान के प्रत्येक सोपान की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जिसे अध्ययनकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण तथा उसके परिचलनात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अन्तिम विश्लेषण तक को उसमें समाहित करता है।''[११]

शोध प्ररचना के उपर्युक्त पारिभाषिक विवेचन के प्रकाश में सुस्पष्ट है कि शोध प्ररचना किसी अनुसंधान कार्य का वह प्रारूप होता है जो समस्या चयन से लेकर शोध प्रतिवेदन के अन्तिम चरण तक के सन्दर्भ में भली भाँति सोच विचार कर; समस्त उपलब्ध विकल्पों पर ध्यानाकर्षित करते हुए अनुसंधित्सु निर्णय लेता है कि कम से कम प्रयासों, व्यय एवं समय की बचत के साथ शोध अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शोध अभिकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का संकलन किसी वैज्ञानिक पद्धति अथवा पद्धतियों व प्रविधियों द्वारा किया जाता है जो उस शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसमें साक्षात्कार-अनुसूची अथवा प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अवलोकन, सहभागी

अवलोकन, साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाली, सामुदायिक अभिलेखों का विश्लेषण इत्यादि को शोध अभिकल्प के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।''[१२]

निष्कर्षतः शोध कार्य को सही दिशा में अभिमुखी करने के लिए अनुसंधित्सु को सर्वप्रथम शोध के प्रबन्धन की व्यवस्थित रूपरेखा (कार्य योजना) तैयार करनी होती है जो अध्ययन समस्या की प्रकृति एवं उसके स्वरूप के अनुरूप बनानी होती है; जिसका प्रमुख कार्य अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करते हुए एक निश्चित तथा वांच्छित दिशा प्रदान करना होता है। इस प्रकार शोध अभिकल्प, शोध कार्य आरम्भ करने से पूर्व अनुसंधान कार्य की वह प्रस्तावित रूपरेखा होती है, जिसके अन्तर्गत नीति क्रियान्वित करने की स्थिति से पूर्व की निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण होता है; जिसके आधार पर अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में आगे आने वाली विषम परिस्थितियों तथा स्थितियों को नियंत्रण में लाता है।

अनुसंधित्सु ने प्रस्तुत शोध अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से सम्पादित करने के लिए अध्ययन समस्या की प्रकृति, अध्ययन के महत्व एवं उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखकर ''व्याख्यात्मक'' (ऐक्सप्लेनेटरी) शोध प्ररचना को चुना है; क्योंकि इस शोध-प्ररचना का मौलिक उद्देश्य अध्ययन-समस्या से सम्बन्धित प्राप्त मौलिक जानकारी तथा आंकड़ों के आधार पर शोध अध्ययन को वर्णन के रूप में स्पष्ट करना होता है। इतना ही नहीं अनुसन्धित्सु ने निम्न विशेषताओं के कारण भी व्याख्यात्मक शोध-प्ररचना का चयन प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के लिए किया है-

(१) अध्ययन से सम्बन्धित परिस्थितियों, वैयक्तिक व सामुदायिक प्रघटनाओं की विशेषताओं का परिशुद्ध वर्णन करना।

(२) अनुसंधान के लिए चरों का निर्धारण करना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना।

(३) चरों के प्रकार्यात्मक सम्बन्धों तथा उनके साहचर्य का पता लगाने में सहायक होना।

(४) अनुसंधान के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियों व प्रविधियों का चयन करने में सहायक होना।

(५) शोध सामग्री को क्रमबद्ध (व्यवस्थित) तथा तार्किक रूप में प्रस्तत करने में सहायक होना।

(६) उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना संभव।

(७) अध्ययनकर्ता को दिशाभ्रम, मिथ्या झुकाव एवं पक्षपात से बचाने में सहायता करना।

(८) समयबद्ध कार्यक्रम के कारण शोध समस्या का अध्ययन सहज तथा सरलता से निर्धारित अवधि (समय) में पूरा हो जाना।

(९) विशाल अध्ययन क्षेत्र से भी मौलिक तथ्यों की प्राप्ति कराने में सहायक होना।

(१०) अनावश्यक तथ्यों का समावेश न होने देना। इत्यादि

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव तथा संक्षिप्त परिचय :

प्रत्येक अध्ययनकर्ता के समक्ष अध्ययन क्षेत्र के चुनने की समस्या आती है। अध्ययन क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं; कुछ विद्वानों का कहना है कि अध्ययन क्षेत्र सीमित/लघु होना चाहिए; तो कुछेक का कहना है कि अध्ययन क्षेत्र विशाल/विस्तृत होना चाहिए। किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र न तो अधिक सीमित व लघु होना चाहिए और न ही अधिक विस्तृत। इसका कारण यह है कि- (१) शोध कार्य की समय सीमा २ वर्ष निर्धारित है अतः निर्धारित अवधि में ही कार्य पूरा करना पडता है (२) विशाल क्षेत्र होने की दशा में अध्ययनकर्ता निरर्थक भटकता है, समय, धन तथा श्रम अधिक व्यय करने पडते हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र न तो अधिक विस्तृत होना चाहिए; और न अधिक सीमित। शोधकर्त्री ने इन दोनों सोच को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अनुसंधान के लिए उ.प्र. के झाँसी जिला की मोंठ तहसील को अध्ययन का क्षेत्र चुना है।

(१) जनपद की भू आर्थिकी, सामाजिक एवं प्रशासनिक संरचना :

जनपद झाँसी बुन्देलखण्ड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जनपद है। जिसमें झाँसी की रानी ने जौहर दिखाया था जिसका स्थल आज भी दर्शनीय है। यह जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर २७.०० व २७.२४ डिग्री उत्तरी अक्षांश ७७.६६ डिग्री व ७०.०४ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। जनपद के पूर्व में मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, पश्चिम में उ.प्र. का ललितपुर जिला, उत्तर में जिला जालौन तथा दक्षिण में जनपद बाँदा स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल २३६२ वर्ग किमी है जो कि उत्तर प्रदेश की कुल भूमि २०४४११ वर्ग किमी का ०.७ प्रतिशत है। कंकरीली, पथरीली ऊँची तथा नीची पहाडी भूमि युक्त इस जनपद में कुल तीन तहसीलें हैं। प्रशासन ने प्रत्येक तहसील को ३-३ विकास खण्डों में विभक्त किया है इसकी तहसीलों का विवरण निम्नवत् हैं-

जनपद झाँसी की तहसीलें

झाँसी | मऊरानीपुर | गरौठा | मोंठ | टहरोली

झाँसी मण्डल में ३ जनपद झाँसी, ललितपुर व जालौन हैं। जनपद झाँसी में ६ नगर पालिका परिषद एवं ७ नगर पंचायत जनपद ललितपुर में एक नगर पालिका परिषद, तीन नगर पंचायत तथा जनपद जालौन में ४ नगर पालिका परिषद ६ नगर पंचायत, इस प्रकार पूरे मण्डल में ११ नगर पालिका परिषद, १६ नगर पंचायत अर्थात् कुल २७ नगर स्थानीय निकाय हैं। जनपदवार नगर पालिका परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है जनपद झाँसी की नगर पालिका परिषद झाँसी ८१६, मऊरानीपुर १२७, समथर ४३, बरूआसागर ६१, गुरसहाय ५२ जनपद ललितपुर में नगर पालिका परिषद ललितपुर २३६, जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद जालौन १३८, कोंच १३६, उरई २२९, तथा कलिपी में १२६।

झाँसी मण्डल के जनपद झाँसी में वर्ष २००२ में नगर पालिका परिषद झाँसी की कुल आय रु. ३४२.२६ लाख हुई जिसके विरूद्ध रु. ३९५.१४ लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर कुल आय रु. ६७.०३ लाख के विरूद्ध रु. ६२.६० लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद समथर की कुल आय रु. १४.४७ लाख के विरूद्ध रु. २०.९१ लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद बरूआसागर की कुल आय रु. २४.२२ लाख के विरूद्ध रू. २१.३५ लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद गुरसराय की कुल आय रू.२१.७८ लाख के विरूद्ध रू. २८.१२ लाख व्यय किया गया। जनपद ललितपुर की नगर पालिका परिषद ललितपुर की वर्ष १९९६-९७ की कुल आय रू.१७३.१६ लाख के विरूद्ध रू.१५४.५८ लाख व्यय किया गया। जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद जालौन कुल आय रू.१०१.५६ लाख के विरूद्ध रू. ८७.११ लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद कोंच की कुल आय रू.१००.६६ लाख के विरूद्ध कुल व्यय रू.११०.६५ लाख व्यय किया। नगर पालिका परिषद उरई की वर्ष १९९६-९७ की कुल आय रू.१५३.२६ लाख के विरूद्ध १८५.४५ लाख व्यय किया गया। नगर पालिका परिषद कालपी की कुल आय रू. ५७.९४ लाख के विरूद्ध ५७.९० लाख व्यय किया गया।

झाँसी जनपद की पाँचों तहसीलों- झाँसी, मऊरानीपुर, गरौठा, मोंठ तथा टहरौली में कुल मिलाकर आठ विकासखण्ड हैं- चिरगाँव, मोंठ, गुरसहाय, बामौर, मऊरानीपुर, बंगरा, बबीना तथा बडागाँव।

(२) <u>जनपद की दशकीय जनसंख्या का आकार तथा वृद्धिदर</u> :

झाँसी मण्डल का जनपद झाँसी पथरीला जनपद है जिसके कारण इसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन ज्ञात नहीं हुआ है। यह जनपद झाँसी जनपद की पाँच तहसीलों को मिलकर बना है जो कि आकार की दृष्टि से बडा है किन्तु जनसंख्यात्मक दृष्टि से छोटा है। सन् १९७१ से २००१ तक दो दशकीय जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि दर में परिवर्तन का प्रदर्शन निम्न तालिका में किया गया है :-

तालिका नं. ३(१) झाँसी जनपद की दशकीय जनसंख्या तथा वृद्धि दर

वर्ष	लिंग वार जनसंख्या का वितरण			दशक वृद्धिदर
	पुरूष	स्त्री	योग	
१९७१	५५५२५२	४६२७६१	१०१८०१३	--
१९८१	६६०६६४	५६९६२१	१२३०२६५	२०.८०
१९९१	७००७३५	५५९५२९	१२६०२६४	२१.६२
२००१	७३६९२६	५६९१२८	१३०६०५४	२२.६०

(३) <u>झाँसी जनपद में ग्रामीण जनसंख्या का आकार लिंग भेदानुसार तथा दशक वृद्धिदर</u> :

सन् २००१ में जनगणना के अनुसार जनपद में ४०७५६० नगरीय जनसंख्या तथा ११२५४९४ ग्रामीण जनसंख्या थी इस प्रकार कुल जनसंख्या में ७३.४ प्रतिशत ग्रामीण अंचल में निवास करती है। जनपद झाँसी की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर का प्रदर्शन निम्न तालिका में किया गया है :-

तालिका नं. ३(२) जनपद झाँसी की ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धिदर

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या का लिंगवार वितरण			दशक वृद्धिदर
	पुरूष	स्त्री	योग	
१९७१	४४८६९७	३७४६३३	८२३३३०	--
१९८१	५२४३०६	४२९०१३	९५३३१९	१५.७९
१९९१	६१७८८७	५०७६०७	११२५४९४	१८.०६
२००१	७२००३५	५२६५२६	११४६५६१	२०.३२

(४) <u>जनपदीय जनसंख्या में स्त्री-पुरूष अनुपात</u> :

चूँकि प्रस्तुत अध्ययन जनपद की तहसील मोंठ तसहील के वृद्धजनों से सम्बन्धित है इसलिए स्त्री-पुरूष अनुपात की जानकारी अत्यन्त जरूरी है। जनपद की

जनसंख्या में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम ज्ञात हुई। १९७१ में प्रति हजार पुरूषों पर ८६० स्त्रियां पायी गयी जो १९८१ में कम होकर ८३४ तथा १९९१ से ८३२ स्त्रियां प्रति हजार पुरूषों पर ज्ञात हुई हैं। इस स्त्री पुरुष अनुपात का एक विस्तृत अध्ययन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं. ३(३) स्त्री पुरूष अनुपात का वितरण व दशक वृद्धिदर

वर्ष	पुरूष	स्त्री	समस्त योग	दशकीय वृद्धि	स्त्रियां प्रति १००० पुरूष
१९७१	५५५२४२	४६२७६१	१०१८०१३	--	८६०
१९८१	६९०६४४	५६९६२१	१२६०२६५	२४२२५२	८८४
१९९१	७३६९२६	५९६१२८	१३३३०५४	२७२७८९	८३२
२००१	८३००७५	६९५१२७	१५२५२०२	२३४९४८	८३४

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि झाँसी जनपद में १९७१ में ५५५५२५२ पुरूष वर्गीय और ४६२७१ स्त्री वर्गीय जनसंख्या थी जो कि १९८१ में बढ़ कर पुरूश वर्ग में ६९०६४४ और स्त्री वर्ग में ५६९६२ हो गयी। इस प्रकार १९७१ से १९८१ के बीच जनसंख्या में २४२२५२ का कुल दशकीय परिवर्तन हुआ। १९९१ के अनुसार पुरूषों की जनसंख्या ७३६९२६ तथा स्त्रियों की जनसंख्या ५९६१२८ थी इस प्रकार १९८१ से १९९१ के बीच होने वाला दशकीय परिवर्तन २७२७८१ रहा। सन् २००१ में पुरूष, स्त्री अनुपात ८३४ हो गया, स्त्री पुरूष अनुपात विकास खण्डवार तथा योग निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :-

तालिका नं. ३(४) विकास खण्डवार स्त्री-पुरूष अनुपात का वितरण सांख्यकी वर्ष २००१ के अनुसार आँकडे

विकासखण्ड	स्त्री	पुरूष	समस्त योग
१. चिरगाँव	५८४५४	७१३२१	१२९७७५
२. मोंठ	७२०४४	६८६७१	१३०७१५
३. गुरसहाय	५९१२२	६२४१३	१२१५३२
४. बामौर	६१४०८	६४१००	१२५५०८
५. बँगरा	४९९९१	५९३४७	१०८३३८
६. बबीना	३८८०१	४७४५१	८६२५२
७. मऊरानीपुर	५८४७०	७१५४५	१३००१५
८. बडागाँव	४४६१३	५४०३७	४८६५०

तालिका के सांख्यकी विश्लेषण के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या मोंठ विकास खण्ड में १३०७१५ पायी गयी है, इसमें पुरूष वर्ग की संख्या ७२०४४ और स्त्री वर्ग की संख्या ६८६७१ ज्ञात हुई है। इसके पश्चात् मऊरानीपुर विकासखण्ड में ज्ञात हुई है जबकि सबसे कम जनसंख्या बडागाँव विकासखण्ड की ४८६५० ज्ञात हुई जिसमें महिला वर्ग की ४४६१३ और पुरूष वर्ग की ५४०३७ रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण झाँसी जनपद में ग्रामीण स्त्री वर्ग की कुल जनसंख्या ४४२००३ तथा पुरूष वर्ग की कुल जनसंख्या ५३८८८५ रही है।

(५) <u>तहसीलवार ग्राम एवं ग्रामीण परिवार</u> :

जनपद में कुल ८१५ ग्राम हैं जिनमें ७१५ आवाद तथा २० गैर आवाद ग्राम हैं जनपद में कुल २३४८५१ परिवार हैं इन परिवारों में १३४५१७ परिवार ग्रामों में तथा ६०३३ परिवार नगरों के परिक्षेत्र में निवास करते हैं; इन तहसीलों के आवाद ग्रामों में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या निम्न तालिका संख्या में प्रदर्शित है :-

तालिका नं. ३(५) जनपदीय साँख्यकीय वर्ष २००१ के अनुसार
तहसीलवार ग्राम तथा ग्रामीण परिवारों की संख्या

तहसील	ग्रामों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या
१. झाँसी	२५२	६३६२२
२. मऊरानीपुर	१३३	३००२१
३. गरौठा	१३९	२८००१
४. मोंठ	१३१	२५०६२
५. टहरौली	१४०	२७८११
कुल योग	८१५	१७४५१७

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से यह विदित होता है कि झाँसी जनपद के आवाद ग्राभों में निवास करने वाले कुल १७४५१७ परिवारों में से सर्वाधिक झाँसी तहसील में ६३६२२, मऊरानीपुर तहसील में ३००२१, गरौठा तहसील में २८००१, मोंठ तहसील में २५०६२ तथा टहरौली तहसील में ग्रामों की १४० तथा परिवारों की संख्या २७८११ पायी गयी हैं। जनपद में परिवार का औसत आकार ६.५३ जिसमें नगरीय परिवारों का औसत आकार ६.७६ तथा ग्रामीण का ७.४५ पाया गया है।

(६) जनसंख्या का ग्रामीण-नगरीय विभाजन लिंगभेदानुसार :

दशक १९८१ की तुलना में १९९१ में ग्रामीण व शहरी तथा स्त्री व पुरूष वर्ग के जनांकिकी आकार में परिवर्तन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि जनपद झाँसी के ग्रामीण अंचलों में जनसंख्या वृद्धि की दर नगरीय जनसंख्या की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष १९८१ तथा वर्ष १९९१ के स्त्री तथा पुरूषों की जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं-

तालिका नं. ३(६) ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का वितरण

विवरण	पुरूष	स्त्री	योग
१. १९८१ की जनगणना			
ग्रामीण	३१००३५	३९३४२७	७०३४६२
शहरी	१८९२६०	१७६०५१	३६५३११
२. १९९१ की जनगणना			
ग्रामीण	५२४३०६	८२९०१३	९५३३१९
शहरी	१६६३३८	१४०६०८	३०६९४६
३. १९९१ की जनगणना			
ग्रामीण	६१७८८७	५०७६०७	११२५४९४
शहरी	२१९०३९	१८८५२१	४०७५६०

तालिका के अवलोकन तथा सम्बन्धित विवेचन से ज्ञात होता है कि १९८१ में ग्रामीण जनसंख्या में ३१००३५ पुरूष, १८९२६० महिलाएं, सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार पुरूष वर्गीय जनसंख्या ५२४३०६ ग्रामों में तथा १६६३३८ शहरों में रहती है जबकि स्त्री वर्गीय जनसंख्या ग्रामों में ४२९०१३ तथा शहरों में १४०६०८ पायी गयी तथा वर्ष २००१ में पुरूष वर्ग की संख्या बढ़ कर ग्रामों में ६१७८८७ तथा शहरों में २१९०३९ हो गयी तथा स्त्री वर्ग की संख्या ग्रामों में बढ़ कर ५०७६०७ और शहरों में १८८५२१ पायी गयी।

(७) जनसंख्या का आयु सापेक्ष विभाजन :

जनसंख्या के आयु वर्गीय सापेक्षता के आधार पर जनसंख्या का विभाजन ०-४, ५-९, १०-१४, १५-१९, २०-२४, २५-२९, ३०-३४, ३५-३९, ४०-४४,

४५-४९, ५०-५४, ५५-५९ और ६० वर्ष से अधिक के वर्ग अन्तरालों में विभाजित करके इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में किया गया है। यदि तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो हम पाते हैं कि पुरूष वर्ग ०-१४ वर्ष के मध्य का प्रतिशत ४१.७, १५-२९ वर्ष के मध्य का २४.६ प्रतिशत, ३० से ४४ वर्ष के मध्य का १६.३ प्रतिशत तथा शेष ४५ से ऊपर आयु वर्ग का प्रतिशत १७.४ पाया गया है जबकि महिला वर्ग में ०-१४ वर्ष आयु के मध्य का प्रतिशत ४०.८, १५-२९ वर्ष आयु के मध्य प्रतिशत २४.२, ३० से ४४ वर्ष आयु के मध्य प्रतिशत १७.९ और शेष ४५ वर्ष से ऊपर की उम्रों का प्रतिशत १७.१ पाया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ६० वर्ष तथा ६० वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष तथा महिलाओं के प्रतिशत क्रमशः ६.६ तथा ६.२ पाया गया है जबकि कुल जनसंख्या में आयु का औसत ६.५ प्रतिशत पाया गया है।

तालिका नं. ३(७) जनसंख्या का आयु सापेक्ष विभाजन
(सांख्यकीय पत्रिका २००१ के विशेष अंक के अनुसार)

क्र. सं.	आयु वर्ग (वर्षों में)	पुरूष जनसंख्या (प्रतिशत में)	स्त्री जनसंख्या (प्रतिशत में)	कुल जनसंख्या (प्रतिशत में)
१.	०-४	१२.३	१३.४	१२.८
२.	५-९	१५.०	१४.७	१५.०
३.	१०-१४	१४.१	१२.७	१३.७
४.	१५-१९	१०.३	८.४	९.३
५.	२०-२४	७.८	८.४	८.०
६.	२५-२९	६.६	७.४	६.९
७.	३०-३४	५.५	६.४	५.९
८.	३५-३९	५.२	६.१	५.५
९.	४०-४४	५.४	५.४	५.३
१०.	४५-४९	४.३	४.६	४.५
११.	५०-५४	४.४	३.६	४.१
१२.	५५-५९	२.३	२.७	२.५
१३.	६० वर्ष से अधिक	६.६	६.२	६.५
	समस्त योग	१००.०	१००.०	१००.०

(८) जनपदीय जनसंख्या का धर्म सापेक्ष विभाजन :

जनपदीय जनसंख्या को धर्म के आधार पर हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मो में बांटा गया है। इसका कुल जनसंख्यात्मक प्रतिशत का एक विवेचन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

४५-४९, ५०-५४, ५५-५९ और ६० वर्ष से अधिक के वर्ग अन्तरालों में विभाजित करके इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में किया गया है। यदि तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो हम पाते हैं कि पुरूष वर्ग ०-१४ वर्ष के मध्य का प्रतिशत ४१.७, १५-२९ वर्ष के मध्य का २४.६ प्रतिशत, ३० से ४४ वर्ष के मध्य का १६.३ प्रतिशत तथा शेष ४५ से ऊपर आयु वर्ग का प्रतिशत १७.४ पाया गया है जबकि महिला वर्ग में ०-१४ वर्ष आयु के मध्य का प्रतिशत ४०.८, १५-२९ वर्ष आयु के मध्य प्रतिशत २४.२, ३० से ४४ वर्ष आयु के मध्य प्रतिशत १७.९ और शेष ४५ वर्ष से ऊपर की उम्रों का प्रतिशत १७.१ पाया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ६० वर्ष तथा ६० वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष तथा महिलाओं के प्रतिशत क्रमशः ६.६ तथा ६.२ पाया गया है जबकि कुल जनसंख्या में आयु का औसत ६.५ प्रतिशत पाया गया है।

तालिका नं. ३(७) जनसंख्या का आयु सापेक्ष विभाजन
(सांख्यकीय पत्रिका २००१ के विशेष अंक के अनुसार)

क्र. सं.	आयु वर्ग (वर्षो में)	पुरूष जनसंख्या (प्रतिशत में)	स्त्री जनसंख्या (प्रतिशत में)	कुल जनसंख्या (प्रतिशत में)
१.	०-४	१२.३	१३.४	१२.८
२.	५-९	१५.०	१४.७	१५.०
३.	१०-१४	१४.६	१२.७	१३.७
४.	१५-१९	१०.२	८.४	९.३
५.	२०-२४	७.८	८.४	८.०
६.	२५-२९	६.६	७.४	६.९
७.	३०-३४	५.५	६.४	५.९
८.	३५-३९	५.२	६.१	५.५
९.	४०-४४	५.४	५.४	५.३
१०.	४५-४९	४.३	४.६	४.५
११.	५०-५४	४.४	३.६	४.१
१२.	५५-५९	२.३	२.७	२.५
१३.	६० वर्ष से अधिक	६.६	६.२	६.५
	समस्त योग	१००.०	१००.०	१००.०

(८) जनपदीय जनसंख्या का धर्म सापेक्ष विभाजन :

जनपदीय जनसंख्या को धर्म के आधार पर हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मो में बांटा गया है। इसका कुल जनसंख्यात्मक प्रतिशत का एक विवेचन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

जनसंख्या के आधार पर ७ वर्गो में २०० से कम जनसंख्या, २००-४९९ जनसंख्या, ५००-९९९ जनसंख्या, १००० से १४९९ जनसंख्या १५००-१९९९ जनसंख्या २०००-४९९९ जनसंख्या, ५००० से अधिक में विभक्त किया गया है।

तालिका नं. ३(१०) जनपद में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें (१९९१ के अनुसार)

विकासखण्ड	आयुर्वेदिक			यूनानी			होम्योपैथिक		
	संख्या	शैयायें	डाक्टर	संख्या	शैयायें	डाक्टर	संख्या	शैयायें	डाक्टर
चिरगाँव	२	४	२	--	--	--	--	--	--
मोंठ	१	४	१	--	--	--	--	--	--
गुरसहाय	२	८	२	--	--	--	--	--	--
बामौर	१	४	२	--	--	--	२	--	२
बँगरा	१	४	१	--	--	--	--	--	--
बबीना	२	८	२	--	--	--	१	--	१
मऊरानीपुर	२	८	३	१	--	१	३	--	३
बडागाँव	२	४	२	--	--	--	--	--	--
ग्रामीण	१३	४४	१५	२	--	२	६	--	६
नगरीय	२	१२	२	--	--	--	--	--	--
समस्त योग	१५	५६	१७	२	--	२	६	--	६

झाँसी जनपद में उपलब्ध परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्रों की संख्या वर्ष १९९१-९२ में परिवार कल्याण केन्द्रों की १६ और उपकेन्द्रों की संख्या २२० पाई गई इनमें चिकित्सा कल्याण केन्द्र ९, ग्रामीण क्षेत्रों में और ७ नगरीय क्षेत्रों में सूचित हुए हैं तथा उपकेन्द्र भी १९५ ग्रामीण क्षेत्रों में और २५ नगरीय क्षेत्रों में ज्ञात हुए हैं। इनका विकास खण्डवार विस्तृत विवरण निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका नं. ३(११) जनपद में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा उपकेन्द्र (नगरीय ग्रामीण)

विकासखण्ड	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्रों की संख्या
चिरगाँव	३	३४
मोंठ	३	३२
गुरसहाय	२	३०
बामौर	१	२६
बंगरा	१	१८
बबीना	३	२२
मऊरानीपुर	२	३६
बडागाँव	१	२२
ग्रामीण	९	१९५
नगरीय	७	२५
समस्त योग	१६	२२०

अनुसंधान योजना के प्रमुख सोपान :

सामान्यत: किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन करना, प्रत्येक अध्ययनकर्ता के लिए एक जटिल समस्या तथा चुनौती हुआ करता है क्योंकि अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान के लिए विभिन्न चरणों (सोपानों) से गुजरते हुए शोध अध्ययन पूर्ण करना पडता है। शोध योजना के प्रमुख सोपानों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। विद्वान समाजशास्त्री ***प्रो. करलिंगर***[13] ***(१९६४:६३)*** के अनुसार किसी सामाजिक-समस्या सम्बन्धी शोध अध्ययन को वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण करने के लिए एक अनुसंधित्सु को निम्न चार प्रमुख सोपानों से गुजरना पडता है-

(१) अध्ययन समस्या का निरूपण (चुनाव) करना

(२) अध्ययनार्थ उद्देश्यों एवं तत्सम्बन्धित परिकल्पनाओं अथवा शोध प्रश्नों का निर्माण करना

(३) वैज्ञानिक पद्धतियों तथा प्रविधियों से आंकडों का संकलन करना

(४) तथ्यों का साँख्यंकीय विश्लेषण तथा निर्वचन व सामान्यीकरण

परन्तु समाजशास्त्री ***प्रो. लुण्डवर्ग***[14] ***के (१९५१:११)*** के अनुसार कार्यकारी परिकल्पनाएं, प्राथमिक एवं द्वैतीयक आँकडों का संकलन, संकलित आँकडों का वर्गीकरण तथा संगठन तथा सामान्यीकरण करना किसी भी शोध के लिए प्रमुख सोपान होते हैं, लेकिन ***सर्वश्री यंग***[15] ***(१९७५:१०२)*** के अनुसार किसी सामाजिक शोध के लिए मूलत: निम्न सोपान प्रमुख होते हैं-

(१) चरों का अवधारणात्मक स्पष्टीकरण तथा समस्यात्मक प्रश्नों का निर्माण करना।

(२) अध्ययन के उद्देश्यों; कार्यकारी परिकल्पनाओं (शोध प्रश्नों) का निर्माण करना।

(३) विभिन्न प्राप्त वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा समस्या का प्रेक्षण तथा पर्यवेक्षण करना।

(४) अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथा द्वैतीयक तथ्यों का अभिलेखन करना।

(५) उपलब्ध आँकडों का श्रेणियों में विभाजन तथा क्रमबद्ध वर्गीकरण करना।

(६) परिकल्पनाओं का परीक्षण करना; वैज्ञानिक निर्वचन एवं सैद्धान्तीकरण।

परन्तु समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद न्यूयार्क: कृषि समिति के अनुसार एक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निम्न सोपानों (पदक्रमों) का होना आवश्यक होता है-

(१) अध्ययन समस्या की तार्किक तथा सावधानीपूर्ण व्याख्या

(२) अध्ययन समस्या से सम्बन्धित अवधारणाएं एवं परिभाषाओं का स्पष्टीकरण

(३) प्राथमिक तथा द्वैतीयक आंकडों का संकलन

(४) आंकडों का सांख्यकीय वर्गीकरण एवं विश्लेषण

(५) कारकों का सुस्पष्ट अभिव्यक्तिकरण करना

(६) अध्ययन से प्राप्त मौलिक तथ्यों का व्यवस्थित रूप में प्रदर्शन करना

(७) तार्किक रूप में सामान्यीकृत विवेचन (निष्कर्ष रूप में) प्रस्तुत करना

(८) सावधानीपूर्वक सम्पूर्ण प्रतिवदेन का प्रस्तुतीकरण

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट शोध अध्ययन के सोपानक्रम के अनुसार अनुसंधित्सु ने प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन को सम्पादित करने के लिए निम्न विन्दुओं के क्रमानुसार प्रमुख चरणों (सोपानों) को अध्ययन के आधार बिन्दु मानते हुए शोध कार्य पूर्ण किया है-

(क) अध्ययन समस्या का निरूपण

(ख) अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण एवं उसका संक्षिप्त परिचय

(ग) सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन एवं समीक्षाएं

(घ) क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन

(ड) चरों का निर्धारण, परिभाषाएं तथा अवधारणात्मक स्पष्टीकरण

(च) अध्ययन के उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं का निर्माण

(छ) पद्धतिशास्त्र: अध्ययन में प्रयुक्त पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ

(ज) प्राथमिक तथ्यों को संकलन: तथ्यों के संकलन में समस्याएं व उनका निराकरण

(झ) संकलित तथ्यों का सांख्यकीय वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण आदि

(ण) परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण

(ट) सामान्यीकरण एवं सिद्धान्तीकरण

(ठ) प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

यों तो प्रत्येक अनुसन्धान कार्य को पूर्ण करने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य हुआ करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित गौण उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए सम्पादित किया जा रहा है-

(१) निदर्शित सूचनादाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना

(२) वृद्धावस्था को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन करना

(३) वृद्धजनों की पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करना

(४) वृद्धजनों की आर्थिक समस्याओं, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं नई अर्थ व्यवस्था (सेवानिवृत्तों के लिए) का अध्ययन करना

(५) वृद्धजनों की शारीरिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा आवासीय समस्याओं का अध्ययन करना

(६) वृद्धजनों की मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना

(७) समय व्यतीत करने तथा मनोरंजन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना

(८) वृद्धावस्था के प्रति उनके स्वयं के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना

(९) अशक्त वृद्धजनों की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करना

(१०) परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य में वृद्धजनों की कुण्ठा तथा नैराश्य सम्बन्धी भावनाओं (विचारों) तथा पारिवारिक सामंजस्य सम्बन्धी दशाओं का अध्ययन करना

(११) वृद्धजनों के सामाजिक पुनर्वास में शासकीय तथा गैरशासकीय/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाओं एवं कल्याण सेवाओं का अध्ययन करना

(१२) वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना

सामान्यतः अनुसंधान हेतु निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनकर्ता को कुछ शोध प्रश्नों अथवा परीक्षणार्थ परिकल्पनायें निर्मित करनी होती हैं। अध्ययन के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करके निष्कर्ष उद्घाटित (स्थापित) किए जाते हैं, जिसे सिद्धान्तीकरण कहते हैं। अध्ययनकर्त्री

ने भी १५ परिकल्पनाएं निर्मित की हैं। अनुसंधान कार्य हेतु यह परमावश्यक होता है कि सर्वप्रथम ''परिकल्पना'' शब्द की अवधारणा स्पष्ट कर ली जाय। सामान्यत: शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना (परि+कल्पना) दो शब्दों का योग है जिनके अर्थ क्रमश: ''चारोंओर'' तथा ''विचार या चिन्तन करना'' है अर्थात् अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक सामान्य अनुमान के आधार पर विचार करना। इस प्रकार एक शोधकर्त्री अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही अध्ययन की समस्या के विभिन्न पक्षों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा निर्धारित करना होता है ताकि अध्ययनकर्ता इधर-उधर निरर्थक न भटक कर, सुनिश्चित आधार पर सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करता है। इस प्रकार परिकल्पनाएं अध्ययनकर्ता को उचित दिशा प्रदान करते हुए मार्गदर्शक बनकर उसे गन्तव्य तक पहुंचाती हैं। इसी प्रसंग में सर्वश्री गुडे एण्ड हाट (१९६०:५७) ने लिखा है कि- ''परिकल्पना; सिद्धान्त और शोध के बीच की एक आवश्यक कड़ी होती हैं जो नवीन तथ्यों के सम्बन्ध में अतिरिक्त ज्ञान की खोज करने में सहायक होती हैं।''[१५] स्पष्टत: परिकल्पनाएं, अनुसंधान के लिए एक ऐसा आवश्यक आधार प्रस्तुत करती हैं; जिसकी सहायता से नवीन तथ्यों को खोजा जाता है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि-

(१) परिकल्पनाएं अध्ययन की दिशा को निर्धारित करती हैं, और दिग्भ्रम दूर करती हैं;

(२) परिकल्पनाएं अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती हैं; तथा अध्ययनकर्ता को भटकाव से बचाकर उसे गन्तव्य तक पहुंचती हैं,

(३) परिकल्पनाएं अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में प्राप्त प्राथमिक तथा द्वैतीयक तथ्यों के संकलन कराने में मार्गदर्शक के रूप में सहायता प्रदान करती है।

(४) परीक्षण में सत्य व सार्थक पायी गयी परिकल्पनाएं कार्य कारण सम्बन्धों के स्पष्टीकरण पर बल देती हैं एवं तथ्यपरक सामान्यीकृत निष्कर्ष प्रदान करती हैं।

(५) सत्य तथा सार्थक पायी गयी परिकल्पनाएं सिद्धान्तों का निर्माण करने तथा सामान्यीकरण करने में सहयोग प्रदान करती हैं।

(६) इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में अध्ययनार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण नवीन ज्ञान की खोज कराने में सहायक होता है।

इतना ही नहीं, एक अध्ययनकर्ता अध्ययन समस्या के लिए निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण करके उनकी सत्यता व सार्थकता का परीक्षण करता है। इस प्रकार परिकल्पनाएं अनुसंधान के लिए एक काम चलाऊ सामान्यीकरण होती हैं; जो अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में पूर्वगामी विचार होते हैं; जिनकी सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करना अनुसंधान के दौरान अवशेष रहता है। इस संदर्भ में सर्वश्री गुडे एण्ड स्केट्स (१९६०:५७) ने लिखा है कि- ''एक परिकल्पना, अवलोकित तथ्यों को समझने और अध्ययन को आगे मार्गदर्शित करने के निमित्त अस्थायी रूप में ग्रहण की गयी एक बुद्धिमतापूर्ण निष्कर्ष होती हैं।[17] प्रो. जॉन गालटुंग (१९६७:३१०) के अनुसार- ''अध्ययन की जाने वाली कुछ इकाईयों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य कितने और किन चरों से सम्बन्धित है, के संदर्भ में किए जाने वाले परीक्षण व मूल्य होते हैं।'' इस प्रकार आपने परिकल्पना को अधिक विस्तृत और गणितीय आधार पर समझाया है कि प्रत्येक अनुसंधान में इकाई, चर तथा मूल्य तीन तत्व होते हैं; जिनमें शोध की दृष्टि से अन्तर्सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।''[१८] सर्वश्री यंग (१९६०:९६) के अनुसार- ''एक अस्थायी, लेकिन केन्द्रीय महत्व के वे विचार होते हैं; जो अध्ययन के दौरान शोध का उपयोगी आधार बन जाते हैं। स्पष्ट है कि परिकल्पना का महत्व अनुसंधान के आरम्भ में ही नहीं होता, अपितु अनुसंधान से सभी स्तरों पर परिकल्पनाएं किसी न किसी रूप में आद्योपान्त अध्ययन का नितान्त आवश्यक और अनिवार्य अंग बनी रहती हैं। अनुसंधित्सु ने अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामान्यीकरण करने की दृष्टि से परीक्षण हेत निम्न परिकल्पनाएं भी निर्मित की हैं-

परीक्षणार्थ निर्मित परिकल्पनाएं :

प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु निम्नांकित परिकल्पनाएं भी निर्मित की गयी हैं ताकि अनुसंधान के दौरान परिकल्पनाओं की सत्यता एवं सार्थकता का परीक्षण करके शोधपरक तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकें-

(१) आधुनिक परिवर्तनों, के कारण वृद्धजनों में परिवार के साथ सामंजस्य करने का नितान्त अभाव पाया जाता है।

(२) वृद्धजनों को परिजन उन्हें परिवार पर भार समझकर उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं।

(३) वृद्धावस्था में चिडचिडापन, आलस्य, एकान्त प्रियता तथा निराशा आ जाती है।

(४) वृद्धावस्था में मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने से उनके मन में चिन्ता का सिलसिला शुरू हो जाता है।

(५) परिजन, वृद्धजनों के अनुभवों का लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं।

(६) अधिक उम्र के वृद्धजन सामाजिक जीवन में दबाव तथा स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं।

(७) आधुनिक भौतिकतावादी संस्कृति तथा तेजी के साथ बदलता सामाजिक पर्यावरण वृद्धजनों के लिए समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं।

(८) बढती हुई सामाजिक गतिशीलता, वृद्धजनों के लिए सबसे बडी समस्या है।

(९) कम उम्र के वृद्धजनों की तुलना में, अधिक उम्र के वृद्धजनों में धार्मिक प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है।

(१०) पेंशनभोगी वृद्धजनों की तुलना में, सामान्य वृद्धजनों की समस्याएं, अपेक्षाकृत अधिक होती हैं।

(११) अधिक वयोवृद्ध प्राय: परिजनों के साथ समय-समय पर श्रेष्ठ (अनुभवों) परिचर्या की आकांक्षायें रखते हैं।

(१२) वृद्धावस्था के लिए उम्र नहीं, बल्कि निर्धनता सबसे बडा अभिशाप है।

(१३) वृद्धजनों की सुखशान्ति तथा उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए परिवार में उनका समन्वय आवश्यक है।

(१४) वृद्ध महिलायें अपना समय (वक्त) हमेशा की तरह घर में व्यस्त रहकर काट लेती हैं, जबकि पुरूष प्राय: चिन्तित व बैचेन रहते हैं।

(१५) वृद्धावस्था में व्यक्ति प्राय: निराशावादी प्रवृत्ति का होता जाता है।

अध्ययन के उद्देश्यों तथा उपरोक्त परिकल्पनाएं निर्मित कर लेने के पश्चात् प्रत्येक अध्ययनकर्त्री के समक्ष अध्ययन करने के लिए निदर्श इकाईयों अर्थात्

सूचनादाताओं/उत्तरदाताओं के चयन की समस्या उठ खडी होती हैं। निदर्शितों के चयन से सम्बन्धित विवेचन निम्नांकित हैं :

निदर्शन एवं अध्ययन की इकाईयों का चयन क्यों और कैसे? :

अध्ययन से सम्बन्धित उद्‌देश्यों, तथा परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात् अनुसंधानकर्ता के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अध्ययन की इकाईयों का चयन; करने की होती है, जो किसी भी शोध एवं सर्वेक्षण की आधारशिला होती है; साथ ही यह आधारशिला जितनी सुदृढ होगी, अध्ययन के परिणाम उतने ही अधिक सार्थक, विश्वसनीय, मौलिक, वैध, परिशुद्ध तथा वस्तुनिष्ठ होंगे। सामान्य अर्थ में किसी समग्र में से कुछ प्रतिशत में प्रतिनिधि इकाईयों को चुनकर किया गया अध्ययन ''निदर्श अध्ययन'' कहलाता है। जिस प्रविधि (तकनीक) से निदर्शन लिया (चुना) जाता है, निदर्श पद्धति और ऐसी चुनी गयी इकाईयों को निदर्शित कहा जाता है। अतः निदर्शन, एक सांख्यकीय प्रतिदर्श है एवं निदर्शितों के चुनने की यह योजना निदर्शन के चयन में निदर्शन अभिकल्प (सेम्पिलिंग डिजायन) कहलाती है; जिसका प्रयोग वर्णनात्मक विश्लेषण में सर्वोत्तम माना जाता है। वर्तमान में निदर्शन प्रणाली का प्रयोग विशेषतः सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है, क्योंकि निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसका सम्बन्ध (एक बड़े समग्र को लघु रूप में देखना होता है), समग्र के सदस्यों के उस छोटे समूह से होता है जिसमें कि एक विशाल समूह की इकाईयों के लक्षण विद्यमान होते हैं; का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात् निदर्शन एक विस्तृत समूह का वह लघु अंश होता है; जिसमें उस समूह के समस्त गुण धर्म विद्यमान होते हैं। निदर्शन प्रणाली के प्रयोग में लाने सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं-

(१) निदर्शन, समग्र के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।

(२) निदर्शन, समग्र की अपेक्षा आकार में सीमित व लघु होता है।

(३) समग्र में से चयनित कुछ ही निदर्श इकाईयों से शोध अध्ययन पूर्ण किया जा सकता है।

(४) यह पद्धति तार्किक तथा पूर्णतः वैज्ञानिक है।

(५) यह पद्धति अध्ययनकर्ता को पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव से बचाती है इत्यादि।

इस प्रकार एक अध्ययनकर्ता को निदर्शन से उपर्युक्त के अतिरिक्त भी निम्न लाभ (सुविधाएं) होते हैं जिसकी बजह से अनुसंधित्सु ने इसे चुना है।

जब अनुसंधानकर्ता को समग्र के विषय में शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्य संकलित करने होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ जानकारी के लिए समग्र की समस्त इकाईयों से सम्पर्क करके आंकड़े संकलित करना प्रायः असम्भव ही होता है। समय, धन तथा शारीरिक व मानसिक श्रम की कमी, अनुसंधानकर्ता को विवश करती है कि वह समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाईयों का चयन करके सीमित समय, धन तथा श्रम के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, मौलिक तथा अधिकाधिक जानकारियां हासिल करके सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न करे और अनुसंधान सम्बन्धी (प्राथमिक आंकड़े) समुचित मात्रा में संकलित करे। इस प्रकार एक अध्ययनकर्ता विस्तृत तथा विशाल अध्ययन क्षेत्र में न भटककर; एक सीमित तथा उपर्युक्त क्षेत्र की इकाईयों से अध्ययनपूर्ण कर सकता है। गुडे एण्ड हाट के अनुसार निदर्शन एक वैज्ञानिक, उपयुक्त एवं सरल प्रणाली है जिसके द्वारा उस क्षेत्र व अध्ययन सामग्री के बारे में सही और पूर्णतः गहन, विस्तृत, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुसंधित्सु कुछ ही चयनित (निदर्शित) इकाईयों द्वारा एक सीमित व लघु क्षेत्र से ही अध्ययनपूर्ण कर लेता है। द्वितीय; सीमित इकाईयों से उचित, मौलिक, गहन एवं विस्तृत सूचनाएं संकलित करना सरल तथा संभव होता है; जो कि एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से कदापि संभव नहीं होता; तृतीय; अध्ययन सामग्री सीमित हो जाने के कारण अनुसंधानकर्ता सतर्क रहकर अध्ययन की सार्थकता एवं गहराई पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दे सकता है, चतुर्थ; इस प्रणाली के द्वारा ही संकलित की गयी प्राथमिक सूचनाओं की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करना संभव होता है, पंचम; क्षेत्रीय तथ्यों के संकलन में समय, श्रम तथा धन न्यूनतम अपव्यय होता है, षष्ठम; यह वैज्ञानिक प्रविधि है, सप्तम; समग्र के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः अनुसंधित्सु ने 'अनूसचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' (उ०प्र० के जनपद झाँसी की तहसील मोंठ के विशेष सन्दर्भ में) करने के लिए सौद्देश्य निदर्शन पद्धति से सूचनादाताओं का चयन किया है।

निदर्श एवं निदर्शितों का चयन :

अध्ययन की इकाईयाँ चुनने के लिए उ.प्र. के जनपद झाँसी की तहसील मोंठ के तीन विकास खण्डों में से प्रत्येक विकासखण्ड से अनुसूचित जातियों के (६० तथा ६० वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध नागरिकों में से) १००-१०० अर्थात् कुल ३०० वृद्धजनों का चयन (उद्देश्य पूर्ति हेतु) 'संयोग निदर्शन की लाटरी पद्धति' द्वारा किया गया है ताकि विभिन्न धर्मो, जातियों, उम्र, लिंग, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक स्तरों के सूचनादाताओं का चयन करना सम्भव हो सके।

निदर्श अभिकल्प :

झाँसी जिला की मोंठ तहसील के प्रत्येक विकासखण्ड से १००-१०० निदर्शितों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शिन एवं संयोग निदर्शन की लाटरी पद्धति द्वारा किया गया है जिसके चयन अभिकल्प पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ३(१२) चयनित सूचनादाताओं का निदर्श अभिकल्प

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	पुरूष (६०$^{+}$)	महिलाएं (६०$^{+}$)	कुल योग	चयनित निदर्श लाटरी पद्धति से
१.	मोंठ	१०२२	७८३	१८०५	१००
२.	गुरसहाय	१०६१	८११	१८७२	१००
३.	बामौर	१०४९	८८०	१९२९	१००
	योग	३१३२	२४७४	५६०६	३००

(नोट- निदर्शन का चयन तीनों विकासखण्डों में वृद्धों के योग का ५.५ प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक से १००-१०० वृद्ध व्यक्तियों को चुना गया है।)

शोध अध्ययन में प्रयुक्त पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ :

किसी भी अनुसंधान कार्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने तथा मौलिकता लाने के लिए एकाधिक व्यवस्थित अध्ययन पद्धतियों का अपनाया जाना स्वाभाविक ही है। स्टुअर्ट चेज (१९६५:९६) का कहना है कि "विज्ञान का सम्बन्ध वैज्ञानिक पद्धतियों से होता है, न कि विषय सामग्री से।"[२०] अध्ययन विषय से सम्बन्धित वैषयिक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को निरीक्षण, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, परीक्षण, पुनः

परीक्षण तथा सामान्यीकरण जैसे कई जटिल मार्गों से गुजरना पडता है; क्योंकि वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों को प्राप्त करने तथा उद्घाटित करने के लिए कोई अन्य संक्षिप्त मार्ग नहीं है। इस प्रसंग में सर्वश्री कार्ल पीयरसन[२१] (१९११:१) ने लिखा है कि- ''सत्य को खोजने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है; और न ही समग्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। श्रीमती पी.वी. यंग (१९६०:४४) के कथनानुसार: ''एक सामाजिक अनुसंधान; वह वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना, कारण सहित व्याख्याओं और उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।''[२२] अत: किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त पद्धतियों एवं प्रविधियों का चयन तथा अनुप्रयोग वांच्छित ही नहीं, अपितु अनुसंधान कार्य की एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। अध्ययन विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अध्ययनकर्ता ने ''साक्षात्कार-अनुसूची''; साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाली एवं असहभागी अवलोकन पद्धतियों को अपनाया है। जिनका संक्षिप्त समाजशास्त्रीय विवेचन निम्नांकित हैं-

साक्षात्कार अनुसूची :

प्रत्येक समाज वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन करना, सामाजिक शोध की महती आवश्यकता होती है। द्वैतीयक तथ्य, अध्ययन समस्या से सम्बन्धित लिखित प्रलेख होते हैं; जबकि प्राथमिक तथ्य, विषय की वर्तमान वास्तविकता होते हैं। वास्तविकता तथा मौलिक क्षेत्रीय तथ्यों को संकलित करने एवं अनावश्यक तथा व्यर्थ की सामग्री के संकलन से बचने के लिए एक अध्ययनकर्ता को अनेकों वैज्ञानिक उपकरणों तथा प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है; अनुसूची उनमें से एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अनुसूची; प्रश्नों का वह व्यवस्थित संकलन है जिसमें समस्या के उद्देश्यों की पूर्ति निहित रहती है जो अध्ययन विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित कराती है। इसके लिए कोई व्यवस्थित तरीका होना चाहिए, जिससे कि केवल उन्हीं तथ्यों को संकलित करना संभव हो, जो कि हमारे अध्ययन विषय की वास्तविकताओं को सही और संक्षेप में व्यक्त करें और व्यर्थ की सामग्री का ढेर एकत्रित न

होने पावे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन-जिन उपकरणों का प्रयोग एक अनुसंधानकर्ता करता है; उनमें से साक्षात्कार अनुसूची एक प्रमुख पद्धति है; क्योंकि इसके द्वारा अशिक्षित तथा शिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से मौलिक तथ्य संकलित किए जा सकते हैं। अवधारणात्मक दृष्टि से "अनुसूची; वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसको अध्ययनकर्ता अपने शोध विषय की प्रकृति और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे कि उन लिखित प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित सूचनादाताओं से मालूम किये जा सकें और इस प्रकार आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप मिल सके।"[२३]

सर्वश्री गुडे एण्ड हाट (१९५२:५) के अनुसार "अनुसूची, उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है, जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।"[२४]

सर्वश्री बोगार्डस (१९६८:४५) के अनुसार "अनुसूची, उन तथ्यों को प्राप्त तथा संकलित करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैषयिक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है।"[२५]

इस प्रकार उपरोक्त प्रतिनिधि परिभाषाओं के प्रकाश में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि "अनुसूची, अध्ययन समस्या से सम्बन्धित सूचनादाताओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों का वह नियोजित लिखित संकलन होता है जो सुव्यवस्थित, विस्तृत एवं सुविचारित तरीके से अध्ययन समस्या की प्रकृति एवं उद्देश्यों के आधार पर बनाये जाते हैं।"[२८] इसके अतिरिक्त इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं; इस कारण भी अनुसंधित्सु ने अपने शोध कार्य हेतु इसे अपनाया है-

(१) यह प्रश्नों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, सुव्यवस्थित एवं नियोजित सूची होती है।

(२) यह सूचनादाता की प्रत्यक्ष (आमने सामने) की स्थिति में प्रश्नोत्तर करके अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। इसलिए संकलित तथ्य मौलिक होते हैं।

(३) अध्ययनकर्ता तथा सूचनादाता आमने सामने की स्थिति में होने के कारण अध्ययनकर्ता को विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करने का अवसर मिल जाता है।

(४) यह शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से प्राथमिक आंकड़े संकलित करने की प्रणाली है; जो एक वैज्ञानिक उपकरण एवं सरल तकनीक है।

(५) मौलिक, विश्वसनीय, तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ आंकड़े प्राप्त करना सम्भव होता है।

(६) अनुसंधित्सु अपूर्ण तथा अनावश्यक आंकड़ों के एकत्रित होने/करने से बच जाता है अत: अनावश्यक सामग्री का ढेर इकट्ठा नहीं हो पाता।

(७) अनुसूची द्वारा प्रामाणिक सामग्री सुव्यवस्थित रूप में सरलता से उपलब्ध हो जाती है।

(८) अध्ययनकर्ता को सर्वेक्षण करते समय उत्तरदाताओं को प्रश्न समझाने, पूरक प्रश्न करने, प्रश्नों में संशोधन करने व प्रश्नों में परिवर्तन करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। अत: वांच्छित सामग्री एकत्र हो जाती है।

(९) अनुसूची के प्रश्नों के सही प्रत्युत्तरों का संकलन अधिकतम हो जाता है।

(१०) इस पद्धति से अध्ययन करने पर अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष साक्षात्कार (पूछताछ) करने पर अनुसंधित्सु को दोनों प्रविधियों (साक्षात्कार एवं अवलोकन) का उपयोग करने का अवसर; स्वत: मिल जाता है जो किसी अन्य प्रविधि से मिल पाना सम्भव नहीं होता है।

(११) इस पद्धति से संकलित क्षेत्रीय (प्राथमिक) आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण करने में भी शोधार्थी को सुविधा होती है क्योंकि इससे व्यवस्थित आंकडे तथा अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अनुसूची प्राथमिक तथ्यों के संकलित करने हेतु लिखित प्रश्नों की एक सुनियोजित, विस्तृत, वर्गीकृत तथा अभिकल्पित सूची होती है जो कि अध्ययनकर्ता द्वारा सूचनादाताओं के आमने-सामने की प्रत्यक्ष स्थिति में प्रश्नोत्तर करके भरी जाती है। अध्ययन विषय की प्रकृति तथा उद्देश्यों के आधार पर यह प्राय: पांच (निरीक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, ''साक्षात्कार-अनुसूची'' तथा प्रलेख अनुसूची) प्रकार की होती है। लेकिन इस शोध अध्ययन में ''साक्षात्कार-अनुसूची'' को अपनाया गया है, क्योंकि इस प्रकार की अनुसूची का

प्रयोग मुख्यत: सूचनादाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार सम्पन्न करने में किया जाता है। जिसका मौलिक उद्देश्य सूचनादाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अध्ययन समस्या से सम्बन्धित निर्मित अनुसूची के प्रश्नों को पूछ-पूछकर उनके उत्तरों को प्राप्त करना होता है। इसमें प्रश्न और सारणियां भी दी जाती हैं। इसमें दिए गए प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं; अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा विस्तृत उत्तरीय। जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं से व्यक्तिश: पूछ-पूछकर प्रश्न करते हुए भरता है। तत्पश्चात् साक्षात्कार से प्राप्त प्राथमिक सामग्री को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाता है। ऐसा करने से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत सरल हो जाता है। आवश्यक सूचनादाताओं की प्राप्ति, संकलित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को आरम्भ करने से पूर्व इस अनुसूची की परीक्षा; एक पूर्वगामी सर्वेक्षण करने के पश्चात् इसको प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार इस अनुसूची के कुछ प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं-

(क) इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं।

(ख) व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण इसमें अध्ययनकर्ता, सूचनादाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है, प्रश्न समझा सकता है तथा पूरक प्रश्न करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र होता है।

(ग) क्षेत्रीय संकलित सूचनाओं की सार्थकता तथा सत्यता की जांच करना सहज, सरल तथा सम्भव होता है।

(घ) साक्षात्कार के दौरान कई पहलुओं का अवलोकन स्वत: हो जाता है जिन्हें अवलोकन से ही प्राप्त किया जा सकता है; साक्षात्कार के द्वारा कदापि नहीं।

(ड) अनुसूची द्वारा अशिक्षित तथा शिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो प्रश्नावली अथवा से प्राप्त करना कदापि सम्भव नहीं होता।

(च) इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की जरूरत नहीं पडती इत्यादि कारणों से अनुसूची उपकरण को पद्धति के रूप में अपनाया गया है।

अनुसूची का निर्माण : परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा :

अनुसंधित्सु ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अपने अनुभव एवं सम्बन्धित साहित्य के ज्ञान के आधार पर एक ''साक्षात्कार-अनुसूची'' का निर्माण किया है। अध्ययन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्नों को अनुसूची में शामिल किया गया है जो अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में अधिकाधिक तथ्यपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकें। अनुसूची में बनाये गये प्रश्नों को सूचनादाताओं के ज्ञान के स्तर को ध्यान में रखते हुए छोटे, सरल तथा सहज भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। प्रत्यक्ष प्रश्नों के सही उत्तर न मिल पाने की दशा में सहायक प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रश्नों को एक दूसरे से सम्बन्धित एवं क्रमबद्ध बनाया गया है। अनुसूची के प्रश्नों में क्रमबद्धता एवं संक्षिप्तता लाने के लिए ऐसे प्रश्नों को अधिकाधिक स्थान दिया गया है जिसके उत्तर अति संक्षिप्त रूप अर्थात् हाँ या नहीं में प्राप्त हो सकें; साथ ही जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी स्थान दिया गया है; वहीं विस्तृत और सुझाव सम्बन्धी प्रश्नों को भी निर्मित किया गया है। जिससे कि उत्तरदाताओं को अधिक मानसिक श्रम किये बिना सभी सम्भावित उत्तर साक्षात्कार अनुसूची से ही उपलब्ध हो सकें।

अनुसूची-निर्माण में सावधानी बरतते हुए अस्पष्ट, संदेहपूर्ण, अनावश्यक, बहुअर्थक, निर्देशक, जटिल, असमंजस की स्थिति में डालने वाले, उद्देश्य विहीन तथा निरर्थक प्रश्नों को शामिल करने से बचने का अधिकाधिक प्रयास किया गया है; ताकि आधी अधूरी, गलत, अस्पष्ट तथा भ्रामक जानकारी तथा सूचनाएं प्राप्त होने से बचा जा सके। इस प्रकार शोधार्थिनी ने प्रस्तुत अध्ययन हेतु अनुसूची का निर्माण करके अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर निदर्श अनुसूचित जातियों के वृद्ध सूचनादाताओं से सम्पर्क करके अनुसूची में छपे प्रश्नों की सार्थकता की जांच भी की है; जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी मिले, जिनके उत्तर दोहरे निकले, तो कुछ अपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने वाले प्रश्न भी मिले, तो कुछ प्रश्नों की शब्दावली आदेशात्मक पायी गयी; अत: ऐसे प्रश्नों को अनुसूची में से हटाकर उनके स्थान पर अन्य सार्थक प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस प्रकार अध्ययनकर्ता ने निदर्श सूचनादाताओं में जागरूकता तथा मतदान व्यवहार का

अध्ययन करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची की वैधता व सार्थकता की जांच, (परीक्षा व पुनर्परीक्षा) भी की है; तदोपरान्त एक पूर्वगामी सर्वेक्षण भी किया गया; जिसके तथ्यों को मूल अध्ययन के तथ्यों तथा निष्कर्षों से पृथक रखा गया है।

(१) साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाली :

अनुसंधित्सु ने मोंठ तहसील की ग्रामीण जनसंख्या से वृद्धावस्था की समस्याओं का अध्ययन करने के सन्दर्भ में क्षेत्रीय आंकड़ों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि को अपनाया है। यद्यपि अनुसंधित्सु को अध्ययनार्थ चयनित वृद्ध सूचनादाताओं से सम्पर्क करने में विभिन्न कठिनाईयों तथा विषय-परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा; जिससे समय, श्रम एवं धन अधिक अपव्यय करने पडे हैं। सूचनादाताओं से साक्षात्कार करने के लिए उनके कई-कई बार चक्कर भी लगाने पडे हैं; यहां तक कि उनसे साक्षात्कार करने हेतु पूर्व में ही समय व स्थान सुनिश्चित करने पड़े; फिर भी सूचनादाताओं के यथास्थान व समय पर उपलब्ध न मिलने की दशाओं में प्रतीक्षाएं करनी पड़ी, परन्तु अनुसंधित्सु ने हतोत्साहित न होकर, संयम व धैर्य धारण करते हुए अधिकाधिक मात्रा में तथ्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है। जिसके लिए साक्षात्कार सम्पन्न करते समय सूचनादाताओं को खूब समझा-बुझाकर, विनम्रतापूर्वक यथासंभव सरल व सहज भाषा में प्रश्नों की पूछताछ करके प्राथमिक/क्षेत्रीय आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। साथ ही तथ्यों के तार्किक, यथार्थ तथा वैज्ञानिक अनुबोध के लिए ''प्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि'' को भी अपनाया गया है।

(२) असहभागी अवलोकन :

अवलोकन की उपयोगिता तथा महत्व को स्पष्ट करते हुए सुप्रसिद्ध विद्वान सर्वश्री गुडे एण्ड हाट (१९५२:५) के अनुसार: ''प्रत्येक अध्ययन का आरम्भ अवलोकन से होता है और इसके अन्तिम वैधीकरण के लिए अन्ततोगत्वा अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है।'' कहने का आशय यह है कि कोई भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन; बिना अवलोकन किए संभव ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी सामाजिक-अध्ययन के मौलक निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन एक

अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि किसी भी घटना या परिस्थिति को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता; जब तक कि वह स्वयं अपनी इन्द्रियों से उसका प्रत्यक्ष अवलोकन न कर ले। चूंकि सामाजिक घटनाएं और विशेषकर व्यक्ति के विचार (मनोवृत्ति) अमूर्त होती हैं और समाज में मानव के स्वभाव की जटिलता के कारण सभी घटनाएं ऐसी होती हैं; जिनका साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सकता; अपितु कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी भी होती हैं; जिनके बारे में वास्तविक जानकारी केवल प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ही संभव होती है। इसलिए प्रत्यक्ष अवलोकन पद्धति को भी अध्ययन में प्रविधि के रूप में अपनाया गया है।

मनोवृत्ति मापकों का अनुप्रयोग :

सामाजिक विज्ञानों, विशेषकर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में गुणात्मक आंकडों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्यतः किसी चीज अथवा व्यक्ति के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल मानसिकता, सोच तथा दृष्टिकोण को मनोवृत्ति/अभिवृत्ति[२७] कहते हैं। एक व्यक्ति का समूह, दूसरे व्यक्ति या समूह अथवा किसी समस्या के प्रति किस प्रकार की मनोवृत्ति रखता है, की जानकारी करना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनुसंधान कार्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जिसके लिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अभिवृत्ति मापकों का प्रयोग किया जाता है; ताकि निदर्श सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों को जाना जा सके।

सामान्यतः मापक उस पैमाने को कहते हैं जो कि किसी वस्तु, घटना अथवा घटना के किसी पहलू व परिस्थिति को नापने (मापन) हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अध्ययनकर्ता, अध्ययन की जाने वाली घटना या परिस्थिति को अनेक श्रेणियों (तीन या पांच, सीमा विस्तारों आदि) में विभक्त कर लेता है। तदुपरान्त पक्ष/विपक्ष, सकारात्मक/नकारात्मक, पसन्द/नापसन्द के रूप में सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों को जान लेता है। शोधार्थी ने निदर्श सूचनादाताओं की समस्याओं के प्रति उनके अभिमतों/दृष्टिकोणों को जानने के लिए ''लिकर्ट'' मनोवृत्ति मापक को अपनाया है।

ताकि यह जाना जा सके कि वे इस वृद्धावस्था के प्रति कैसा सोचते हैं? उनकी मानसिकता निराशावादी तो नहीं है। इत्यादि।

साँख्यकीय पद्धति का प्रयोग क्यों? :

अनुसंधित्सु ने यहां यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सांख्यकीय पद्धति इस अध्ययन में क्यों अपनायी गयी है। उल्लेखनीय है कि सांख्यकीय पद्धति गणनात्मक तथ्य प्राप्त करने की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसका सम्बन्ध आंकड़ों से होता है तथा ''दर्शन'' गणितीय गणनाएं करके सारणीयन द्वारा उनका गणनात्मक तथा संख्यात्मक मान का प्रदर्शन करना होता है; जिसमें आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण आदि भी सम्मिलित होते हैं। इस पद्धति का प्रयोग विशेषकर सामाजिक विज्ञानों विशेषकर समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में दिन प्रतिदिन अत्यधिक लोकप्रिय होता ही जा रहा है क्योंकि-

(१) इससे अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में गणनात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं।

(२) प्राथमिक तथा द्वैतीयक आंकड़ों के वर्गीकरण के पश्चात् सारणीयन करने से, बिखरे हुए आंकड़े आसानी से सुव्यवस्थित एवं आलेखबद्ध हो जाते हैं।

(३) प्राथमिक तथा द्वैतीयक आंकड़ों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करना संभव तथा सरल हो जाता है।

(४) सूक्ष्म रूप में अध्ययन के मौलिक तथा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(५) ''सांख्यकीय नियमितता नियम'' केवल सांख्यकीय पद्धति में ही निहित होता है इसलिए भी इस शोध अध्ययन में सांख्यकी प्रणाली को अपनाया गया है ताकि आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन तार्किक रूप में करना सम्भव हो सके।

इस प्रकार उपरोक्त सुविधाओं व लाभों को संज्ञान में रखकर शोधार्थिनी ने सांख्यकीय पद्धति को अपनाया है। सांख्यकीय पद्धति के अनुप्रयोग का प्रथम सोपान क्षेत्रीय (प्राथमिक) तथ्य संकलित करना होता है; तत्पश्चात् आंकड़े वर्गीकृत किए जाते

हैं, अगला सोपान: आंकड़ों का सारणीयन करना होता है। सारणीयन के द्वारा एकत्रित प्राथमिक अध्ययन सामग्री को सरलता से समझा जा सकता है। जिससे अध्ययन सरल तथा संक्षिप्त हो जाता है और आंकड़ों की तुलना करना भी सरल हो जाता है। सांख्यकीय पद्धति की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सर्वश्री घोष एवं चौधरी (१९९३:९४) ने लिखा है कि- "सांख्यकीय पद्धति की सारणीयन प्रणाली द्वारा गणनात्मक तथ्यों का इस भांति व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रदर्शन करना है कि विचाराधीन समस्या हल हो जाय एवं वर्गीकरण एक ऐसी सांख्यकीय प्रक्रिया है जो संकलित तथ्यों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल बनाने के साथ-साथ उन्हें उनकी समानता व भिन्नताओं के आधार पर कुछ निश्चित वर्गो व समूहों में व्यवस्थित करती है।"[२८] परन्तु सर्वश्री सैक्रिस्ट होरेस (१९६०:१८) के अनुसार- "वर्गीकृत सामग्री को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रमों; पदों अथवा समूहों में विन्यासित करके विभिन्न किन्तु सम्बद्ध मार्गो में पृथक करने की प्रक्रिया सांख्यकीय वर्गीकरण है।"[२९] जिसे शोधार्थिनी ने अपने प्रस्तुत शोध अध्ययन में आद्योपान्त अपनाया है।

तथ्य संकलन में व्यवहारिक समस्याएं एवं उनका निराकरण :

सामाजिक अनुसंधानों में किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करने में प्रत्येक अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ समस्याओं तथा विषम परिस्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ता है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं (समस्याओं) की प्रकृति अमूर्त एवं जटिल होती है। सामान्यत: अनुसंधान कार्य सम्बन्धी समस्याओं को प्राय: तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्नवत् हैं-

(क) समय सम्बन्धी समस्या,

(ख) श्रम सम्बन्धी समस्या,

(ग) धन के दुरूपयोग की समस्या।

सामान्यत: सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों में समय-सम्बन्धी कठिनाई के दो धरातल होते हैं- (अ) अनुसंधानकर्ता के धरातल पर; स्वयं की परिस्थितियों को इस प्रकार समायोजित करना कि अपनी सामान्य जीवन की क्रिया विधि को सुचारूता पूर्वक

चलाते हुए तथ्य संकलन हेतु समय की जितनी आवश्यकता होती है, उतना समय निकाल पाना, बड़ा कठिन होता है, (ब) सूचनादाता के स्तर पर; वर्तमान समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति की दैनिक व्यस्तताओं में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि उनसे समय प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। जब अध्ययनकर्ता के पास समय होता है, तब सूचनादाता के पास नहीं; और जब सूचनादाता के पास समय होता है; तब अध्ययनकर्ता के पास नहीं। फिर भी शोधार्थिनी ने तथ्य संकलन हेतु विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए समुचित तथा उपयुक्त मात्रा में प्राथमिक तथ्य संकलित किए हैं, भले ही उसे मानसिक तौर पर कई बार निराश होकर वापिस लौट आना भी पडा है।

क्षेत्रीय आंकड़े संकलित करने में शोधार्थी को अपेक्षा से अधिक शारीरिक तथा मानसिक श्रम करना पड़ता है। यह अधिकता अध्ययनकर्ता में निराशा, उदासीनता तथा हतोत्साहन की भावना जनित करती है; फिर भी सत्यनिष्ठा, लगन और धैर्य की त्रिवेणी (संगम) के द्वारा शोधार्थिनी ने इस दृष्टि से भी हार नहीं मानी है; अपितु संयम के साथ प्राथमिक तथ्य संकलित किए हैं।

अनुसंधित्सु की दृष्टि तथा संज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करती मंहगाई; वर्तमान समय में अतिकष्ट साध्य है। यात्रा-व्यय से लेकर; अनुसंधान-सामग्री (कागज, छपाई, आना-जाना) अन्य सभी कार्य अधिक खर्चीले होने के कारण धन-सम्बन्धी कठिनाई भी जनित होना स्वाभाविक ही है। जिसे शोधार्थिनी ने अपने परिवारीजनों की कृपा से प्राप्त धन से पूर्ण किया है। अध्ययन के आरंभ से लेकर, अन्त तक; अनुसंधान के विभिन्न धरातलों पर कठिनाईयों का अनायास उठ खडा होना स्वाभाविक ही होता है। चूंकि अध्ययन-समस्या की प्रकृति जटिल है तथा वृद्धावस्था के सम्बन्ध में वृद्ध महिलाओं तथा पुरूष व्यक्तियों की मनोवृत्ति जानने के सन्दर्भ में है जो स्वयं में जटिल प्रकृति वाली सामाजिक समस्या है; व्यक्ति इस अवस्था में विभिन्न रोगों का शिकार क्यों होता है? वद्धावस्था में निराशा के पीछे क्या कारण हैं? वृद्धावस्था आने से क्या-क्या हानियां हैं? वृद्धजन इस अवस्था में अधिक तर्क क्यों करते हैं? वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में जब निदर्श सूचनादाताओं से प्रश्न किया गया तो अधिकांशत: सूचनादाताओं ने उत्तर में कहा कि: "आपको इससे क्या मतलब?" इस प्रकार की

जटिल प्रकृति की समस्याओं का सामना शोधार्थिनी को करना पडा है। संकोची स्वभाव वाली वृद्ध माताओं अथवा बीमारियों की शिकार सूचनादाताओं ने वृद्धावस्था तथा इस अवस्था में होने वाली बीमारियों के बारे में प्रश्न करने पर विरोध जताए हैं। इसलिए ऐसे सूचनादाताओं को साक्षात्कार देने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, भी स्वयं में एक जटिल कार्य साबित हुआ। निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं से साक्षात्कार सम्पन्न करने हेतु समय लेने के लिए मिन्नतें भी करनी पड़ी हैं उन्हें बार-बार समझाना बुझाना पडा है, तथा उनके पास साक्षात्कार करने हेतु बार-बार आना-जाना पड़ा और कई बार तो निराश होकर बैरंग भी वापिस लौटना पडा। अतः प्राथमिक तथ्य संकलित करने में कठिनाईयों के कारण निराशा तो बहुत हुई, किन्तु स्वविवेक इस्तेमाल करके सर्वेक्षण में तत्जनित समस्याओं को अत्यन्त धैर्य, संयम व सूझबूझ के साथ सुलझाया गया। इसके लिए वृद्ध सूचनादाताओं से उनके घरों पर साक्षात्कार करने के लिए उनसे समय लेने पड़े। इस प्रकार शोधार्थिनी के समक्ष भांति-भांति की व्यवहारिक समस्याएं सामने आयीं, जैसे-जैसे समस्याएं आती रहीं; समय-समय पर समस्याएं सुलझाती रही। ***"बस फिर क्या था; कारवाँ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों मंजिल तय की।"***

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :

किसी भी शोधकार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अन्तिम सोपान: "प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण" करना होता है; जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। वृद्धावस्था से उत्पन्न समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु उनके विचार जानने की जिज्ञासा एवं इस समस्या के प्रस्तुतीकरण हेतु "आगमनात्मक पद्धति" को अपनाया गया है ताकि मौलिक निष्कर्ष तार्किक रूप में प्राप्त किए जा सकें। चूंकि संकलित प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों का निर्वचन करना शोध का वह आवश्यक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो विश्लेषण के द्वारा परिणाम निकालने से सम्बन्ध रखता है। ऐसा करने के लिए अध्ययनकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित प्राथमिक/क्षेत्रीय आँकड़ों को व्यवस्थित करके प्रकरणतः "मास्टरशीट" निर्मित कर "सांख्यकीय पद्धति" द्वारा प्राथमिक तथा द्वैतीयक आंकड़ों का सारणीयन, विश्लेषण तथा तत्सम्बनिधत निर्वचन

करके शोधपरक वैज्ञानिक निष्कर्ष उद्घाटित किए हैं। अध्ययन के प्रस्तुतीकरण को सरल, सुगम, ग्राह्य, तार्किक तथा वैज्ञानिक बनाने के लिए शोध प्रबन्ध में आंकड़ों के यथा स्थान आरेखीय चित्र भी दिए गए हैं। अध्ययनकर्त्री को आशा ही नहीं बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन; अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याएं सम्बन्धी यह शोध अध्ययन विषय-विशेषज्ञों तथा शोध अध्येताओं को तो उपयोगी एवं रूचिकर लगेगा ही, साथ ही समाजशास्त्रीय सन्दर्भो में 'असुचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं' जिन्हें वृद्धजन व्यवहार में अनुभव कर रहे हैं, तथा भोग रहे हैं। उनके निराकरण/समाधान के लिए सुझाए गए व्यवहारिक सुझाव उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध तो होंगे ही; साथ ही यह शोध अध्ययन समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र के लिए विभिन्न नवीन उपयोगी आयाम भी उद्घाटित करेगा तथा वृद्धजनों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा।

******

सन्दर्भ-सूची

1. करलिंगर एफ.एन.; फाउन्डेसन्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, रिनेहार्ट एण्ड विन्सटन प्रेस हॉल्ट, न्यूयार्क १९६४ पृ.४
2. Young P.V.; Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall of India (Pvt. Ltd.) New Delhi, 1960 p.13.
3. सिंह एस.डी.; वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.) १९८० पृ.५१
4. करलिंगर एफ.एन.; दि फाउन्डेसन्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, रिनेहर्ट एण्ड विंसटन प्रेस हॉल्ट (न्यूयार्क) १९६४ पृ.२७
5. करलिंगर एफ.एन.; पूर्वोक्त पृ. २९८
6. एकॉफ आर.एल.; डिजायन ऑफ सोसल रिसर्च, अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिव्यू : १९६५, पृ.२७
7. यंग पी.वी.; "साइन्टिफिक सोसल सर्वेस एण्ड रिसर्च" प्रिंटिस हाल ऑफ इण्डिया (प्रा.लिमि.) नई दिल्ली, १९६० पृ.१३१
8. शाह विमल; "रिसर्च डिजायन एण्ड स्ट्रेटेजीज, दि फ्री प्रेस ग्लैनको हाल्ट न्यूयार्क १९६२, पृ. ७३-७४
9. करलिंगर एफ.एन.; फाउन्डेसन्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, रिनेहर्ट एण्ड विंसटन प्रेस हॉल्ट (न्यूयार्क) १९६४ पृ.२९८
10. Alfred J.K.; The Design of Research, Rinehert & Winston Press : Holt, New York, 1963, p.58. (Quoted from ; Samuel Stouffer : The Design of Social Research in Social Work Research, The Free Press Glencoe, Inc. Holt New York 1962, p.73).
11. Kerlinger F.N. ; The Foundations of Behavioural Research, The University Press Chicago, 1960, p.275.

12. Samuel Stouffer; The Design of Social Research in Social Work Research, The Free Press, Glencoe, Inc. Holt, New York 1962, p.73.

13. Kerlinger F.N.; The Foundations of Behavioural Research, Rinehart & Winston Press, Holt (New York) 1964, p.63.

14. Lundberg G.A.; Social Research, Green & Longman's Publishing Co. (Pvt. Ltd.) New York, 1951, p.11.

15. Young P.V.; Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall of India (Pvt. Ltd.) New Delhi, 1975, p.102.

16. गुडे डब्ल्यू.जे. एण्ड हाट पी.के.; मैथड्स इन सोसल रिसर्च; मैक ग्रो हिल बुक कं. कोगाकुश, न्यूयार्क १९६० पृ.५७

17. गुडे डब्ल्यू.जे. एण्ड हाट पी.के.; पूर्वोक्त १९६० पृ.५७

18. गॉल्टुंग जॉन; थ्योरी एण्ड मैथड्स ऑफ सोसल रिसर्च, मैक ग्रो हिल बुक कम्पनी कोगाकुशा न्यूयार्क १९६७, पृ.३१०

19. यंग पी.वी.; साइन्टिफिक सोसल सर्वेज एण्ड रिसर्च, प्रिंटस हाल ऑफ इण्डिया (प्रा.लिमि.) दिल्ली, १९६०, पृ.९६

20. *Stuart Chase; The Proper study of mankind, Harper & Brothers, London 1965, p.96. "Science goes with the method, not with the subject matter".

21. * Kerl Pearson; The Grammer of Science, Black Basil & Co. (Pvt. Ltd.) London, 1911, p.1. "There is no short cut of truth, no way to gain knowledge to the universe, except; through the gateway of Scientific Method."

22. Young P.V.; Scientific Social Surveys and Research, Asia Publishing House, Bombay, 1960, p.44.

23. Mukherji R.N.; Social Research & Statistics, Vivek Prakashan Jawahar Nagar, New Delhi 1990, p.256.

24. Goode W.J. & Hatt P.K.; Methods in Social Research, Mc. Graw Hill Book Co. New York, 1952, p.5
["Techniques are thought as comprising the specific procedures by which the sociologist gathers & orders his data prior to their logical or statistical manupulation"]

25. Bogardus E.S.; As Introduction to Social Research, Angles & Sutton House Publications, New Delhi 1968, p.45.

26. Goode W.J. & Hatt. P.K.; Methods in Social Research, Mc. Graw Hill, Book Co., New York, 1952, p.5.

27. *Kretch & Crutchfield; Theory and Problems of Social Psychology, Mc. Graw Hill Book Co. New York, 1948, p.152.

28. घोष एम.के. एण्ड चौधरी एस.पी.; स्टेटिस्टिक्स; थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उत्तर प्रदेश) १९९३, पृ.९४

29. सैक्रिस्ट एच.पी.; ऐन इन्ट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टीकल मैथड्स, लॉस एंगिल्स सट्टन हाउस (प्रा. लिमि.) न्यूयार्क १९६० पृ.१८

******

अध्याय 4

निदर्शितों की पृष्ठभूमि का परिदृश्य

"Food, Clothing, Shelter, Health and education are the basic needs of life. It is only after these have been provided to the people then we can open the path for their mental, spiritual, socio-economic, and the path of progress."

Uttar Pradesh Annual; Information & Public relations Department (U.P.) Lucknow, 1989, page-163.

सर्वश्री तिलारा के.एस. (१९९०:१३२) के अनुसार, मनुष्य एक चिन्तनशील तथा जिज्ञासु सामाजिक प्राणी है जिसका जीवन समाज में ही पनपता है और निकटवर्ती भौतिक परिवेश तथा पर्यावरण के मध्य अन्त:क्रियाएं करते हुए सामाजिक परिवेश में जीवनयापन करता है, जिसे सामाजिक पर्यावरण से कदापि पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार का ''ताना'' है जिसमें प्राणी रूपी ''बाना'' डालने के समाज के ''सजीव वस्त्र'' का निर्माण है।[1] सुस्पष्ट है कि मानव तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक पहलू हैं। *लवानिया (१९६७:२०३)* सम्पूर्ण रूप से यही ''सजीव वस्त्र'' मनुष्य मात्र के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि है जो वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण से निर्धारित होती है।[2] *सारस्वत (१९९६:१५७)* सामाजिक-साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समुदाय की सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है जिसमें कि वह सामाजिक प्राणी रह रहा होता है।[3] *सुप्रसिद्ध समाजविद् प्रो. रयूटर एण्ड हार्ट[4] (१९६०:३२०)* ने सामाजिक व्यवस्था के मध्य सामाजिक प्राणी के रहन-सहन की दशाओं व व्यवस्थापन के संदर्भ में लिखा है कि समाज में मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, साँस्कृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होती है जिसमें कि व्यक्ति रह रहा होता है या फिर रह चुका है। *सर्वश्री मिश्रा पी.के.[4] (१९९७:३७) के अनुसार-* ''चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसकी आकांक्षाएं तथा आवश्यकताएं अनन्त हैं, इन आकांक्षाओं व आवश्यकताओं के प्रति उसकी क्रियाशीलता, सफलता-असफलता, उसके सामाजिक-आर्थिक एवं

साँस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है।'' यह भी सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी की सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में इस प्रकार की पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही कारण है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की इकाईयों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को जानकर उनका गहन तथा सूक्ष्मतः अध्ययन किया जायें क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण कई कारकों से मिलकर होता है।[६] *प्रोफेसर अग्रवाल*" *(१९८१:३०)* ने लिखा है कि- ''मानव केवल एक जैविकीय प्राणी ही नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है; और इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी है उसी के कारण उसके व्यवहार, आचार-विचार, चिन्तन तथा जीवनशैली आदि प्रभावित होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी सार्थक रूप में करना चाहते हैं तो हमें उस समय तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसके सम्बन्ध में उसकी सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सम्पूर्ण परिदृश्य को न जान लिया जाय; जिसमें कि वह पला है, एवं वर्तमान समाज, समुदाय, परिवार तथा पर्यावरण जिसमें कि वह रहा है तथा वह वर्तमान में रह रहा है। सामान्यतः व्यक्ति पर पडने वाले प्रभावों को मूलतः निम्न दो रूपों में ग्रहण किया जाता है-

(१) वंशानुक्रमण

(२) पर्यावरण/संगति व साहचर्य

जहाँ व्यक्ति को शरीर रचना (आंख, नाक, नक्श, रंग, रूप आदि) वंशानुक्रमण से प्राप्त होते हैं, वहीं शिक्षा, संस्कार, जीवन मूल्य, व्यवसाय, व्यवहार, आदतें, लगाव आदि पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन कारकों में से किसी भी कारक को नहीं नकारता है।

अनुसंधित्सु भी उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह अनुभव करता है कि प्रस्तुत अध्ययन के लिए यह आवश्यक ही नहीं; अपितु अनिवार्य है कि निदर्शितों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन गहनता के साथ किया जाय। *सत्येन्द्र*" *(१९९२:४९)* के अनुसार ''विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में

सूचनादाताओं की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक दशाएं अहम होती हैं। *सिन्हा ए.के.पी.*[९] *(१९७४:४३)* ने भी इसी प्रसंग में लिखा है कि ग्रामीण वृद्ध जनों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए लिंग, धर्म, जाति, आयु, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरचना, आवास तथा आवासीय दशाएं, आदि का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ बिन्दु ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के अन्तर्गत आते हैं। आपने ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन करने के लिए इन सभी स्वतंत्र चरों का सहारा लिया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में अनुसंधित्सु ने भी अपने अनुसंधान कार्य ''अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' विभिन्न चरों यथा- धर्म, लिंग, जाति, आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, परिवार की संरचना (प्रकार), परिवार का स्वरूप तथा आवासीय दशाएं आदि के आधार पर किया है ताकि विभिन्न अनुसूचित जातियों, धर्मो, लिंग, विभिन्न आयु-अन्तरालों, पृष्ठभूमि, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तरों के सूचनादाताओं का अध्ययन करना सम्भव हो सके। निम्न तालिकाएं स्वतंत्र चरों के सापेक्ष न्यादर्शो के वितरण तथा निर्धारण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१ : निदर्श सूचनादाताओं धार्मिक संरचना का वितरण

क्रमांक	*धार्मिक संरचना*	*निदर्शित की संख्या*	*प्रतिशत*
१.	हिन्दू	२८७	९५.६७
२.	इस्लाम	११	०३.६७
३.	अन्य	०२	००.६६
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्शितों में से २८७(९५.६७ प्रतिशत) हिन्दू, ११(३.६७ प्रतिशत) इस्लाम (मुस्लिम) तथा शेष २(०.६६ प्रतिशत) अन्य धर्मो (बौद्ध तथा सिक्ख) चुने गए हैं। सुस्पष्ट है कि अध्ययन के लिए चुने गए निदर्शन में हिन्दू सूचनादाताओं की बहुलता है। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति

के आचार विचार, जीवनशैली, रहन-सहन, अपेक्षाएं तथा व्यक्ति की क्रियाएं उसके धार्मिक विश्वासों से प्रभावित होती हैं।

चूँकि भारतीय समाज पुरूष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक है। अतः महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। एवं सभी सामाजिक सन्दर्भो में पुरूषों की भूमिका निर्णायक रहती है और उसमें भी खासकर वृद्धजनों के प्रभाव की। ग्रामीण वृद्ध महिलाएं प्रायः उपेक्षित ही रहती हैं। इन तथ्यों की जानकारी हेतु शोधार्थिनी ने चयनित निदर्शितों में लिंग भेदानुसार वितरण जानने का प्रयास किया है। निम्न तालिका निदर्श सभी ३०० सूचनादाताओं की लेंगिक संरचना तथा उसके प्रतिशत वितरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.२ : निदर्श सूचनादाताओं की लैंगिक संरचना का वितरण

क्रमांक	लिंग भेद	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	पुरूष	१६५	५५.००
२.	महिला	१३५	४५.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चुने गए कुल ३०० निदर्श सूचनादाताओं में से १६५(५५.०० प्रतिशत) वृद्ध पुरूष तथा १३५(४५.०० प्रतिशत) निदर्शित वृद्ध महिलाएं चुनी गयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निदर्शन में वृद्ध पुरूषों की संख्या (प्रतिशत), महिलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

यह सत्य है कि सामाजिक प्रस्थिति; सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन एवं व्यक्ति के सोच तथा क्रियाओं में आयु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक भारतीय परिवेश तथा विशेषकर ग्रामीण परिवेश का प्रश्न है; वृद्धजनों या परिवार के कामकाजों में कर्ता/मुखियाओं की सहमति व आदेश के बिना परिवारों में कुछ भी नहीं होता; चाहे परिवार का मुखिया पुरूष हो अथवा महिला। उनकी सहमति न लेना या आदेश का पालन न करना; उनका अपमान समझा जाता है एवं वृद्धजन भी उसे अन्यथा लेते हैं। यही कारण

है कि अनुसंधित्सु ने वृद्धावस्था की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए निदर्श सूचनादाताओं की समस्याओं को उम्र (आयु वर्ग) के आधार पर जानने का प्रयास किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.३ : निदर्श सूचनादाताओं की आयु आयु संरचना का वितरण

क्रमांक	निदर्शितों की आयु वर्ग (वर्षों में)	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	६०-६५	१०७	३५.६७
२.	६५-७०	१२७	४२.३३
३.	७०-७५	४५	१३.३३
४.	७५-८०	१२	०४.००
५.	८० से ऊपर	०५	०१.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं में से १०७(३५.६७ प्रतिशत) निदर्शित ६० से ६५ वर्ष, १२७(४२.३३ प्रतिशत) निदर्शित ६५ से ७० वर्ष, ४९(१६.३३ प्रतिशत) निदर्शित ७० से ७५ वर्ष, १२(४.०० प्रतिशत) निदर्शित ७५ से ८० वर्ष तथा ५(१.६७ प्रतिशत) निदर्शित ८० वर्ष तथा ८० से भी अधिक उम्र के चुने गए हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निदर्शन में एक वृद्ध ९३ वर्ष आयु का भी चुना गया है। सुस्पष्ट है कि सर्वाधिक २८३(९४.३३ प्रतिशत) सूचनादाता ६० वर्ष से ७५ वर्ष तक की आयु वर्ग के मध्य की उम्र के चुने गए हैं। यहां पर यह जानकारी हासिल करना भी आवश्यक समझा गया है कि वृद्धजनों के लिंग भेद के सापेक्ष आयुवर्ग एवं उनकी आवृत्तियों के वितरण किस तरह का है अर्थात् किस उम्र-अन्तराल से कितने वृद्ध पुरूष तथा कितनी वृद्धाएं निदर्शन में चुने गयी हैं? पुरूष एवं महिलाओं का अधिकांशतः चयन ६५-७० वर्ष के मध्य आयु वर्ग से हुआ है। सभी ३०० निदर्शितों के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका निदर्शित पुरूष एवं महिलाओं की आवृत्तियों पर आयु के सापेक्ष प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४(४) : निदर्शित पुरूष तथा महिला सूचनादाताओं की आयु सापेक्ष आवृत्तियों का वितरण

क्रमांक	सूचनादाता	आयु वर्ग (वर्षो में) तथा निदर्शितों की संख्या एवं प्रतिशत					योग
१.	पुरूष	६०-६५ ८१(१९.६७)	६५-७० ७७(२५.६६)	७०-७५ २६(०६.६६)	७५-८० ००(0.00)	८० से ऊपर ०३(०१.००)	१६५ (५५.००)
२.	महिलाएं	६०-६५ ४८(१६.००)	६५-७० ५०(१६.६७)	७०-७५ २३(०७.६७)	७५-८० १२(०४.००)	८० से ऊपर ०२(००.६७)	१३५ (४५.००)
	समस्त योग प्रतिशतता	१७० (३५.६७)	१२७ (४२.३३)	४९ (१६.३३)	१२ (०४.००)	०५ (०१.६७)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अन्तर्गत दर्शाए गए क्षेत्रीय आंकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि-

(१) अध्ययन चयनित कुल १६५ वृद्ध पुरूषों में से ५९(१९.६७ प्रतिशत) निदर्शित ६० से ६५ वर्ष, ७७(२५.६६ प्रतिशत) निदर्शित ६५ से ७० वर्ष, २६(८.६६ प्रतिशत) निदर्शित ७० से ७५ वर्ष, तथा मात्र ३(१.०० प्रतिशत) निदर्शित ८० वर्ष तथा ८० से ऊपर की उम्र के चुने गए हैं। उल्लेखनीय है कि ७५ वर्ष से ८० वर्ष की आयु अन्तराल का एक भी वृद्ध निदर्शन में नहीं चुना गया है।

(२) अध्ययनार्थ चयनित कुल १३५ महिला निदर्शितों में ४८(१६.०० प्रतिशत) निदर्शित ६० से ६५ वर्ष, ५०(१६.६७ प्रतिशत) ६५ से ७० वर्ष, २३(७.६७ प्रतिशत) निदर्शित ७० से ७५ वर्ष, १२(४.०० प्रतिशत) निदर्शित ७५ से ८० वर्ष तथा मात्र २(०.६७ प्रतिशत) निदर्शित महिलाएं ८० वर्ष तथा इससे भी अधिक उम्र की चुनी गयी हैं।

अनुसंधित्सु ने यह भी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है कि वृद्ध निदर्शितों के निवास/अंचल क्या हैं? ग्रामीण, नगरीय या ग्रामीण-नगरीय। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकडों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है कि किस परिवेश तथा अंचल से कितने-कितने निदर्शित अध्ययनार्थ चुने गए हैं- निदर्शन में ग्रामीण अंचल से चुने गए निदर्शितों की बहुलता (८० प्रतिशत) लगभग पायी गयी है दृष्टव्य : तालिका नं. ४(५)

सूचनादाताओं की आयु संरचना

तालिका नं. ४.३

सूचनादाताओं के निवास की पृष्ठभूमियाँ

तालिका नं. ४.५

तालिका नं. ४.५ : निदर्श सूचनादाताओं के निवास/अंचल का विवरण

क्रमांक	सूचनादाताओं के निवास	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	ग्रामीण	२३९	७९.६७
२.	नगरीय	०७	०२.३३
३.	ग्रामीण-नगरीय	५४	१८.००
	समस्त योग	३००	९९.९९

उपरोक्त निर्दिष्ट तालिका के आँकडों के प्राथमिक विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्शितों में से आंचलिक दृष्टि से २३९(७९.६७ प्रतिशत) निदर्शित ग्रामीण, ५४(१८ प्रतिशत) निदर्शित ग्रामीण-नगरीय तथा मात्र ७(२.३३ प्रतिशत) निदर्शित नगरीय परिवेश के चुने गए हैं। सभी ३०० सूचनादाताओं से यह भी जानकारियां प्राप्त की गयी हैं कि क्या वे सेवानिवृत्त तो नहीं हैं अथवा सामान्य नागरिक हैं? निम्न तालिका ३०० सूचनादाताओं सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.६ : "क्या आप सेवा निवृत्त हैं?" सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	सम्बन्धित विवरण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	सेवानिवृत्त हो चुके हैं	१२	४.००
२.	सेवा में नहीं थे (सामान्य नागरिक)	२८८	९६.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रस्तुत तालिका के आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से १२(४.०० प्रतिशत) सूचनादाता सेवारत थे किन्तु वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुके हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, शेष २८८(९६ प्रतिशत) सूचनादाता सामान्य वृद्ध नागरिक हैं। स्पष्टत: निदर्शितों में पेंशनभोगियों की संख्या अत्यन्त न्यून है। प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से जाति संरचना का अध्ययन करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समझा गया है क्योंकि सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न जातियाँ वृद्धजनों के साथ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हुए

व्यवहार करती हैं। निम्न तालिका सभी निदर्श ३०० सूचनादाताओं की जातिगत स्थिति/संरचना पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.७ : निदर्श सूचनादाताओं की जातिगत स्थिति/संरचना का वितरण

क्रमांक	जातीय विवरण	निदर्शितों की संख्या	प्रतिशत
१.	कुम्हार	०२	००.६७
२.	चमार	०६	०२.००-
३.	जाटब	१३४	४४.६७
४.	धोबी/दिवाकर	१३	०४.३३
५.	धानुक	०८	०२.६७
६.	मल्लाह	११	०३.६७
७.	कहार	०६	०२.००
८.	हरिजन/बाल्मीकि	१५	०५.००
९.	अन्य	५	०१.६६
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्श सूचनादाताओं में से २(०.६७ प्रतिशत) कुम्हार, ६(२ प्रतिशत) चमार, १३४(४४.६७ प्रतिशत) जाटब, १३(४.३३ प्रतिशत) धोबी, ८(२.६७ प्रतिशत) धानुक, ११(३.६७ प्रतिशत) मल्लाह, ६(२ प्रतिशत) कहार, १५(३ प्रतिशत) हरिजन/बाल्मीकि तथा १८(६ प्रतिशत) अन्य (भिस्ती, जुलाहे, कसाई, कंजर, नट एक ईसाई तथा एक बौद्ध) भी चुने गए हैं।

चूँकि शिक्षा एक ऐसा कारक है जो एक जीवशास्त्रीय प्राणी (मानव) को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमि ही नहीं निभाती बल्कि अज्ञानता तथा अन्धविश्वासों को दूर करके व्यक्तित्व विकास कर एक जागरूक व संवेदनशील सामाजिक प्राणी बनाती है। इतना ही नहीं शिक्षा का प्रभाव एवं महत्व मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष (पहलू) पर भिन्न-भिन्न रूपों में अवलोकित एवं रेखांकित किया

जा सकता है। शिक्षा से पडने वाले प्रभावों के कारण एक शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षितों से सर्वथा पृथक दिखायी देता है। खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, कम रूढिवादी, चेतनशील, जागरूक, सोच की दृष्टि से सुलझा हुआ, चिन्तनशील, अच्छा स्वभाव इत्यादि यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों में सूझबूझ के साथ समस्याएं सुलझाने में सहायक अर्थात् मानव जीवन मृत्युपर्यन्त शिक्षा से ही निर्देशित तथा नियमित होता है। चूँकि मेरे शोध का विषय : ''अनुसूचित जातियों मे वृद्धजनों की समस्याएं'' से सम्बन्धित है, इसलिए अशिक्षित वृद्धजनों एवं शिक्षित वृद्धजनों की पृथक-पृथक समस्याएं जानने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि निदर्शित सभी ३०० सूचनादाताओं की शैक्षिक स्थितियों का भी अध्ययन किया जाय। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक जानकारियों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.८ : निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तरों का वितरण

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	सूचनादाताओं की संख्या		प्रतिशत
१.	अशिक्षित/निरक्षर	१९०		६३.३३
२.	साक्षर	३२		१०.६७
३.	शिक्षित :			
	प्रायमरी तक	४०	७८	१३.३३
	मिडिल तक	१९		०६.३३
	हाईस्कूल तक	११		०३.६७
	इण्टर तक	०६		०२.००
	इण्टर से ऊपर	०५		०१.६७
३.	अन्य	०७		०२.३३
	समस्त योग	३००		१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं में से-

(१) १९०(६३.३३ प्रतिशत) निदर्श सूचनादाता नितान्त अशिक्षित/निरक्षर पाए गए हैं।

(२) ३२(१०.६७ प्रतिशत) निदर्शित मात्र साक्षर पाए गए हैं जो सभी वृद्ध महिलाएं सूचनादाताएं हैं।

(३) ७(०२.३३ प्रतिशत) निदर्शित सिलाई कढाई, आई.टी.आई., कम्प्यूटर तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त पाए गए हैं।

(४) ७८(२६ प्रतिशत) निदर्शित शिक्षित पाए गए हैं जिनमें से ४०(१३.३३ प्रतिशत) सूचनादाता प्रायमरी तक शिक्षित, १९(६.३३ प्रतिशत) मिडिल तक शिक्षित, ११ (३.६७ प्रतिशत) हाईस्कूल तक शिक्षित, ६(२ प्रतिशत) निदर्शित इण्टरमीडिएट तक तथा शेष ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाता इण्टर से ऊपर अर्थात् ३(१ प्रतिशत) स्नातक तथा २(०.६७ प्रतिशत) स्नातकोत्तर तक शिक्षित पाए गए हैं।

सर्वेक्षित प्राथमिक आँकडों की समीक्षा तथा विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि-

(१) निदर्शन में ६३.३३ प्रतिशत सूचनादाता निरक्षर (अशिक्षित) हैं।

(२) निदर्शितों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षितों की संख्या ५(१.६७ प्रतिशत) है जो काफी कम है। ये सभी पुरूष निदर्शित सूचनादाता हैं।

(३) निदर्शितों में ७(२.३३ प्रतिशत) सूचनादाता तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त भी पाए गए हैं।

उपरोक्त समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि अध्ययन हेतु निदर्शन में अधिकांशतः अशिक्षित तथा अत्यन्त कम शिक्षित लोग चुने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों के अनुसार विवाह जहाँ हिन्दुओं में एक धार्मिक संस्कार है; वहीं इस्लाम धर्म में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। वह इसलिए कि विवाह नामक संस्था दम्पतियों को विभिन्न बन्धनों में बाँधकर सामाजिक जीवन को स्थायी, अधिक व्यापक, अधिक उत्तरदायी तथा परिवार के प्रति कर्तव्य बोध विकसित करके सक्रियता प्रदान करती है, व्यक्ति परिवार के प्रति क्या सोचता है, वह क्या करता है? आदि तथ्य बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि उसकी वैवाहिक स्थिति कैसी है- अविवाहित, विवाहित, अधिक सन्तानें, कम सन्तानें, सन्तान विहीन, विधुर, विधवा,

परित्यक्ता, तलाकशुदा? अध्ययनार्थ चयनित सभी ३०० निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.९: निदर्श सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	सूचनादाता की वैवाहिक स्थिति	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	अविवाहित	--	००.००
२.	विवाहित	२९४	९८.००
३.	विधुर	४	०१.३३
४.	विधवा	१	००.३३
५.	परित्यक्ता	१	००.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं में से २९४(९८ प्रतिशत) सूचनादाता विवाहित, ४(१.३३ प्रतिशत) सूचनादाता विधुर, १(०.३३ प्रतिशत) सूचनादाता विधवा तथा १(०.३३ प्रतिशत) सूचनादाता परित्यक्ता पाए गए हैं।

निःसन्देह, प्रत्येक सामाजिक प्राणी को अपना तथा अपने पाल्यों का जीवनयापन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पडता है। अर्थोपार्जन के लिए किए जाने वाले वे क्रियाकलाप जो अपेक्षाकृत अधिक नियमित होते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। इसी प्रसंग में ***प्रो. मैरिल१० (१९५६:१६५)*** ने भी लिखा है कि-

"In certain sense, the most fundamental basis of the family status is the occupational status of the husband and father; more than one other single factor; it determines the status of the family in the social structure directly; because of the symbolic significance of the occupation as a symbol of prestige; indirectly because as the principal source of the family income; it determines the standard of living of the family."

भारतीय समाज संरचना में सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के निर्धारण में व्यक्ति/परिवार का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यवसाय के चयन, व्यवसाय करने

आदि में व्यक्ति की सोच, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि उसकी प्रदत्त एवं अर्जित दोनों ही प्रकार की स्थितियों का योगदान रहता है। निम्न तालिका ३०० निदर्श सूचनादाताओं के परिवारों की व्यावसायिक संरचना पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१० : निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के परिवारों की व्यावसायिक संरचना

क्रमांक	परिवार में प्रमुख व्यवसाय का विवरण	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	कृषि व सहायक कार्य	२३५	७८.३४
२.	नौकरी/तृतीय क्षेत्र की सेवा	३०	१०.००
३.	दुकानदारी/उद्योग	०७	०२.३३
४.	अन्य (दस्तकारी, मजदूरी आदि)	२८	०९.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित क्षेत्रीय आंकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कुल ३०० निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं में से २३५(७८.३४ प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवारों में मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि, ३०(१०.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवारों में मुख्य व्यवसाय नौकरी, ७(२.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवारों में मुख्य व्यवसाय के रूप में उद्योग/दुकान तथा अन्य २८ (९.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवारों में मुख्य व्यवसाय के रूप में दस्तकारी कार्य तथा मजदूरी करके जीविकोपार्जन किया जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांशत: परिवारों में मुख्य व्यवसाय कृषि है। निम्न तालिका वृद्धजनों जो कि निदर्शन में चुने गए हैं; के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों/कार्यो पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.११ : निदर्शित वृद्धजनों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय/कार्य

क्रमांक	वृद्धजनों द्वारा किए जाने वाले कार्य/सहयोग	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	खेतीबाडी (कृषि) स्वयं करते हैं	६०	२०.००
२.	कृषि कार्यो में क्षमतानुसार सहयोग करते हैं	८५	२८.३४
३.	घरेलू (घर गृहस्थी) के कार्य स्वयं करती है	५२	१७.३३
४.	घरेलू कार्यो में क्षमतानुसार सहयोग करती हैं	९०	३०.००
५.	कुछ नहीं कर पाते (पातीं) क्योंकि वृद्ध हैं	१०	०३.३३
६.	पेंशन से गुजर बसर करते हैं	०३	०१.००
	समस्त योग	३००	१००.००

सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर

तालिका नं. ४.८

सूचनादाताओं के परिवारों की व्यावसायिक संरचना

तालिका नं. ४.१०

प्रस्तुत तालिका में निर्दिष्ट समस्त सूचनादाताओं से प्राप्त प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्शित वृद्धजनों में से ६०(२० प्रतिशत) निदर्शित खेती बाडी स्वयं करते हैं, ८५ (२८.३४ प्रतिशत) निदर्शित कृषि कार्यो में क्षमतानुसार सहयोग करते हैं, ५२(१७.३३ प्रतिशत) महिला निदर्शित अपने घरेलू कार्य स्वयं करती हैं ९०(३० प्रतिशत) महिला निदर्शित घरेलू कार्यों में परिजनों का सहयोग करती हैं; वहीं १०(३.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वे कुछ नहीं कर पाते (पातीं) हैं क्योंकि अधिक वृद्ध हैं अतः शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हैं एवं मात्र ३(१ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि वे उन्हें मिलने वाली पेंशन के सहारे गुजर बसर करते हैं।

अनुसंधित्सु ने निदर्शितों के परिवारों, उसकी संरचना, बच्चों की संख्या आदि का भी अध्ययन किया है क्योंकि परिवार, समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक तथा मौलिक इकाई होती है। इतना ही नहीं; व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त तक की व्यवस्था परिवार में ही होती है, अतः परिवार का गहन अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। ***प्रो. सर्वश्री मैकाइवर एण्ड पेज***[11] ***(१९५१:२४३) के शब्दों में*** ''परिवार, समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है।'' इसके आलोक में हम यह कह सकते हैं। कि परिवार के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यह शब्द (Family) लैटिन भाषा के ''फेमुलस'' शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ- ''सेवक'' या ''सेवा करने वाला'' से है। इस प्रकार एक परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जिसके सदस्य परस्पर सेवाभाव से अधिकार और कर्तव्य बोध के साथ एक दूसरे के सहयोगार्थ एक साथ निवास करते हैं। इस प्रकार तथा इस रूप में परिवार की संरचना कर्तव्य प्रधान है। इसी सन्दर्भ में सुप्रसिद्ध ***समाजशास्त्री जी.डी. मिचैल१२ (१९६८:८०)*** का कथन है कि-

"Although sociologists are concerned that the family is the basic unit of social organization; the term "family" it self remains one of the most loosely defined in their vocabulary. In large measure this arises from a curious reluctance on the part of sociologists, as distinct from anthropologists; to study the institution itself and perheps less surprising."

विद्वान समाजशास्त्री बर्गेस एण्ड लॉक[१३] (१९५३:८) के अनुसार ''एक परिवार विवाह, रक्त सम्बन्ध या गोद लेने के बन्धनों से सम्बद्ध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया करते हुए पति-पत्नी, माता-पिता, लडके-लड़कियाँ और भाई-बहिन के रूप में अपने-अपने सामाजिक कार्यो को करते रहते हैं एवं एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर उसकी रक्षा करते हैं।'' परिवार के सम्बन्ध में उल्लिखित उपरोक्त परिभाषा तथा अवधारणाओं से परिवार का महत्व तथा भूमिकाओं के संदर्भ में स्पष्ट है कि व्यक्तियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के निर्धारण में परिवार नामक संस्था की भूमिका अहम होती है।[१४] इतना ही नहीं; पारिवारिक स्वरूप हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि के निर्माण के साथ-साथ संस्कृति के स्रूप को भी निर्धारित करता है। इसलिए अनुसंधित्सु ने अपने इस वृद्धजनों की समस्याओं के अध्ययन में ''सूचनादाताओं के परिवारों के स्वरूप'' (संरचना) के सम्बन्ध में भी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है; जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१२ : निदर्शि सूचनादाताओं की पारिवारिक संरचना तथा परिवारों के स्वरूप

क्रमांक	परिवार का प्रकार	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	संयुक्त परिवार	१५३	५१.००
२.	एकाकी परिवार	१४७	४९.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रस्तुत निर्दिष्ट तालिका ४(१२) के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चुनी गई कुल ३०० निदर्श इकाइयों के परिवारों में से १५३(५१.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवार संयुक्त तथा १४७(४९.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवार एकाकी पाए गए हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्ष बतौर यह कहा जा सकता है कि भारतीय ग्रामीण अंचलों में आज भी संयुक्त परिवार; केन्द्रीय (एकाकी) परिवारों की तुलना में अधिक हैं, भले ही विभिन्न सामाजिक शक्तियों के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि प्रो. सक्सैना के आनुभविक अध्ययन से भी होती है।[१५]

''मनुष्य की तीन मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं में से ''आवास'' एक महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता है। आवास; व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक व साँस्कृतिक पक्षों से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसका प्रभाव व्यक्ति की वैचारिकी (सोच) उसके रहने-सहने की दशाओं को दर्शाता है।''[१६] शोधार्थिनी ने प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत सभी ३०० सूचनादाताओं के आवास एवं आवासीय दशाओं का भी सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है; जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१३ : निदर्श सूचनादाताओं के आवासों के स्वरूप/प्रकार

क्रमांक	आवास की स्वरूप/प्रकार	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	कच्चे	५८	१९.३३
२.	पक्के	९५	३१.६७
३.	कच्चे-पक्के (मिश्रित)	१४७	४९.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध अनुसूचित जातियों के सूचनादाताओं के परिवारों में से ५८(१९.३३ प्रतिशत) निदर्श सूचनादाता कच्चे आवासों, ९५(३१.६७ प्रतिशत) निदर्शित पक्के आवासों तथा १४७(४९.०० प्रतिशत) निदर्शित कच्चे-पक्के (मिश्रित) आवासों में निवास करते हैं। इन प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज भी अधिकांशतः ग्रामीण लोग कच्चे तथा कच्चे-पक्के (मिश्रित) आवासों में रहकर जीवनयापन करते हैं जो उनकी हीन आर्थिक दशाएं दर्शाते हैं जो कि दयनीय हैं तो निश्चय ही उनके रहन-सहन तथा ''पोषण स्तर'' भी निम्न स्तरीय ही होंगे। निम्न तालिका सूचनादाताओं के आर्थिक-सामाजिक स्तरों (स्वरूपों) पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है। सभी ३०० सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकडों से सुस्पष्ट होता है कि अधिकांशतः (६० प्रतिशत) निदर्शित वृद्ध निम्न स्तरीय सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले वृद्ध निदर्शित अत्यन्त कम (मात्र ११) पाए गए हैं जिनमें ९ व्यवसायी हैं तथा २ सेवानिवृत्त निदर्शितों के सामाजिक-आर्थिक स्तर दृष्टव्य-तालिका ४(१४)

तालिका नं. ४.१४ : निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर

क्रमांक	स्तर का स्वरूप/प्रकार	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	निम्न स्तरीय	१८०	६०.००
२.	मध्यम स्तरीय	१०९	३६.३३
३.	उच्च स्तरीय	११	०३.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

उपरोक्त तालिका नं. ४(१४) के आंकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से विदित होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्ध निदर्शितों में से १८०(६०.०० प्रतिशत) निदर्शितों के सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न, १०९(३६.३३ प्रतिशत) निदर्शितों के सामाजिक-आर्थिक स्तर मध्यम तथा मात्र ११(३.६७ प्रतिशत) निदर्शितों के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर उच्च पाए गए हैं। इन क्षेत्रीय (प्राथमिक) आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः (६० प्रतिशत) ग्रामीण वृद्धजनों के सामाजिक-आर्थिक स्तर (दशाएं) निम्न स्तरीय हैं जिसके कारण वे निम्न स्तर (कोटि) का जीवनयापन कर रहे हैं। शोधार्थिनी ने इसके साथ ही सभी ३०० अनुसूचित जातिय निदर्शितों के परिवारों में कुल ''पारिवारिक सदस्य संख्या'' जानने का भी प्रयास किया है। जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१५ : वृद्ध निदर्शितों के परिवारों में पारिवारिक सदस्य संख्या

क्रमांक	सदस्यों की संख्या	निदर्शितों के परिवार	प्रतिशत
१.	०-३	१०	०३.३३
२.	३-५	४१	१३.६७
३.	५-७	११५	३८.३३
४.	७-९	८०	२६.६६
५.	९-११	३१	१०.३३
६.	११-१३	१९	०६.३३
७.	१३ से अधिक	०४	०१.३३
	समस्त योग	३००	१००.००
(सांख्यकी से) औसत सदस्य संख्या/परिवार २१०३/३०० =७.०१ अर्थात् (७)			

सूचनादाताओं के आवासों के स्वरूप

तालिका नं. ४.१३

सूचनादाताओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर

तालिका नं. ४.१४

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं के परिवारों में से १०(३.३३ प्रतिशत) निदर्शितों के परिवारों में ३ से कम सदस्य, ४१ (१३.६७ प्रतिशत) निदर्शितों के परिवारों में ३-५ तक सदस्य, ११५(३८.३३ प्रतिशत) निदर्शितों के परिवारों में ५-७ तक सदस्य, ८०(२६.६६ प्रतिशत) परिवारों में ७-९ तक सदस्य, ३१(११.३३ प्रतिशत) निदर्शितों के परिवारों में ९-११ तक सदस्य, १९(६.३३ प्रतिशत) निदर्शितों में ११-१३ तक सदस्य तथा शेष ४ परिवारों में १३ तथा १३ से भी अधिक सदस्य अवलोकन में आए हैं। परन्तु सांख्यकी शास्त्र से औसत सदस्य/परिवार की गणना करने पर विदित हुआ है कि सर्वेक्षितों के परिवारों में औसतन ७.०१ अर्थात् ७ सदस्य पाए गए हैं जो वर्तमान कष्ट साध्य मंहगाई के वर्तमान युग में काफी अधिक हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में परिवारों में ठीक तरह से रहना तथा आहार; पौष्टिक व सन्तुलित मिलना तो दूर; दो जून की रोटियाँ भी सुलभ होना कठिन पड़ ता है। निम्न तालिका सभी ३०० अनुसूचित जातिय निदर्शितों के परिवारों में पाए गए बच्चों की संख्या तथा औसतन बालक प्रति परिवार पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१६ : निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के परिवारों में बच्चों की संख्या

क्रमांक	बच्चों की संख्या	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
१.	कोई बच्चा नहीं	०४	०१.३३
२.	१ बच्चा	०९	०३.००
३.	२ बच्चे	११	०३.६७
४.	३ बच्चे	४५	१५.००
५.	४ बच्चे	५२	१७.३३
६.	५ बच्चे	१००	३३.३४
७.	५ से अधिक बच्चे	७९	२६.३३
	समस्त योग	३००	१००.००
(सांख्यकी से) औसत बालक/परिवार १३४८/३०० = ४.४९ (लगभग ५)			

सर्वेक्षण से प्राप्त क्षेत्रीय तथ्यों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से विदित होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित सूचनादाताओं के परिवारों में से ४(१.३३ प्रतिशत) परिवार ऐसे पाए गए हैं जिन में एक भी बच्चा नहीं, ९(३ प्रतिशत) परिवारों में मात्र १ बच्चा, ११(३.६७ प्रतिशत) परिवारों में २ बच्चे तक, ४५(१५ प्रतिशत) परिवारों में ३ तक बच्चे, ५२(१७.३३ प्रतिशत) परिवारों में ४ तक बच्चे, १००(३३.३४ प्रतिशत) परिवारों में ५ तक बच्चे तथा ७९(२६.३३ प्रतिशत) परिवारों में ५ से भी अधिक बच्चे पाए गए हैं। लेकिन सांख्यकी शास्त्र से प्रति परिवार बच्चों की संख्या की गणना करने पर विदित हुआ है कि सर्वेक्षितों के परिवारों में औसतन बालक ५ पाए गए हैं। तालिका नं. ४(१६) तथा तालिका नं. ४(१७) पर सूक्ष्म दृष्टिपात करने पर विदित हुआ है कि प्रति निदर्शित पर औसतन ५ बच्चे हैं (दृष्टव्य : दोनों तालिकाओं के औसत)। निम्न तालिका वृद्ध सूचनादाताओं के रहन-सहन के स्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१७ : निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के रहन-सहन के स्तरों का वितरण

क्रम	सम्बन्धित विवरण	सूचनादाताओं की आवृत्तियाँरुप्रतिशत			योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	
१.	पृथक रसोई	९०(३०.००)	१५९(५३.००)	५१(१७.००)	३००(१००.००)
२.	पृथक स्नानगृह	०९(३.००)	२५८(८६.००)	३३(११.००)	३००(१००.००)
३.	शौचालय/मूत्रालय की उपलब्धता	--(००.००)	३००(१००.००)	--(००.००)	३००(१००.००)
४.	वायु प्रकाश का उचित प्रबन्ध	७५(२५.००)	२२५(७५.००)	--(००.००)	३००(१००.००)
५.	कूडा करकट तथ पशुओं के मैला फेंकने का प्रबन्ध	--(००.००)	३००(१००.००)	--(००.००)	३००(१००.००)

अध्ययनार्थ चयनित कुल निदर्शित ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं के परिवारों में सर्वेक्षण करते समय प्रत्यक्ष निरीक्षण से विदित हुआ है कि-

(१) १५९(५३ प्रतिशत) परिवारों में पृथक रसोई नहीं है तथा भोजन खुले में आकाश के नीचे या फिर छप्पर/आँगन में लकडी जलाकर धुंए में पकाया जाता है।

(२) २५८(८३ प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवारों में पृथक स्नानगृह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अतः जल्दी-जल्दी में स्नान करते हैं, तेल साबुन आदि उन्हें उपलब्ध नहीं होते। एक वृद्धा ने तो यहां तक कह डाला कि- 'बाबू जी साबुन तेल तो आप बडे लोगों के भागि में हैं, हमारे भागि में काएें हैं? हम तौ बैसेई नहाई लेतें।'

(३) शत प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवारों में मूत्रालय तथा शौचालयों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तथा वे खुले में शौच तथा मूत्र विसर्जन करते हैं अत: समीपवर्ती परिवेश तथा पर्यावरण प्रदूषित, दुर्गन्धयुक्त तथा गन्दगीपूर्ण रहता है।

(४) २५(७५ प्रतिशत) सूचनादाताओं के आवासों में वायु प्रकाश का उचित प्रबन्ध भी नहीं पाया गया है। वे तो वैसे ही पडे रहते हैं एवं गर्मियों में पेडों के नीचे।

(५) शत प्रतिशत ग्रामीण निदर्श सूचनादाताओं ने बताया है कि पशुओं के मैला, पेशाव तथा घरों के कूडे करकट फैंकने के लिए भी स्थानों विशेष की सुविधाएं नहीं हैं अत: घरों के निकट अथवा घरों में ही कूडा करकट, गन्दगी फैंकते हैं जिसे वे ''घूर'' कहते हैं। प्राय: घरों में ही घूर देखने को मिले हैं। इनसे घरों में दुर्गन्ध आती है जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से हानिप्रद है।

इन उपर्युक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के रहन-सहन के स्तर दयनीय तथा निम्न कोटि के हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वृद्ध सूचनादाताओं का जीवन-स्तर निम्न स्तरीय पाया गया है।

इसी तथ्य की पुष्टि करने के लिए शोधार्थिनी ने सर्वेक्षित कुल ३०० अनुसूचित वृद्धजनों के परिवारों की मासिक आय (रू. में) तथा उनके परिवारों के मासिक व्यय (रू. में) भी ज्ञात किए है जिस पर निम्न तालिकाएं नं. ४(१८) तथा ४(१९) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१८ : निदर्श वृद्धजनों के परिवारों की मासिक आय (रूपयों में)

क्रमांक	मासिक आय वर्ग (रू.में)	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	० - ५००	०४	०१.३३
२.	५०० - १०००	०९	०३.००
३.	१००० - १५००	११	०३.६७
४.	१५०० - २०००	४५	१५.००
५.	२००० - २५००	५२	१७.३३
६.	२५०० - ३०००	१००	३३.३४
७.	३००० से अधिक	७९	२६.३३
	समस्त योग	३००	१००.००
औसतन मासिक आय/परिवार १५०५.३३ रू.			

प्रस्तुत तालिका के आँकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों के परिवारों में से १८०(६०.०० प्रतिशत) वृद्धजनों के परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनकी मासिक आय ० से १५०० रू.; १०९(३६.३३ प्रतिशत) परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनकी मासिक आय १५०० रू. से से ३००० रू. के मध्य और मात्र ११(३.६७ प्रतिशत) वृद्धजनों के परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनकी मासिक आय ३००० रूपये तथा ३००० रू. मासिक से अधिक पायी गयी है। अनुसंधित्सु ने सांख्यकीशास्त्र से सर्वेक्षित वृद्धजनों के परिवारों की मासिक आय का मध्यमान भी ज्ञात किया है जो १५०९.३३ रूपये पाया गया है; जबकि औसतन प्रति परिवार सदस्य संख्या ७ पायी गयी है। दृष्टव्य: तालिका नं. ४(१५) इस प्रकार सुस्पश्ट है कि प्रति सर्वेक्षित वृद्धजनों के परिवार में प्रति व्यक्ति आय २१५.४७ रू. (मासिक) है। अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षित परिवारों के मासिक व्यय (रूपये में) ज्ञात करने के प्रयास किए हैं। निम्न तालिका सर्वेक्षित कुल ३०० अनुसूचित वृद्धजनों के परिवारों की संख्या तथा परिवार के मासिक व्यय (रू. में) पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.१९ : वृद्धजनों के सर्वेक्षित परिवारों के मासिक व्यय (रूपयों में)

क्रमांक	मासिक व्यय (रू.में)	परिवारों की आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	० - ५००	०७	०२.३३
२.	५०० - १०००	७५	२५.००
३.	१००० - १५००	९०	३०.००
४.	१५०० - २०००	४०	१३.३३
५.	२००० - २५००	५०	१६.६७
६.	२५०० - ३०००	२७	०९.००
७.	३००० से अधिक	११	०३.६७
	समस्त योग	३००	१००.००
औसतन मासिक व्यय/परिवार १५४३.३३ रू.			

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट है कि ८२(२७.३३ प्रतिशत) परिवार ऐसे हैं जिनका मासिक व्यय १००० रू. से कम, १८०(६०

प्रतिशत) परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनका मासिक व्यय १००० रू. से २५०० रू. मासिक के मध्य है तथा ३८(१२.६७ प्रतिशत) परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनका मासिक व्यय २५०० रू. से ३००० रू. तथा इससे भी अधिक हैं। अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षित परिवारों के मासिक व्ययों की गणना सांख्यकीशास्त्र से भी की है जो प्रति परिवार १५४३.३३ रूपये पायी गयी है। जबकि प्रति परिवार औसतन सदस्य संख्या ७ पायी गयी है दृष्टव्य: तालिका नं. ४(१९) इन तथ्यों से सुस्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति मासिक व्यय २२०.४८ रू. पाया गया है। इन तथ्यों (प्रति व्यक्ति मासिक आय तथा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय) रूपयों में जानने के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि वृद्धजनों के परिवारों की आय से उनके परिवारों के व्यय तुलनात्मक अधिक है। भला ऐसी दशा में वृद्धजनों के अच्छे रहन-सहन, पौष्टिक तथा सन्तुलित भोजन/आहार मिलने की बात सोचना कितनी हास्यास्पद प्रतीत होती है।

निम्न तालिका परिवार तथा परिवारीजनों से सभी ३०० अनुसूचित वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं के सन्तुष्ट व असन्तुष्ट होने की दशाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.२० : परिवार तथा परिजनों से वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं के सन्तुष्ट/असन्तुष्ट होने की दशाएं

क्रमांक	सन्तुष्ट-असन्तुष्ट विवरण	वृद्धजनों की संख्या	प्रतिशत
१.	सन्तुष्ट	१०	०३.३३
२.	उदासीन	७७	२५.६७
३.	असन्तुष्ट	२१३	७१.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसांगधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्शितों में से अपने परिवार व परिजनों से मात्र १०(३.३३ प्रतिशत) निदर्शित सन्तुष्ट पाए गए हैं जबकि ७७(२५.६७ प्रतिशत) निदर्शित उदासीन तथा २१३(७१.०० प्रतिशत) सर्वाधिक निदर्शित असन्तुष्ट पाए हैं। यह प्रश्न किए जाने पर कि वे क्यों उदासीन तथा असन्तुष्ट हैं? तो प्रत्युत्तर मिला- ''विभिन्न समस्याएं उनके समक्ष मुँहबाए खडी हैं।'' लिकर्ट मनोवृत्ति मापक के आधार पर सीमा विस्तारों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.२१ : परिवार तथा परिजनों से वृद्ध निदर्शितों के सन्तुष्ट तथा असन्तुष्ट सम्बन्धी सीमा-विस्तार - ''लिकर्ट मनोवृत्ति मापक के अनुसार''

क्रमांक	सीमा विस्तार	वृद्धजनों की संख्या		प्रतिशत
१.	पूर्णतः सन्तुष्ट	०८	१०	०२.६७
२.	कम सन्तुष्ट	०२		००.६६
३.	उदासीन/तटस्थ	७७		२५.६७
४.	कम असन्तुष्ट	१५८	२१३	५२.६७
५.	पूर्णतः असन्तुष्ट	५५		१८.३३
	समस्त योग	३००		१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं में से-

(१) कुल १० वृद्ध सन्तुष्ट निदर्शितों में से ८(२.६७ प्रतिशत) पूर्णतः सन्तुष्ट तथा २(०.६६ प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम सन्तुष्ट पाए गए हैं।

(२) कुल २१३ वृद्ध असन्तुष्ट निदर्शितों में से १५८(५२.६७ प्रतिशत) निदर्शित कम असन्तुष्ट तथा ५५(१८.३३ प्रतिशत) निदर्शित पूर्णतः असन्तुष्ट पाए गए हैं। असन्तुष्ट होने सम्बन्धी कारणों पर यथोचित स्थानों पर आगामी अध्यायों में प्रकाश डाला जायेगा। निम्न तालिका सभी ३०० अनुसूचित निदर्श सूचनादाताओं की पृष्ठभूमि के परिदृश्य पर एक विहंगम दृष्टि में प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ४.२२ : निदर्श सूचनादाताओं की पृष्ठभूमि एक विहंगम दृष्ट में

क्रमांक	पृष्ठभूमि का सन्दर्भ-विवरण	निदर्श सूचनादाता	आवत्तियाँ	प्रतिशत
१.	धार्मिक संरचना	हिन्दू	२८७	(९५.६७)
		इस्लाम (मुस्लिम)	११	(०३.६७)
		अन्य	०२	(००.६६)
२.	लैंगिक संरचना	पुरूष	१६५	(५५.००)
		महिलाएं	१३५	(४५.००)
३.	आयु संरचना (वर्षों में)	६०-६५	१०७	(३५.६७)
		६५-७०	१२७	(४२.३३)
		७०-७५	४९	(१६.३३)
		७५-८०	१२	(०४.००)
		८० वर्ष से ऊपर	०५	(०१.६७)

क्रमांक	पृष्ठभूमि का सन्दर्भ-विवरण	निदर्श सूचनादाता	आवत्तियाँ	प्रतिशत
४.	निवास/अंचल (परिवेश)	ग्रामीण	२३९	(७९.६७)
		नगरीय	०७	(०२.३३)
		ग्रामीण-नगरीय	५४	(१८.००)
५.	जातिय संरचना	सवर्ण जाति	--	(००.००)
		पिछडी जाति	--	(००.००)
		अनुसूचित जाति	३००	(१००.००)
६.	शैक्षिक स्तर (संरचना)	अशिक्षित/निरक्षर	१९०	(६३.३३)
		साक्षर	३२	(१०.६७)
		शिक्षित	७८	(२६.००)
		अन्य	०७	(०२.३३)
७.	वैवाहिक स्थिति	अविवाहित	--	(००.००)
		विवाहित	२९४	(९८.००)
		विधुर	०४	(०१.३३)
		विधवा	०१	(००.३३)
		परित्यक्ता	०१	(००.३३)
८.	परिवार की व्यावसाथिक संरचना	कृषि	२३५	(७८.३४)
		नौकरी/सेवा	३०	(१०.००)
		दुकानदारी/उद्योग	०७	(०२.३३)
		अन्य (मजदूरी, दस्तकारी)	२८	(०९.३३)
९.	पारिवारिक संरचना/प्रकार	संयुक्त परिवार	१५३	(५१.००)
		एकाकी परिवार	१४७	(४९.००)
१०.	आवासों के स्वयप/संरचना	कच्चे	५८	(१९.३३)
		पक्के	९५	(३१.६७)
		कच्चे-पक्के (मिश्रित)	१४७	(४९.००)
११.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	निम्न स्तर	१८०	(६०.००)
		मध्यम स्तर	१०९	(३६.३३)
		उच्च स्तर	११	(०३.६७)
१२.	परिवारों में औसतन सदस्य संख्या	औसतन/परिवार	७.१	--
१३.	परिवारों में बच्चों की औसत संख्या	औसतन बच्चे/परिवार	८.४८(५)	--
१४.	परिवार की आय (मासिक) रूपयों में	औसतन मासिक आय	१५०५.३३ /.	--
१५.	परिवार का मासिक व्यय रूपयों में	औसतन मासिक व्यय	१५४३.३३ रु.	--
१६.	परिजनों से सन्तुष्टि-असन्तुष्टि स्तर	सन्तुष्ट	१०	(०३.३३)
		उदासीन	७७	(२५.६७)
		असन्तुष्ट	२१३	(७१.००)
१७.	लिकर्ट पैमाने के अनुसार सन्तुष्टि-असन्तुष्टि स्तर	पूर्णत: सन्तुष्ट	०८	(०२.६७)
		कम सन्तुष्ट	०२	(००.६७)
		उदासीन	७७	(२५.६७)
		कम असन्तुष्ट	१५८	(५२.६६)
		पूर्णत: असन्तुष्ट	५५	(१८.३३)

******

सन्दर्भ-सूची

१. तिलारा के.एस.; व्यवहारिक समाजशास्त्र : समस्याएं एवं सामाजिक विधान, प्रकाशन केन्द्र लखनऊ (उ.प्र.) १९९० पृ. सं. १३२

२. लवानियां एस.एम.; भारतीय सामाजिक समस्याएं, कृष्णा बुक स्टोर प्रकाशन शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) १९६७ पृ. सं.२०३

३. सारस्वत रमेश पी.; भारतीय सामाजिक व्यवस्था; भदौरिया पब्लिकेसन्स एण्ड बुक सेन्टर (प्रा.लि.) इटावा (उ.प्र.), १९९३ पृ. सं. १५७

४. रयूटर एम.आर. एण्ड हर्ट पी.आर.; ऐन इन्ट्रोडक्शन टू सोसियोलॉजी, मैक ग्रो हिल बुक कम्पनी कोगाकुशा, न्यूयार्क, १९६० पृ. सं. ३२०

५. मिश्रा पी.के.; मानव समाज की रूपरेखा, विकास पब्लिकेसन्स, जवाहर नगर, नई दिल्ली, १९९७ पृ. सं.३७

६. श्रीवास्तव हर प्रकाश; श्रमिकों में सामाजिक-ब्यावसायिक गतिशीलता के विविध आयाम, स्टरलिंग प्रकाशन (प्रा.लि.) नई दिल्ली, १९९०-९१ पृष्ठ १३

७. अग्रवाल भरत; भारतीय समाज : अतीत से वर्तमान तक, मनमोहन दास पुस्तक मन्दिर (प्रा.लि.) भरतपुर (राजस्थान), संशोधित संस्करण, १९८१ पृष्ठ १०३

८. सत्येन्द्र के. एण्ड भटनागर पी.के. ; रिसर्च डिजायन इन सोसल साइन्सेज : सोसल कण्डिसन्स एण्ड प्रॉबलम्स ; जगन्नाथ पब्लिसर्स (प्रा. लि.) दरभंगा (बिहार) द्वितीय संस्करण, १९९२ पृ.८९

९. सिन्हा ए.के.; ए स्टडी आफ द रूरल कल्चर, इण्डियन जर्नल आफ रूरल सोसियोलॉजी, वाल्यूम-२९ अंक-४३, दिसम्बर १९७४ पृ.४३

१०. मैरिल ई.एल.; इकोनोमिक फाउन्डेशन, मैक मिलन एण्ड कम्पनी (प्रा.लि.), कोगाकुशा न्यूयार्क, १९५६, पृ. १६५

११. मैकाइवर आर.एम.; सोसाइटी, मैक मिलन एण्ड कम्पनी, (प्रा.लि.) न्यूयार्क १९५१, पृ.२४३

१२. मिचैल जी.डी; ए न्यू डिक्शनरी ऑफ सोसियोलॉजी, रूटलैज एण्ड कीगन पॉल, लन्दन (प्रा.लि.) १९६८ पृ. ८०

१३. बर्गेस ई.डब्ल्यू; दि फेमिली, अमेरिकन बुक कम्पनी, न्यूयार्क, १९५३, पृ.२१८

१४. बर्गेस ई.डब्ल्यू एण्ड लॉक ई.बी.; दि फेमिली एण्ड इट्स जैनेसिस, रूटलैज एण्ड कीगन पॉल, लन्दन (प्रा.लि.) १९५३ पृ.१०७

१५. सक्सैना आर.एन. ; प्रॉबलम्स आफ ऐजिंग, पब्लिश्ड पी-एच.डी. थीसिस, रिसर्च पब्लिकेसन्स राज. जयपुर (राजस्थान), वर्ष २०००, पृष्ठ ८१

१६. दाभाडे पूनम के.; वृद्ध महिलाएं एवं पारिवारिक समस्याएं- प्रकाशित शोध-पत्र नॉर्थ महाराष्ट्रा यूनिवर्सिटी, जलगाँव द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी; २१, २२ एवं २३ दिसम्बर २०००, पृष्ठ ३

❊❊❊❊❊❊

अध्याय 5

वृद्धावस्था की विविध समस्याएं

प्रायः वृद्धावस्था को जटिल एवं समस्याग्रस्त अवस्था माना जाना है; क्यों कि वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं एक साथ मनुष्य को घेर लेती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित करने में अपने आपको असफल पाता है। ***स्वामीनाथन डी.***[1] ***(१९९६:२०)*** ने वृद्धावस्था की बहुमुखी समस्याओं के सम्बन्ध में लिखा है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है, वह व्यक्ति जो जीवित रहता है अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड लेती हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के साथ-साथ व्यक्ति को परिवार एवं सामुदायिक समायोजन, एकाकीपन एवं अलगाव, खाली समय का रचनात्मक (सृजनात्मक) उपयोग न हो पाना तथा स्वयं एवं आश्रितों के पोषण हेतु अपर्याप्त आय आदि अनेकानेक समस्याएं उसे घेरे रहती हैं। ***एन.एस.एस.ओ.***[2] ***(१९८९)*** के अनुसार वृद्धावस्था की विभिन्न समस्याएं : सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी, पर्यावरणीय, नवीन व प्राचीन विचारधाराओं में कुसामंजस्य, समय व्यतीत करने एवं मनोरंजन सम्बन्धी समस्याओं के अतिरिक्त वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव में कमी; परिवार के सदस्यों के साथ अन्तःक्रियाएं करने, पारिवारिक गतिविधियों से लगाव किन्तु उनकी उपेक्षा किया जाना, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना आदि समस्याएं भी हैं। ***पचौरी जे.पी.***[3] ***(१९९२:२०)*** के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या समाज के साथ उनके सही समायोजन न कर पाने की है। अधिकांशतः वृद्ध स्वास्थ्य गिरने, नौकरी से हट जाने और आमदनी में कमी आने आदि के कारण काफी मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं जिसके कारण उनमें निराशा, कुण्ठा, नकारात्मक व्यवहार तथा उत्तेजना आदि की भावनाएं पनप जाती हैं जो समाज तथा

परिवार से उचित समायोजन करने में बाधक होती हैं। ***क्रिस्टोफर ए.जे.[४] (१९९२:३६)*** ने अपने वृद्धों सम्बन्धी आनुभविक अध्ययन के आधार पर लिखा है कि (१) वृद्धावस्था मानव जीवन की एक गम्भीर, जटिल तथा सार्वभौमिक समस्या है (२) आधुनिक तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान दौर में परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवार, अनाथों, विधवाओं, विधुरों तथा वृद्धों की सहायता एवं सुरक्षा देने का कार्य पूर्व की भाँति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज वृद्धों और परिजनों के बीच सफल समायोजन नहीं हो पा रहा है; और वृद्धों का जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है। ***प्रो. रानी वन्दना[५] (१९९९:७०)*** ने अपने आनुभविक अध्ययन के आधार पर निष्कर्षत: लिखा है कि वर्तमान सन्दर्भो में परिवार की सत्ता एवं प्रभाव वृद्धों के हाथ से छिनकर परिवार के अन्य सदस्यों विशेषकर युवाओं के हाथों में हस्तान्तरित हो रहा है। वृद्धों की स्थिति आज ''आश्रित'' की हो गयी है। ***चौधरी डी. पार्ल[६] (१९९७-२०३)*** ने वृद्धावस्था की समस्याएं नामक ६० वृद्धाओं के सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि- वृद्धावस्था में अनेक समस्याएं मनुष्य को एक साथ घेर लेती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित करने में अपने आपको असफल पाता है। इस अवस्था की प्रमुख समस्याओं के अन्तर्गत: समय व्यतीत करने की समस्या, आवास की समस्या, पूँजी व सम्पत्ति की देखभाल की समस्या, नई अर्थव्यवसथा, सामाजिक-आर्थिक समस्याएं, शारीरिक तथा स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक सामंजस्य की समस्या, सत्ता एवं प्रभाव की समस्या आदि प्रमुख हैं। ***असरानी[७] (फैक्ट्स अबाउट दि एज्ड : १९९८:४७)*** के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ४५.८ प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में ४४.१ प्रतिशत वृद्ध गम्भीर बीमारियों के शिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में ५.३४ प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में ५.५६ प्रतिशत वृद्ध शारीरिक रूप से अक्षम, ग्रामीण क्षेत्रों में ७.१८ प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में ५.१४ प्रतिशत वृद्ध अकेले रह रहे हैं तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र वृद्ध क्रमश: २४.१ प्रतिशत तथा २८.१४ प्रतिशत पाए गए हैं। गहन पूछताछ के दौरान पाया कि १० प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार- (१) उनकी सत्ता एवं प्रभाव में अन्तर आया है (२) उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिजनों का मुंह ताकना पडता है (३) वे स्वयं उपेक्षित अनुभव करते हैं (४) पारिवारिक

गतिविधियों से (७३.६ प्रतिशत) वृद्ध पूर्ववत् लगाव रखते हैं जबकि २६.४ प्रतिशत वृद्ध लगाव पूर्व की भाँति नहीं रखते हैं। इन उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि वृद्धावस्था की विभिन्न समस्याएं हैं। अनुसंधित्सु ने भी अन्य विद्वानों की भाँति वृद्धजनों की समस्याओं को गहनता तथा गम्भीरता से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस अध्याय के अन्तर्गत वृद्धावस्था की समस्याओं को ''प्राथमिक तथ्य संकलन'' प्रणाली से विश्लेषित करके तथ्यपरक वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूर्व विद्वानों एवं विषयवेत्ताओं द्वारा वृद्धावस्था की समस्याओं को सामान्यत: सामाजिक, आर्थिक, मनो-सामाजिक, शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी, पर्यावरणीय, समय व्यतीत करने एवं मनोरंजन सम्बन्धी, सम्पत्ति व पूंजी के उचित रख रखाव तथा परिजनों के साथ समायोजन (सामंजस्य) न करने सम्बन्धी बताया गया है।

अनुसंधित्सु ने समग्र से चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातियों के निदर्शितों से प्राथमिक तथ्य संकलित करके वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन निम्न सन्दर्भो में निम्न विन्दुओं के अनुसार करने का प्रयास किया है-

(क) पारिवारिक-सामाजिक समस्याएं:
- एकाकीपन अनुभव करना
- अलगाव अनुभव करना
- अपने बच्चों से ही अपनत्व की कमी अनुभव करना
- परिवार के सदस्यों द्वारा उनके उपेक्षा एवं अनदेखी करना
- अपने ही बच्चों द्वारा सम्मान न मिलना
- सामाजिक गतिविधियों से अलगाव
- सामाजिक दूरी अनुभव करना
- सत्ता एवं प्रभाव में कमी अनुभव करना

(ख) आर्थिक समस्याएं
(ग) मानसिक समस्याएं
(घ) शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं
(ङ) पर्यावरणीय समस्याएं
(च) समय व्यतीत करने एवं मनोरंजन की समस्या
(छ) आवासीय अभाव तथा उपेक्षित अनुभव करना आदि।

समय परिवर्तन तथा समय की रफ्तार के साथ समाज में नए-नए परिवर्तन तथा बदलाव होने लगते हैं। नई पीढी के लोग पुरानी विचारधारा के व्यक्तियों को या तो पसन्द ही नहीं

करते या फिर कम पसन्द करते हैं। अतः बुजुर्ग लोग जब रहन-सहन व अन्य बातों में बिना पूछे दखल देते हैं तो कम आयु के व्यक्ति तथा विशेषकर युवा वर्ग वृद्धजनों की उपेक्षा, अनदेखी एवं अनसुनी करते हैं; और इस उपेक्षा को वृद्ध व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है; वह अपने आप को अपमानित समझता है; जिसके परिणामस्वरूप वृद्धजन एवं युवावर्ग में मानसिक तौर पर शीत संघर्ष चलता रहता है जो पारिवारिक तनाव जनित करता है। वास्तविकता यह है कि वृद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवर्तन से खुश नहीं होते हैं, और न ही परिवर्तन उन्हें रास (पसन्द) आता है। अतएव ऐसी परिवर्तनशील परिस्थितियों में सामाजिक व पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने में या तो उन्हें समस्याएं आती हैं; या फिर वे परिजनों व समाज के लोगों के साथ सामंजस्य करने में असमर्थ रहते हैं। अनुसंधित्सु ने सर्वप्रथम समस्त ३०० निदर्श सूचनादाताओं में से प्रत्येक सूचनादाता से एक ही प्रश्न किया कि- "क्या आप वृद्ध हो जाने पर समस्याएं अनुभव करते हैं?" सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.१ : "क्या आप वृद्ध हो जाने पर समस्याएं अनुभव करते (करती) हैं?"

सूचनादाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर

क्रमांक	*सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर*	*आवृत्तियाँ*	*प्रतिशत*
१.	"हाँ" (सकारात्मक)	३००	१००.००
२.	"नहीं" (नकारात्मक)	--	००.००
३.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में निर्दिष्ट प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्शितों में से ३००(१०० प्रतिशत) अर्थात् शतप्रतिशत निदर्शितों ने यह स्वीकार किया है कि वृद्ध हो जाने पर वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं अनुभव करते हैं। अनुत्तरित तथा नकारात्मक प्रत्युत्तर प्रदान करने वाला कोई सूचनादाता नहीं पाया गया है। निम्न तालिका सभी ३०० निदर्शितों के लिंग भेदानुसार प्रत्युत्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.२ : लिंग भेदानुसार समस्याएं अनुभव करने सम्बन्धी प्रत्युत्तर-सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर	पुरूष	महिलाएं	योग	प्रतिशत
१.	"हाँ"	१६५ (५५.००)	१३५ (४५.००)	३०० (१००.००)	१००.००
२.	"नहीं"	--	--	--	००.००
३.	अनुत्तरित रहे/रहीं	--	--	--	००.००
	समस्त योग	१६५	१३५	३००	१००.००

निम्न तालिका सामाजिक समस्याओं के अनुभव करने के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण से प्राप्त ३०० सूचनादाताओं के अभिमतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.३ : सामाजिक समस्याएं अनुभवक रने के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में निदर्शितों के अभिमत/विचार

क्रम	सामाजिक समस्याएं (अनुभूति करना)	सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ/प्रतिशत				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	एकाकीपन अनुभव करना	१८० (६०.००)	२५ (०६.३३)	९५ (३१.६७)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	अलगाव अनुभव करना	२०७ (६९.००)	-- (००.००)	९० (३०.००)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)
३.	अपनत्व की कमी की अनुभूति करना	२४८ (८२.६७)	२० (०६.६७)	३२ (१०.६६)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
४.	परिजनों द्वारा अनदेखी करना	२७० (९०.००)	०६ (०२.००)	२४ (०८.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
५.	परिजनों द्वारा उचित सम्मान न दिया जाना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
६.	सामाजिक गतिविधियों से पृथकता की अनुभूति करना	१८३ (६१.००)	३६ (१२.००)	७९ (२६.३३)	०२ (००.६७)	३०० (१००.००)
७.	सामाजिक दूरी अनुभव करना	२२५ (७५.००)	१० (०३.३३)	६५ (२१.६७)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
८.	सत्ता एवं प्रभाव में कमी आ जाना की अनुभूति करना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
९.	परिजनों के साथ अन्त:क्रियाओं में कमी की अनुभूति करना	२४९ (८३.००)	११ (०३.६७)	३७ (१२.३३)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)
१०.	पारिवारिक गतिविधियों के साथ लगाव पूर्ववत् न होना	२५ (८५.००)	-- (००.००)	४५ (१५.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए अनुसूचित जातियों के कुल ३०० वृद्धजनों में से १८०(६० प्रतिशत) वृद्धों ने यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि इसअवस्था में एकाकीपन अनुभव करते हैं, २०७(६९ प्रतिशत) वृद्धों ने यह स्वीकार किया है कि वे अलगाव अनुभव करते हैं, २४८(८२.६७ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया है कि वे अपनत्व की भावना की कमी की अनुभूति करते हैं, २७०(९० प्रतिशत) वृद्धों ने यह बताया कि उन्हीं के परिवारीजनों द्वारा उनकी अनदेखी/उपेक्षा की जाती है अत: अब वे स्वयं दुखी होते हैं तथा उपेक्षित अनुभव करते हैं; शतप्रतिशत वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं ने नि:संकोच बताया कि उन्हें अपने ही परिवारीजनों द्वारा उचित सम्मान (आदर) नहीं दिया जाता तो बाहर वाले क्यों देने लगे, १८३(६१ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि वे सामाजिक गतिविधियों से पृथकता की अनुभूति करते हैं, २२५(७५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वे परिजनों से तथा परिजन उनसे सामाजिक दूरी का अनुभव करते हैं जबकि शतप्रतिशत सूचनादाताओं ने सत्ता तथा परिवार व परिजनों पर प्रभाव में कमी होना स्वीकार किया है; तथा बताया कि परिवार की सत्ता युवाओं के हाथों में या फिर महिलाओं के हाथों में हस्तान्तरित हुई हैं; २४९(८३ प्रतिशत) निदर्शितों ने बताया है कि परिजनों के साथ अन्त:क्रियाओं में कमी आयी है जबकि २५५(८५ प्रतिशत) निदर्शितों का कहना है कि; अपने उनका परिवार व परिवारीजनों के प्रति लगाव पूर्ववत् है। इन प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में निम्न निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं-

(१) वृद्धजन अपने परिजनों से ही एकाकीपन तथा अलगाव की अनुभूति करते हैं।
(२) परिजनों के साथ अन्त:क्रियाओं में कमी हुई है जिससे अपनत्व कम हुआ है।
(३) परिवार की सत्ता युवाओं के हाथ पहुंच जाने के कारण उनके प्रभुत्व में कमी आयी है तथा उनकी स्थिति कर्ता (मुखिया) के बजाय आश्रित की हो गयी है जिससे उनमें हीनता की भावनाएं पनपी हैं।

अनुसंधित्सु ने पुन: अनुसूचित जातियों के समस्त ३०० वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं से एक अन्य प्रश्न किया कि- ''क्या आप आर्थिक समस्याएं भी अनुभव करते हैं?'' सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों सम्बन्धी प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.४ : ''क्या आप आर्थिक समस्याएं भी अनुभव करते हैं?''
प्रश्न का प्रत्युत्तर निदर्शितों के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	क्या आप आर्थिक समस्या अनुभव करते हैं?	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ''	२८८	९६.००
२.	''नहीं''	११	०३.६७
३.	उदासीन प्रत्युत्तर	०१	००.३३
४.	अनुत्तरित रहे	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से २८८(९६ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह प्रथम दृष्टया स्वीकार किया है कि वे वृद्धावस्था में अर्थाभाव अनुभव करते हैं, ११ (३.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर प्रदान किया तथा मात्र १(०.३३ प्रतिशत) सूचनादाता ने उदासीन प्रत्युत्तर प्रदान किया। इन समस्त प्राथमिक (फर्स्ट हेण्ड) तथ्यों के आलोक में निष्कर्षतः व्यक्ति अर्थाभाव अनुभव करते हैं।

(१) वृद्धावस्था में अनुसूचित जातियों के अधिकांशतः व्यक्ति अर्थाभाव अनुभव करते हैं।

(२) सेवानिवृत्त वृद्धजन अर्थाभाव (अपेक्षाकृत) कम अनुभव करते हैं क्यों कि उन्हें अपनी गुजर बसर के लिए पेंशन मिल जाती है; ऐसी स्वीकारोक्तियाँ सेवानिवृत्त वृद्धों ने की हैं। इन सूचनादाताओं ने रहस्योद्घाटन किया कि ''जब उन्हें पेंशन मिलती है तब घर वाले उन की खूब सेवा सुश्रूषा करते हैं किन्तु पैसे खर्च होने पर उनकी पूछताछ तथा सेवा सुश्रूषा में शनैः शनैः कमी आती चली जाती है।''

उल्लेखनीय है कि वृद्धावस्था में सम्पत्ति व पूंजी की देखभाल व रखरखाव करना भी इन्हीं के जिम्मे होता है, बेटे नौकरी करने गांव/शहर छोडकर दूसरी जगह बस जाते हैं, ऐसी दशाओं में वृद्धों को अपनी जमीन जायदाद, सम्पत्ति व पूंजी, घर एवं खेती वाडी आदि की देखरेख करनी पडती है। उनके अक्षम व अशक्त होने तथा न चाहने पर भी अकेले ही सारा खेत का तथा घर का कार्य करना पडता है। जो उनके लिए अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की समस्या है।

वृद्धजन; नई अर्थव्यवस्था के कारण बढती हुई मंहगाई के दौर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति फैशन अपनाकर नहीं कर पाते हैं; अत: अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी काम की तलाश करते हैं; परन्तु जहां रोजगार की समस्या हो वहां पर वृद्ध लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल ही होता है। अत: अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नई अर्थव्यवस्था से सामंजस्य करने में अधिक परिश्रम करने के पश्चात् भी असफलता ही हाथ लगती है जो उनमें मानसिक तनाव जनित करती है। ***प्रो. सुनील गोयल व अन्य* (१९९७:४५)** ने अपने आनुभविक अध्ययन के आधार पर लिखा है कि- "Every fifth senior citizen takes only one meal a day. One third (33%) of the respondent aged are lucky enough to have three meals a day. Aged who are staying with their children or relatives were getting three meals a day."

अनुसंधित्सु ने भी सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी करने का प्रयास किया है कि एक अनुसूचित वृद्धजन एक दिन में कितनी बार भोजन करता है? सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.५ : "आपको एक दिन में कितनी बार भोजन मिलता है?" प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	*भोजन मिलना है*	*निदर्शितों की संख्या*	*प्रतिशत*
१.	एक दिन में एक बार	३९	१३.००
२.	एक दिन में दो बार	२३४	७८.००
३.	एक दिन में तीन बार	२७	०९.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं में से ३९(१३ प्रतिशत) ऐसे दुर्भाग्यशाली वृद्धजन हैं जिन्हें दिन में एक बार ही भोजन उपलब्ध हो पाता है, २३४(७८ प्रतिशत) सूचनादाताओं को दिन में दो बार भोजन मिल जाता है; मात्र २७(९ प्रतिशत) ऐसे सौभाग्यशाली वृद्धजन हैं जिन्हें दिन में तीन बार भोजन मिल जाता है। गहन पूछताछ करने पर विदित हुआ है कि इन २७ वृद्धजनों में से ५

व्यवसायी तथा शेष २२ वृद्धजन वे हैं जिनको सेवानिवृत्त हो जाने पर अच्छी पेंशन मिलती है तथा परिवार भी अच्छी खेतीबाडी वाले एवं सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं।

अनुसंधित्सु ने अपने समस्त ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं से एक अन्य प्रश्न यह भी पूछा कि ''क्या आपको आर्थिक समस्याओं के कारण मानसिक तनाव भी रहता है?'' सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकडों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.६ : ''आर्थिक समस्याओं के कारण क्या आपको मानसिक तनाव भी रहता है?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अभिमत के अनुसार

क्रमांक	क्या आर्थिक समस्याओं के कारण तनाव रहता है?	निदर्शितों की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ'' यदाकदा तनाव जनित हो जाता है	५५	१८.३३
२.	प्राय: मानसिक तनाव रहता है	१४०	४६.६७
३.	उदासीन प्रत्युत्तर प्रदान किए	१०५	३५.००
४.	अनुत्तरित रहे	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका कुल ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्ध सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर प्रकाश डालती है। तालिका में प्रदर्शित आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि ५५(१८.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया एवं स्वीकार किया कि आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें यदाकदा मानसिक तनाव जनित हो जाता है; १४०(४६.६७ प्रतिशत) वृद्ध सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया कि आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें प्राय: मानसिक तनाव रहता है एवं १०५(३५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस प्रश्न का प्रत्युत्तर उदासीन/तटस्थ रूप में दिए हैं। इस प्रश्न के उत्तर पर कोई भी सूचनादाता अनुत्तरित नहीं रहा है। इन समस्त आनुभविक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि आर्थिक समस्याओं के कारण अधिकांशत: (६५ प्रतिशत) वृद्धजनों को आर्थिक समस्याओं के कारण मानसिक तनाव रहता है। अनुसंधित्सु ने आर्थिक समस्याओं के तनाव रहने सम्बन्धी कारणों को सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं के लिंग सापेक्ष मानसिक तनाव सम्बन्धी तथ्य भी संकलित किए हैं; जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

अनुसंधित्सु ने समस्त ३०० निदर्श वृद्धजनों से आर्थिक समस्याओं का मूल कारण जानने का भी प्रयास किया है। साक्षात्कार करते समय समस्त ३०० वृद्धों से पृथक-पृथक एक ही प्रश्न पूछा कि- "क्या आपकी कोई निजी आमदनी है?" तो सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर्ता सूचनादाताओं एवं जिन सूचनादाता वृद्धों ने बेटों में भूमि का बंटवारा कर कुछ भूमि अपने लिए बचा ली हैं तथा आई.आर.डी.पी. योजनान्तर्गत जिन्होंने दुधारू भैंस ले ली हैं या फिर जिन्हें निराश्रित विधवा वृद्धावस्था पेंशन मिलती है; को छोडकर शेष सभी सूचनादाताओं का एक ही उत्तर था कि- "उनकी स्वयं की कोई निजी आमदनी नहीं हैं।" इसीलिए उनके सामने आर्थिक समस्या प्राय: बनी रहती है। निम्न तालिका नं. ५.६ (क) सभी ३०० सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.६ (क) : "क्या आपकी स्वयं की कोई निजी आमदनी है?" प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	सूचनादाताओं द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तर	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	"हाँ"	१३२	४४.००
२.	"नहीं"	१६८	५६.००
३.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका ३०० निदर्श अनुसूचित जातियों के सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आंकडों पर प्रकाश डालती है तथा यह स्पष्ट करती है कि समस्त ३०० वृद्धजनों में से १३२(४४ प्रतिशत) वृद्धों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी स्वयं की निजी आमदनी है जबकि १६८(५६ प्रतिशत) वृद्धों का कहना है कि उनकी स्वयं की कोई निजी आमदनी नहीं है। इसलिए हमारे सामने आर्थिक समस्याएं हैं। इन प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है कि- "अधिकांशत: (५६ प्रतिशत) वृद्धों की स्वयं की कोई निजी आमदनी नहीं है।"

इस तथ्य की पुष्टि विभिन्न आनुभविक अध्ययनों (यथा- जनगणना प्रतिवेदन वर्ष १९७१; समाजकार्य संस्थान दिल्ली सर्वेक्षण-१९७७ पृष्ठ १२४, समाजकार्य संस्थान मद्रास- सर्वेक्षण प्रतिवेदन- १९७२ पृ. ४३६, समाजकार्य विभाग लखनऊ विश्व विद्यालय सर्वेक्षण प्रतिवेदन १९७५ पृ. ५५ से भी होती है।

तालिका नं. ५.७ : ''आर्थिक समस्याओं के कारण सूचनादाताओं के लिंग सापेक्ष मानसिक तनाव सम्बन्धी तथ्यों का वितरण

क्रमांक	क्या आर्थिक समस्याओं के कारण आपको मानसिक तनाव भी रहता है?	निदर्शितों की संख्या/प्रतिशत		योग
		पुरूष	महिलाएं	प्रतिशत
१.	''हाँ'' यदाकदा तनाव जनित हो जाता है	३०(५४.५५) (१८.१८)	२५(४५.४५) (१८.८२)	५५(१००.००) (१८.३३)
२.	प्राय: मानसिक तनाव रहता है	६५(४६.४३) (३९.३९)	७५(५३.५७) (५५.५६)	१४०(१००.००) (४६.६७)
३.	उदासीन प्रत्युत्तर प्रदान किए	७०(६६.६७) (४२.४३)	३५(३३.३३) (२५.९२)	१०५(१००.००) (३५.००)
४.	अनुत्तरित	--(००.००) (००.००)	--(००.००) (००.००)	--(००.००) (००.००)
	समस्त योग (प्रतिशत)	१६५(५५.००) (१००.००)	१३५(४५.००) (१००.००)	३००(१००.००) (१००.००)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक समस्याओं के कारण भी यदा कदा तनाव अनुभव करने वाले कुल ३०० अनुसूचित वृद्ध निदर्शितों में से कुल ५५ सूचनादाताओं में ३०(५४.५५ प्रतिशत) वृद्ध पुरूष तथा शेष २५(४५.४५ प्रतिशत) वृद्ध महिला सूचनादाताओं ने अर्थाभाव के कारण तनाव जनित होना स्वीकार किया है; आर्थिक समस्याओं के कारण प्राय: (सदैव) तनाव अनुभव करने वाले १४० सूचनादाताओं में ६५(४६.४३ प्रतिशत) पुरूष तथा ७५(५३.५७ प्रतिशत) महिलाएं पायी गयी है तथा उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले १०५ सूचनादाताओं में से ७०(६६.६७ प्रतिशत) पुरूष तथा शेष ३५(३३.३३ प्रतिशत) महिलाएं पायी गयी हैं। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि अर्थाभाव के कारण अनुसूचित वृद्धजनों को प्राय: मानसिक तनाव रहता है।

यहाँ पर यह तथ्य भी अवलोक्य है कि १६५ वृद्ध पुरूष सूचनादाताओं में ३०(१८.१८ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया है कि वे यदाकदा तनाव महसूस करते हैं, ६५(३९.३९ प्रतिशत) वृद्धों ने स्वीकार किया कि वे प्राय: तनावग्रस्त रहते हैं तथा तटस्थ प्रत्युत्तर प्रदान करने वाले कुल १०५ सूचनादाताओं में ७०(४२.४३ प्रतिशत) वृद्ध पुरूष तथा ३५ (२५.९२ प्रतिशत) वृद्ध महिलाएं पायी गयी हैं। इन समस्त तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत:

यह कहा जा सकता है कि आर्थिक समस्याओं के कारण वृद्ध महिलाओं की तुलना में वृद्ध पुरूष अधिक मानसिक तनाव महसूस करते हैं एवं चिन्ताग्रस्त रहते हैं। इस निष्कर्ष की पुष्टि ***प्रो. सुधा एस. सिलावट***' के आनुभविक अध्ययन से भी होती है।

शारीरिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं :

वृद्धावस्था में अच्छा स्वास्थ्य बहुतों में एकाध का ही मिलता है क्योंकि उनके संसाधन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होते हैं; साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाना भी उनके लिए असम्भव ही होता है। आठ वृद्ध सूचनादाताओं को छोडकर शेष सभी (२९२) वृद्ध प्राय: बीमार अनुभव करते हैं; ऐसा उन्होंने (९७.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने प्रथम दृष्टया स्वीकार किया है। यद्यपि वृद्धजनों का स्वास्थ्य खराव रहना तथा बीमार पड जाना सामान्य बात है। बीमार पड जाने की दशाओं में अधिकांशत: (२४०) ८० प्रतिशत वृद्ध सरकारी अस्पतालों में जाकर उपचार कराते हैं एवं पुन: बीमार या तकलीफ हो जाने पर सरकारी अस्पताल जाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्रायवेट चिकित्सक मँहगे पडते हैं; २९(९.६७ प्रतिशत) सूचनादाता ऐसे भी पाए गए जो गंभीर बीमारियों के कारण (यथा- अस्थमा, डाइविटीज; खांसी, जोडों में दर्द, कफ की शिकायत, आँख रोग आदि) नियमित चिकित्सीय सहायता लेना अनुभव करते हैं तथा सरकारी अस्पतालों से दवाईयाँ लेते हैं। अनुसंधित्सु का सुझाव है कि ऐसे ''सीनियर सिटीजन्स'' की स्वास्थ्य रक्षा एवं उपचार के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों व शासन को नि:शुल्क उपचार के प्रयास करने चाहिए ताकि वे आर्थिक समस्याएं अनुभव न कर सकें। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती हैं-

तालिका नं. ५.८ : ''क्या आप प्राय: बीमार अनुभव करते हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	क्या आप प्राय: बीमार अनुभव करते हैं?	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	''नहीं''	०८	०२.६७
२.	प्राय: बीमार रहते हैं	९७	३२.३३
३.	उदासीन प्रत्युत्तर	१९५	६५.००
४.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० वृद्ध निदर्शितों में से ९७(३२.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि वे प्राय: बीमार रहते हैं, या फिर उनका प्राय: स्वास्थ्य खराब रहता है जबकि १९५(६५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वे शायद ही १०-१५ दिन महिने भर में ठीक रहते हों। तथा मात्र ८(२.६७ प्रतिशत) सूचनादाता ऐसे पाए गए जिन्होंने बताया कि वे वृद्ध होते हुए भी स्वस्थ रहते हैं। इन प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि शारीरिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकांशत: (९७.३३ प्रतिशत) वृद्धजन बीमार/अस्वस्थ अनुभव करते हैं। अनुसंधित्सु द्वारा यह पूछ जाने पर कि "बीमार हो जाने पर आप उपचार कराने कहां जाते हैं?" सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.९ : "बीमार हो जाने पर आप उपचार कराने कहां जाते हैं?"
प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	सरकारी अस्पताल में	२४०	८०.००
२.	प्राइवेट डाक्टर से	१२	०४.००
३.	उदासीन प्रत्युत्तर	४३	१४.३३
४.	अनुत्तरित	०५	०१.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से २४०(८० प्रतिशत) वृद्धों ने यह नि:संकोच बताया कि वे बीमार हो जाने पर सरकारी अस्पताल में उपचार कराते हैं क्योंकि वहां उन्हें पैसा खर्च नहीं करना पडता है, वैसे भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, मात्र १२(४ प्रतिशत) वृद्धों (सेवानिवृत्त) ने यह बताया कि वे प्राइवेट चिकित्सकों से उपचार कराना पसन्द करते हैं ताकि शीघ्र लाभ मिले भले ही अधिक पैसा खर्च क्यों न हो जाय एवं ४३(१४.३३ प्रतिशत) वृद्ध सूचनादाताओं में इस प्रश्न का उत्तर उदासीन होकर दिया तथा सूचनादाता कमलेश ने बताया कि (१) वृद्ध

इलाज कराकर क्या करेंगे; कहाँ जाना है, बडे बूढे परहेज से रहें तो ४-६ दिनों में वैसे ही ठीक हो जाते हैं (२) अब तो चल बसें तो अच्छा है, सब कुछ देख लिया; भगवान अब तो उठा ले।'' मात्र ५(१.६७ प्रतिशत) वृद्ध सूचनादाता इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहे हैं।

सर्वेक्षण काल में अनुसंधित्सु ने अपने समस्त ३०० वृद्ध सूचनादाताओं से उनकी व्यक्तिगत बीमारियों के सम्बन्ध में भी प्राथमिक तथ्य संकलित किए हैं कि उन्हें कौन सी गंभीर रोग (बीमारियां) हैं? जिनसे वे परेशान हैं। सभी ३०० सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.१० : चयनित निदर्शितों में पायी गयी गम्भीर बीमारियाँ एवं रोग (सूचनादाताओं के द्वारा प्रदत्त जानकारी)

क्रमांक	वृद्ध सूचनादाताओं की संख्या		बीमारी ग्रस्त वृद्ध सूचनादाता		
	कुल	गंभीर बीमारग्रस्त	बीमारी का नाम	आवृति	प्रतिशत
१.	३००(१००.००)	२९(०९.६७)	गठिया	२	००.६७
२.			अस्थमा	३	०१.००
३.			लकवा	३	००.३४
४.			डाइबिटीज	९	०३.००
५.			आंख रोग/अन्धपन	८	०२.६७
६.			क्षय रोग	४	०१.३३
७.			ऊंचा सुनाई देना (बहरापन)	१	००.३३
८.			कम्पबाय	१	००.३३
	--	--	समस्त योग	२९	०९.६७

सम्पत्ति (प्रॉपर्टी) की सुरक्षा एवं देखरेख की समस्या :

अध्ययन के दौरान अनुसंधित्सु ने समस्त ३०० अनुसूचित वृद्ध सूचनादाताओं से सम्पत्ति के उचित रख रखाव (सुरक्षा) तथा देखरेख के सम्बन्ध में भी जानकारियां हासिल की हैं। अधिकांशतः सूचनादाता '' शारीरिक रूप से अक्षम'' होते हुए भी प्रॉपर्टी की उचित देखभाल के लिए चिन्ताग्रस्त पाए गए हैं, जो एक प्रमुख समस्या सिद्ध हुई है। वे चिन्तित पाए गए कि : ''हमारे पीछे क्या होगा?'' अर्थात प्रॉपर्टी के प्रति वृद्धजनों का लगाव अत्यधिक देखने में आया है। इस तथ्य की पुष्टि *राजौरिया*[०] *(१९९६:१३८)* के

आनुभविक अध्ययन से भी होती है। अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त प्राथमिक सामग्री पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ५.११ : निदर्शित एवं सम्पत्ति (प्रॉपर्टी) की सुरक्षा के प्रति चिन्ता

क्रमांक	सम्बन्धित विवरण (रूझान)	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	प्रॉपर्टी की सुरक्षार्थ अधिक चिन्ताग्रस्त (चिन्तित) पाये गये वृद्ध	२३७	७९.००
२.	चिन्तामुक्त (निश्चिन्त) वृद्ध	१३	०४.३३
३.	उदासीन पाए गए वृद्ध	५०	१६.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

उपरोक्त तालिका में वृद्ध सूचनादाताओं द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक सूचनाओं के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से अपनी सम्पत्ति से उचित रखरखाव एवं सुरक्षार्थ २३७(७१ प्रतिशत) सूचनादाता अधिक चिन्तित (चिन्ताग्रस्त) पाए गए हैं, ५०(१६.६७ प्रतिशत) सूचनादाता इस संदर्भ में उदासीन पाए गए; इनसे उदासीन होने सम्बन्धी कारण पूछे जाने पर बताया कि "हम अशक्त हो गए हैं; चिन्ता करने से क्या होगा; सन्तान जो चाहे, करे। हमारे मरे पीछे कुछ भी हो।" मात्र १३(४.३३ प्रतिशत) सूचनादाता निश्चिन्त (चिन्तामुक्त) पाए गए हैं। इनमें से ८ शिक्षित सेवारत निवृत्त हैं जिनके बच्चे भी शिक्षित सेवारत एवं धनाढ्य परिवारों के हैं, २ निःसन्तान तथा ३ वृद्धाएं हैं जो कुम्हार तथा धानुक जातियों के हैं; जजमान सेवा से जो मिल जाता है; उसी में वे प्रसन्न हैं। उल्लेखनीय है कि अध्ययन में कतिपय वृद्ध सूचनादाता ऐसे भी पाए गए जिनकी संतानें उनकी दक्षता, बौद्धिकता एवं सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान-भण्डार (अनुभवों) से लाभान्वित होना नहीं चाहतीं। वृद्धजन परेशान तथा चिन्तित पाए गए कि ऐसा क्यों है? उनसे कोई परामर्श लेना क्यों नहीं चाहता? निम्न तालिका ऐसे सूचनादाताओं की आवृत्ति/प्रतिशतता पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है तालिका के आँकडे यह दर्शाते हैं कि कुल ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्धों में से २११ वृद्धों की सन्तानें उनसे विचार-विमर्श नहीं करतीं और न उनके अनुभवों का लाभ भी लेना नहीं चाहतीं। दृष्टव्यः तालिका नं. ५(१२)

तालिका नं. ५.१२ : ऐसे निदर्शित जिनकी सन्तानें उनकी दक्षता, बौद्धिकता एवं सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान भण्डार (अनुभव) का लाभ लेना नहीं चाहतीं

क्रमांक	सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ''	२११	७०.३४
२.	''नहीं''	४८	१६.००
३.	उदासीन	३७	१२.३३
४.	अनुत्तरित	०४	०१.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० वृद्ध अनुसूचित जातिय सूचनादाताओं में से २११(७०.३४ प्रतिशत) सर्वाधिक वृद्ध ऐसे पाए गए हैं जो अपनी सन्तानों को अपनी बौद्धिकता, अक्षता तथा लम्बे जीवन के ज्ञान भण्डार (अनुभवों) का लाभ देना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता; इसलिए वे चिन्तित रहते हैं; ३७(१२.३३ प्रतिशत) सूचनादाता इस संदर्भ में उदासीन पाए गए हैं जब कि ४८(१६.०० प्रतिशत) सूचनादाता इस सम्बन्ध में निश्चिन्त पाए गए हैं। कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ''हमारी सन्तानें पढी लिखी हैं; हमसे अधिक योग्य हैं; हम चिन्ता क्यों करे?'' ४(१.३३ प्रतिशत) सूचनादाता इस प्रश्न के उत्तरों पर अनुत्तरित रहें हैं। इस प्रकार इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि ''आधुनिक सन्तानें विशेषकर युवावर्ग; वृद्धजनों के जीवन के अनुभवों तथा ज्ञान मण्डार का लाभ उनसे लेना नहीं चाहतीं। वे इस बात से चिन्तित पाए गए हैं।''

अधिकांशत: सर्वेक्षित वृद्ध सूचनादाताओं का कहना है कि आज नई पीढी के युवा तथा कम उम्र के लोगों के पास अपने बुजुर्गो से विचार-विमर्श करने, उनसे सलाह लेने (परामर्श करने) तथा उनकी इच्छाओं तथा भावनाओं आदि तक को जानने का समय नहीं है। इन निदर्शितों के विचारों से निम्न निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं-

(१) ऐसी स्थिति में वृद्ध व्यक्ति की मन: स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है।

(२) आधुनिकतावादी तथा व्यक्तिवादी पाश्चात्य संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। इससे वे अलगाव की अनुभूति करते हैं।

(३) नई तथा पुरानी पीढी के लोग (वृद्ध) परस्पर वैचारिक सामंजस्य/समायोजन करने में असमर्थ हैं। क्यों कि वृद्धजन परम्परावादी रहे हैं जबकि नई पीढी के लोग आधुनिकतावादी हैं। उनमें अन्तरपीढी संघर्ष स्पष्ट देखने को मिला है।

(४) समाज के परिवर्तनशील मूल्य हमारी परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा आदर्श मूल्यों को भी नष्ट कर रहे हैं।

(५) पश्चिमी समाज युवजन केन्द्रित, भौतिकतावादी तथा व्यक्तिवादिता की भावना के कारण वृद्ध अपने को असुरक्षित, पृथक, उपेक्षित व असहाय अनुभव करते हैं।

(६) सेवानिवृत्त वृद्ध उस समय अपने को अधिक परेशान तथा असुरक्षित महसूस करते हैं जब आवश्यकता के समय उनकी आर्थिक सहायता करने वाला कोई परिवारीजन न हो तथा वे पराश्रित व उपेक्षित महसूस करते हैं।

(७) नि:सन्तान, अविवाहित एवं परित्यक्त व जीर्णशीर्ण शरीर वाले वृद्ध विभिन्न रोगों के कारण भी अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं। क्यों कि उनकी बीमारी की हालत में भी सेवा सुश्रूषा करने वाला उन्हें कोई दिखयी देता बल्कि भाग्य भरोसे पडे रहते हैं।

(८) नौकरी पेशा सेवानिवृत्त वृद्धजन; पर्यावरणीय समस्याएं भी अनुभव करते हैं। क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात वापिस घर लौटने पर उन्हें वह पर्यावरण नहीं मिल पाता जो उन्होंने लम्बे अर्से तक भोगा है। शौक मौज की जिन्दगी विताई हैं। पर्यटन, व भ्रमण करने रहने व मनोरजंन सामान्य बातें थीं एवं वैचारिक भिन्नता के कारण अलगाव तथा तनाव महसूस करते हैं।

(९) वृद्ध महिलाएं ग्रामीण अंचलों में भाग्य भरोसे जीवन जीती हैं बीमार पड़ जाने की दशा में भी उनकी कोई नहीं सुनता। ''बहू बेटे भी दुदकारें देते हैं।'' ऐसा एक वृद्ध निदर्श महिला का कथन है; किसी और का नहीं। यहाँ तक कि उन्हें मारापीटा भी जाता है और फअकारें पडना सामान्य सी बात है।

वृद्धावस्था की समस्याएं : मॉडल रूप में

१. **आर्थिक समस्याएं**
- रोजगार का अभाव
- अर्थाभाव अनुभव करना
- पराश्रितता अनुभव करना
- आर्थिक सहायता करने वाला कोई न होना

२. **स्वास्थ्य एवं शारीरिक**
- स्वास्थ्य में गिरावट/असहाय
- रोग ग्रस्तता एवं उपचार
- गम्भीर रोग/बीमारियाँ
- पोषणीय समस्याएं

३. **सामाजिक सामंजस्य**
- परिजनों से सामंजस्य स्थापित न कर पाना
- पृथक्कीकरण/अलगाव की अनुभूति
- वृद्धों के अनुभवों (ज्ञान भण्डार) का लाभ न लेना
- परामर्श न लेना/विचार विमर्श न करना

४. **मनो सामाजिक एवं पर्यावरणीय**
- स्वयं को उपेक्षित अनुभव करना
- परिवार में उनका महत्व कम हो जाना
- अकेलापन तथा अनावश्यकता की भावना
- असुरक्षित अनुभव करना

५. **सत्ता, प्रभाव एवं अन्तःक्रियाएं**
- सत्ता का हस्तान्तरण युवाओं के हाथ
- प्रभाव प्रताप में कमी की अनुभूति
- परिजनों द्वारा अन्तःक्रियाएं कम करना
- पारिवारिक गतिविधियों से लगाव में कमी

६. **समय व्यतीत करने एवं मनोरंजन**
- समय व्यतीत करने की समस्याः समय कैसे कार्टे
- पृथक आवास तथा एकान्त का अभाव महसूस करना
- मनोरंजन के लिये चिन्तित रहना
- मनोरंजन हेतु उपेक्षित अनुभव करना

******

सन्दर्भ-सूची

१. स्वामीनाथन डी.; इण्टिग्रेशन ऑफ दि एज्ड इन्टू दि डेवलपमेण्ट प्रोसिस इन इण्डिया, वाल्यूम-२, नं.२, १९९६, इण्डियन जर्नल आफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ-२०

२. सरकारी प्रकाशन; रिपोर्ट आफ नेशनल सेम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (N.S.S.O.), सर्वे आफ (४२वाँ) इण्डिया, १९८९

३. पचौरी जे.पी. ;वृद्धावस्था : एक सामाजिक विवेचन, समाज कल्याण, वर्ष-३७ अंक-७, फरबरी १९९२ पृ.२०, केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड (मासिक पत्रिका) नई दिल्ली।

४. स्टाउफर ए.जे. ; ''गिव दैम देयर ड्यू'' सोसल वैलफेयर केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड (मासिक पत्रिका) नई लिली वाल्यूम-२९, नं. १-८ अक्टूबर-नवम्बर १९९२, पृष्ठ-२०

५. रानी बन्दना ; ''वृद्धों की पारिवारिक स्थिति'' चिन्तन परम्परा सामाजिक विज्ञानों की शोध-पत्रिका (अर्द्धवार्षिक), चाँदपुर स्याऊ बिजनौर (उ. प्र.) वर्ष-१, अंक-१, जनवरी-जून १९९९, पृष्ठ-७०

६. चौधरी डी.पाल ; वृद्धावस्था की समस्याएं-५१० वृद्धाओं का सर्वेक्षण प्रकाशित शोध-पत्र, समाज विज्ञान संस्थान द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, १९९७ स्मारिका, पृष्ठ-२०७

७. असरानी आर. सी. ; ''फैक्ट्स एबाउट द एज्ड'' मन्थली न्यूज लैटर आफ विज्ञान प्रसार ''ड्रीम'' पब्लिशड बाई इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, दिसम्बर-१९९८ पृष्ठ-४७

८. Goyal Sunil (et.al) ; Problems of the tribal aged : Need to Integrate them into the family; 'SAMAJIC SAHYOG' National Quarterly Research Journal; Published by Research management (Sri Krishna Shikshan Sansthan, UJJAIN (M.P), Vol. 21 (6), Jan. Feb. March 1997, p.45.

९. Sudha S. silawat ; The problems of Aged, Ibid, 1995, p. 12–14

१०. राजौरिया सीमा ; वृद्धजनों की स्वास्थ्य समस्याएं- एक अध्ययन; प्रकाशित शोध-प्रबन्ध; डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग; दयालबाग वि. वि. प्रकाशन आगरा (उ.प्र.), १९९८, पृष्ठ- १३८-१३९

******

अध्याय 6

पारिवारिक-सामाजिक सामंजस्य की समस्याएं

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या; परिवार तथा समाज के साथ उनके सही समायोजन न हो पाने की है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के अन्तर्गत यह पाया गया है कि जो मनुष्य वृद्धावस्था की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं वे परिवार व समाज में सफलतापूर्वक संयोजन कर लेते हैं। अधिकांशतः वृद्ध स्वास्थ्य के निरन्तर गिरने, नौकरी से हट जाने तथा आमदनी में कमी आ जाने आदि के कारण काफी मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों में निराशा, कुण्ठा, नकारत्मक व्यवहार तथा उत्तेजना आदि की भावनाएं पनप जाती हैं जो परिवार एवं समाज से सही समायोजन करने में बाधक होती हैं। साथ ही समय की रफ्तार के साथ समाज में नए-नए परिर्वतन होने लगते हैं। इस कारण नई पीढी के लोग पुरानी विचारधारा के लोगों को पसन्द नहीं करते हैं; अतः वृद्ध (बुजुर्ग) लोग जब रहन-सहन व अन्य बातों में दखल देते हैं तो युवावर्ग (नई पीढी के लोग) वृद्धजनों की अनसुनी तथा उपेक्षा करते हैं; और इस उपेक्षा को वृद्ध व्यक्ति सहन नहीं कर पाते हैं एवं स्वयं को अपमानित समझते हैं जिसके फलस्वरूप वृद्ध व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवर्तन से खुश नहीं होते और न उन्हें वह परिवर्तन रास (पसन्द) ही आता है; सम्प्रति ऐसी परिवर्ती परिस्थितियों में वे पारिवारिक-सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में असफल (असमर्थ) रहते हैं।[1]

सामान्यतः शारीरिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से वृद्धों को दो भागों में (सक्षम वृद्ध तथा अक्षम वृद्ध) में विभाजित किया जा सकता हैं। यह सही है कि वृद्धावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों के कारण वृद्धजन अनेक रोगों तथा बीमारियों के शिकार भी हो जाते

हैं। इन रोगों के फलस्वरूप व्यक्ति अक्षम वृद्धों की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सही उपचार से द्वारा सक्षम वृद्धों की श्रेणी में लाया जा सकता हैं।[२]

पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में वृद्धों की समस्याएं उनके विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण भिन्न-भिन्न हैं। पश्चिमी समाज युवजन केन्द्रित, व्यक्तिवादी तथा भौतिकतावादी हैं। वहाँ माता-पिता तथा सन्तान के सम्बन्ध भावनात्मक आधार पर आधारित नहीं होते हैं। जबकि पूर्वी देशों अर्थात् भारत में माता-पिता से उनकी सन्तानों के सम्बन्ध भावनात्मक अधिक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का परिवार से बिछुडना कभी नहीं होता। माता-पिता, बच्चों के पालन-पोषण एवं उनकी सफलता को अपने जीवन की सफलता एवं अपने जीवन का प्रमुख ध्येय समझते हैं। पुत्र अपने परिवार में अपने पिता के उत्तरदायित्वों (जिम्मेदारियों) को स्वीकार करना अपना परम्परागत नैतिक कर्तव्य समझता है। इस कारण वह उन्हें भरपूर सम्मान व आदर देता है; उनके कष्टों को अपना कष्ट समझता है एवं दुख दर्द में उनका साथ देता है। भारत में परिवार ही केवल ऐसी संस्था है जिससे वृद्धावस्था की सुरक्षा की अपेक्षा की जा सकती है किन्तु परिवर्त्ती/बदलती हुई विषम परिस्थितियों में वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक कर दिया है। क्योंकि युवावर्ग अब पाश्चात्य संस्कृति के रंग में पूरी तहर रंग चुका है; और यहाँ तक कि उसकी जीवनशैली पूर्णतः बदल चुकी हैं।

''वर्तमान समय में भारत में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर वृद्धावस्था प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रही हैं। भारत में वृद्धावस्था की सही स्थिति हमें सन् १९७८ के समाजकल्याण में स्वामीनाथन सरोजा के प्रकाशित शोध लेख (पृ.३०) से होती है। आपके अनुसार वृद्धों की जिन्दगी और समय; और भी दुखमय (कष्टमय) हो जाते हैं; जब दुर्भाग्यवश उनमें चलने-फिरने की शक्ति न रहे या बिस्तर पकड लें; या उनका देखना, सुनना कम हो जाय और उनकी स्मरण शक्ति (याददाश्त) भी कमजोर पड जाय। उस समय तो बुढापे का अभिशाप और भी दुगुना हो जाता है; जब बुढापे में शारीरिक अशक्ति (अक्षमता) और निर्धनता साथ-साथ आ जांय।''[३]

''प्राचीन समय में भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दू सामाजिक संगठन की

एक धुरी थी। व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही होता था। बानप्रस्थ, आश्रम; वृद्धावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। मनु के अनुसार व्यक्ति जब यह देख ले कि शरीर की त्वचा ढीली पड गयी है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं; सन्तान के सन्तान हो गयी है; तब उसे घरबार का मोह त्यागकर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। बानप्रस्थियों के जंगल के आश्रमों को गुरूकुल कहा जाता था। वहाँ समाज के विभिन्न वर्णो के बच्चे शिक्षाध्ययन करने के लिए जाया करते थे। इन गुरूकुलों की सारी व्यवस्था गृहस्थाश्रम में हुआ करती थी। गुरूकुलों की समाप्ति के पश्चात धीरे-धीरे वृद्धों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार प्रणाली पर आ गयी तथा संयुक्त परिवारों को वृद्धों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाने लगा।''[४] आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली जिन्दा है; वहाँ यह सुरक्षा का कार्य आज भी किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समय में अनेक परिवर्तनकारी शक्तियों ने संयुक्त परिवार प्रणाली के स्वरूप व प्रकार्यो में परिवर्तन कर इसे एकाकी बना दिया है जिसके कारण आज वृद्धजन अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं व्यक्तिवादिता की भावना के कारण वृद्धजन अपने को आज असुरक्षित, असहाय तथा उपेक्षित पाते हैं।'' भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्धजनों के आदर एवं सम्मान की परम्परा रही है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज भारत में यह परम्परा टूटती जा रही है; परिवार विघटित होते चले जा रहे हैं। समाज के परिवर्तनशील मूल्य हमारी परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ हमारी संस्कृति की धरोहरों को नष्ट कर रही हैं। आज इस आधुनिकता व भौतिकतावादी संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। आज नई पीढी के व्यक्तियों के पास अपने बुजुर्गो से विचार विमर्श करने, उनकी सलाह लेने तथा उनकी इच्छाओं को जानने तक का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की सोच तथा मन:स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जो अपने सारे जीवन की पूंजी को देना चाहता है; अपनी बौद्धिकता; अपने अनुभवों का ज्ञान देना चाहता है। प्राय: यह सहज ही कह दिया जाता है कि वृद्धजन नई पीढी के साथ समायोजन नहीं कर पाते जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है; जबकि

वास्तविकता कुछ भिन्न है।''[५] इसी बिन्दु का निष्कर्ष वैज्ञानिक तौर पर प्राप्त करना प्रस्तुत अध्याय की विषय वस्तु है।

''निस्सन्देह; तीव्र परिवर्तनों के दौर में परिवार की संरचना तथा उसके प्रकार्यो में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवार अनाथों, विधवाओं, विधुरों तथा वृद्धों की सुरक्षा, आदर भाव, सम्मान एवं सहायता का कार्य पूर्व की भाँति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज वृद्धों और परिवारीजनों के मध्य पारिवारिक प्रकार्यो के धरातल पर सफल समायोजन नहीं हो पा रहा है, और वृद्धों का पारिवारिक जीवन दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त होता चला जा रहा है। अन्य कारण यह भी है कि आज वृद्धों को फालतू समझने की प्रवृत्ति भी बढती जा रही है। इसलिए वृद्ध वृद्धावस्था से घबराने तथा चिन्तत होने लगे हैं।''[६]

अनुसंधित्सु ने ''पारिवारिक-सामाजिक सामंजस्य की समस्याएं'' अध्ययन करने के लिए वृद्धों की पारिवारिक स्थिति तथा प्रकार्य आधारित विन्दुओं- (क) वृद्धों के परिवार की संरचना (ढाँचा) (ख) वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव (ग) परिवार में वृद्धजन: विचार विमर्श तथा परामर्श मानना (घ) परिवार के सदस्यों के साथ उनकी अन्त:क्रियाओं का स्वरूप (ड) उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा उनके सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान भण्डार (अनुभव) का लाभ न लेना तथा उनकी इच्छाएं जानने का प्रयास न करना (च) नवीन विचारधारा के साथ तालमेल न होना (छ) अपर्याप्त आय (ज) वृद्धों द्वारा अलगाव तथा उपेक्षित अनुभव करना इत्यादि विन्दुओं पर प्राथमिक तथ्य संकलित कर निष्कर्ष उद्घाटित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम वृद्धों की पारिवारिक स्थिति एवं परिवार से उनकी प्रत्याशाएं एवं पारिवारिक सामंजस्य हेतु उनके सुझावों को जानने का प्रयास किया है। वृद्धों के परिवारों की संरचना के अन्तर्गत परिवार के स्वरूप (यथा- (१) अकेला पति या पत्नी (२) पति-पत्नी दोनों (३) पति अथवा पत्नी, अथवा पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे (४) पति अथवा पत्नी, अथवा पति पत्नी तथा उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे) के अनुसार वृद्धजनों के परिवारों की आवृत्तियाँ जानी गयी हैं। तत्पश्चात पारिवारिक सामंजस्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जायेगा। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.१ : वृद्धों के परिवारों की संरचना/ढाँचा

क्रमांक	परिवार का स्वरूप/संरचना	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	अकेला पति अथवा पत्नी	०२	००.६७
२.	पति-पत्नी दोनों	८१	२७.००
३.	पति अथवा पत्नी अथवा पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे	१०८	३६.००
४.	पति अथवा पत्नी अथवा पति-पत्नी तथा उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे	१०९	३६.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

सर्वेक्षित वृद्धजनों की पारिवारिक स्थिति पर विचार करने से पहले उनके परिवार की संरचना पर विचार करना उचित प्रतीत हुआ। प्रस्तुत तालिका के आँकडों के विवेचन तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि समग्र में सर्वाधिक संख्या १०९ (३६.३३ प्रतिशत) उन परिवारों की जिनमें पति या पत्नी, अथवा पति-पत्नी तथा उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, १०८ (३६ प्रतिशत) संख्या उन परिवारों की है जिनमें पति अथवा पत्नी अथवा पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं तथा सबसे कम संख्या २ (०.६७ प्रतिशत) उन परिवारों की है जिनमें पति अथवा पत्नी अकेले ही रहते हैं। लेकिन ८१ (२७ प्रतिशत) वे परिवार हैं जिनमें पति अथवा पत्नी दोनों निवास करते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि- ''ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में अधिकांशत: संयुक्त परिवार पाए गए हैं। इन परिवारों पर आज भी सामूहिकता तथा समष्टिवादी भावनाएं प्रभावी हैं। निम्न तालिका निदर्श परिवारों में वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है- कुछ भी अध्ययन करने पूर्व यह उल्लेख्य है कि भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार का कर्ताधर्ता (मुखिया) होता था। परिवार के समस्त सदस्यों के जीवन से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने का वही अधिकारी होता था किन्तु वर्तमान सन्दर्भो में वृद्ध लोगों की स्थिति में भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी मूल्यों के फलस्वरूप काफी कुछ परिवर्तन दृष्टिगत हैं। परिवार की सत्ता वृद्धों के हाथ से युवाओं; जो परिवार की उत्पादन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाते हैं; या फिर महिलाओं के हाथों में हस्तान्तरित

हो रही है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत वृद्ध लोगों की पारिवारिक स्थिति पर विचार करते हुए यह जानकारी प्राप्त करना नितान्त आवश्यक समझा गया है कि परिवार में उनकी सत्ता एवं प्रभाव आज भी वृद्धावस्था के फलस्वरूप पूर्ववत् है या उसमें कुछ अन्तर आया है। इस सम्बन्ध में सभी ३०० अनुसूचित जातिय निदर्श सूचनादाताओं के विचारों (अभिमतों) पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.२ : वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव के संदर्भ में निदर्श सूचनादाताओं के विचार (अभिमत)

क्रमांक	परिवार की सत्ता एवं प्रभाव	वृद्ध सूचनादाताओं की संख्या (प्रतिशत)	
		पूर्व में	वर्तमान में
१.	स्वयं के हाथ में	२८२(९४.००)	१८(०६.००)
२.	अन्य सदस्य के हाथ में	१८(०६.००)	२८२(९४.००)
	समस्त योग	३००(१००.०)	३००(१००.०)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं में से- पूर्व में २८२(९४ प्रतिशत) वृद्धों के स्वयं के हाथ में परिवार की सत्ता थी; जो अब (वर्तमान में) १८(०६ प्रतिशत) वृद्धों के हाथ में रह गयी है। जबकि अन्य सदस्यों के हाथ में पूर्व में १८(६ प्रतिशत) के परिवार की सत्ता थी जो अब बढकर २८२(९४ प्रतिशत) के हाथों हस्तान्तरित हो गयी है। इन समस्त आनुभविक तथ्यों के आलोक में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सत्ता वृद्धों से हस्तान्तरित हो रही है। अनुसंधित्सु ने ग्रामीण तथा नगरीय परिवेश के आधार पर भी वृद्धों की सत्ता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है अर्थात् शोध अध्ययन द्वारा यह भी जानकारी हासिल की गयी है कि वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव की दृष्टि से नगरीय परिवेश तथा ग्रामीण परिवेश के परिवारों में क्या कोई भिन्नता (अन्तर) है? यदि कोई अन्तर है तो सत्ता परिवर्तन की दर में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है? सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं के सर्वेक्षण से प्राप्त क्षेत्रीय/प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.३ : वृद्धों की सत्ता एवं प्रभाव ग्रामीण तथा नगरीय आधार पर मूल्यांकन

क्रमांक	परिवार की सत्ता	वृद्धों की संख्या तथा प्रतिशत				समस्त योग	
		ग्रामीण		नगरीय		पूर्व में	वर्तमान में
		पूर्व में	वर्तमान में	पूर्व में	वर्तमान में	प्रतिशत	प्रतिशत
१.	स्वयं के हाथ में	१३०	१०५	१५२	१३५	२८२ (९४.००)	२४० (८०.००)
२.	अन्य सदस्य के हाथ में	१०	४५	०८	१५	१८ (०६.००)	६० (२०.००)
	समस्त योग प्रतिशतता	१४०	१५०	१६०	१५०	३०० (१००.०)	३०० (१००.०)

प्रसंगाधीन उपरोक्त तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में: २८२(९४ प्रतिशत) परिवारों में: वृद्धों के स्वयं के हाथों में सत्ता थी तथा १८(६ प्रतिशत) परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों में सत्ता थी; वर्तमान में: अब २४०(८० प्रतिशत) के स्वयं के हाथों में सत्ता रह गयी है इस प्रकार सत्ता हस्तान्तरण में १४ प्रतिशत की कमी हुई है। अन्य सदस्यों के हाथ में पूर्व में १८(६ प्रतिशत) के सत्ता थी जो अब बढकर ६०(२० प्रतिशत) के हाथों में हो गयी है अर्थात् (+) १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन तेजी से हो रहा है। यह पूछे जाने पर कि ''क्या सत्ता अन्य सदस्यों के हाथों हस्तान्तरित होने से परिवार पर आपके प्रभाव में कमी हुई है?'' सर्वेक्षण काल में सूचनादाताओं द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.४ : ''क्या परिवार की सत्ता हस्तान्तरित होने से परिवार पर आपके प्रभाव में कमी आयी है?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	सूचनादाताओं के प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	''हाँ'' प्रभाव में कमी हुई है	२३६	७८.६७
२.	''नहीं'' प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पडा है	०५	०१.६७
३.	उदासीन प्रत्युत्तर	५५	१८.३३
४.	अनुत्तरित	०४	०१.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातिय वृद्ध सूचनादाताओं में से २३६(७८.६७ प्रतिशत) वृद्धों ने यह स्वीकार किया है कि वृद्धों के हाथों से सत्ता युवाओं के हाथों हस्तान्तरित हो जाने की बजह से परिवारों पर वृद्धों का प्रभाव कम हुआ है, ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं के अनुसार सत्ता हस्तान्तरण का कोई प्रभाव नहीं पडा है, ५५(१८.३३ प्रतिशत) वृद्धों ने इस प्रश्न के उदासीन होकर उत्तर प्रदान किए हैं जबकि मात्र ४(१.३३ प्रतिशत) वृद्ध अनुत्तरित रहे हैं। इन उपरोक्त सभी प्राथमिक (फर्स्ट हेण्ड) तथ्यों के आलोक में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि-

(१) परिवारों में सत्ता का हस्तान्तरण वृद्धों से; परिवार के अन्य (युवा) सदस्य के हाथ हो रहा है।

(२) वृद्धों के हाथ से सत्ता के हस्तान्तरण से परिवार पर उनके प्रभाव तथा उनकी पकड में कमी आयी है।

(३) सत्ता के हस्तान्तरित होने एवं प्रभाव में कमी होने से उनमें मानसिक समस्याएं जनित हो रही हैं तथा युवाओं का प्रभाव बढ रहा है।

(४) मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण वृद्धों के समक्ष पारिवारिक समायोजन तथा सामंजस्य की समस्याएं तेजी के साथ उभर रही हैं।

परिवार के सदस्यों के साथ उनके पारिवारिक सम्बन्ध एवं अन्तः क्रियाएं :

सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था से पूर्व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्ति जिन सम्बन्धों तथा अन्तः क्रियाओं में बँधा रहता है; वृद्धावस्था काल में उनमें परिवर्तन/अन्तर आ जाता है। आज लोगों की भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी सोच के कारण युवावस्था में व्यक्ति की छवि एक ''कमाऊ'' सदस्य की होती है; और वृद्धावस्था एक ''कमाऊ'' व्यक्ति को ''आश्रित'' व्यक्ति में परिवर्तित कर देती है। अतः वृद्धों के साथ परिवार तथा परिवार से बाहर भी लोगों के सम्बन्धों में पूर्व जैसी रूचि नहीं रहती। अतः सर्वेक्षण काल में सभी ३०० सूचनादाता वृद्धजनों के उनके परिवार के सदस्यों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध तथा अन्तःक्रियाएं जानने का एक लघु प्रयास किया गया है कि पारिवारिक सम्बन्धों की प्रकृति पूर्ववत् तथा सामान्य है या कुछ परिवर्तित हुई है, अथवा स्पष्टतः परिवर्तित हुई है। इसका भी मूल्यॉंकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करने का

प्रयास किया गया है। अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ वृद्धों के सम्बन्धों की प्रकृति कैसी है? -

तालिका नं. ६.५ : परिवार के सदस्यों के साथ सम्बन्धों की प्रकृति

क्रमांक	परस्पर सम्बन्धों की प्रकृति	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	पूर्ववत् एवं सामान्य	८२	२७.३३
२.	कुछ-कुछ परिवर्तित	९९	३३.००
३.	स्पष्टतः परिवर्तित	११९	३९.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० अनुसूचित वृद्धजनों में से ८२(२७.३३ प्रतिशत) वृद्धों ने यह स्वीकार किया है कि उनके सम्बन्ध अपने परिजनों के साथ पूर्ववत् एवं सामान्य हैं, ९९(३३ प्रतिशत) वृद्धों ने यह बताया है कि उनके सम्बन्ध अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ-कुछ परिवर्तित हो रहे हैं; शोधार्थिनी ने ऐसा सर्वेक्षण काल में अवलोकित भी किया है। सर्वाधिक सूचनादाताओं ११९(३९.६७ प्रतिशत) वृद्धों ने यह बताया एवं स्वीकार किया है कि परिवार के सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध स्पष्टतः (पूरी तरह) परिवर्तित हुए हैं। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि- ''वृद्धजनों के अपने परिवार के सदस्यों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध परिवर्तित हो रहे हैं।''

निम्न तालिका नं. ६(६) परिवार के सदस्यों के साथ उनके (वृद्धों) की अन्तःक्रियाएं तथा अन्तःक्रियाओं के परिवर्तित स्वरूपों को प्रदर्शित करती है-

तालिका नं. ६.६ : परिवार के सदस्यों के साथ सूचनादाताओं की अन्तःक्रियाएं

क्रमांक	अन्तःक्रियाओं का स्वरूप	वृद्धों की आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	पूर्ववत् एवं सामान्य	७३	२४.३३
२.	कुछ-कुछ परिवर्तित	१०५	३५.००
३.	स्पष्टतः परिवर्तित	१२२	४०.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका अध्ययन किए गए कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं द्वारा साक्षात्कार के समय परिवार के साथ वृद्धों तथा परिजनों के मध्य परस्पर की जाने वाली अन्त:क्रियाओं के संदर्भ में प्रदान किए प्रत्युत्तरों पर प्रकाश डालती है; ७३(२४.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि उनकी एवं परिवार के सदस्यों के मध्य की जाने वाली अन्त:क्रियाएं पूर्ववत् एवं सामान्य हैं; १०५(३५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनकी परिवार के सदस्यों के मध्य की जाने वाली अन्त:क्रियाएं कुछ-कुछ परिवर्तित महसूस होती हैं, जबकि १२२(४०.६७ प्रतिशत) सर्वाधिक सूचनादाताओं ने स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि उनके एवं परिजनों के मध्य, अन्त:क्रियाओं का स्वरूप स्पष्टत: परिवर्तित हुआ है। इन प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि- "वृद्धजनों एवं परिवार के सदस्यों के मध्य की जाने वाली अन्त:क्रियाएं शनै: शनै: परिवर्तित हो रही हैं जिसका कारण यह है कि वृद्धावस्था के फलस्वरूप इनकी कमाऊ भूमिका में बदलाव हुआ है। उनके परिवार के सदस्यों ने उनके साथ अपनी अन्त:क्रियाओं में परिवर्तन भी कर लिया है।" लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि- "क्या वृद्धों में भी परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं के प्रत्युत्तर में अथवा स्वाभाविक तौर पर परिवार की गतिविधियों के साथ अपना लगाव यथावत् रखा है; अथवा लगाव कम कर लिया है?" यह भी जाना गया है। अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षण के दौरान गंभीरता एवं गहनता के साथ तथ्यों का संकलन किया है कि- "वृद्धों का लगाव; परिवार की गतिविधियों के साथ पूर्ववत् (यथावत) है या फिर लगाव कम कर लिया है?" अध्ययन काल में सभी ३०० निदर्शितों से पारिवारिक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.७ : वृद्धजन एवं पारिवारिक गतिवधियों के स्वरूप/प्रकृति-निदर्शितों के अनुसार

क्रमांक	पारिवारिक गतिविधियों सम्बन्धी विवरण	वृद्धों की आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	गतिविधियाँ पूर्ववत् हैं	१२५	४१.६७
२.	उदासीन गतिविधियाँ	८५	२८.३३
३.	गतिविधियाँ पूर्ववत् नहीं	९०	३०.००
	समस्त योग	३००	१००.००

अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षण द्वारा यह भी ज्ञात किया है कि वृद्धों ने भी परिवार के सदस्यों के प्रति तथा पारिवारिक गतिविधियों के प्रति लगाव कम कर लिया है अथवा पूर्ववत् (यथावत्) रखा है? समस्त ३०० निदर्श सूचनादाताओं के अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.९ : पारिवारिक सदस्यों एवं गतिविधियों से लगाव

क्रमांक	पारिवारिक सदस्यों तथा गतिविधियों	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	लगाव पूर्ववत् है	१८३	६१.००
२.	लगाव पूर्ववत् नही	९०	३०.००
३.	उदासीन	२७	०९.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन उपरोक्त तालिका नं. ६(९) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः १८३(६१ प्रतिशत) वृद्ध अपने परिवार के सदसयों तथा पारिवारिक गतिविधियों से पूर्ववत् (यथावत्) लगाव रखते हैं जबकि ९०(३० प्रतिशत) वृद्धों का लगाव पूर्ववत् नहीं रहा है अर्थात् लगाव में परिवर्तन हुआ है एवं २७(९ प्रतिशत) वृद्ध परिवार की गतिविधियों के प्रति उदासीन देखे गए हैं। इस तालिका एवं तालिका नं. ६(६) तथा ६(८) के प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निम्न निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है- अधिकांशतः वृद्धों के सम्बन्ध परिवारों के साथ पूर्ववत् एवं सामान्य हैं एक तिहाई (३३ प्रतिशत) वृद्ध कुछ-कुछ तथा दो तिहाई (६६.६७ प्रतिशत) वृद्ध स्पष्ट परिवर्तन (अलगाव) का अनुभव करते हैं फिर भी परिवारीजनों तथा पारिवारिक गतिविधियों से उनके लगाव पूर्ववत् हैं।

सभी ३०० निदर्शितों से पुनः यह पूछे जाने पर कि- ''क्या परिवारीजन आपकी दक्षता, बौद्धिकता तथा सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान भण्डार (अनुभव) का लाभ लेना चाहते हैं?'' समस्त ३०० वृद्ध अनुसूचित जातिय निदर्शितों द्वारा प्रदत्त इस प्रश्न के प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.१० : ''क्या परिजन आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	क्या परिजन आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ''	८७	२९.००
२.	''नही''	२१३	७१.००
३.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से २१३(७१ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह बताया कि उनके परिजन उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा जीवन भर के ज्ञान व अनुभवों का लाभ लेना नहीं चाहते, मात्र ८७(२९ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि उनके परिजन उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं; समस्याओं के सम्बन्ध में यदाकदा उनसे विचार-विमर्श करके परामर्श भी करते हैं। इस तालिका के प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि- ''अधिकांशत: वृद्धों के परिजन उनसे परामर्श नहीं करते और न ही उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा सम्पूर्ण जीवन के ज्ञान भण्डार (अनुभवों) का लाभ लेना चाहते हैं।

अनुसंधित्सु द्वारा निदर्शन में चयनित सभी ३०० अनुसूचित वृद्धों से एक अन्य प्रश्न यह भी किया गया कि- ''क्या आपके परिजन कभी आपकी इच्छाएं व आकांक्षाएं जानने का भी प्रयास करते हैं?'' सर्वेक्षण से प्रश्न के प्राप्त उत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.११ : ''क्या आपके परिजन आपकी इच्छाएं व आकाँक्षाएं जानना चाहते हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर निदर्शितों के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	क्या आपके परिजन इच्छाएं व आकाँक्षाएं जानना चाहते हैं	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ''	५६	१८.६७
२.	''नही''	२४४	८१.३३
३.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से मात्र ५६(१८.६७ प्रतिशत) अत्यधिक न्यून सूचनादाताओं ने निःसंकोच यह बताया कि उनके परिजन कभी-कभी उनकी इच्छाएं तथा आकाँक्षाएं जानने का प्रयास करते हैं; तथा २४४(८१.३३ प्रतिशत) सर्वाधिक सूचनादाताओं का कहना था कि हम से कोई परिजन हमारी इच्छाएं तथा आकांक्षाएं जानना नहीं चाहता है, इसी बजह से हमारी चिन्ताएं उत्तरोत्तर बढ रही हैं। यह पूछे जाने पर कि इस बात का क्या कारण है? उन्होंने जो भावनाएं तथा उद्‌गार व्यक्त किए उन पर निम्न तालिका नं. ६(१२) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ६.१२ : पारिवारिक-सामाजिक सामंजस्य की विभिन्न समस्याएं-के सन्दर्भ में निदर्शितों के अभिमत/विचार

क्रम	पारिवारिक सामंजस्य की समस्याएं	निदर्शितों के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	परिवार में वृद्धों की दयनीय स्थिति तथा सत्ता का हस्तान्तरण हो जाना	२८२ (९४.००)	१८ (०६.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	परिवार में भौतिकतावादी व व्यक्ति वादी मूल्यों का प्रभाव अधिक होना	२०७ (६९.००)	३६ (१२.००)	५४ (१८.००)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)
३.	वृद्ध की स्थिति कर्ता (मुखिया) की न होकर आश्रित की हो जाना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
४.	परिवार पर उनके प्रभाव में कमी होना	२४० (८०.००)	-- (००.००)	५७ (१९.००)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)
५.	नवीन विचारधाराओं से मेल न खाना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
६.	अपर्याप्त आय एवं उपेक्षित व आश्रित अनुभव करना	२७० (९०.००)	१० (०३.३३)	१५ (०५.००)	०५ (०१.६७)	३०० (१००.००)
७.	अपने लिए आवास का अभाव तथा असहाय हो जाना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
८.	उनकी दक्षता, बौद्धिकता एवं अनुभवों की अनदेखी करना; परामर्श न लेना विचार विमर्श न करना	२१३ (७१.००)	८७ (२९.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
९.	सम्पत्ति के रख रखाव की चिन्ता सताना	१९५ (६५.००)	८० (२६.६७)	२५ (०८.३३)	-- (००.००)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

उपर्युक्त निर्दिष्ट तालिका के प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में वृद्धजनों द्वारा पारिवारिक सामंजस्य न करने तथा समायोजन करने में उत्पन्न बाधाएं निम्नवत् हैं-

(१) २८२(९४ प्रतिशत) सूचनादाताओं का मानना है कि वृद्धों से सत्ता का युवाओं व महिलाओं में हस्तान्तरण हो जाने से परिवारों में उनकी स्थिति दयनीय हो गयी है।

(२) २०७(६९ प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वर्तमान सन्दर्भो में परिवारों में भौतिकतावादी संस्कृति तथा व्यक्तिवादिता हावी है अत: बदलती परिस्थितियों में परिजनों के साथ सामंजस्य करना कठिन हो जाता है।

(३) शतप्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि पूर्व में परिवार में उनकी स्थिति कर्ता (मुखिया) की थी, उनकी सत्ता चलती थी लेकिन वृद्धावस्था के कारण वर्तमान में परिवार में उनकी स्थिति अब आश्रित की हो गयी है। अत: मस्तिष्क में तनाव रहता है।

(४) २४०(८० प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वृद्ध/अशक्त हो जाने के कारण परिवार पर उनके प्रभाव में कमी आ गयी है, परिवारीजनों द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है; पारिवारिक अन्त:क्रियाओं में भी कमी आयी है। फलस्वरूप परिजनों तथा समाज के साथ उनके सम्बन्ध शिथिल हुए हैं। इस कारण परिजनों व बाहर के लोगों के सम्बन्धों में पूर्व जैसी रूचि तथा स्नेह नहीं है। अब वे इस अवस्था में उदासीन/तटस्थ होकर जीवन जी रहे हैं।

(५) शतप्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया कि नवीन विचारधाराओं से उनकी (परम्परागत) विचारधाराओं का मेल नहीं खाता; जो पारस्परिक सामंजस्य में बहुत बडी बाधा है। अर्थात् अन्तरपीढी संघर्ष देखने में आया है।

(६) २७०(९० प्रतिशत) वृद्ध निदर्शितों का कहना है कि अपर्याप्त आय हो जाने से आवश्यकता पडने पर उन्हें पैसों या आवश्यकता की बस्तुएं पाने के लिए परिजनों का मुँह ताकना पडता है अत: वे स्वयं को आश्रित व उपेक्षित अनुभव करते हैं।

(७) शतप्रतिशत वृद्ध निदर्शितों ने अपने रहने के लिए अपने ही घर में आवास का अभाव तथा अशक्त व असहाय होना भी गम्भीर समस्या स्वीकार किया है।

(८) २१३(७१ प्रतिशत) निदर्श सूचनादाताओं ने बताया कि नई पीढी के लोग (परिवारीजन) उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा अनुभवों का लाभ नहीं लेना चाहते जबकि वे आतुर रहते हैं कि उनसे कोई परामर्श ले व सुझाव मांगे। ऐसा न होने से वे (वृद्धजन) मानसिक तनाव तथा क्षुब्धता का अनुभव करते हैं।

(९) १९५(६५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उन्हें अपनी सम्पत्ति, जमीन जायदाद (पूंजी) के रखरखाव तथा सुरक्षा की चिन्ता सताती रहती है भले ही उन्होंने परिवार तथा परिजनों से लगाव कम कर लिया है; जबकि उनका सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति लगाव बढा है। लेकिन परिजन उस विरासत के प्रति बेखबर व बेसुध रहते हैं।

उपर्युक्त समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि उक्त निर्दिष्ट समस्याएं वृद्धजनों के सोच के अनुसार पारिवारिक सामंजस्य में बाधक सिद्ध हो रही हैं।

******

सन्दर्भ-सूची

१. पचौरी जे.पी. ; वृद्धावस्था : एक सामाजिक विवेचन, समाज कल्याण, वर्ष ३७, अंक-७ फरवरी १९९२, पृष्ठ-२०, प्रकाशन: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

२. प्रसाद सुरेन्द्र ; कॉन्सेप्ट ऑफ हैल्थ एण्ड डिजीस : आशीस बोस एण्ड ब्रदर्स, पब्लिशिंग कारपोरेशन (प्रा.लि.) नई दिल्ली, १९९०, पृष्ठ-२१७

३. बसु एस.के. ; हैल्थ एण्ड न्यूट्रिशनल प्रॉबलम्स ऑफ एज्ड, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, मानक पब्लिशर्स प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९४, पृष्ठ-३०२

४. मुकर्जी आर.एन. ; दि ज्वाइन्ट फैमिली- ए क्रिटिकल ऐनालाइसिस, ऐन पब्लिश्ड आर्टिकिल इन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वाल्यूम-५ नं०-२ सितम्बर १९५६, पृष्ठ-१४८, प्रकाशन: नई दिल्ली-७

५. पटेल शिर्शा ; ''बदलते परिवेश में संयुक्त परिवार एवं सामाजिक शक्तियाँ''- एफ.डी. पब्लिकेसन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स : बुक सेण्टर (प्रा.लि.) प्रथम संस्करण, नई दिल्ली, १९९९-२०००, पृष्ठ-५२-५३

६. वन्दना रानी ; वृद्धों की पारिवारिक स्थिति ; सामाजिक विज्ञानों की अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका, राधा कमल मुकर्जी : ''चिन्तन परम्परा'', समाज विज्ञान विकास संस्थान, चान्दपुर स्याऊ, बिजनौर (उ.प्र.) वर्ष-१, अंक-१, जनवरी-जून १९९९, पृष्ठ-६७

❋❋❋❋❋❋

अध्याय 7

नई अर्थ व्यवस्था : आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामंजस्य के प्रतिमान

चूँकि प्रस्तुत शोध अध्ययन का मौलिक उद्देश्य "अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन" समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करना है इसलिए शोधार्थिनी ने वृद्धों को प्रमुखतः दो भागों- (१) जो वृद्ध पूर्व में सेवा में थे लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, (२) सामान्यजन; जो सेवा में नहीं थे किन्तु अब ६०$^{+}$ आयु के हैं; में वर्गीकृत करके प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकडों का संकलन कार्य किया है ताकि दोनों प्रकार के वृद्धों की मौलिक समस्याओं एवं सामंजस्य के प्रतिमानों का पृथक-पृथक अध्ययन किया जाना संभव हो सके। नई अर्थव्यवस्था का आशय यहाँ पर उस अर्थ व्यवस्था से लिया गया है जिसे वृद्धावस्था के पश्चात सेवा निवृत्त तथा सामान्यजन निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं ने अपने भरणपोषण व जीविकोपार्जन के लिए अपने परिवार से पृथक अपना रखा है। वे अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? परिवार के लोगों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवनयापन करते हैं अथवा पृथक से व्यवस्था करते हैं एवं दोनों ही परिस्थितियों में सामंजस्य की दशाएं क्या (कैसी) हैं? यही प्रस्तुत अध्याय की विषय वस्तु है कि वृद्धजन नई अर्थव्यवस्था के तहत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? सर्वप्रथम यह आवश्यक ही नहीं; अपितु अनिवार्य समझा गया है कि समग्र में चुने गए वृद्धजनों का वर्गीकरण किया जाय। अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्शित वृद्धजनों से सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार करने से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों को वर्गीकृत वृद्धजनों की संख्या (आवृत्तियों) तथा प्रतिशतता पर निम्न तालिका ७(१) संक्षिप्त प्रकाश डालती है कि सेवानिवृत्त वृद्ध तथा सामान्य वृद्धजन कितने-कितने हैं?-

तालिका नं. ७.१ : वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं का वर्गीकरण : आवृत्तियाँ एवं प्रतिशत वितरण

क्रमांक	वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं का वर्गीकरण	वृद्धों की आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	पूर्व सेवारत; लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं	१२	०४.००
२.	सामान्यजन; जो सेवा में नहीं थे लेकिन अब ६०⁺ आयु के हैं	२८८	९६.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका नं. ७(१) के अन्तर्गत प्रदर्शित प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट है कि समग्र में १२(४ प्रतिशत) सूचनादाता वे हैं जो पहले सेवा में थे लेकिन अब (वर्तमान में) सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा २८८(९६ प्रतिशत) सूचनादाता वे हैं जो विभिन्न व्यवसायों वाले सामान्य नागरिक हैं जो पहले अपने-अपने परिवारों के कर्ता (मुखिया) थे उनकी परिवार में सत्ता थी किन्तु सत्ता (६०⁺) आयु हो जाने के कारण युवाओं के हाथ हस्तान्तरित हो चुकी हैं। अतः अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे ''नयी अर्थ व्यवस्था'' कैसे करते हैं? उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दोनों प्रकार के वृद्धजनों की नयी अर्थ व्यवस्था पृथक-पृथक प्रकार की पायी गयी हैं।

वर्तमान समय में उत्तरोत्तर वृद्धि करती मंहगाई जनसाधारण के लिए अति कष्ट साध्य है। वृद्धजनों द्वारा नई अर्थव्यवस्था के तहत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना तो और भी अधिक कठिन होना स्वाभाविक होगा। इस अध्याय के अन्तर्गत वस्तुस्थिति जानने का प्रयास निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं से साक्षात्कार करके प्राप्त प्राथमिक आंकडों के माध्यम से किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई काम (रोजगार) तलाशते हैं, या परिवारीजनों के आश्रित बनकर जीविकोपार्जन करते हैं। परन्तु जहाँ रोजगार पाने (मिलने) की समस्या को वहां पर वृद्ध लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल ही होता है। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ''नई अर्थ व्यवस्था'' से सामंजस्य करने में अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी वृद्धजन प्रायः असफल रहते हैं। इनमें से ३ वृद्धजन ऐसे भी हैं जो यदाकदा उज्जैन (म.प्र.) तथा जबलपुर के वृद्धाश्रमों में चले जाते हैं ताकि भरण पोषण हो सके। ये वे वृद्धजन हैं जो नितान्त अशक्त हैं तथा

निराश्रित हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वृद्धावस्था समस्यापूर्ण अवस्था है; जिसमें भाँति-भाँति की विभिन्न समस्याओं की ही प्रधानता रहती है।

नई अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत; सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''सत्ता'' किसके हाथों में है- स्वयं के हाथ, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ, अथवा अन्य परिजन के हाथ (भाई-भतीजों, बेटी-दामाद व अन्य)। निम्न तालिका नं. ७(२) नई अर्थ व्यवस्था/''सत्ता'' किसके हाथों में है? के संदर्भ में सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्राप्त प्राथमिक आँकडों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.२ : ''नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत 'सत्ता' किसके हाथ में है?'' के सम्बन्ध में निदर्शितों के विचार सम्बन्धी वितरण

क्रमांक	नई अर्थव्यवस्थान्तर्गत सत्ता किसके हाथों में है	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	स्वयं के हाथों में	१२	०४.००
२.	ज्येष्ठ पुत्र के हाथों में	२३४	७८.००
३.	भाई-भतीजों के हाथों में	१०	०३.३३
४.	बेटी-दामाद के हाथों में	०५	०१.६७
५.	अन्य व्यवस्था: भूमि बटाई पर इत्यादि	३९	१३.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में दर्शाए गए प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं में से १२(४ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उनके परिवार की अर्थव्यवस्था उनके 'स्वयं' के हाथों में है, जबकि २३४(७८ प्रतिशत) सर्वाधिक वृद्ध सूचनादाताओं ने यह नि:संकोच यह स्वीकार किया एवं बताया कि नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत 'सत्ता' उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों में है, न कि उनके स्वयं के हाथों में। १०(३.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उनके परिवार की अर्थ व्यवस्था (सत्ता) भाई-भतीजों के हाथों में है, ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि नई अर्थ व्यवस्था उनकी बेटी-दामाद के हाथों में है तथा ३९(१३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया है कि नई व्यवस्थान्तर्गत वे अपनी भूमि (खेतीबाडी) बटाईगीरों से कराते हैं। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में इस सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष उद्घाटित किए जा सकते हैं-

नई अर्थव्यवस्थान्तर्गत सत्ता का स्वरूप

तालिका नं. ७.२

नई अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में अभिमत

तालिका नं. ७.३

(१) अधिकांशत: वृद्धजन अर्थव्यवस्था अपने ज्येष्ठ पुत्रों के हाथों सौंप देते हैं। ये वे वृद्धजन हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर, शिथिल तथा अशक्त हो जाते हैं; या फिर सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं।

(२) वे वृद्ध जो पूर्व में कृषक रहे हैं; या फिर सेवारत थे किन्तु अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं; लेकिन अब कृषि सम्बन्धी कार्य स्वयं अपने हाथों से नहीं कर सकते; वे अपनी खेतीबाडी बटाईगीरों या फिर अपनी देखरेख में दैनिकभोगी श्रमिकों द्वारा कराते हैं।

इन उपर्युक्त दोनों ही परिस्थितियों में वृद्धजन विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि नई अर्थ व्यवस्था के तहत उन्हें अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ऐनकेन प्रकारेण करनी है; इसलिए विषम परिस्थितियों में भी वे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। निम्न तालिका इस सम्बन्ध में वृद्ध निदर्शितों द्वारा साक्षात्कार के समय व्यक्त किए गए अभिमतों (विचारों) पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.३ : नई अर्थ व्यवस्था के प्रसंग में निदर्शितों द्वारा साक्षात्कार के दौरान व्यक्त अभिमत/विचारों का वितरण

क्रमांक	वृद्ध निदर्शितों के अभिमत/विचार	वृद्धजनों की संख्या	प्रतिशत
१.	विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं	३६	१२.००
२.	विषम परिस्थितियों में समझौता करते हैं	१८७	६२.३३
३.	मन मसोस कर रह जाते हैं; एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे व्यक्त नहीं कर सकते	७७	२५.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकडों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्धजनों में से ३६(१२ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वे समस्याएं जनित होने पर विभिन्न समस्याओं का समुचित समाधान खोजते हुए सामना करते हैं; १८७(६२.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वे विषम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं तथा ७७(२५.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि वे समस्याओं के समय मन मसोस कर रह जाते हैं क्योंकि वे वृद्धावस्था के कारण अक्षम हैं वे एक नई टीस की अनुभूति करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त

नहीं किया जा सकता। निम्न तालिकाएं नं. ७(४) तथा ७(५) समस्त ३०० निदर्श सूचनादाताओं के लिंग तथा आयु सापेक्ष अभिमतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.४ : नई अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में निदर्शितों के लिंग सापेक्ष उनके अभिमतों का प्रदर्शन

क्रमांक	निदर्शितों के लिंग	वृद्धजनों के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)			योग
		क	ख	ग	(प्रतिशत)
१.	पुरूष	३१ (१८.७९)	९९ (६०.००)	३५ (२१.२१)	१६५ (१००.००)
२.	महिलाएं	०५ (०३.७०)	८८ (०५.१९)	४२ (३१.११)	१३५ (१००.००)
	समस्त योग	३६	१८७	७७	३००

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

संकेत : (क) विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं।

(ख) विषम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं।

(ग) मन मसोस कर रह जाते हैं; जिससे एक नई टीस की अनुभूति होती है, जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं ऐसा सूचनादाताओं ने बताया है।

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि-

(१) ***१६५ पुरुष वृद्धजनों में से*** : ३१(१८.७९ प्रतिशत) निदर्शित विभिन्न आर्थिक समस्याओं का सामना विवेक से करते हैं, ९९(६० प्रति.) निदर्शित विषम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं तथा ३५(२१.२१ प्रति.) निदर्शित मन मसोस कर रहे जाते हैं, जिससे उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते।

(२) ***१३५ वृद्ध महिलाओं में से*** : ५(३.७० प्रतिशत) निदर्शित विभिन्न आर्थिक समस्याओं का सामना सूझबूझ के साथ करती हैं, ८८(६५.१९ प्रतिशत) निदर्शित विषमं परिस्थितियों से नव दबकर समझौता कर लेती हैं तथा ४२(३१.११ प्रतिशत) निदर्शितों का कहना है कि वे मन मसोस कर रहे जाती हैं, जिससे उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकतीं।

निम्न तालिका नं. ७(५) नई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निदर्शितों की आयु सापेक्ष जनित विभिन्न समस्याओं एवं सामंजस्य के विभिन्न प्रतिमानों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.५ : नई अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में निदर्शितों की आयु सापेक्ष, जनित समस्याओं एवं सामंजस्य के प्रतिमानों के प्रति निदर्शितों के अभिमतों का प्रदर्शन

क्रमांक	सूचनादाताओं के आयु-वर्ग (वर्षो में)	वृद्धजनों के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)			योग (प्रतिशत)
		क	ख	ग	
१.	६०-६५	१६ (१४.९५)	८१ (७५.७०)	१० (०९.३५)	१०५ (१००.००)
२.	६५-७०	१३ (१०.३४)	९४ (७४.०१)	२० (१५.७५)	१२४ (१००.००)
३.	७०-७५	०७ (१४.२९)	१२ (२४.४९)	३० (६१.२२)	४९ (१००.००)
४.	७५-८०	-- (००.००)	-- (००.००)	१२ (१००.००)	१२ (१००.००)
५.	८०+	-- (००.००)	-- (००.००)	०५ (१००.००)	०५ (१००.००)
	समस्त योग (प्रतिशतता)	३६ (१२.००)	१८७ (६२.३३)	७७ (२५.६७)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

संकेत : (क) विभिन्न समस्याओं का सामना विवेक व सूझबूझ से करते (करती) हैं।
(ख) विषम परिस्थितियों में समस्याओं से समझौता कर लेते (लेती) हैं।
(ग) मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं; जिससे उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है, जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं।

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि-

(१) <u>*६० से ६५ वर्ष आयु वर्ग के १०५ सूचनादाताओं में से :*</u> १६(१४९.५ प्रतिशत) निदर्शित आर्थिक समस्याओं का सामना करते (करती) हैं, ८१(७५.७ प्रतिशत) निदर्शित विषम परिस्थितियों में समस्याओं से समझौता कर लेते (लेती) हैं तथा १०(९.३५ प्रतिशत) निदर्शित मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं, जिससे उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं। जिसका मुख्य कारण है कि वे लोक लाज से डरते हैं क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती है।

(२) ***६५ से ७० वर्ष आयु वर्ग के १२७ सूचनादाताओं में से*** : १३(१०.३४ प्रतिशत) निदर्शित आर्थिक समस्याओं का सामना करते (करती) हैं, ९४(७४.० प्रतिशत) निदर्शित विषम परिस्थितियों में समस्याओं से समझौता कर लेते (लेती) हैं तथा २०(१६.७६ प्रतिशत) निदर्शित मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं, उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं।

(३) ***७० से ७५ वर्ष आयु वर्ग के ४९ सूचनादाताओं में से*** : ७(१२.२९ प्रतिशत) निदर्शित आर्थिक समस्याओं का सामना विवेक तथा सूझबूझ के साथ करते (करती) हैं, १२(२४.४९ प्रतिशत) निदर्शित विषम परिस्थितियों में समस्याओं से नबदब कर समझौता कर लेते (लेती) हैं तथा ३०(६१.२२ प्रतिशत) निदर्शित मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं, जिससे उन्हें एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं।

(४) ***७५ से ८० वर्ष आयु वर्ग के १२ सूचनादाताओं में से*** : १२(१००.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वे मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं। उनके मन में एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं।

(५) ***८० वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ५ सूचनादाताओं में से*** : शतप्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि वे मन मसोस कर रह जाते (जाती) हैं। उनके मन में एक नई टीस की अनुभूति होती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते (सकती) हैं।

उपरोक्त समस्त प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन के आलोक में इस सन्दर्भ में निम्न निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं-

(क) तालिका के आँकडों से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे वृद्ध सूचनादाताओं की आयु में वृद्धि होती गयी है; वैसे-वैसे नई अर्थ व्यवस्था से जनित आर्थिक समस्याओं से सामना करने की प्रवृत्ति कम होती गयी है। अर्थात् आर्थिक समस्याओं से सामना करने की प्रवृत्ति एवं उम्र कारक परस्पर विलोमानुपाती होती हैं।

(ख) जैसे-जैसे वृद्धजनों की आयु में वृद्धि होती गयी है; वैसे-वैसे आर्थिक समस्याओं से मन मसोस कर रह जाने की प्रवृत्ति भी बढी है। अर्थात् अधिक उम्र में समस्याओं

जिसमें से एक वृद्धा को निराश्रित विधवा; वृद्धावस्था पेंशन मिलती है एवं ३८(१२.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने नई अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत अन्य स्त्रोत बताए जिनमें २३(७.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उन्होंने बेटों से कुछ खेती बचा ली उसे बटाई पर उठा देते हैं जिससे भरणपोषण तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तथा १५(५ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उन्होंने स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना तथा आई.आर.डी.पी. योजनान्तर्गत दुधारू भैंस खरीद ली हैं जिसके सहारे जीविका चलती है। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निम्न निष्कर्ष उद्‌घाटित किया जा सकता है- ***"वृद्धजन; परिवार के सहारे, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा वृद्धावस्था पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अन्य स्त्रोतों: आंशिक खेती बटाई पर कराकर तथा दुधारू भैंसों के दूध बेचकर अपना पेट पालते हैं।"***

अनुसंधित्सु ने सूचनादाताओं की नई अर्थव्यवस्थान्तर्गत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के स्त्रोतों का आँकलन; सूचनादाताओं की लिंग तथा आयु के सापेक्ष पृथक-पृथक जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिकाएं नं. ७(७) तथा ७(८) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.७ : सूचनादाताओं की लिंग सापेक्ष नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्त्रोत- सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	सूचनादाताओं के लिंग-भेद	सूचनादाताओं के स्त्रोत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)			योग (प्रतिशत)
		क	ख	ग	
१.	पुरूष	१०९ (६६.०६)	४३ (२७.८८)	१० (०६.०६)	१६५ (१००.००)
२.	महिलाएं	१०५ (७७.७८)	०२ (०१.४८)	२८ (२०.०७)	१३५ (१००.००)
	समस्त योग (प्रतिशतता)	२१४ (७१.३३)	४८ (१६.००)	३८ (१२.६७)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

संकेत : (क) परिवार के सहारे
(ख) पेंशन के सहारे
(ग) अन्य स्त्रोत- (बटाई पर खेती, दुधारू भैंस पालकर आदि)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में चुने गए कुल १६५ पुरूष तथा १३५ निदर्श महिलाओं द्वारा नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्त्रोतों के संदर्भ में प्राप्त प्राथमिक जानकारियाँ निम्नवत् हैं-

(१) ***१६५ वृद्ध पुरूष सूचनादाताओं में से*** : १०९(६६.०६ प्रतिशत) निदर्शितों ने परिवार के सहारे जीवनयापन करना, ४६(२७.८८ प्रतिशत) निदर्शितों ने पेंशन के सहारे तथा शेष १०(६.०६ प्रतिशत) निदर्शितों ने अन्य स्त्रोत (बटाई पर खेती, दुधारू भैंस पालकर तथा दूध बेचकर आदि से) जीविकोपार्जन करना स्वीकार किया है।

(२) ***१३५ वृद्धा महिला सूचनादाताओं में से*** : १०५(७७.७८ प्रतिशत) निदर्शितों ने परिवार के सहारे, जीवनयापन करना मात्र २(१.४८ प्रतिशत) महिला निदर्शितों ने पेंशन के सहारे जीवनयापन करना तथा शेष २८(२०.०७ प्रतिशत) महिला निदर्शितों ने अन्य स्त्रोतों (बटाई पर खेती कराकर, दुधारू भैंस पालकर तथा दूध बेचकर आदि से) जीविकोपार्जन करना स्वीकार किया है।

इन उपर्युक्त समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि-

(क) अधिकांशत: वृद्धजन, वृद्धावस्था में अपने परिवारों के सहारे समय गुजार रहे हैं।

(ख) महिलाओं की अपेक्षा सेवानिवृत्त वृद्ध पुरूष पेंशनों के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं।

(ग) वृद्धजनों के जीविकोपार्जन का अन्य स्त्रोत: बटाई पर खेती कराना तथा दुधारू भैंस पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करना पाया गया है।

(घ) तीन सूचनादाता जबलपुर (म.प्र.) के वृद्धाश्रम में रहकर जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं।

सर्वेक्षण करते समय अनुसंधित्सु को (साक्षात्कार के दौरान) बताया गया कि-

(१) मोंठ तहसील के गुरसहाय विकासखण्ड के गाँव नगला पाती में एक जाटव वृद्धा ''रामकली'' ने बताया कि वह आई.आर.डी.पी. योजनान्तर्गत निर्धनता की सीमारेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिला विधवा है; उसके दो विवाहित बेटे हैं तथा उससे अलग रहते हैं; उसने आई.आर.डी.पी. योजना से भैंस ली। उस भैंस ने दो महीने दूध दिया; फिर लत गयी है। अब उसके पास पेट भरने का कोई साधन नहीं है; बहू बेटों की खरी खोटी सुनती है; पिटती है फिर भी उनके बच्चों

को खिलाती है; जो खाने को मिल जाता है, वह खा लेती है।....... ऐसी दुखद तथा दर्दनाक परिस्थितियों में वृद्धों को जीवनयापन कर वृद्धावस्था गुजारनी पडती है।

(२) सर्वेक्षित विकास खण्ड ''बामौर'' के गांव : जमालपुर में अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षण काल में स्वयं अपनी आँखों से देखा कि- ''एक वृद्ध धोबिन गधे से गीले कपडे उतार रही थी, तभी अचानक घर में से एक लडका निकला तथा वृद्धा को अचानक मारने पीटने लगा; वृद्धा चीख पुकार करने लगी। अडौस-पडौस इकट्ठा हो गया। मैं भी वहाँ पहुँच गया तथा मैंने घटना का कारण पूछा तो बताया गया कि ''मारने पीटने वाला लडका'' बुडिया का ही बेटा है जो आए दिन काम बिगडने पर बुढिया को मारता पीटता है वह इसलिए कि बुढिया सुबह शाम उसके घर का कामकाज करे तथा दोपहरी में गांव के कपडे धोकर लाए।'' ....इस घटना वैयक्तिक घटना से सुस्पष्ट है कि वृद्धावस्था में दो जून की रोटियों के लिए कैसी-कैसी यातनाएं वृद्धजनों को सहन करनी पडती हैं।

(३) ''विकास खण्ड मोंठ के गांव बनवारा में श्री जहान सिंह नामक (निदर्शित) जाटव (उम्र ८२ वर्ष) के तीन बेटे हैं जो सभी विवाहित हैं। फिर भी उनका परिवार संयुक्त है; ४६ बीघे जमीन तथा भरापूरा परिवार है जिसमें आए दिन पिता के साथ मारपीट इसलिए होती है कि पिता (परिवार का कर्ता- 'मुखिया') बेटों में जमीन बाँट दे। ......साक्षात्कार करने के समय अनुसंधित्सु को वृद्ध जहान सिंह सूचनादाता ने स्पष्टत: बताया कि ''रोज रोज की मारपीट तथा समाज में बेइज्जती को देखकर मैंने ३९ बीघे जमीन अपने तीनों बेटों को प्रत्येक को तेरह-तेरह बीघे जमीन बाँट दी है; एवं अपनी गुजर बसर के लिए ७ बीघे जमीन अपने पास रख ली है; जिसे वह बटाई पर कराकर नई अर्थ व्यवस्था के सहारे जीवनयापन (गुजर बसर) कर रहा है। वह बेटे उन्हें दो वक्त रोटियाँ भी नहीं देते। वह अपना पेट वयोवृद्ध होते हुए भी स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर जीविकोपार्जन करता है। यहाँ तक कि वह अपने नाती पोतों व नातिनों को खूब खिलाता है; परिवार की सत्ता उसके पास न होने से बेटों से उसका सामंजस्य नहीं हो पाता है। उसका कहना है कि ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है।''

उपरोक्त तीनों वैयक्तिक प्रघटनाओं सम्बन्धी आनुभविक अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि वर्तमान परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था; विभिन्न समस्याओं: सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा उत्पीडन इत्यादि से परिपूर्ण है। निम्न तालिका नं. ७(८) सूचनादाताओं की आयु के सापेक्ष नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न स्त्रोतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.८ : सूचनादाताओं की आयु-सापेक्ष नई अर्थ व्यवस्थान्तर्गत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के स्त्रोत: निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	निदर्शितों के आयु-वर्ग (वर्षों में)	अर्थ व्यवस्था के स्त्रोत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)			योग (प्रतिशत)
		क	ख	ग	
१.	६०-६५	९९ (९२.५२)	०८ (०७.४८)	-- (००.००)	१०७ (१००.००)
२.	६५-७०	११५ (९०.५५)	१२ (०९.४५)	-- (००.००)	१२७ (१००.००)
३.	७०-७५	-- (००.००)	२५ (५१.०२)	२४ (४८.९८)	४९ (१००.००)
४.	७५-८०	-- (००.००)	०३ (२५.००)	०९ (७५.००)	१२ (१००.००)
५.	८०+	-- (००.००)	-- (००.००)	०५ (१००.००)	०५ (१००.००)
	समस्त योग (प्रतिशतता)	२१४ (७१.३३)	४८ (१६.००)	३८ (१२.६७)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

संकेत : (क) परिवार के सहारे

(ख) पेंशन के सहारे

(ग) अन्य स्त्रोत- (बटाई पर खेतीबाडी कराकर, दुधारू भैंस पालकर आदि)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका साक्षात्कार के दौरान सभी ३०० अनुसूचित जातिय निदर्श सूचनादाताओं द्वारा प्राप्त प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि वृद्धजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति परिजनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर किस प्रकार तथा किन स्त्रोतों से करते हैं?

(१) ***६० से ६५ वर्ष आयु वर्ग के १०७ वृद्धजनों में से :*** ९९(९२.५२ प्रतिशत) वृद्धजन अपने परिवारों के सहारे तथा ८(७.४८ प्रतिशत) वृद्धजन उनको मिलने वाली पेंशनों के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं।

(२) ***६५ से ७० वर्ष आयु वर्ग के १२७ वृद्धजनों में से :*** ११५(९०.५५ प्रतिशत) वृद्धजन अपने परिवारों के सहारे तथा मात्र १२(९.४५ प्रतिशत) वृद्धजन स्वयं को मिलने वाली पेंशनों के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं इनमें से एक तिहाई गुजर बसर कर रहे हैं।

(३) ***७० से ७५ वर्ष आयु वर्ग के ४९ वृद्धजनों में से :*** २५(५१.०२ प्रतिशत) वृद्धजन अपनी पेंशनों के सहारे तथा २४(४८.९६ प्रतिशत) वृद्धजन अन्य स्त्रोतों (बटाई पर खेती कराकर, दुधारू पालतू पशु भैंस, गाय, बकरी आदि पालकर) के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं।

(४) ***७५ से ८० वर्ष आयु वर्ग के १२ वृद्धजनों में से :*** ३(२५ प्रतिशत) वृद्ध स्वयं को मिलने वाली पेंशनों के सहारे तथा ९(७५ प्रतिशत) वृद्धजन अन्य स्त्रोतों (बटाई पर खेती कराकर, दुधारू पालतू पशु भैंस आदि पालकर) के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं।

(५) ८० वर्ष तथा ८० वर्ष से अधिक आयु के शत प्रतिशत वृद्धजन अन्य विभिन्न स्त्रोतों (बटाई पर खेती कराकर, दुधारू पालतू पशु भैंस, गाय, बकरी आदि पालकर) के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं।

उपरोक्त समस्त प्राथमिक तथ्यों के आलोक में निम्न निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है कि- ***"वृद्धों में भी अधिक आयु वर्ग के वृद्ध अपना गुजारा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति नई अर्थ व्यवस्था के तहत स्वयं को मिलने वाली पेंशन व अन्य स्त्रोतों (यथा: खेती को बटाई पर देकर, दुधारू भैंस, गाय तथा बकरी आदि पालकर करते हैं।"*** (दृष्टव्य: तालिका नं. ७(८)

अनुसंधित्सु ने अध्ययनार्थ चयनित अपने समस्त ३०० अनुसूचित वृद्ध निदर्शितों से आमने सामने की प्रत्यक्ष स्थिति में साक्षात्कार करते समय यह भी जानकारी हासिल की है कि वे अपने परिजनों व नई अर्थ व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे करते हैं? अध्ययन क्षेत्र से किए गए सर्वेक्षण तथा साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका नं. ७(९) संक्षिप्त प्रकाश डालती है कि अधिकांशतः सूचनादाता नई अर्थव्यवस्था तथा परिजनों के साथ समस्याएं सुलझाते हुए कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं?

तालिका नं. ७.९ : ''आप नई अर्थव्यवस्था तथा परिजनों के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे करते हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर निदर्शितों के अभिमतों के अनुसार

क्रम	सामंजस्य करने सम्बन्धी विवरण	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	(प्रतिशत)
१.	बेटों की खेतीबाडी/कामकाज बिना कहे देख रेख करते हुए	२०७ (६९.००)	०४ (०१.३३)	८९ (२९.६७)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	अपने मन की भावनाओं का दमन करके	३०० (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
३.	भाग्य भरोसे जो मिल जाय, के सहारे जीवन जीते हैं	१८९ (६३.००)	१२ (०४.००)	९७ (३२.३३)	०२ (००.६७)	३०० (१००.००)
४.	शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी परिवार के कामकाजों में हाथ बंटाना पडता है	२३१ (७७.००)	२१ (०७.००)	४८ (१६.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
५.	परिवार के छोटे-छोटे बच्चों को खिलाना तथा उनकी देखरेख करनी पडती है	२७३ (९१.००)	०६ (०२.००)	२१ (०७.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयिनत कुल ३०० वृद्ध निदर्शितों में से २०७(६९ प्रतिशत) वृद्धों का कहना है कि वे बेटों की खेतीबाडी/कामकाज (उनके बिना कहे) देखरेख करते हुए समांजस्य करने का प्रयास करते हैं, ३००(१०० प्रतिशत) वृद्धों ने बताया कि वे अपने मन की भावनाओं तथा इच्छाओं का दमन करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं; १८९(६३ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया कि वे भाग्य भरोसे जो मिल जाय उसी में सन्तोष कर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, २३१(७७ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया कि वे शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी परिवार के कामकाजों में हाथ बंटाते हैं तथा २७३(९१ प्रतिशत) वृद्धजनों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सामंजस्य स्थापित करने के लिए परिवार के छोटे-छोटे (नन्हें-मुन्नों) को खिलाकर उनकी देखरेख करते हैं ताकि बहू बेटे प्रसन्न रहें और परिवार में सामंजस्य कायम रहे। इस प्रकार प्रस्तुत प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि: ''वृद्धजन अपने परिजनों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न तकनीक अपनाते हैं किन्तु उन्हें अपने मन की भावनाओं का दमन अवश्य करना पडता है। यही कारण है कि अधिकांशत: वृद्ध मानसिक

रूप से तनावग्रस्त रहते हुए परिजनों से सामंजस्य बनाए रखने का सतत् रूप से प्रयास करते रहते हैं।''

अनुसंधित्सु ने अपने समस्त ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्ध सूचनादाताओं से एक अन्य प्रश्न पृथक पृथक तौर पर यह भी किया कि- ''क्या आपको परिजनों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में समस्याएं भी आती हैं?'' सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त प्राथमिक तथा व्यक्तिगत तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.१० : ''क्या आपको परिजनों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में समस्याएं भी आती हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर निदर्शितों के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	क्या आपको सामंजस्य बनाए रखने में समस्याएं भी आती हैं? - प्रश्न का प्रत्युत्तर	वृद्धजनों की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ''	२०४	६८.००
२.	''नहीं''	--	००.००
३.	उदासीन	९६	३२.००
४.	अनुत्तरित	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध निदर्श सूचनादाताओं में से २०४(६८ प्रतिशत) सर्वाधिक सूचनादाताओं ने स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि उनको परिजनों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं अनायास आती हैं। इस सम्बन्ध में ९६(३२ प्रतिशत) सूचनादाता ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर उदासीन होकर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाला तथा अनुत्तरित एक भी सूचनादाता नहीं पाया गया है। इन समस्त प्राथमिक सूचनाओं के प्रकाश में निम्न निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है- ***''परिजनों से सामंजस्य बनाए रखने में वृद्धजनों के सम्मुख विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं।''*** जिन्हें वे संयम, धैर्य एवं नब दबकर तथा समस्याओं को स्व-विवेक से सुलझाकर स्वयं पीडा को सहन करते हुए परिवार के साथ समायोजित करते हैं। ऐसा अधिकांशत: सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है।

अनुसंधित्सु ने अपने समस्त ३०० निदर्शितों से पुन: पृथक पृथक तौर पर एक अन्य पूरक प्रश्न किया कि ''आप परिजनों से सामंजस्य बनाए रखने में उत्पन्न (जनित) समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं?'' अध्ययन से प्राप्त आनुभविक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ७.११ : ''परिजनों से सामंजस्य बनाए रखने के लिए जनित समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हैं?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर निदर्शितों के मतानुसार

क्रमांक	समस्या समाधान के तौर तरीके	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	छोटी मोटी भूलें अनदेखी करके	६३	२१.००
२.	हानि-लाभ की चिन्ता न करके	७१	२३.६७
३.	स्व-विवेक से (सूझबूझ के साथ)	८०	२६.६७
४.	संयम तथा धैर्य से	३७	१२.३३
५.	तत्काल प्रत्युत्तर प्रदान न करके	४९	१६.३३
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका नं. ७(११) के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चुने गए कुल ३०० वृद्धजनों में से ६३(२१ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया कि परिजनों से सामंजस्य बनाए रखने के लिए जनित समस्याओं का समाधान वे छोटी मोटी भूलें अनदेखी करके करते हैं जबकि ७१(२३.६७ प्रतिशत) वृद्धों ने बताया कि वे हानि लाभ की चिन्ता न करके, ८०(२६.६७ प्रतिशत) वृद्ध स्व-विवेक व सूझबूझ के साथ समस्याएं सुलझाते हैं; ३७(१२.३३ प्रतिशत) वृद्ध अत्यनत संयम तथा धैर्य से समस्याएं सुलझाते हैं जबकि ४९(१६.३३ प्रतिशत) वृद्ध समस्या जनित होने के समय, तत्काल प्रत्युत्तर न देकर समस्या का समाधान करते हैं। इन समस्त आनुभविक तथ्यों के आलोक में निम्न निष्कर्ष उद्घाटित किया जा सकता है- ***''अधिकांशत: वृद्धजन अपने परिवारीजनों से सामंजस्य बनाए रखने के लिए जनित समस्याओं के समाधान छोटी मोटी भूलें अनदेखी करके, हानि लाभ की चिन्ता न करते हुए, स्व-विवेक व सूझबूझ के साथ, संयम एवं धैर्य धारण करते हुए, तत्काल प्रत्युत्तर न देकर करते हैं।''***

******

अध्याय 8

वृद्धों के प्रति निदर्शितों के स्वयं के दृष्टिकोण

कुछ समय पूर्व भरतीय संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार हमारे परिवारों में वृद्धों की उपस्थिति आवश्यक एवं सुखद मानी जाती थी। देहातों में तो आज भी कहावत बतौर कह दिया जाता है कि: ''वृद्ध; परिवार की रीढ़ या ढाल होते हैं।'' इसका तात्पर्य यह है कि वे संकटकालीन परिस्थितियों में अपने जीवन के अनुभवों से परिवार की रक्षा करते रहते हैं। इसलिए उन्हें सम्मान दिया जाता था; और उनके प्रति मंगल कामना की जाती थी कि ''वृद्ध जब तक बैठे रहें; उतना ही अच्छा है।'' इसका कारण यह था कि वृद्ध लोग अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को हर बुरे कार्य के परिणामों से अवगत करबाते थे एवं भविष्य में सामने आने वाली कठिनाईयों (संकट) का पता अपने अनुभवजन्य ज्ञान (अनुभवों) के आधार पर लगाकर विषम परिस्थितियों से होने वाली हानियों से बचा लेते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के बढते प्रभावों के कारण आज वृद्धों के प्रति नजरिया (दृष्टिकोण) तेजी के साथ बदला है; उनके सम्मान, आदर-सत्कार में भी कमी आयी है; और यहाँ तक कि उन्हें (वृद्धों को) अब परिवार पर भार स्वरूप समझा जाने लगा है; इसलिए वे अलग-थलग एवं उपेक्षित अनुभव करते हैं। हाँ, कुछेक परिवारों; विशेषकर नौकरी करने वाली दम्पत्तियों; जिनकी औलादें छोटी-छोटी तथा उनके रख रखाव के लिए आवश्यकता अनुभव की जाती है; आवश्कता के वशीभूत, अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु ऐसी दम्पत्तियाँ, अपने वृद्ध (माता-पिता) की जरूरत अनुभव करते हैं। समाज में ऐसे कितने ही उदाहरण अवलोकित किये जा सकते हैं जो अपने बच्चों के रखरखाव के लिए वृद्धों की सेवाऐं ले रहे हैं। नि:सन्देह भारतीय परिवार

कतिपय अवसरों पर वृद्धों के बिना(अभाव में) अपूर्ण तथा उनकी कमी अनुभव जरूर करते हैं। परिवारों को उनके लम्बे अर्से के ज्ञान, अनुभवों, छत्रछाया व आशीर्वादों की परमावश्यकता है क्यों कि वृद्धजन; परिजनों के श्रेष्ठ संरक्षक, निर्देशक तथा सच्चे मार्गदर्शक होते हैं।

"यूनिसेफ समाचार"[१] (पाश्च लेख) वर्ष २००० के अनुसार वर्ष २००२ तक विश्व में ६० वर्ष तथा इसके अधिक आयु वाले वृद्धों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि की सम्भवना है जिसके कारण जनसंख्या का ढाँचा पूर्णतः अलग होगा; जिससे समस्त स्वास्थ्य व समाज कल्याण सेवाएं अस्त ब्यस्त तथा ध्वस्त होंगी। भारत में भी ६० वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले वृद्धों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि की सम्भावना है जिसके कारण जनसंख्या का ढाँचा पूर्णतः अलग होगा; जिससे समस्त स्वास्थ्य व समाज कल्याण सेवाएं अस्त ब्यस्त होंगी। भारत में भी ६० वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या (वर्ष २००२ तक) कुल जनसंख्या का १९.४ प्रतिशत हो जायेगी; जिससे नई चुनौतियाँ पैदा होंगी। यह सम्भव भी है क्योंकि जैव चिकित्सा तकनीक एवं औषधियों के कारण चेचक, क्षय रोग, हैजा जैसी बीमारियों पर नियंत्रण हो जाने से जीवन प्रत्याशा तथा जीवन अवधि में वृद्धि हुई हैं।

बदलती परिस्थितियों में अब समय आ गया है कि शासन को समयोचित कदम उठाकर अपने वृद्ध नागरिकों के लिए; उनके कल्याण एवं परिचर्या के लिए कोई प्रभवी राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनानी चाहिए क्यों कि इन वृद्धों ने अपनी सम्पूर्ण आयु एवं शक्ति; राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं राष्ट्र निर्माण व हित में लगायी है और इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सर्वश्व दाव पर लगा दिया है। इसलिए परिवार, समाज तथा राष्ट्र तीनों का यह दायित्व है कि वह वृद्धावस्था में उन्हें समुचित जीवन स्तर, समुचित आवास, चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य परिचर्या व देखभाल, आवागमन की निःशुल्क सुविधाओं के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें।[२]

यह कहना अनुचित तथा अप्रासंगिक न होगा कि हमारे राष्ट्र में अधिकांशतः वृद्धजन गाँवों में रहते हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि ग्रामीण वृद्धों की

समस्याएं, शहरी वृद्धों की तुलना में कुछ कम होती हैं। इसके पीछे तर्क कह दिया जाता है कि ग्रामीण अंचलों में संयुक्त परिवार प्रथा आज भी जीवित है जो एक मिथक मात्र है; अब ग्रामीण अंचलों में भी संयुक्त परिवार तेजी के साथ विघटित हो रहे हैं; क्योंकि अधिकांशतः वयोवृद्ध परम्परा में विश्वास करते हैं जबकि नई पीढी के लोग नवीन जीवन शैली तथा आधुनिक विचारधाराओं के पोषक हैं; सम्प्रति, वृद्धों का अपने परिवारों पर प्रभाव पर प्रभाव निरन्तर कम होता जा रहा है और परिवारों की सत्ताएं वृद्धों से युवा वर्ग की ओर हस्तान्तरित हो रही हैं। विभिन्न कारणों से ग्रामीण वृद्धजन दुखद व कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। लाभदायक रोजगार प्राप्त करने एवं आधुनिक भौतिकतावादी जीवन की आकांक्षाओं के कारण नवयुवक गाँव व परिवारों को छोडकर नगरों तथा महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। वे अपने पीछे खेतों तथा मकान की देखभाल और अपना इन्तजाम स्वयं करने लिए वृद्धों को गाँवों में छोड जाते हैं जो वृद्धजनों के लिए सबसे बडी समस्या है; यहाँ तक कि जमीन जयदाद का इन्तजाम, रख रखाव तथा देखभाल करना उनके लिए ''जी का जंजाल'' बन जाते हैं। वैसे भी वे अपनी वैयक्तिक समस्याओं से परेशान रहते हैं। फिर ऊपर से उन पर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ।

दूसरी ओर विचार करने पर हम पाते हैं कि नगरीय परिवेश में नगरीय वृद्धों के लिए कुछ चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो भी जाती हैं; परन्तु गाँवों के जर्जर शरीरों वाले अशक्त वृद्धों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, उनकी परिचर्या तथा विकास योजनाओं का नितान्त अभाव है; न उनमें जागरूकता है; और न अभिज्ञान; इसलिए ''कूप मण्डूक'' बनकर नगरीय जीवन जीने को विवश हैं। बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल के लिए भी कोई नजर नहीं आता, उनकी समुचित पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताएं भी कभी पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि भाग्य से जो रूखा सूखा मिल जाता है; पाकर सन्तोष कर लेते हैं।[3]

यदि परिश्रम की दृष्टि से विचार किया जाय तो नगरीय परिवेश में वृद्धों को सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पडता बल्कि जीविकोपार्जन के लिए पेंशन मिलती रहती है; जिससे वे अच्छा खा-पी सकते हैं। वे सहायक रोजगार भी

तलाश लेते हैं जिससे उनकी कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। ''जब कि गाँवों में वृद्ध अपने भरण पोषण तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए अन्तिम दम तक संघर्ष करते हैं। गाँवों में निवास करने वाले ऐसे वृद्धों की संख्या भारत में वर्तमान में साढे तीन करोड है। जिनके सम्मुख आर्थिक, असुरक्षा एवं बुरे स्वास्थ्य की समस्याएं मुँहबाए खडी हैं।''[४]

विभिन्न समाज वैज्ञानिक अध्ययनों तथा उनके आँकडों व तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे वृद्धजनों की संख्या तथा प्रतिशत काफी अधिक है जिनके पास अपना कोई स्त्रोत तथा अपनी कोई (निजी) आमदनी नहीं है। यथा:

(१) सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में ६० वर्ष तथा ६० वर्ष के अधिक उम्र के ३४ लाख पुरूष और २४ लाख महिलाएं थी जिनके पास आमदनी का कोई निजी जरिया (स्त्रोत) नहीं था। उन्हें परिवार और समाज ने उपेक्षित करके कष्टप्रद अन्त के लिए (भाग्य भरोसे) छोड दिया था।[५]

(२) सन् १९७७ में समाज कार्य संस्थान दिल्ली के एक अध्ययन दल ने ग्रामीण ३००० वृद्धों (६०+) का सर्वेक्षण करके निष्कर्ष दिया कि जिन वृद्ध लोगों के साक्षत्कार लिए गए उनमें से ४८.३ प्रतिशत की अपनी कोई निजी आय नहीं थी।[६]

(३) सन् १९८२ में समाज कार्य संस्थान मद्रास ने ५००० वृद्धजनों का व्यापक सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षत्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि द्वारा किया जो पाया कि ५१.९ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई निजी आमदनी नहीं थीं।[७]

(४) समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ; द्वारा सन् १९७५ में कराए गए वृद्धों के सर्वेक्षण से पता चला कि ५१.९ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई आय नहीं हैं।[८]

(५) टाटा इन्स्टीट्यूट बॉम्बे ने वर्ष १९९४ में १००० भारतीय ग्रामीण वृद्धों का सर्वेक्षण कराकर रहस्योद्घाटन किया है कि ८७.७ प्रतिशत वृद्धों की अपनी कोई निजी आमदनी नहीं है वे अपने परिवारों के सहारे उनके रहमोकरम पर जो मिल जाय; खाकर गुजर बसर करते हैं। इनमें से ४७.३ प्रतिशत वृद्धों के पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं हैं।[९]

उपरोक्त निर्दिष्ट विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त निष्कर्षो के द्वैतीयक समंकों तथा तथ्यों के आलोक में इसमें कोई सन्देह नहीं कि वृद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से भविष्य में और

भी अधिक कठिन समस्या उत्पन्न होगी। इससे सरकार का ध्यान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से हटेगा तथा समाज कल्याण पर इसका प्रत्यक्षत: दुष्प्रभाव पडेगा। अत: इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए समय से पूर्व ही उचित कदम उठाते हुए प्रयास किए जाने चाहिए। यह एक व्यापक कार्य है जिसे केवल सरकार द्वारा अकेले सुलझाना नितान्त असम्भव है क्यों कि इसके लिए कहीं विकास योजनाएं क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी; तो कहीं सामाजिक कार्यो की। इसलिए वृद्धजनों के कल्याणार्थ सरकारी, गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग व समर्थन की आवश्यकता होगी। यद्यपि सेवानिवृत्त वृद्धजनों के लिए तो शासन ने कई योजनाएं क्रियान्वित भी की हैं तथा और भी कल्याण कार्यक्रम चलाने की सम्भावनाऐं हैं। समाज कल्याण बोर्ड और समाज कल्याण मंत्रालय: ''भारत सरकार'' ऐच्छिक संगठनों के सहयोग से वृद्धों की क्षमताओं तथा अनुभवों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत हैं-

- पोषाहार कार्यक्रम
- नि:शुल्क वृद्धाश्रम व्यवस्था
- समेकित बाल विकास सेवाएं- ''कार्यक्रम''
- प्रौढ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम
- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम
- सहयोग परियोजनाएं (सरकारी भण्डारण सेवाएं)
- समाजसेवा कार्य इत्यादि

यह निर्विवाद एवं सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि दुनिया के प्रत्येक हिस्से में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठानों ने भी केवल वृद्धों के हित में ही नहीं; अपितु समाज कल्याण सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सच्चे मन से अहम व महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभायी हैं। परन्तु यह सच है कि जनता और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता न मिलने पर कोई भी ऐच्छिक; गैर सरकारी व ऐच्छिक संगठन वृद्धों के लिए कल्याण सम्बन्धी अच्छा कार्य नहीं कर सकता।

सर्वेक्षण काल में साक्षत्कार सम्पन्न करते हुए शिक्षित सेवा निवृत्त विभिन्न वृद्ध निदर्शितों ने वृद्धों की समस्याओं व देखभाल के सन्दर्भ में कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं जो निम्नांकित हैं-

- वृद्धों की समुचित देख रेख के लिए एवं कल्याणार्थ शासन स्तर पर ''राष्ट्रीय योजना'' बनाई जाय।
- वृद्धों के लिए गाँवों तथा शहरों में जनपद तथा तहसील स्तरों पर पृथक-पृथक ''होस्टल्स'' ''सेवाश्रमों'', ''वृद्धाश्रमों''तथा ''अवकाश सदनों'' की स्थापनाएं की जांय।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न विकास व सेवा कार्यक्रमों व योजनाओं में वृद्धों की सेवाओं का यथा सम्भव उपयोग किया जाय।
- वृद्धों के प्रति सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व की भावनाओं को बल प्रदान करने के लिए '' जन चेतना कार्यक्रम'' शासन स्तर से चलाए जांय ताकि जन साधारण में अपने वृद्धों के प्रति जागरूकता व चेतना उभरे एवं सहानुभूति जनित हो।

निदर्श सूचनादाताओं (सेवा निवृत्त शिक्षित वृद्धजनों) ने तो यह स्वीकार किया है कि इन्हें अकेले सरकार क्रियान्वित नहीं कर सकती है क्यों कि एक ओर तो समस्याएं संख्या में अधिक, अत्यन्त विषम तथा जटिल हैं; वहीं दूसरी ओर इनके प्रति कुछ सामाजिक दायित्व भी अधिक हैं। अतः सरकार और समाज के बीच स्वैच्छिक संगठन व गैर सरकारी संस्थाएं सेतु का कार्य कर सकती हैं। इन दोनों के मध्य और अधिक समन्वय स्थापित करके केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपनी परम्परागत भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह कर सकता है एवं वृद्धों के प्रति सामाजिक परिवर्तन के कार्यों में रचनात्मक तथा उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है।

अध्ययन क्षेत्र मोंठ विकास खण्ड के अन्तर्गत; श्री अनार सिंह जाटव गाँव-पेंढत, उम्र-७१ वर्ष (सेवानिवृत्त बैंक कर्मी) निदर्शित ने साक्षात्कार देते समय अनुसंधित्सु को बताया कि- '' जिस प्रकार पश्चिमी देशों में वृद्धों के लिए ''छात्रावास'' एवं आश्रय गृहों की व्यवस्था है; जहाँ पर उन्हें हर प्रकार की सुख-सुविधाएं प्रदान की जाती है; हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं का शुभारम्भ हो गया है। मैट्रोपोलिटन सिटी बम्बई एवं दिल्ली में लाइन्स क्लब द्वारा इस विचार को साकार रूप दे दिया गया है। इसी तरह इन्दौर नगर (म. प्र) में भी वृद्धों के लिए ''महाराष्ट्र मण्डल''- ऐच्छिक महाराष्ट्रियन संगठन द्वारा

एक आश्रय गृह की व्यवस्था वृद्धों के लिए की गयी है ऐसी ही व्यवस्था जबलपुर (म.प्र.) में भी है; जो पूर्णतः गैरशासकीय है। ठीक इसी प्रकार क्रिश्चियन लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में ग्रामीण अंचल (निकट निधौली कलाँ) में सुखद वृद्धावस्था हेतु ''वृद्धाश्रम'' चलाया जा रहा है जिसमें पंजीकृत निराश्रित वृद्धों को मुफ्त परिचर्या, खाना, वस्त्र एवं रहने की समुचित व्यवस्था है; वृद्धों के मनोरंजन के लिए टी.बी., हारमोनियम, जोरा, खडताल, ढोलक, मजीरा, चिमटा आदि वाद्ययंत्र, पुस्तकालयी व्यवस्था के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए खरगोश, चिडियाएं आदि पाले गए हैं। समयानुसार भोजन व सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं; जिसमें ६५ वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध-वृद्धाओं की निःशुल्क (सेवार्थ) भर्ती की जाती हैं जो कि जनपद के निवासी हैं, को समय-समय पर उनके स्वास्थ्य-परीक्षण तथा चिकित्सीय सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान करायी जाती हैं जो इस आश्रय गृह में वर्तमान में ५३ वृद्धजन सेवा लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो अपनी व्यवस्थाएं स्वयं सेवक रूप में करते हैं। आर्थिक भार एवं सम्पूर्ण व्यवस्थाएं इस क्रिश्चियन संस्था के प्रभारी-''श्री फजल मसीह प्रसाद'' देख रहे हैं। आपके कुशल निर्देशन में यह संस्था विगत तीन वर्षो में काफी ख्याति अर्जित कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि अनुसंधित्सु भी इस संस्था का अवलोकन करने स्वयं गयी तथा की जा रही ''वृद्धाश्रम व्यवस्था'' को सराहा; कि इतनी विशाल संस्था निर्विध्न रूप से वृद्धों को सेवाकार्य कर रही है। २१ दिसम्बर २००० को आश्रम प्रभारी श्री फजल मसीह प्रसाद ने जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के एक चिकित्सीय दल द्वारा आश्रम में सेवालाभ ले रहे वृद्धजनों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराये तथा बीमार पाए वृद्धजनों को निःशुल्क दवाईयाँ वितरित की गयीं। यह जाँच दल निरन्तर तीन रविवारों में यहाँ आया एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण किए तदुपरान्त स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रदान भी किए। ठीक इसी प्रकार मार्च ११; २००१ को झाँसी की मोंठ नगर पालिका के चैयरमैन ''बैजल साहब'' द्वारा आश्रम पर वृद्धों को वस्त्र एवं फल वितरण किया गया। अनुसंधित्सु का मत है कि इसी प्रकार से सेवाभाव द्वारा वृद्धों की सहायताएं की जांय तो आम जनता में जनचेतना जागृत होगी। निम्न तालिका वृद्धावस्था के प्रति निदर्शितों केस्वयं के दृष्टिकोणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ८.१ : वृद्धावस्था के प्रति निदर्शितों के दृष्टिकोण (अभिमत)

क्रम	वृद्धों के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी विवरण	निदर्शितों के दृष्टिकोण (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	वृद्धों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपमानित महसूस न करें।	२७० (९०.००)	-- (००.००)	३० (१०.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	वृद्धों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।	२४९ (४३.००)	-- (००.००)	५१ (१७.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
३.	उनकी बौद्धिकता, क्षमताओं एवं उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए।	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
४.	नया कार्य करने से पूर्व तथा विषम परिस्थि-तियों में उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए।	२१६ (७२.००)	०५ (०१.३७)	७७ (२५.६७)	०२ (००.६६)	३०० (१००.००)
५.	उनकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार किया जाना चाहिए।	२७६ (९२.००)	-- (००.००)	२४ (०८.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
६.	उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाॅए ताकि वे उपेक्षित/तिरस्कृत अनुभव न करे।	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
७.	उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मनोरंजन आदि का ध्यान रखना चाहिए	१९८ (६६.००)	-- (००.००)	९३ (३१.००)	०९ (०३.००)	३०० (१००.००)
८.	उनके स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं पर विशेष ध्यानाकर्षित किया जाना चाहिए।	१८३ (६१.००)	-- (००.००)	११७ (३९.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
९.	उनके साथ सामंजस्य करने के अधिकतम प्रयास किए जायें।	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
१०.	भले ही कुछ मुद्दों पर उनके तथा आपके विचार मेल न खाते हों। फिर भी विरोध न जताएं ताकि उन्हें तनाव न हो।	१८६ (६२.००)	७२ (२४.००)	४२ (१४.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
११.	उनके जीते जी उनकी सम्पत्ति का बंटवारा न करें और न बर्बाद करें।	१८३ (६१.००)	३३ (११.००)	७८ (२६.००)	०६ (०२.००)	३०० (१००.००)
१२.	उनको कभी ऐसा ऐहसास न होने दें कि परिवार की सत्ता हस्तानान्तरित हो जाने से उनका प्रभाव कम हो गया है।	२७० (९०.००)	-- (००.००)	२७ (०९.००)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)

(नोट-कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शातें है।)

प्रस्तुत तालिका अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० सूचनादाताओं द्वारा वृद्धजनों के प्रति दर्शाए गए दृष्टिकोणों/अभिमतों पर प्रकाश डालती है। कुल ३०० निदर्श सूचनादाताओं में से २७०(९०.०० प्रतिशत)सूचनादाताओं ने स्वीकार किया कि वृद्धों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपमानित महसूस न करें, २४९(९३.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वृद्धों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि अब वे इसके पात्र हैं, ३००(१००.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं की मान्यता है कि वृद्धजनों की बौद्धिकता, क्षमताओं एवं उनके जीवनभर के अनुभवों का भरपूर लाभ लेना चाहिए, २१६(७२.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया कि

कोई भी नया कार्य करने से पूर्व तथा विषम परिस्थितियों में अपने वयोवृद्धों से सलाह मशविरा (परामर्श) अवश्य करना चाहिए ताकि वे समझें कि परिवार में हमारी अहमियत हैं, २७६(९२.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप (ध्यान में रखकर) उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ३००(१०० प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वृद्धजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाय ताकि वे गौरवान्वित अनुभव करें, न कि उपेक्षित तथा तिरस्कृत; १९८(६६.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया कि वृद्धजनों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोरंजन आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि खाली समय में वे ऊब (निष्क्रियता) का अनुभव न करें; १८३(६१.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं बताया कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए; यदि सम्भव हो सके तो समय-समय पर वृद्धों के स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए जांय क्यों कि वृद्धावस्था में शतप्रतिशत वृद्ध बीमार अनुभव करते हैं; ऐसा करने से उनकी शंकाओं का समाधान होता रहेगा; निदर्शितों में से शतप्रतिशत सूचनादाताओं के विचार हैं कि वृद्धजनों के साथ सामंजस्य (समायोजन) स्थपित करने के अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे तनाव रहित अनुभव करें; १८६(६२.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि भले ही कुछ मुद्दों पर उनके (परिजनों) तथा स्वयं के विचार मेल न खाते हों; फिर भी विरोध न जताएं ताकि वे तनाव रहित जीवन जी सकें; १८३(६१.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि उनके जीते जी उनकी सम्पत्ति का बंटबारा न करें और न बर्बाद करें; ऐसा करने से उन्हें सन्तोष तथा मन: शान्ति मिलती है; २७०(९०.०० प्रतिशत) सूचनादाताओं का कहना है कि वृद्धजनों को कभी ऐसा ऐहसास न होने दें कि परिवार की सत्ता हस्तानान्तरित हो जाने से परिवार तथा परिजनों पर उनका प्रभुत्व (प्रभाव) कम या समाप्त हो गया है ऐसा न करने पर: (१) परिवार व परिवारीजनों से उनका लगाव पूर्ववत् नहीं रहेगा (२) वे अपमानित अनुभव करेंगे (३) उनमें पृथक्करण (अलगाव) की भावना पनपेगी।

******

सन्दर्भ-सूची

१. यूनिसेफ समाचार (पश्च लेख)- २००० ''द्वारा-बोट्टसन एफ.जी.; प्रॉबलम्स ऑफ रुरल ऐज्ड एण्ड देयर वैलफयर, अंक-१०, संख्या (१) भाग-२, परिशिष्ट ३ पृष्ठ-७ जिनेवा-२०००''

२. भट्टाचार्य बी.एन.; वृद्धों के प्रति, हमारे कर्तव्य ''समाज कल्याण'' केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जीवनदीप, संसद मार्ग नई दिल्ली वर्ष-२८ अंक-१ अगस्त १९८२, पृष्ठ-३४

३. चौधरी डी.पॉल ; ''वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए कल्याण सेवाएं'' एक अध्ययन, प्रकाशित शोध प्रबन्ध; डी.ए.बी.बी. प्रकाशन (प्रा.लि.) इन्दौर (मध्य प्रदेश), १९९७, पृष्ठ-२०५

४. सिन्हा एस.सी. ; ग्रामीण वृद्धों की आर्थिक समस्याएं, ''जन सहयोग'' राष्ट्रीय अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, समाज विज्ञान संकाय पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ, जनवरी-१९९६, अंक-६(२३), पृष्ठ-२७

५. जनगणना (प्रतिवेदन) वर्ष-१९७१ (उद्घृत- वृद्धों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व- गांधियन इन्स्टीट्यूट ''शोध पत्रिका; मराठवाडा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद (महाराष्ट्र) वर्ष १९९८, पृष्ठ-८६-८७

६. समाज कार्य संस्थान; दिल्ली- सर्वेक्षण (प्रतिवेदन) ''वृद्धजनों की समस्याएं''- (समाज कार्य संस्थान) प्रकाशन, दिल्ली १९७७, पृष्ठ-१२४

७. समाज कार्य संस्थान, मद्रास- ''वृद्धावस्था''- अध्ययन दल की सर्वेक्षण रिपोर्ट- १९८२ (विशेषांक) समाज कार्य विभागीय पत्रिका पृष्ठ-४३६

८. समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ- विभागीय पत्रिका- १९७५, प्रकाशित प्रतिवेदन, पृष्ठ संख्या-५५

९. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोसल वर्क; बॉम्बे ''भारतीय वृद्ध''- ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में: एक सर्वेक्षणात्मक विश्लेषण; अध्ययन दल प्रतिवेदन- १९९८, पृष्ठ-६७ (उद्घृत: विज्ञान प्रसार की मासिक पत्रिका ''ड्रीम'' मार्च २००१, खण्ड-३, अंक-६, पृष्ठ-११, प्रकाशित कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली)

******

अध्याय 9

सामाजिक पुनर्वास : शासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाएं एवं कल्याण सेवाएं

अब समय का गया है कि खुले मन से " सामाजिक चुनौतियों व शासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाओं" पर विचार किया जाय। यद्यपि हमारा संविधान समता की गारण्टी देता है फिर भी वृद्धों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके पीछे तथ्य यह है कि सरकार अकेली सभी वृद्धों को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती; सम्प्रति प्रत्येक कल्याण सेवान्तर्गत लोगों की भागीदारी एवं जनचेतना आवश्यक है। क्योंकि हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन विषम होती जा रहीं है। हम मानवीय कौशल में बहुत ऊपर हैं परन्तु प्रति व्यक्ति खाद्य, दीर्घायु, स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई शिक्षा तथा सामान्य जीवन स्तर के मामलों में बहुत पीछे हैं। लाखों व्यक्तियों को भोजन, पानी, आश्रय तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, फिर भी असन्तुलन और असमानता (विषमता) मौजूद हैं; इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कुछ कमी या गलत अवश्य हैं। सुस्पष्ट है कि योजनाओं के दृष्टिकोण एवं सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के दृष्टिकोणों में अन्तर्विरोध अवश्य है। अतः निराशा, असफलता तथा कुण्ठा की भावनाऐं पनप रहीं हैं जिससे संकल्प शक्ति में कमी हुई है। जिससे सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी आकांक्षा का अभाव तथा समन्वय की कमी हम में दृष्टिगत है। उल्लेखनीय है कि ज्वलन्त मानवीय समस्याओं के प्रति जन चेतना उत्पन्न होने से संकल्प शक्ति तथा कानून निर्माण में सहायता मिलती है। इसलिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐच्छिक क्षेत्र (स्वैच्छिक संगठनों) को और भी अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। भले ही आज हजारों ऐच्छिक संगठन क्रियाशील हैं जो निराश्रितों, गरीबों, वृद्धों तथा बेसहाराओं तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं। केन्द्रीय

समाज कल्याण बोर्ड अपने विभिन्न सहायता कार्यक्रमों को क्रियाविन्त करने तथा सफलता के लिए लगभग ७००० ऐच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जिन्हें दानी, उपहार देने वाले, अथवा सेवा संगठनों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उनमें यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि ऐसे सक्रिय संगठन हैं जो जन सामान्य के बीच जन चेतना जागृत करने एवं सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिवद्धता में सहायता प्रदान करने के कार्य करते हैं।

आंग्ल भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शैक्सपियर का कथन है कि-''दया की भावना को दोहरी शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं; जो प्रदर्शित करता है उसे भी; जो प्राप्त करता है उसे भी।'' यह बात ऐच्छिक समाजकार्य के सन्दर्भ में भी सत्य साबित होती है; जिसमें स्वेच्छा से पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया जाता है; करूणा व दया में उच्चतम और उदारतम मानवीय मूल्यों, प्रेम, सौहार्द तथा मानव का मानव के प्रति लगाव की एक अभिव्यक्ति निहित होती है। समाज कोई भी हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और सम्पन्न क्यों न हो; जब तक अपने नागरिकों; अभाव ग्रस्त लोगों, निर्बलों, वृद्धों, विकलांगों और उपक्षित वर्गो के प्रति सामाजिक चेतना एवं लगाव की भावनाएं जनित नहीं कर पाता; तब तक वह सामंजस्यता और अखण्डता को बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार ऐच्छिक समाजकार्य एक ऐसा उदारतम सृजनात्मक/रचनात्मक कार्य है जो सामाजिक-आर्थिक परिर्वतन की प्रक्रिया में सुधार व एकीकरण (समन्वय) सम्बन्धी कार्यो को सुदृढ बनाने में महती भूमिका निर्वाह कर सकता है क्योंकि-''प्रेरणादायक भूमिकाएं; ऐच्छिक समाजकार्य की सृजनात्मक (रचनात्मक) क्षमता की प्रतीक होती हैं।''

हमारे पास एक उत्कृष्ट सामाजिक-साँस्कृतिक विरासत है जिसके मूल्यों व आदर्शो के आधार पर हम सृजनात्मक ऐच्छिक समाजकार्य का एक सुदृढ भवन खडा कर सकते है; बशर्ते हम में इच्छा शक्ति हो। भले ही हमारी सामाजिक सेवाओं पर भारी दबाव है; और इसीलिए जन हितार्थ नए दृष्टिकोण अपनाने की परम आवश्यकता है। साथ ही अब समय आ गया है कि सरकारी तथा गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों; जिन्हें योजना

आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विकास एवं शिक्षा मंत्रालय तथा विभिन्न ऐच्छिक संस्थाओं के मध्य सुदृढ सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए ताकि कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ७ अप्रैल १९९९ में नारा दिया था कि-''स्वास्थ्य सबके लिए'' यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो अन्य शब्दों में इसका आशय यह कहा जा सकता है कि-''सबके जीवन के वर्ष बढ जांय।'' इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम वृद्ध सेवा की विशेष आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करें तथा ध्यान दें। क्योंकि वृद्धावस्था (बुढापा) केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है अपितु एक मानसिक स्थिति तथा एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार सम्भव नहीं है। वहां लोग बूढों को बीमार बच्चा समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. महालर का कहना है कि-''बूढों को ऐसा समझा जाता है मानो वे कब्र की ओर लडखडाते हुए पैर बढा रहे हैं।'' मन और शरीर की बीमारी से तबाह हो चुके हैं; उनमें दूसरों के प्रति प्रेम तथा ममता की भावनाएं समाप्त हो गयी हैं; वे अपनी देखरेख नहीं कर सकते हैं। ये समस्त धारणाएं नितान्त झूठी हैं, भ्रामक हैं। वे समाज में उपयोगी काम कर सकते हैं। उनमें सहानुभूति है, लगाव है, ममता है, प्रेम है। उनका मन और बुद्धि धुंधली नहीं है। वृद्धों को निस्सहाय तथा निरर्थक समझने की भावना हमें त्यागनी होगी। इसीलिए आज राष्ट्र संघ तथा उसके स्वास्थ्य संगठानों द्वारा वृद्धजनों के प्रति आदर, सेवा तथा समाज द्वारा उनकी देखरेख सम्बन्धी अभियान चलाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अपने देश में वृद्धों का आदर उनकी सेवा तथा परिवार में उनका मान-सम्मान हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का पवित्र अंग है। परन्तु संयुक्त परिवारों के टूटने से स्थिति शनैः शनैः बदल रही है; अतः वृद्धों की सेवा तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए समाज कल्याण कार्यो की आज परम आवश्यकता है।

भारत में समाज कल्याण की अवधारणा लोचदार एवं गतिशील रही है। विभिन्न देशों में, विभिन्न कालों एवं विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इसके अर्थ एवं क्षेत्र में परिवर्तन होते रहे हैं। इसी परिवर्तनशीलता के कारण आज भी समाज कल्याण की स्पष्ट, संक्षिप्त तथा विश्वसनीय परिभाषा देना कठिन नहीं तो

दुष्कर अवश्य है। विगत वर्षो में कुछ विद्वानों ने समाज कल्याण की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सर्वश्री एलिजाबेथ विकेडेन के अनुसार (१९९७:३५) समाज कल्याण के अन्तर्गत ऐसी विधियाँ, कार्यक्रम, लाभ सेवाएं आती हैं जो उन सामाजिक आवश्यकताओं को आश्वस्ति प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बनाती हैं जो उन सामाजिक आवश्यकताओं को आश्वस्ति प्रदान कर तथा शक्तिशाली बनाती हैं जिन्हें जन कल्याण तथा सामाजिक व्यवस्था के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आधारभूत माना जाता है।

प्रो. जॉन एम. रोमाधुनिशिन (१९९९:६०) के दृष्टिकोण में समाज कल्याण में, ''सामाजिक हस्तक्षेप के वे सभी रूप आते हैं जिनका प्राथमिक तथा प्रत्यक्ष उद्देश्य अधिकाधिक व्यक्तियों तथा सम्पूर्ण समाज दोनों के कल्याण को बढावा देना है। इस रूप में समाज कल्याण के अन्तर्गत वे प्रावधान तथा प्रक्रियाएं आती हैं जो समस्याओं के उपचार तथा निवारण, मानवीय साधनों के विकास तथा जीवन के गुणों में गुणात्मक सुधार से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित होती हैं।''

सर्वश्री वाल्टर ए. फ्रीडलैंडर (१९९९:१०२) ने समाज कल्याण की परिभाषा देते हुए कहा है,''समाज कल्याण, सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था है, जिसका कार्य; मानव जीवन तथा स्वास्थ्य के संतोषजनक जीवन स्तर को प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों और समूहों की सहायता करना हैं इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना है जो व्यक्तियों को परिवार तथा समुदाय की आवश्यकताओं से समन्वय रखते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने और अपने कल्याण की वृद्धि करने को अवसर अधिकाधिक प्रदान करते हैं।''

इस प्रकार उपर्युक्त अवधारणाओं के प्रकाश में स्पष्ट होता है कि समाज कल्याण उन वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों, प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का समन्वय है जिसका मुख्य उद्देश्य मान्य तथा मानक मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों तथा उनके मानव समूहों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना या उनका बहु आयामी गुणात्मक विकास तथा समाजिक पुनर्वास करना है। साथ ही-

- समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं, संस्थाओं, प्रावधानों; प्रयासों तथा प्रक्रियाओं का सम्मिलन है जिसके द्वारा वैयक्तिक या सामूहिक कल्याण किया जाता है।
- सामाज कल्याण व्यक्ति, समूह या पूरे समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक प्रयास है जो जनहित परक एवं तत्कालीन सामाजिक मूल्यों द्वारा स्वीकृत हों।
- समाज कल्याण के क्षेत्र में राज्य तथा सार्वजनिक संगठनों के योगदान के अतिरिक्त ऐच्छिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों के प्रयास भी आते हैं।
- समाज कल्याण के अन्तर्गत निर्धनों, महिलाओं, आश्रितों, वृद्धों, विकलांगों तथा समाज के अन्य दुर्बल व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाएं प्रदान तो की ही जाती हैं और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सर्वसाधारण की सामर्थ्य को बढाने, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, समाज की कुरीतियों को दूर करने, जन समुदाय के लिए विकास के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने तथा समाज कल्याण कार्यो के साथ-साथ समाज की पुनर्सरचना के लिए चेष्टाएं की जाती हैं।
- समाज कल्याण का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे-वैसे समाज कल्याण के उद्देश्य और सेवा सम्बन्धी क्षेत्र बदलते रहते हैं।

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में समाज कल्याण कार्य मुख्यत: दान या परोपकार की भावना से किया जाता था। बाद में कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रादुर्भाव के साथ, समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य समाज के अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा सामान्य नागरिकों की मूलभूत सामाजिक समस्याओं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास आदि समस्याओं के समाधान हेतु राजकीय एवं सामूहिक प्रयास करना था। औद्योगीकरण के विस्तार तथा मजदूरों के स्थायी वर्ग की संख्या में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप समाज कल्याण कार्यो के अंतर्गत जीवन के खतरों जैसे वृद्धावस्था, मातृत्व, मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना आदि के प्रति सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाने लगा। बाद में 'सामाजिक' के स्थान पर 'सामाजिक नियोजन' समाज

कल्याण का मुख्य विषय बना। आज विश्व के अनेक देशों में समाज कल्याण के अन्तर्गत कल्याणकारी समाज की परिकल्पना अधिक व्यापक हो गई है। इनका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि-

दान अथवा परोपकार :

मानव कल्याण की दृष्टि से जन हिताय सर्वोपरि मानवीय मूल्य माने जाते हैं तथा यह भी कहा जाता है कि दान, बित्त समान : ''परहित सरिस धर्म नहिं भाई'' अर्थात् परोपकार सर्वोपरि मानवीय धर्म है ''जीओ और जीने दो'' मूल मंत्र इसका मौलिक दर्शन है।

इस प्रकार समाज कल्याण के पीछे दान या परोपकार की भावना प्राचीन समय से ही सबसे प्रबल प्रेरणा का कार्य करती रही हैं। विभिन्न धर्मो के अन्तर्गत परोपकार या दान को धर्म का अंग माना गया है। प्राय: सभी प्राचीन धर्मो विशेषकर हिंदू, यहूदी, ईसाई, रोमन आदि धर्मो के उपदेशों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने तथा पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए दानशीलता तथा परोपकार को व्यापक महत्व दिया गया है। ग्रीस, मिस्र, बेबीलोन आदि प्राचीन सभ्यताओं में भी जिन्हें संस्कृति के आदि स्त्रोत माना जाता है। इसी धार्मिक भावना से उत्प्रेरित होकर राजाओं, धनी-मनी उदारमना तथा परोपकारी व्यक्तियों तथा सर्वसाधारण लोगों ने भी दान पुण्य के रूप में निर्धनों विकलांगों, अनाथों, निराश्रितों तथा अन्य दीनों एवं दलितों की सहायता की। अनेक स्थानों में धार्मिक संस्थानों जैसे मठों, आश्रमों तथा विहारों में निर्धनों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था की गई। भारत में सदियों से तीर्थ स्थानों तथा धार्मिक केन्द्रों में निर्धनों के सहायता दी जा रही है। धार्मिक उद्देश्य के किए गए समाज कल्याण की एक मुख्य विशेषता कल्याणकारी कार्य के पीछे दाता की महानता तथा आत्मसंतोष भावना का सबसे प्रबल उत्प्रेरक के रूप में होना रहा है।

मध्यकालीन युग में कई यूरोपीय देशों में दान का एक बडा उत्तरदायित्व पादरियों तथा स्थानीय पुरोहितों को सौंपा गया था जो कालांतर में धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य इसी प्रकार व्यापक होते गए। अनेक स्थानों में निर्धनों के लिए आश्रमों की स्थापनाएं की गई। इनमें अनाथों, वृद्धों, बीमारों तथा निराश्रित अशक्तों

के लिए कल्याणकारी कार्य विभिन्न रूपों में किए जाते थे एवं आज भी हो रहे हैं क्योंकि परोपकारियों तथा दानवीरों की कभी कमी नहीं रहीं है।

भारत में संविधान ने भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया है। संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों के अतिरिक्त कल्याण सम्बन्धी अन्य बातों का विशेष उल्लेख है। राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य के कई तत्व निहित हैं। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक कारगर रूप में स्थापना करके और उसका संरक्षण करके लोक कल्याण को प्रोत्साहन देने का सतत् प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो। सरकार ऐसी नीति का निर्देश करेगी कि वह सभी स्त्री-पुरूषों को जीवन यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे सके। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाया जाएगा। बेरोजगारी, बुढापे, बीमारी तथा अशक्तता या आवश्यकता की अल्पपूर्ति की अन्य दशाओं में सरकार सबको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार को इसके लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए कि 'कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, कार्य की मानवीय दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा अवकाश के अवसर सुलभ कराने और सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं का पूर्ण आनन्द उठाने की व्यवस्था हो।

यह सर्वविदित है कि समाज में दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, प्रसूति के समय अथवा कमाने वाले की मृत्यु आदि से उत्पन्न समस्याएं अत्यन्त ही जटिल होती हैं। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के विकास के साथ, जीवन के इन खतरों से उत्पन्न आर्थिक असुरक्षा व्यापक होती गई। परिवर्तित आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में इन खतरों के प्रति आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में परिवार एवं ऐच्छिक संस्थाएं असमर्थ हो गई। इन खतरों की व्यापकता तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए राज्य की ओर से सामाजिक सुरक्षा से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति,

बीमारी की स्थिति में अवकाश तथा लाभ, प्रसूति की अवस्था में अवकाश एवं अनुदान , वृद्धावस्था के लिए भविष्य निधि एवं पैंशन, जीविकोपार्जक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को अनुदान तथा पैंशन,बेरोजगारी के समय अनुदान, स्वास्थ्य बीमा तथा निर्धनता की स्थिति में सामयिक सहायता आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार कालान्तर में समाज कल्याण कार्यो के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गई।

भारत में भी वृद्धावस्था, दुर्धटना, प्रसूति, जीविकोपार्जक की मृत्यु आदि से उत्पन्न आर्थिक असुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं लेकिन अन्य विकसित देशों की तुलना में ये कम हैं। समय के परिवर्तन के साथ अनेक विकसित देशों में समाज कल्याण के अन्तर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' के स्थान पर 'सामाजिक नियोजन' को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। सामाजिक नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न कुप्रभावों का निवारण तथा सभी व्यक्तियों के बहुआयामी विकास के लिए उचित जीवन दशाओं का निर्माण, राज्य के क्रियाकलापों के मुख्य तत्व बन गए। इसके अन्तर्गत आय की असमानता में कमी, शोषित वर्गो की रक्षा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सेवाओं की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाने लगा। सामाजिक नियोजन में सर्वसाधरण के विकास के लिए सुनिश्चित ध्येय एवं कार्यक्रमों के अनुसार भारत में भी विभिन्न कार्य किए जाते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत समाज कल्याण तथा सामाजिक नियोजन पर निरन्तर जोर दिया गया है। लेकिन आज निरन्तर रूप से कल्याणकारी समाज के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास ही कल्याणकारी समाज का मुख्य लक्ष्य है। इसमें मानवीय प्रतिष्ठा तथा समुदाय के उत्थान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। राज्य के साथ-साथ समाज की विभिन्न संस्थाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देती हैं। सरकार अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से और गैर शासकीय स्वैच्छिक संगठन तथा संस्थाएं अपने योगदान से इन आदर्शो को वास्तविकता में परिणित करने में लगी हुई हैं।

वर्तमान सन्दर्भो में भारत में सामान्यत: ६० वर्ष की आयु के व्यक्ति को वृद्धों की श्रेणी में गिना जाता है। ५८ वर्ष की आयु में नौकरी से निवृति पाकर जब उसे घर बैठना

पडता है तब वह सचमुच ही अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, बेकार महसूस करने लगता है। टूटी आराम कुर्सी पर अखबार पढना, घर के छोटे मोटे काम कर देना या अपने बूढे दोस्तों में अपने बीते हुए दिनों की चर्चा करना ही उसकी दिनचर्या बन जाती है। परिवार के लोग अक्सर उसकी पीठ पीछे उसके 'सठिया जाने' की बात करते हैं। घर के वे बच्चे जो कभी उसकी आवाज से थर्रा जाया कराते थे अब उसकी हर बात को मुस्करा कर उडा देते हैं। ऐसे में पुरूष तो फिर घर से बाहर जाकर अपने संगी साथियों में सब कुछ भुला सकता है किन्तु वह स्त्री जो बुढापे में अपने पुत्र या पुत्रियों के आसरे जीवन जीती हैं, अब आदेश देने के स्थान पर, मजबूरी में उनका आदेश मानती हैं। चाहे वह कामकाजी स्त्री रही हों या केवल गृहस्थिन, घर वालों की मर्जी के बिना वह मन्दिर भी नहीं जा सकतीं। ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढती जाती है, त्यों-त्यों उसके घर वालों की उसके प्रति उपेक्षा और बढती जाती है। उसे यह अपमान, यह उपेक्षा सहनी ही पडती है और कोई चारा भी तो नहीं होता उसके पास। असुरक्षा, अकेलेपन का तनाव और बढती बीमारियों का दबाव उसे सनकी बनाने लगते हैं। ऐसे में अधिकतर वृद्ध स्वयं पर ही खीजते एवं झुँझलाते रहते हैं। क्यों कि उन्हें हर पल हर क्षण ऐसी ही विभिन्न समस्याएं घेरे रहती हैं जिससे वे तनावग्रस्त रहते (रहती) हैं। कहने को भारत का यह वृद्ध समुदाय संयुक्त परिवारों के घेरे में सुरक्षित है। किन्तु वास्तव में क्या ऐसा है? आज की नव वधू, सास-ससुर के बिना अपनी गृहस्थी की कल्पना करती है। यह भी सत्य है कि उसकी इस कामना के पीछे बहुत से ठोस कारण होते हैं। वे सास-ससुर जो स्वयं कभी अपना स्वतंत्र संसार बसाने की कल्पना करते थे, आज अपनी बहू से आशा करते हैं कि वह केवल उन्हीं के अंकुश में रहे। उनमें से कुछ अधिक से अधिक दहेज पाने की लालसा में उस बेचारी की जान लेने से भी नहीं चूकते। इसी प्रकार की अनेक परेशानियों तथा तनावों के कारण संयुक्त परिवारों का रिवाज भी भारत में निरन्तर घटता ही जा रहा है। इसलिए वृद्धों की फजीहत भी हो रही है। लिखना अनुपयुक्त न होगा कि सबसे अधिक नुकसान उन वृद्धों को होता है, जिन्होंने समय रहते अपनी पूँजी जमा न करके अपनी सन्तान पर इस आशा में खर्च की थी कि बच्चा बडा होकर हमारी देखभाल करेगा, हमारे बुढापे का सहारा बनेगा। यह समस्या न केवल निम्न वर्ग के वृद्धों

की है अपितु मध्यम तथा उच्च वर्ग के वृद्ध भी इससे अछूते नहीं रहते। विधवा, वृद्ध तथा असहाय से यदि जायदाद छीन कर उसे बेघर बार करके निकाल देने की घटनाएं हैं तो विधुर तथा वृद्ध को ठीक से भोजन न देने, घर के अधिकतर काम करवाने पर भी हर समय प्रताडित करने की घटनाएं भी आम बात हैं। वृद्ध माता-पिता पर हाथ उठाना आज नई बात नहीं रही है। इस पर यदि वृद्ध या वृद्धा बीमार हो तो फिर केवल उसकी दुर्दशा का कल्पना बतौर अनुमान ही लगाया जा सकता है। अधिकतर लोग इन आरोपों को 'झूठ' कह कर टालना चाहेंगे, किन्तु कितने बंद दरवाजों के पीछे इन वृद्धों के साथ कैसा-कैसा व्यवहार होता है, यह तो वे बेचारे ही जान सकते हैं, जिनके साथ बीतती है या बीती हैं।

वृद्धों की इस प्रकार की समस्याओं मे बारे में साक्षात्कर करते समय अध्ययनकर्ता की एक ऐसी गृहिणी से बात हुई जो विधवा सास के साथ रहती है, क्योंकि इस बेटे के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं है। इस गृहिणी की झुंझलाहट सुनिए, "माताजी सारा दिन घर बैठी मुझ पर रौब झाडती रहती हैं। खाना कैसे बनाना है? बच्चे कैसे पालते हैं? किस पडौसिन से दोस्ती करनी है? किन रिश्तेदारों की खातिरदारी करनी है? यहाँ तक कि पति के पास किस समय बैठना है? इस बात का भी निर्णय वहीं स्वयं ही लेना चाहती हैं। किन्तु मैं उनकी सारी बातें इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती हूँ। फिर भी मन में कभी-कभी बहुत घुटन होती है कि आखिर मैं कोई गुडिया हूँ जो यह बुडिया मुझे चाबी से चलाती रहे?"

ठीक इसी तरह सर्वेक्षण काल में अनुसंधित्सु को एक वृद्धा ने बताया कि (अभी हाल में एक बोर्डिंग स्कूल की नौकरी से रिटायर हुई महिला की व्यथा सुनिए), "मेरे एक लडका और तीन लडकियाँ हैं। किन्तु लडके की बहू अपने घर में रखना तो क्या, बेटे से मेरा बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक लडकी ने अन्तर्जातीय कोर्ट मैरिज (विवाह) किया है, उसके यहाँ तो सास के रहने को अच्छा ही नहीं माना जाता है। रह गई दो लडकियाँ, जिसके भी घर जाती हूँ पति-पत्नी में मुझे लेकर तनाव हो जाता है। न तो मेरी खुराक ही अधिक है, न मैं उनकी किसी बात में दखल देती हूँ फिर भी न जाने क्यों, उन्हें मेरी उपस्थिति खटकती रहती है। शरीर मेरा अब ठीक नहीं रहता। ६५ वर्ष की आयु में ही अपाहिज जैसी बन गई हूँ। कुछ पैसा रिटायर होने पर मिला था, अकेली रहूँगी

तो कितने दिन चलेगा? फिर कौन; कब; अकेला जान कर मार डाले, यह भी तो डर लगता है। समझ में नहीं आता, कहाँ गुजारूँ बाकी के दिन?''

........''एक वृद्ध दम्पत्ति जिनकी कोई संतान नहीं है, उनका दुखड़ा सुनिए, ''दोनों से ही काम नहीं होता। बुढिया को गठिया है, दिन-रात पडी कराहती रहती है, जैसे-तैसे मैं खाना बनाता हूँ। हाथ पाँव मेरे भी चलते नहीं। शरीर हम दोनों का चलता नहीं, लेकिन खाना पूरा माँगता है। अब जमा पूँजी खत्म होने को है। सोचता हूँ, कुछ दिन बाद हमारा क्या होगा ? और अगर मान लो बुढिया से पहले मैं चल बसा तो इस अभागी का क्या होगा?'' इस रूप में बुढापा बहुत बडी लानत है। क्यों कि वृद्धों की समस्याओं का अन्त नहीं। किन्तु हल आसपास दीखता नहीं। बच्चों, महिलाओं, अपाहिजों आदि के लिए तरह-तरह की व्यवस्था की जा रही हैं। केवल वृद्ध ही समाज का वह हिस्सा है जिसे सहारा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि इन वृद्धों की सरकार तक की शिकायत है कि वहाँ न उनकी सुनवाई होती है, न कोई पूछता है; क्योंकि वे वृद्ध जो हैं।

अनुसंधित्सु; एन.एल. कुमार जिन्होंने आज से दो वर्ष पूर्व अवकाश प्राप्त करते ही 'एज केयर' नामक एक संस्था की स्थापना की, से मिला। उनकी संस्था का एक मात्र ध्येय वृद्धों की सहायता करना है। इस ओर इनका पहला चरण था दिल्ली के उन वयोवृद्ध नागरिकों का अभिनन्दन करना जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन एक स्वस्थ समाज की स्थापना में व्यतीत कर दिया और आज भी अपनी वृद्धावस्था से मजबूर हो चुपचाप नहीं बैठे हैं, बल्कि घर बाहर के लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं। संस्थापक श्री कुमार का कहना है, ''लोग ऐसे पुण्य कार्य में आगे आने से झिझकते हैं। वृद्धों को आज समाज का बेकार अंग माना जाता है। उनकी उपेक्षा तथा अवहेलना की जाती है। उनके पास पैसा है तो ठीक है, वरना उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता। उनकी अपनी संतानें उनसे दुर्व्यवहार करती हैं। वृद्धजन अपनी तरह से खाना चाहते हैं, अपनी तरह से रहना चाहते हैं और मैं 'एज केयर' के जरिए उन्हें यह सुविधा देना चाहता हूँ। हालांकि हमारे पास वृद्धों के रहने की कोई सुविधा नहीं है। केवल हमारे यहाँ डाक्टरों का एक पैनल है जो ६५ वर्ष से ऊपर के स्त्री पुरूषों की चिकित्सा मुफ्त करने को तैयार है। इस प्रकार के अनेक कैम्प (शिविर) हम

लोग लगा चुके हैं जहाँ रक्तचाप, शारीरिक जाँच-पडताल व छोटे-मोटे आपरेशनों की मुफ्त सेवा दी गई। मैं चाहता हूँ कि वृद्धों का एक ऐसा रैनबसेरा बना सकूँ जहाँ बैठे-बैठे काम करके भी थोडा पैसा कमा सकें जो बिल्कुल ही लाचार हों, उनका खर्चा हम सब मिलकर चलाएं। वे वृद्ध जिनकी जमीन जायदाद आदि को उनके रिश्तेदार आदि हडपने की चेष्टा में हों, उन्हें कानूनी सहायता मुफ्त देने की भी व्यवस्था हो।

ऐच्छिक संस्था 'एज केयर' (दिल्ली) के अतिरिक्त एकाध अन्य ऐच्छिक संस्थाएं भी हैं जो वृद्धों की सहायता करने का संकल्प किए हैं। किन्तु जो कुछ किया जा रहा है, बहुत कम ही नहीं अत्यन्त न्यून है। अनुसंधित्सु को सुनने में आया है कि मथुरा में एक जगह वृद्धा विधवाओं को एक मुट्ठी चावल और पचास पैसे रोज अपने जीवनयापन के लिए दिए जाते हैं और इसके एवज में उन्हें कई घंटे कीर्तन भजन करना पडता है। वहाँ की एक महिला जो अपने घर मायके (सर्वेक्षित क्षेत्र में) आयी है; से पूछने पर कि क्या इतने में उसका पेट भर जाता है? वह आकाश की ओर हाथ उठा कर बोली "का बताऊँ; बाकी दया ते जो मिल जाई। अर्थात्...... क्या कहूँ-भगवान की दया है जो इतना मिल रहा है। ऐसा उस वृद्धा ने कहा।" हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कल के युवक समय और अनुभवों की सीढी चढ कर आज के वृद्ध बनते हैं। चाहे वे निम्न वर्ग के हों, या उच्च वर्ग के हों। परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए वे अनावश्यक अंग नहीं हैं अपितु, अमूल्य निधि हैं। इस बात को समझते हुए यदि इन वृद्धों को कुछ काम पर लगा कर इनकी शक्ति और अनुभव को उपयोग किया जाए तो वास्तव में इन वृद्धों का जीवन अभिशाप नहीं अपितु वरदान साबित होगा। इसके साथ ही हमारी समाज कल्याण संस्थाओं और कालेज, विश्वविद्यालयों में पढने वाले युवक युवतियों को भी वृद्धों की समस्याएं समझने और हल करने के काम में लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने से युवा शक्ति का जनहित में उपयोग हो सकेगा एवं ऐच्छिक संस्थाएं तथा संगठन भी समाज कल्याण के क्षेत्र में श्रेष्ठ भूमिका निभाने में सफल हो सकेंगी; ऐसा अनुसंधित्सु का सुझाव है।

अनुसंधित्सु ने वृद्धजनों के सामाजिक पुनर्वास तथा कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत शासकीय तथा गैर शासकीय स्वैच्छिक संगठनों तथा विभिन्न अभिकरणों द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिकाओं को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया है-

(१) शासन द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिकाएं

(२) स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही भूमिकाएं

अनुसंधित्सु ने सर्वेक्षण काल में साक्षात्कार करते समय प्रत्येक सूचनादाता से पृथक-पृथक प्रश्न किया कि- ''क्या शासन भी आपकी कोई मदद करता है?'' सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनादाताओं के उत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. १.१ : ''क्या शासन भी आपकी कोई मदद करता है?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार

क्रमांक	*प्रश्न का प्रत्युत्तर*	*सूचनादाताओं की संख्या*	*प्रतिशत*
१.	''हाँ''	२०	०६.६७
२.	''नहीं''	६३	२१.००
३.	उदासीन	२१२	७०.६६
४.	अनुत्तरित	०५	०१.६७
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से २०(६.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि शासन वृद्धों की मदद करता है लेकिन अपेक्षित नहीं, ६३(२१ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि शासन वृद्धजनों की कोई मदद नहीं करता केवल योजनाओं की घोषणाएं करके खानापूर्ति की जाती है जबकि २१२(७०.६७ प्रतिशत) सूचनादाता (सर्वाधिक) साक्षात्कार के दौरान इस प्रश्न पर तटस्थ रहे हैं एवं मात्र ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाता इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहे हैं। इन समस्त आनुभविक तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है- (१) शासन वृद्धजनों के हितार्थ केवल खानापूर्ति के बतौर कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करता है (२) अधिकांशतः वृद्धजन जीवन के प्रति उदासीन हैं। निम्न तालिका इस प्रश्न के प्रत्युत्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है कि शासन वृद्धजनों को क्या-क्या सहायता (मदर्दे) प्रदान करता है?

तालिका नं. ९.२ : ''शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनान्तर्गत वृद्धजनों को प्रदत्त सहायताएं सूचनादाताओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सूचनाएं

क्रम	शासन द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदत्त सुविधाएं एवं तत्सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धी विवरण	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	निराश्रित विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत १२५ रू. प्रतिमाह पेंशन	१६५ (५५.००)	१३० (४३.३३)	०४ (०१.६७)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	निर्धनता की सीमारेख्यान्तर्गत जीवन-यापन करने वाले वृद्धों को २ रू. प्रति किलो राशन (गेहूं) तथा ३ रू. प्रति किलो चावल	२१३ (७१.००)	७६ (२५.३३)	११ (०३.६७)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
३.	रेलवे टिकट में (यात्रा करने पर) 'सीनियर सिटीजन्स कन्सेसन' प्रति टिकट २५ प्रतिशत	२४० (८०.००)	५७ (१९.००)	०३ (०१.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
४.	६५ वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को स्टेण्डर्ड टैक्स डिडक्शन के अतिरिक्त १५०००/- रू. की अतिरिक्त छूट	१०५ (३५.००)	१२७ (४२.३३)	६५ (२१.६७)	०३ (०१.००)	३०० (१००.००)
५.	निर्धनता की सीमारेख्यान्तर्गत जीवन-यापन करने वाले निराश्रित वृद्धों को १२५ रू. प्रति माह पेंशन सुविधा	७० (९०.००)	३० (१०.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
६.	सेवा निवृत्त शासकीय एवं अर्द्धशास-कीय कर्मचारियों को शासन के मानदण्डों के अनुरूप पेंशन	१९८ (६६.००)	१०० (३३.३३)	-- (००.००)	०२ (००.६७)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातिय निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं में से-

(१) निराश्रित विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में १६५(५५ प्रतिशत) सूचनादाताओं को जानकारी है, १३०(४३.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं को जानकारी कल्याणकारी योजनाओं की नहीं है तथा मात्र ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उदासीन उत्तर प्रदान किये हैं।

(२) निर्धनता की सीमारेख्यान्तर्गत जीवनयापन करने वाले वृद्धों को मिलने वाले राशन के सम्बन्ध में : २१३(७१ प्रतिशत) सूचनादाताओं को जानकारी नहीं है तथा ११(३.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इसका उत्तर उदासीन होकर दिए हैं।

(३) रेल से यात्रा करने पर सीनियर सिटीजन्स को रेलवे टिकिट में कन्सेसन के सम्बन्ध में : २४०(८० प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी नहीं है, ५७(१९ प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी नहीं है तथा मात्र ३(१ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस प्रश्न पर उदासीन अभिमत प्रकट किए हैं तथा कोई भी सूचनादाता सर्वेक्षण के दौरान इस प्रश्न पर अनुत्तरित नहीं पाया गया।

(४) ६५ वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को स्टेण्डर्ड टैक्स डिडक्शन के अतिरिक्त १५०००/-रू. की आयकर में अतिरिक्त छूट के सम्बन्ध में : १०५(३५ प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी है, १२७(४२.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी नहीं है, ६५(२१.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में उदासीन उत्तर प्रदान किए हैं तथा मात्र ३(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाता साक्षात्कार देते समय इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहे हैं।

(५) निर्धनता की सीमारेखान्तर्गत जीवन यापन करने वाले वृद्धों; जिनका कोई नहीं है के सन्दर्भ में : २७०(९० प्रतिशत) सूचनादाताओं को १२५ रूपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी पायी गयी है, जब कि मात्र ३०(१० प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी ही नहीं है; अध्ययन में कोई भी सूचनादाता अनुत्तरित तथा उदासीन उत्तर प्रदान करने वाला नहीं पाया गया है।

(६) शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासन के मानदण्डों के अनुरूप मिलने वाली पेंशन के सम्बन्ध में कुल ६३०० निदर्शितों में से १९८ (६६ प्रतिशत) निदर्शित सूचनादाताओं को इसकी जानकारी है, १००(३३.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं को इसकी जानकारी ही नहीं है, साक्षात्कार के दौरान कोई भी सूचनादाता इस प्रश्न पर अनुत्तरित नहीं रहा है।

इन उपर्युक्त समस्त प्राथमिक आंकडों के प्रकाश में निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अधिकांशत: सूचनादाताओं को विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदत्त लाभ सम्बन्धी शासकीय योजनाओं तथा क्रियान्वित कार्यक्रमों की जानकारी तो है लकिन वे अशक्त तथा अशिक्षित होने कारण योजनाओं से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सूचनादाताओं द्वारा इसके सम्बन्ध में बताए गए कारणों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ९.३ : ''शासकीय योजनाओं की जानकारी होते हुए भी लाभान्वित न हो पाने सम्बन्धी विभिन्न उत्तरदायी कारण''-सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार जानकारी

क्रम	योजनाओं से वृद्धों के लाभान्वित न होने सम्बन्धी विवरण	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	वृद्धजनों के निरक्षर तथा अशिक्षित होने के कारण	२४६ (८२.००)	-- (००.००)	५० (१६.६७)	०४ (०१.३३)	३०० (१००.००)
२.	योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न दोषों के कारण	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
३.	नियम होते हुए भी आवेदन पत्रों की खानापूर्ति न कर पाना	१८६ (६२.००)	३३ (११.००)	७९ (२६.३३)	०२ (००.६७)	३०० (१००.००)
४.	सरकारी विभागों में व्याप्त खुला भ्रष्टाचार तथा बिना रिश्वत लिए दिए कोई काम न होना	३०० (१००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
५.	थोडे से लाभ के लिए अधिक प्रयास न करना और अशक्त होने के कारण भाग दौड कर पाना सम्भव नहीं	१६५ (५५.००)	९० (३०.००)	४० (१३.३३)	०५ (०१.६७)	३०० (१००.००)
६.	शासन की करनी तथा कथनी में अन्तर होना	२७० (९०.००)	२१ (०७.००)	०९ (०३.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका में निर्दिष्ट प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० निदर्श वृद्ध सूचनादाताओं में से-

(१) २४६(८८ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह बताया है कि वृद्धजनों के निरक्षर तथा अशिक्षित होने के कारण वे शासकीय विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने में असमर्थ रहते हैं जबकि ५०(१६.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में उदासीन अभिमत व्यक्त किए हैं तथा मात्र ४(१.३३ प्रतिशत) सूचनादाता इस प्रश्न पर अनुत्तरित पाए गए हैं।

(२) शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अन्तर्गत व्याप्त विभिन्न दोष होने के कारण लाभान्ति न होने के सम्बन्ध में शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने सकारात्मक प्रत्युत्तर प्रदान किए हैं, नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाला कोई भी सूचनादाता नहीं पाया गया है; और न ही कोई सूचनादाता उदासीन उत्तर देने वाला; और न कोई अनुत्तरित सूचनादाता पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शासकीय विकास योजनाएं केवल दिखावा मात्र हैं।

(३) वृद्धजनों का कहना है कि आवेदन पत्रों की स्थानापूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाई आती हैं, बताने वाले १८६(६२ प्रतिशत) सर्वाधिक सूचनादाता पाए गए हैं, ३३(११ प्रतिशत) सूचनादाता नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाले, ७१(२६.३३ प्रतिशत) सूचनादाता उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले तथा मात्र २(०.६७ प्रतिशत) सूचनादाता इस विन्दु पर अनुत्तरित पाए गए हैं।

(४) सरकारी विभागों में व्याप्त खुला आर्थिक भ्रष्टाचार तथा बिना रिश्वत लिए दिए कोई काम न होना बताने वाले ३००(१०० प्रतिशत) शत प्रतिशत (सर्वाधिक) सूचनादाता पाए गए हैं। उदासीन उत्तर प्रदान करने वाला तथा अनुत्तरित एक भी सूचनादाता नहीं पाया गया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय विकास तथा कल्याण सम्बन्धी क्रियान्वित योजनान्तर्गत खुला भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं असफल हो रही हैं।

(५) अशक्त तथा जर्जर शरीर होने के कारण थोडे से लाभ के लिए भाग दौड तथा प्रयास न कर पाने वाले १२९(४३ प्रतिशत) सूचनादाता पाए गए हैं। इस सन्दर्भ में नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाले ८९(२७ प्रतिशत) सूचनादाता पाए गए जब कि ९०(३० प्रतिशत) सूचनादाता इस प्रश्न पर उदासीन प्रत्युत्तर प्रदान करने वाले पाए गए हैं। कोई भी सूचनादाता अनुत्तरित नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जर्जर शरीर वृद्धों के लिए अभिशाप है।

(६) शासकीय योजनाएं ''सफेद हाथी के समान'' बताने वाले १६५(५५ प्रतिशत) सूचनादाता पाए गए, ४०(१३.३३ प्रतिशत) सूचनादाता साक्षात्कार देते समय इस प्रश्न पर उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले पाए गए हैं; जब कि ५(१.६७ प्रतिशत) सूचनादाता साक्षात्कार के दौरान इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहे।

(७) विकास तथा सहायता योजनान्तर्गत शासन की कथनी और करनी में अन्तर होना; बताने वाले २७०(९० प्रतिशत) सूचनादाता पाए गए हैं, जब कि २१(७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इसके विरोध में (नकारात्मक) उत्तर प्रदान किए हैं एवं ९(३ प्रतिशत) सूचनादाता साक्षात्कार के समय इस प्रश्न के उत्तरों पर उदासीन/तटस्थ उत्तर देने वाले रहे हैं। और कोई भी सूचनादाता अनुत्तरित नहीं पाया गया हैं।

इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निम्न निष्कर्ष स्थापित किया जा सकता है कि ''अधिकांशतः वृद्धजन शासन द्वारा उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास तथा कल्याकारी योजनाओं से विभिन्न कारणों की बजह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।'' (दृष्टव्य तालिका नं. ९(३) में प्रदर्शित कारण)

अनुसंधित्सु ने वृद्धजनों के हित एवं सामाजिक पुनर्वास में गैरशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं संगठनों व अन्य संस्थाओं द्वारा निर्वाह की जा रहीं सक्रिय भूमिकाओं के सम्बन्ध में भी सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं से प्राथमिक तथ्य संकलित किए हैं। अनुसंधित्सु ने साक्षात्कार के दौरान पृथक तौर पर सर्व प्रथम प्रश्न किया कि-''क्या आपको वृद्धों के समाजिक पुनर्वास एवं हित में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं व संगठनों की जानकारी है?'' सभी ३०० निदर्श सूचनादाताओं से उनके साक्षात्कार सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ९.४ : ''क्या आपको वृद्धों के सामाजिक पुनर्वास व हित में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों की जानकारी है?'' प्रश्न के प्रत्युत्तर सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	स्वैच्छिक संस्थाओं व संगठनों की जानकारी	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	''हाँ'' (जिन्हें पूर्ण जानकारी है)	५५	१८.३३
२.	''नहीं है''	२३३	७७.६७
३.	उदासीन उत्तर दिए	१२	०४.००
४.	अनुत्तरित रहे	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से मात्र ५५(१८.३३ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें ऐच्छिक संस्थाओं व संगठनों की जानकारी है, २३३(७७.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, १२(४ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस प्रश्न का उत्तर उदासीन होकर प्रदान किए है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रश्न पर एक भी सूचनादाता अनुत्तरित नहीं पाया गया हैं। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निम्न निष्कर्ष उद्घाटित किया जा सकता है- ''वृद्धजनों को उनके हित में कार्य करने वाली स्वैच्छिक

संस्थाओं व संगठनों की कम जानकारी है; अर्थात् वृद्धजनों में ऐच्छिक संस्थाओं की जानकारी के प्रति ज्ञान का अभाव है।'' अथवा ''जानकारी ही नहीं है''।

तालिका नं. ९.५ : ''ऐच्छिक संगठनों/संस्थाओं की भूमिकाओं के प्रति अभिज्ञान के स्तर'' सूचनादाताओं के अनुसार

क्रमांक	सूचनादाताओं में अभिज्ञान के स्तर	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
१.	निम्न	३००	१००.००
२.	मध्यम	--	००.००
३.	उच्च	--	००.००
	समस्त योग	३००	१००.००

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित वृद्ध सूचनादाताओं में ऐच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं की जानकारी एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ''अभिज्ञान का स्तर'' शत प्रतिशत सूचनादाताओं में निम्न स्तरीय पाया गया है। यही कारण है कि वे लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

निदर्श सूचनादाताओं से; कतिपय ऐच्छिक संगठनों तथा संस्थओं (जो वृद्धजनों के हितार्थ काम कर रही हैं) के सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं; के सम्बन्ध में पूछा गया तो इस सम्बन्ध में प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. ९.६ : ''क्या आपको निम्न संस्थाओं/संगठनों की जानकारी है?'' के सम्बन्ध में सूचनादाताओं के अभिमत/विचार

क्रम	समाजसेवी संगठन/ संस्था का नाम	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)					योग (प्रतिशत)
		पूर्ण जानकारी है	जानकारी नहीं है	कुछ-कुछ जानकारी है	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	एज केयर, दिल्ली	१५ (०५.००)	२७८ (९२.६७)	०७ (०२.३३)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
२.	क्रिश्चियन वृद्धाश्रम, निधौली कलां (एटा)	३२ (१०.६७)	२५१ (८३.६७)	१७ (०५.६६)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
३.	लाइन्स क्लब, फिरोजाबाद (उ.प्र.)	-- (००.००)	३०० (१००.०)	-- (००.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
४.	वृद्ध छात्रावास इन्दौर तथा वृद्धाश्रम जबलपुर (म.प्र.)	०६ (०२.००)	२६७ (८९.००)	१२ (०४.००)	१५ (०५.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)
५.	वृद्ध सेवा सदन आश्रम वृन्दावन (मथुरा)	२० (०६.६७)	२५० (८३.३३)	३० (१०.००)	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका में प्रदर्शित आँकडों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० वृद्ध सूचनादाताओं में से वृद्धजनों के हितार्थ क्रियान्वित व संचालित समाजसेवी संस्थाओं (स्वैच्छिक संगठनों) की जानकारी (पूर्णतः जानकारी औसतन १८ प्रतिशत को, आंशिक जानकारी १३ प्रतिशत को) तथा औसतन ८९.६७ वृद्धों (निदर्शितों) को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। प्रतिशतता की दृष्टि से सुस्पष्ट है कि वृद्धजन समाज सेवी संस्थाओं के प्रति अनिभिज्ञ हैं एवं उनमें जागरूकता का अभाव पाया गया है। सर्वेक्षण के समय साक्षात्कार देते समय ४ वृद्ध सूचनादाताओं ने रहस्योद्घाटन किया कि- "इस क्षेत्र में वृद्धों के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता है।" जबलपुर (म.प्र.) वृद्धाश्रम पर अनुसंधित्सु ने जाकर इस संदर्भ में पूछताछ की तो विदित हुआ कि यहाँ पर झाँसी जनपद की मोंठ तहसील के "३ वृद्ध" ऐसे हैं जिनके साथ प्रायः मारपीट होती थी, वे विवश होकर गेरूआ वस्त्र पहनकर इस आश्रम पर आ गए हैं जो अब यहां प्रसन्न हैं।" निम्न तालिका ऐच्छिक संगठनों के समाज कार्यो (जो इस क्षेत्र में विगत दो वर्ष की अवधि से किए गए हैं) पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है- कि किस संस्था ने यहाँ क्या-क्या कार्य किए?

तालिका नं. ९.७ : "ऐच्छिक संस्थाओं/संगठनों द्वारा अध्ययन क्षेत्र में विगत दो वर्षो में किए गए सेवा कार्य"- निदर्शित सूचनादाताओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिक जानकारी

क्रम	संस्था/संगठन का नाम	सेवा कार्यो का विवरण जो कराए गए (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				
		वृद्धों का अभिनन्दन किया गया	कानूनी सहायताएं प्रदान की गयी	भोजन व फल वितरित किए	वस्त्रों, कम्बलों का वितरण किया	चिकित्सीय जांच कराई एवं मुफ्त दवाएं वितरित की गयी
१.	एज केयर संस्था द्वारा	-- (००.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)	३०० (१००.००)	-- (००.००)
२.	क्रिश्चियन वृद्धाश्रम, उ.प्र. (एटा) द्वारा	२०७ (६९.००)	-- (००.००)	३०० (१००.००)	२७ (०९.००)	३०० (१००.००)
३.	लाइन्स क्लब, झाँसी द्वारा	-- (००.००)	२४६ (८२.००)	३०० (१००.००)	२५८ (८६.००)	४२ (१००.००)
४.	वृद्ध सेवा सदन आश्रम बांदा के संचालक द्वारा	३०० (१००.००)	२३ (०७.६७)	३०० (१००.००)	-- (००.००)	७१ (२९.६७)

(नोट- कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आंकडे प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकडों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि ऐच्छिक संस्थाएं तथा संगठन वृद्धजनों के लिए

विभिन्न सेवा कार्य तथा सामाजिक पुनर्वास के विभिन्न प्रयास कर रही हैं। ऐसा सभी वृद्ध सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है। लेकिन सेवा कार्यों के विवरणों के अन्तर्गत: वृद्धजनों को सम्मानित करना/उनका अभिनन्दन करना, भोजन, फल, वस्त्र, शरद ऋतु में कम्बल आदि वितरित करना, स्वास्थ्य रोगों एवं चिकित्सीय जांच कार्य निःशुल्क कराना तथा ऐसे वृद्धों जिनके बच्चों, परिवारीजनों व ग्रामीणों ने भूमि व सम्पत्ति पर जबरन अधिकार (कब्जा) करके उन्हें घर से बेघर कर दिया है; उन्हें बकीलों के एक दल द्वारा कानूनी सहायताएं प्रदान कराई गई हैं। अनुसंधित्सु का सुझाव है कि वृद्धों के सामाजिक पुनर्वास हेतु शासकीय स्तर पर और भी अधिक विभिन्न प्रयास किए जाने चाहिए तभी वृद्धजनों का कल्याण सम्भव है, साथ ही- (१) जन चेतना तथा सामाजिक जागरूकता जागृत करने के अधिकाधिक प्रयास किए जांय (२) गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को भी और अधिक सक्रिय होकर भूमिकाएं निर्वाह करनी चाहिए। इसके लिए स्कूली बच्चों की सहायता से राष्ट्रीय पर्वो पर जागरण रैलियाँ आयोजित की जांय, नुक्कड सभाएं आयोजित की जांय और यदि सम्भव हो सके तो विचार मंचों की सहायता से वृद्धजनों की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं के भिन्न-भिन्न प्रकरणों पर संगोष्ठियाँ आयोजित कर वृद्धों के कल्याणार्थ सुझाव मांगकर उन पर प्रभावी कदम उठाए जांय (३) जो लोग अपने वृद्धजनों का तिरस्कार व अपमान करते हैं, उनके विरूद्ध सामाजिक स्तरों पर उनकी आलोचना तथा भर्त्सना कर; समाज से उन्हें बहिष्कृत किया जाय। ताकि भविष्य में अन्य लोग भी इससे सबक ले सकें। (४) शासन को वृद्धाश्रमों की स्थापनाओं पर अधिक से अधिक ध्यानाकर्षण करना चाहिए ताकि कुछ अंशों में इस समस्या से निजात मिल सके।

******

अध्याय 10

निष्कर्ष एवं सुझाव

यह नि:सन्देह एवं निर्विवाद सत्य है कि वृद्धावस्था कोई जैविकीय बीमारी नहीं है; बल्कि मानव के जीवन चक्र की एक अनिवार्य शारीरिक दशा है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आयु से है, जो भारतीय सन्दर्भों में सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए५८⁺; लेकिन सामान्यजन इसे ६०⁺ की आयु से आरम्भ मानते हैं। यह अवस्था सभी को आती है एवं आनी है। भारतीय संस्कृति में वृद्धों का स्थान सामाजिक संस्थाओं में सर्वोपरि रहा है; परम्परागत संयुक्त परिवार व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं वर्ण व्यवस्था इसके सम्पुष्ट तथा सशक्त प्रमाण हैं कि उनकी (वृद्धजनों) क्या दशांए थीं, वृद्धों को कैसा सम्मान दिया जाता था तथा उनकी परिवार एवं समाज में प्रस्थिति कैसी थी? वह किसी से छिपी नहीं है। यह निर्विवाद सत्य है कि युवजन केन्द्रित, व्यक्तिवादी तथा भौतिकतावादी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने ''कर्ता/मुखिया'' के रूप में वृद्धों की सत्ता और शक्ति का ह्रास (पतन) ही नहीं किया है बल्कि वृद्धजनों की प्रस्थिति को भी कुप्रभावित किया है; यहाँ तक कि वर्तमान में तो वृद्धजनों का परिवारों पर प्रभाव लगभग शून्य रह गया है क्यों कि उनके हाथों से परिवार की सत्ताएं युवाओं के हाथ हस्तान्तरित जो हो गयी हैं। वह अलग-थलग सा होता जा रहा है, आदर, सम्मान, श्रद्धा आदि सब कुछ खो चुका है; और वर्तमान परिवेश एवं परिस्थितियों में तो उसके समक्ष पारिवारिक सामंजस्य (समायोजन) की समस्या जनित हो रही हैं सन्तानों द्वारा उसके जीवन के लम्बे अनुभवों का लाभ लेना तो दूर; उनसे नयी पीढी के लोग परामर्श लेना तथा विचार-विमर्श करना तक पसन्द नहीं करते; यह कैसी बिडम्बना है? वर्तमान परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य एवं विकास के इस संक्रमणशील दौर में नयी पीढी के लोग पुरानी विचारधारा के लोगों को अब बिल्कुल पसन्द नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रहन-सहन, खान-पान तथा जीवन शैली व अन्य बातों में जब

''वृद्धजन'' दस्वल देते हैं या हस्तक्षेप करते हैं तो नई पीढी के युवजन वृद्धों के विचारों की अवहेलना तथा उनकी उपेक्षा करते हैं; तब वृद्धजन इस उपेक्षा को सहन नहीं कर पाते हैं और अपने को अपमानित व अलग-थलग महसूस करते हैं जिससे वृद्ध एवं युवा वर्ग में मानसिक तौर पर ''एक शीत संघर्ष'' चलता रहता है जिससे मानसिक तनाव तथा बात-बात पर लडाई-झगडे होते रहते हैं और पारिवारिक सुख्व शान्ति भंग हो जाती है। यह सत्य है कि वृद्ध किसी भी प्रकार के परिवर्तन से प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वे सामंजस्य तक नहीं कर पाते। इतना ही नहीं; उनके सम्मुख्व सामाजिक तौर पर विभिन्न समस्याएं यथा: समय व्यतीत करने, मनोरंजन करने, भावनात्मक, पर्यावरणीय, शारीरिक व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी, अन्त: क्रियाओं सम्बन्धी, पारिवारिक सामंजस्य सम्बन्धी, पूंजी व सम्पत्ति की समुचित देख्व रेख्व (रख्व रखाव) सम्बन्धी, आर्थिक, मानसिक, मनो-सामाजिक, आवश्यकताओं की पूर्ति; वृद्धों को परिवार में एकीकृत (समन्वित) करने इत्यादि समस्याएं प्रमुख्व हैं। इन रूपों में वृद्धावस्था एक मानवीय अनिवार्यता, स्वाभाविक जैविकीय तथा सांस्कृतिक परिर्वतन की प्रक्रिया है जिसमें वह शेष जीवन के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण विकसित कर लेता है जिसके कारण वह विघटित तथा दवा हुआ महसूस करने लगता है। इस रूप में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वृद्धावस्था की प्रमुख्व समस्या; परिवार व समाज के साथ उचित समायोजन (सामंजस्य) न कर पाने की है। इन्हीं उपरोक्त समस्त तथ्यों की मौलिक, वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त के लिए प्रस्तुत अनुसन्धन कार्य एक लघु प्रयास है; जिसे अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों की वृद्धावस्था की समस्याओं का समाजशस्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन तथा अनुशीलन किया जायेगा

अनुसंधित्सु ने प्रस्तुत अनुसंधान समस्या के अध्ययनार्थ उत्तर प्रदेश के जनपद झाँसी की पिछडी तहसील मोंठ को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना है जिसमें तीन विकास ख्वण्ड- मोंठ, गुरसहाय तथा बामोर हैं। जिसमें कुल १३९ आबाद गाँव हैं जिसकी जनसंख्या ३४२४७५ (जनपद की जनसंख्या का २.८० प्रतिशत) हैं। मोंठ तहसील के अन्तर्गत कुल ५२८७३ परिवार निवास कर रहे हैं। तीनों किकास ख्वण्डों के अन्तर्गत ६०+

से अधिक आयु के पुरूष व महिलाएं कुल ५६०६ हैं। इनमें से ५.५ प्रतिशत निदर्शन के आधार पर प्रत्येक विकास को समान भार तथा अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक विकास खण्ड से १००-१०० अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों अर्थात् कुल ३०० वृद्धों का चयन; सौद्देश्य निदर्शन तथा संयोग निदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया है ताकि समग्र में से विभिन्न पृष्ठभूमियों, धर्मो, जातियों, उम्र, लिंग, शैक्षिक स्तरों, वैवाहिक स्तरों, तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों के सूचनादाताओं का चयन संभव हो सके। प्राथमिक आँकडों का संकलन व क्षेत्रीय कार्य पूर्व परीक्षित व संरचित ''साक्षात्कार अनुसूची'' द्वारा साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाली एवं असहभागी अवलोकन प्रविधि द्वारा किया गया है। वृद्धजनों की मनोवृत्तियों का मूल्याँकन ''लिकर्ट मनोवृत्ति मापक'' द्वारा किया गया है ताकि वृद्धजनों की मनो-सामाजिक समस्याओं की जानकारी तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में जानना सम्भव हो सके। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य आनुभविक तथा व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित किया गया है जो ''सूक्ष्म अनुभवाश्रित समाजशास्त्रीय'' प्रकृति वाला है।

सूचनादाताओं की सामाजिक एवं वैयक्तिक पृष्टभूमि :

अध्ययनार्थ चयनित कुल ३०० अनुसूचित जातियों के वृद्ध सूचनादाताओं में ***धार्मिक संरचनानुसार*** २८७ (९५.६७ प्रतिशत) हिन्दू, ११ (३.६७ प्रतिशत) इस्लाम तथ मात्र २ (०.६७ प्रतिशत) चुने गये हैं। जिनमें ***लैंगिक दृष्टि से*** १६५ (५५ प्रतिशत) वृद्ध (पुरूष) तथा १३५ (४५ प्रतिशत) वृद्धाएं (महिलाएं) चुनी गयी हैं। इनमें ***आयु संरचना की दृष्टि से*** ६० से ७० वर्ष आयु के २३४ (७८ प्रतिशत), ७० से ८० वर्ष आयु के ५७ (१९ प्रतिशत) तथा ८०+ आयू के मात्र ५ (१.६७ प्रतिशत) सूचनादाता पाए गए हैं। ***निवास की दृष्टि से*** २३९ (७१.६७ प्रतिशत) ग्रामीण, ७ (२.३३ प्रतिशत) नगरीय तथा ५४ (१८ प्रतिशत) सूचनादाता ग्रामीण नगरीय परिवेश के हैं जो जिनमें १२ सेवानिवृत्त तथा २८८ (९६ प्रतिशत) सामन्य नागरिक सेवारत वृद्धाएं चुने गए हैं। इन सूचनादाताओं में से ***शैक्षिक दृष्टि से*** १०० (३३.३३ प्रतिशत) निरक्षर/अशिक्षित, ३२ (१०.६७ प्रतिशत) मात्र साक्षर तथा शेष १५१ (५०.३३ प्रतिशत) प्रायमरी से इण्टर तक

शिक्षित और मात्र १७ (५.६७ प्रतिशत) सूचनादाता उच्च शिक्षित चुने गए हैं; ***वैवाहिक स्थिति के अनुसार*** अविवाहित शून्य, विवाहित जीवनयापन करने वाले २९४ (९८ प्रतिशत), ४ (१.३३ प्रतिशत) विधुर, १ (०.३३ प्रतिशत) विधवा तथा १(०.३३ प्रतिशत) परित्यक्ता चुनी गयी हैं। ***व्यावसायिक संरचना की दृष्टि से*** २३४(७८.३३ प्रतिशत) कृषक; ३० (१० प्रतिशत) नौकरीपेशा (पूर्व में), ७ (२.३३ प्रतिशत) व्यवसायी; शेष २८ (९.३३ प्रतिशत) दस्तकार श्रमिक व अन्य चुने गए हैं। ***पारिवारिक संरचना*** के अनुसार १५३ (५१ प्रतिशत) निदर्शित संयुक्त परिवारों तथा १४७ (४९ प्रतिशत) एकाकी परिवारों के हैं। इनमें से ५८ (१९.३३ प्रतिशत) के आवास कच्चे, ९४(३१.६७ प्रतिशत) के आवास पक्के तथा १४७(४९ प्रतिशत) के आवास कच्चे-पक्के मिश्रित पाए गए हैं; जिनमें से १९०(६० प्रतिशत) निदर्शितों के सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न, १०९(३६.३३ प्रतिशत) निदर्शितों के स्तर मध्यम तथा मात्र ११(३.६७ प्रतिशत) के स्तर उच्च पाए गए। सूचनादाताओं के परिवारों में औसतन ७ सदस्य; तथा औसतन५ बच्चे पाए गए हैं। निदर्शितों के परिवारों की औसतन मासिक आय/परिवार १५०५.३३ रूपए और औसतन मासिक व्यय/परिवार १५४३.३३ रूपए पाया गया है। आय से व्यय अधिक होने की बात सोचना हास्यास्पद प्रतीत होती है। कुल वृद्धों में से पारिवारिक सामाजिक- आर्थिक सन्दर्भों की दृष्टि से २१३(७१ प्रतिशत) असन्तुष्ट, ७७(२४.६७ प्रतिशत) उदासीन तथा १०(३.३३ प्रतिशत) सूचनादाता (अत्यन्त न्यून व उपेक्षणीय) सन्तुष्ट पाए गए हैं।

सामान्य रूप से वृद्धावस्था उस समय आरम्भ हो जाता है जब व्यक्ति उन कार्यकलापों में भाग लेने योग्य नहीं रह जाता; जो एक औसत वयस्क के लिए विशिष्ट होती हैं। प्राय: शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में कमी तथा सामाजिक कार्यकलापों से बिलगता की भावना जर्जर शरीर वृद्धावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। वृद्धावस्था जीवन के उत्तरार्द्ध की गति नहीं है। यद्यपि यह सही है कि वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति में कमी अवश्य आ जाती है लेकिन अनेक वृद्ध अपनी इस शारीरिक कमी को अपनी दक्षता, योग्यता, बौद्धिकता तथा जीवन भर के लम्बे अनुभवों के भण्डार के द्वारा पूरा कर लेते हैं।

वृद्धावस्था में जीवन की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने अपनी प्रौढावस्था में इस अवस्था की वास्तविकता के प्रति अपने को किस प्रकार से तैयार किया है। मानसिक विघटन एवं पारिवारिक विघटन व्यक्ति को लापरबाह, तनावग्रस्त किसी बात का ध्यान न रखने वाला, आत्मकेन्द्रित एवं समाज व परिवार के साथ सही समायोजन (सामंजस्य) न करने वाला बना देता है; इसके लिए जिम्मेदार कारक व्यक्ति का स्वयं का दृष्टिकोण है एवं उसका स्वयं का सोच। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी अधिक होते हैं आँखें कमजोर हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड जाती हैं, दान्त उखड जाते हैं, व्यक्ति बिना कामकाज किए ही थकान महसूस करने लगते हैं; रक्तचाप, सुगर, लकबा, गठिया, हृदय रोग आदि विभिन्न बीमारियाँ उसे घेर लेती हैं, माने- सामाजिक विकार भी जनित होने लगते हैं; आलस्य-प्रमाद, निराशा, उत्सुकता में कमी, एकान्तप्रियता, चिडचिढापन आदि लक्षण भी उसे घेर लेते हैं। मनोस्नायु विकृति द्वारा वृद्धावस्था में चिन्ता का जबरदस्त सिलसिला मन पर प्रभाव जमा लेता है जिससे व्यक्ति आत्मकेन्द्रित, संवेदनशील, निराशावादी, विषादमय, दुखी एवं भविष्य के लिए चिन्तित, उलझे हुए (खोये-खोये) रहते हैं जिसके फलस्वरूप वे सामर्थ के अनुसार कार्य में असमर्थ व अयोग्य हो जाते हैं; जिससे वे अपनी दिनचार्या व्यवस्था में थकान अधिक अनुभव करता है और वह दिन प्रतिदिन चिडचिढा होता चला जाता है। साथ ही मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से असन्तुलित व अस्थिर होता जाता है, और निराशावादी भी।

वृद्धावस्था को प्राय: जटिल एवं समस्याग्रस्त अवस्था माना जाता है क्यों कि अनेक प्रकार की समस्यांए एक साथ ऐसे मनुष्य को घेर लेती हैं, सम्प्रति व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित करने में अपने आपको असफल पाता है। सर्वेक्षण करते समय साक्षात्कार में निदर्श सूचनादाताओं द्वारा बतायी गयी कतिपय समस्याएं निम्नवत् हैं-

(क) पारिवारिक-सामाजिक समस्याएं:

- एकाकीपन तथा उपेक्षित अनुभव करना
- अलगाव अनुभव करना एवं सेवा सुश्रुषा में कमी की अनुभूति

- अपनी सन्तान से ही अपनत्व की कमी महसूस करना
- परिवार के सदस्यों द्वारा अनदेखी तथा अन्त: उपेक्षा करना
- परिजनों द्वारा सम्मान में कमी तथा अन्त: क्रियाओं में कमी आ जाना
- सामाजिक गतिविधियों से अलगाव की अनुभूति होना
- सत्ता हस्तान्तरित होने से प्रभाव प्रताप में कमी अनुभव करना
- परिवारीजनों से पारस्परिक सामाजिक दूरी अनुभव होना तथा परिवार व समाज के साथ यथोचित सामंजस्य स्थापित न कर पाना।
- अपनी निजी कोई आमदनी न होने के कारण पराश्रित हो जाना

(ख) आर्थिक समस्याएं :

- पूँजी व सम्पत्ति की सुरक्षा तथा संरक्षाकी समस्या
- स्वयं की कोई निजी आय (आमदनी) न होना
- अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घर वालों का मुँह ताकने की समस्या

(ग) मानसिक तनाव सम्बन्धी समस्याएं

(घ) शारीरिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रोग तथा बीमारीयों की समस्याएं

(ड) पर्यावरणीय समस्याएं (केवल सेवानिवृत्त प्रवासियों के लिए)

(च) सामाजिक-साँस्कृतिक प्रदूषण अनुभव करने की समस्या

(छ) समय ब्यतीत करने एवं मनोरंजन करने की समस्या

(ज) स्वयं के लिए आवास की कमी अनुभव करना इत्यादि।

हाँ, यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से चिन्तन किया जाय तो वृद्धावस्था की सर्वोपरि समस्या समाज के साथ उनके सही समायोजन (सांमजस्य) न कर पाने की है। अध्ययन से पता चलता है कि वृद्ध; वृद्धावस्था की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, सूचनादाताओं का मानना है कि पश्चिमी शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, भौतिकतावादिता एवं व्यक्तिवादिता की भावनाओं के कारण वृद्धजन अपने को असुरक्षित एवं असहाय पाते हैं। भले ही भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्धों को आदर एवं सम्मान देने की

परम्परा रही है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह परम्परा प्राय: नष्ट हो चुकी है जिसके लिए परिवर्तनशील सामाजिक शक्तियाँ जिम्मेदार हैं, जो परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ हमारी साँस्कृतिक धरोहर को भी धवस्त कर रही हैं। आधुनिकतावादी संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। आज नई पीढी के लोगों के पास अपने बुजुर्गो से विचार-विमर्श करने, उनकी सलाह लेने तथा उनकी इच्छाओं तक को जानने का समय नहीं है; ऐसी स्वीकारोक्तियाँ सूचनादाताओं ने स्वयं की हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में उस व्यक्ति (वृद्ध) की मन: स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जो अपने सारे जीवन की पूंजी को अर्पित कर देता है। अनुसंधित्सु की दृष्टि में नई पीढी के लोग यदि थोडा आदर व सम्मान अपने बुजुर्गो को दें तो समायोजन करने की समस्या स्वत: समाप्त (समाधान) हो जायेगी और परिवारों में विषम परिस्थितियाँ जनित नहीं होंगी। यह वास्तविकता हर व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए कि बुढापा जीवन की अनिवार्यता है अर्थात् बुढापा सबको आना ही है। इस रूप में वृद्धावस्था एक मानवीय समस्या है तथा इसके समाधान के लिए भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ही श्रेयष्कर होगा।

सर्वेक्षण काल में शतप्रतिशत वृद्ध सूचनादाताओं ने वृद्धावस्था की उक्त समस्याओं को स्वीकार किया है। आर्थिक समस्या का मुख्य कारण यह बताया है कि उनकी स्वयं की कोई निजी आमदनी नहीं है। इसलिए वे अर्थाभाव महसूस करते हैं लेकिन उल्लेखनीय तथ्य यह है कि शिक्षित सेवानिवृत्त सूचनादाता अन्य की अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल पाए गए हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें पेंशन मिलती है तो घर वाले उनकी खूब सेवा सुश्रूषा करते हैं किन्तु पैसे खर्च होने के साथ-साथ उनकी सेवा सुश्रूषा में शनै: शनै: कमी आती जाती है। उनका कहना है कि निदर्शितों में से २९(९.६७ प्रतिशत) में विभिन्न रोग जैसे- गठिया, अस्थमा, डाइबिटीज, अन्धपन व आँख रोग, क्षय रोग, ऊँचा सुनाई देना तथा कम्पबॉय इत्यादि पाए गए हैं। २३७(७९ प्रतिशत) वृद्धजन अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा तथा संरक्षा के प्रति अधिक चिन्तित पाए गए हैं; ७० प्रतिशत (सर्वाधिक) वृद्धजनों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी सन्तानें उनकी दक्षता, बौद्धिकता एवं सम्पूर्ण (लम्बे) जीवन के अनुभवों का लाभ लेना नहीं चाहतीं। इसका वृद्धजनों को दुख है।

अनुसंधित्सु ने वृद्धों की पारिवारिक स्थिति (सत्ता व प्रभाव) तथा परिवार से उनकी प्रत्याशाएं; एवं पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके सुझावों का भी अध्ययन किया है। ग्रामीण परिवेश के १०९(३६.३३ प्रतिशत) संयुक्त परिवारों में आज भी सामूहिकता तथा समष्टिवादी भावनाएं प्रभावी हैं किन्तु परिवारों की सत्ताएं वृद्धों से युवाओं के हाथ हस्तान्तरित हो रही हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि परिवारों पर वृद्धों का प्रभाव शनैः शनैः कम होता जा रहा है; ऐसा २३६(७८.६७ प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है। परिवार के सदस्यों के मध्य अन्तःक्रियाओं में स्वाभाविक तौर पर कमी हो जाने से पारिवारिक सम्बन्ध शिथिल हुए हैं ऐसा होने से उनकी प्रस्थिति गिरी है, उनकी स्थिति ''मुखिया'' की जगह ''आश्रित'' जैसी पायी गयी हैं; ११९(३९.६७ प्रतिशत) वृद्धों का मानना है कि परिवार के सदस्यों के साथ उनके पारस्परिक सम्बन्ध परिवर्तित हो रहे हैं, भले ही उनका; परिवार तथा परिजनों से १८३(६१ प्रतिशत) का लगाव पूर्ववत् है, एवं गतिविधियाँ भी पूर्ववत् हैं; २१३(७१ प्रतिशत) वृद्धों का कहना है कि उनकी सन्तानें उनके अनुभवों का लाभ लेना तो दूर उनसे बातें करना भी नहीं चाहती हैं तथा २४४(८१.३३ प्रतिशत) वृद्धों ने निःसंकोच यह भी बताया है कि परिवारीजन उनकी इच्छाएं व आकांक्षाएं भी जानना नहीं चाहते; इसलिए वे मानसिक रूप से चिन्तित व तनावग्रस्त रहते हैं, साक्षात्कार देते समय १९५(६५ प्रतिशत) वृद्धों ने निःसंकोच स्वीकारोक्तियाँ की हैं कि प्रतिपल प्रति क्षण उन्हें सम्पत्ति के रखरखाव की चिन्ता सताए रहती है।

अनुसंधित्सु द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपका गुजारा कैसे चलता है? तो २१४(७१.३३ प्रतिशत) निदर्शितों ने बताया कि परिवार के सहारे, ४८(१६ प्रतिशत) ने पेंशन के सहारे (वृद्धावस्था तथा सेवा निवृत्ति पेंशन) तथा ३८(१२.६७ प्रतिशत) निदर्शितों ने अन्य स्त्रोत यथाः बटाई पर खेती कराकर, भैंस का दूध बेचकर, मूंज की रस्सियां बटकर, दूसरों के पशु चराकर अपना गुजारा करना बताया। वृद्धों ने परिजनों के साथ सामंजस्य के निम्न प्रतिमान स्वीकार किए- घर के कामकाजों में बिना कहे हाथ बंटाकर, अपने मन की भावनाओं का दमन करके, भाग्य भरोसे जो खाने पहनने मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट होकर, परिवार के छोटे बच्चों को खिलाना एवं उनकी देखरेख

करना आदि। इतने के बाबजूद भी परिजनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में जनित समस्याओं का समाधान वे: छोटी मोटी भूलें अनदेखी करके, हानि लाभ की चिन्ता न करके, स्व-विवेक एवं सूझ बूझ के साथ, संयम एवं धैर्य धारण करके तथा विवाद के समय तत्काल प्रत्युत्तर प्रदान न करके; करते हैं। वृद्ध सूचनादाताओं ने वृद्धों की खुशहाली के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं कि-

(१) वृद्धों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपमानित महसूस न करें।

(२) वृद्धों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

(३) वृद्धों की बौद्धिकता, उनकी क्षमताओं, दक्षता एवं अनुभवों का लाभ लेना चाहिए।

(४) कोई भी नया कार्य आरम्भ करने से पूर्व एवं विषम परिस्थितियों में वृद्धों से परामर्श व विचार विमर्श करना चाहिए। उनके विचार भी उपयुक्त/उचित हो सकते हैं।

(५) वृद्धों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप उनसे व्यवहार किए जांय।

(६) उनके साथ बेहद सम्मानजनक व्यवहार किया जाय ताकि वे उपेक्षित/तिरस्कृत अनुभव न करें; अपितु गौरवान्वित महसूस करें।

(७) उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मनोरंजन आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वे ऊब की अनुभूति न करें।

(८) उनके स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं एवं परिचर्या पर विशेष ध्यानाकर्षित करें ताकि वे रोगग्रस्त अनुभव न करें बल्कि स्वस्थ्य रहकर जीवन जी सकें।

(९) उनके साथ परिजनों द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनके आशीर्वाद सदैव ही मिलते रहें।

(१०) भले ही परिवार के कुछ मुद्दों पर उनके तथा आपके विचार मेल न खाते हों; फिर भी विरोध न जताएं ताकि उन्हें तनाव जनित न हो।

(११) उनके जीते जी उनकी भूमि, भवन, पूँजी तथा सम्पत्ति का न बंटवारा करें और न ही उसे बर्वाद करें ऐसा करने से उन्हें मन: शान्ति की प्राप्ति होगी।

(१२) उनको कभी भी ऐसा ऐहसास न होने दें कि परिवार की सत्ता उनसे हस्तान्तरित हो जाने से उनका परिवार पर प्रभाव कम हो गया है। इत्यादि।

वृद्धों का सामाजिक पुनर्वास :

शासकीय तथा गैरशासकीय (ऐच्छिक संगठनों) की भूमिकाओं के अन्तर्गत कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में निदर्शितों में जानकारी तथा जागरूकता का नितान्त अभाव पाया गया है; मात्र २०(६.६७ प्रतिशत) निदर्शितों को ही जानकारी है कि शासन ने वृद्धों की सहायतार्थ विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रखी हैं जिनके तहत उन्हें (वृद्धों को) विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान की जाती हैं। शासकीय योजनान्तर्गत लाभान्वित न होने सम्बन्धी उत्तरदायी कारणों के अन्तर्गत: (१) वृद्धों का अशिक्षित होना (२) योजनाओं में व्याप्त विभिन्न दोष (३) आवेदन पत्रों की खाना पूर्ति न कर पाना (४) भृष्टाचार का बोलवाला तथा लिए दिए बिना कुछ काम न होना (५) शासन की कथनी तथा करनी में अन्तर (६) शासकीय योजनाएं ''सफेद हाथी के समान'' मात्र छलावा तथा दिखावा, इत्यादि कारण बताए हैं। समाजसेवी संगठनों/संस्थाओं के सम्बन्ध में भी सूचनादाताओं में जानकारी का नितान्त अभाव दृष्टिगत हुआ है।

अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु जो परिकल्पनाएं निर्मित की गयीं थीं; अध्ययन में उनकी सत्यता एवं सार्थकता की जाँच भी की गयी है। जिससे प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

(१) आधुनिक परिवर्तनों के कारण वृद्धजनों में परिवार के साथ सामंजस्य करने का नितान्त अभाव पाया जाता है; यह परिकल्पना सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(२) वृद्धजनों को परिजन भार समझकर उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(३) वृद्धावस्था में चिडचिढापन, आलस्य, एकान्त प्रियता तथा निराशा आ जाती है; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(४) मनुष्य में वृद्धावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने से उनके मन में चिन्ता का सिलसिला शुरू हो जाता है; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(५) परिजन; अपने वृद्धजनों के लम्बे अनुभवों का लाभ लेना नहीं चाहते; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(६) अधिक उम्र के वृद्धजन सामाजिक जीवन में दबाव एवं स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक सिद्ध हुयी है।

(७) आधुनिक भौतिकतावादी संस्कृति तथा तेजी के साथ बदलता सामाजिक पर्यावरण वृद्धजनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(८) बढती हुई सामाजिक गतिशीलता; वृद्धजनों के लिए सबसे बडी समस्या है; यह परिकल्पना निरर्थक तथा असत्य पायी गयी है।

(९) कम उम्र के वृद्धजनों की तुलना में, अधिक उम्र के वृद्धजनों में धार्मिक प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है; यह परिकल्पना असत्य तथा निरर्थक पायी गयी है।

(१०) पेंशनभोगी वृद्धजनों की तुलना में; सामान्य वृद्धजनों की समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं; यह परिकल्पना सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(११) अधिक बयोवृद्ध प्राय: परिजनों से समय-समय पर श्रेष्ठ परिचर्या की आकांक्षाएं रखते हैं; यह परिकल्पना असत्य तथा निरर्थक पायी गयी है।

(१२) वृद्धावस्था के लिए उम्र नहीं, बल्कि निर्धनता सबसे बडा अभिशाप है; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(१३) वृद्धजनों की सुख शान्ति तथा उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए परिवार में उनका समन्वय आवश्यक है; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(१४) वृद्ध महिलाएं अपना समय (वक्त) हमेशा की तरह घर में व्यस्त रहकर काट लेती हैं, जबकि पुरूष प्राय: चिन्तित व बेचैन रहते हैं; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

(१५) वृद्धावस्था में व्यक्ति प्राय: निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है; यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है।

वृद्धजनों की समुचित देखभाल हेतु कतिपय व्यवहारिक सुझाव :

- वृद्धों की समुचित देखभाल एवं कल्याण के लिए शासन स्तर एक ''राष्ट्रीय योजना'' निर्मित की जानी चाहिए।
- वृद्धों के लिए गाँवों और शहरों में वृद्ध आश्रमों, होस्टल्स सेवा सदन, सेवाश्रम तथा अवकाश सदनों की स्थापनाएं की जांय ताकि उनका सामाजिक पुनर्वास सम्भव हो सके।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा स्वैच्छिक संगठनों के समन्वय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वृद्धों की भागीदारी और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाय।
- वृद्धों के प्रति पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व की भावना को बल प्रदान करने के लिए जनता में जन चेतना अभियान चलाए जाने चाहिए।
- यद्यपि समस्या जटिल है लेकिन वृद्धों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि वृद्धावस्था में उन्हें भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए।
- परिवारों में वृद्धों को अपनी परम्परागत भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने पर बल दिया जाय; इसके लिए परिवारों में उनका समन्वय किया जाना चाहिए।
- वृद्धजनों के सम्मान में क्षेत्रीयता के आधार पर जगह-जगह समाज के स्तरों पर आयोजन किए जांय एवं वृद्धों के अभिनन्दन समारोहों पर बल दिया जाय।
- वृद्धों की क्षमताओं का उपयोग स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से विभिन्न कार्यक्रमों यथा- समाजसेवा, पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवाएं, प्रौढ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, सहयोग परियोजनाएं आदि में अवश्य किया जाय ताकि वे सक्रिय बने रहें।
- अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की; वित्त प्रदान करके समाज कार्य कराने वाली संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से वृद्धजनों के हितार्थ कल्याण योजनाएं निर्मित की जांय।

❊❊❊❊❊❊

शोध शीर्षक : ''अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(झाँसी जिला की मोंठ तहसील के अध्ययन के विशेष सन्दर्भ में)

साक्षात्कार-अनुसूची

शोध निर्देशक :

डॉ- एस० डी० सिंह

डी०लिट्

उपाचार्य एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग

नारायण महाविद्यालय, शिकोहाबाद

अनुसन्धित्सु :

(श्रीमती) रीता कुशवाहा

समाजशास्त्र विभाग

नारायण महाविद्यालय, शिकोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद

सूचना : महोदय/महोदया, आपकी उपरोक्त अंकित समस्या पर मैं अनुसंधान कार्य कर रही हूँ। अत: आप से विनम्र निवेदन है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित सूचनाएं नि:संकोच भाव से प्रदान कर सहयोग प्रदान करें ताकि यह अनुसंधान कार्य समय से पूरा हो सके; और मैं आपको वृद्धावस्था की समस्याओं, उनके निराकरण से तत्सम्बन्धित सुझावों से अवगत करा सकूँ, तथा आप एवं भावी सन्तति लाभान्वित हो सके। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का उपयोग इस अनुसंधान कार्य में ही किया जायेगा, अन्यत्र नहीं।

अनुसूची संख्या............

(१) सूचनादाताओं का परिचयात्मक विवरण :

दिनांक........................

१.१ सूचनादाता का नाम..................................पति का नाम......................

१.२ सूचनादाता का पता..................................पति की उम्र......................

१.३ सूचनादाता की उम्र..................................वर्तमान पता......................

१.४ सूचनादाता का धर्म..................................स्थायी पता......................

१.५ सूचनादाता की जाति (सवर्ण/पिछडी/अनुसूचित)...............................

१.६ व्यवसाय (यदि हो)..................(क) मुख्य............(ख) सहायक...........

१.७ लिंग (पुरूष/महिला)..

१.८ वैवाहिक स्थिति...(विधुर/विधवा/परित्यक्ता)

१.९ सामाजिक आर्थिक स्तर..(उच्च/मध्यम/निम्न)

१.१० बच्चों की संख्या...................आपकी निजी आमदनी (यदि कोई हो)............

१.११ वृद्धाश्रम/सेवाश्रम (यदि आपके निकट हो)..

१.१२ परिवार के कर्ता/मुखिया का नाम.....................(आप से मुखिया का सम्बन्ध)

१.१३ अन्य कोई सूचना (जो देने योग्य हो)..

१.१४ परिवारीजनों के साथ सम्बन्ध (मधुर/उदासीन/कटु/अन्य).........................

१.१५ परिवार से लगाव (पूर्ववत्/लगाव कम/लगाव बिल्कुल नहीं)...........................

(२) पारिवारिक संरचना :

२.१ आपका परिवार कैसा है? (संयुक्त/एकाकी/प्रवासी/अन्य)..........................

२.२ आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
पुरूष...............................
महिलाएं............................
बच्चे................................

२.३ परिवार का कर्ता/मुखिया कौन है? (स्वयं/बेटा/दामाद/अन्य)

२.४ आपके परिवार में ६० वर्ष से अधिक उम्र के कितने लोग हैं?

२.५ क्या आप नौकरी करते थे? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो कब सेवानिवृत्त हुए?...

(ख) यदि नौकरी नहीं करते थे तो घर में कर्ता पद कब से छोड दिया...................

२.६ आप कितने पढे लिखे हैं?

२.७ आप क्या-क्या कार्य करते हैं? (कृषि/मजदूरी/कुछ नहीं/अन्य)

२.८ खेतीबाडी को कौन संभालता है? (स्वयं, बेटे, दामाद)

२.९ क्या आप भी खेतीबाडी की देखरेख करते हैं? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो क्यों?..

(ख) यदि नहीं तो क्यों?..

२.१० आपका घर कैसा है? (कच्चा/पक्का/कच्चा-पक्का)

२.११ क्या आपको आवासीय दशाएं उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)

यदि नहीं तो क्यों?...

२.१२ क्या आपने घर बार छोड दिया है? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो क्यों?..

(ख) यदि नहीं तो क्यों?..

२.१३ क्या आपके बेटे आपके साथ मारपीट करते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि नहीं तो क्यों?...

२.१४ आपके परिवार में रहन-सहन का स्तर कैसा है? (निम्न/मध्यम/उच्च)

२.१५ आपके परिवार की मासिक आय कितनी है?................................रूपए मासिक

२.१६ आपके परिवार का मासिक व्यय कितना है?................................रूपए मासिक

२.१७ क्या आप अपने परिजनों से सन्तुष्ट है? (हाँ/नहीं)

२.१८ यदि नहीं तो क्यों?..

(३) वृद्धावस्था की विभिन्न समस्याएं :

३.१ क्या आप वृद्ध हो जाने पर समस्याएं अनुभव करते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो कौन-कौन सी- (क) सामाजिक

(ख) आर्थिक

(ग) शारीरिक

(घ) मनोवैज्ञानिक

३.२ निम्न की पूर्ति कीजिए- (हाँ/नहीं) में उत्तर प्रदान करें-

(१) एकाकीपन अनुभव करना

(२) अलगाव अनुभव करना

(३) अपनत्व की कमी की अनुभूति

(४) परिजनों द्वारा अनदेखी करना

(५) उचित सम्मान न मिलना

(६) सामाजिक गतिविधियों में पृथकता अनुभव करना

(७) सामाजिक दूरी अनुभव करना

(८) सत्ता एवं प्रभाव में कमी आ जाना

(९) परिजनों के साथ अन्त:क्रियाओं में कमी

(१०) परिवार से लगाव में कमी/पूर्ववत्

३.३ क्या आप आर्थिक समस्याएं भी अनुभव करती/करते हैं? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो क्यों (१)............(२)............(३)............(४)............

(ख) यदि नहीं तो क्यों (१)............(२)............(३)............(४)..........

३.४ क्या आपकी अपनी कोई निजी आदमी है? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो कितनी..रूपए मासिक

(ख) यदि नहीं तो क्यों?..

३.५ आपको एक दिन में कितनी बार भोजन मिलता है? (एक/दो/तीन/नहीं)

३.६ क्या आपको तनाव रहता है? (हाँ/नहीं/प्राय:/यदाकदा/कभी नहीं)

३.७ क्या आप बीमार अनुभव करते हैं? (नहीं/प्राय: बीमार रहते हैं/अन्य)

३.८ आप अपना इलाज कहाँ कराना पसन्द करते हैं? (प्रायवेट डाक्टर से/सरकारी अस्पताल में/अन्य)

३.९ निम्न में से आपको कौन सी बीमारी है?

(गठिया/अस्थमा/लकवा/डाइविटीज/क्षयरोग/बहरापन/कम्पबाय/अन्य

३.१० क्या आप प्रॉपर्टी के कारण भी चिन्तत रहते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्यों? विस्तार से बताइए...

३.११ क्या आप परिवार की ओर से चिन्ता मुक्त हैं? (हाँ/नहीं)

३.१२ क्या आपकी औलादें आपके अनुभवों का लाभ लेना पसन्द करती हैं? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो क्यों?..

(ख) यदि नहीं तो क्यों?...

३.१३ आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? (परिवारीजनों के साथ/बच्चों के साथ/अकेले/अन्य साधन)

३.१४ आप क्या रहने के लिए आवास की कमी अनुभव करते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्यों (१)..........(२)..........(३)..........(४)..........(५)..........

३.१५ क्या आप (स्वयं को) उपेक्षित अनुभव करते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्यों (१)..........(२)..........(३)..........(४)..........(५)..........

३.१६ क्या आप अपने को असहाय/जर्जर अनुभव करते हैं? (हाँ/नहीं)

३.१७ क्याआप पोषणीय समस्याएं अनुभव करते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्यों?..

(४) पारिवारिक-सामाजिक सामंजस्य की समस्याएं :

४.१ आपके परिवार की संरचना/ढाँचा कैसा है?

क्रमांक	परिवार की संरचना (स्वरूप)	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	अकेला पति या पत्नी		
२.	पति-पत्नी दोनों		
३.	पति अथवा पत्नी, अथवा पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे		
४.	पति अथवा पत्नी, अथवा पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित तथा वाहित बच्चे		
	समस्त योग		

४.२ परिवार की सत्ता किसके हाथ में है? (स्वयं/बडे बेटा/अन्य)

क्रमांक	परिवार की सत्ता	वृद्ध सूचनादाताओं की संख्या/प्रतिशत				समस्त योग
		ग्रामीण		नगरीय		
		पूर्व में	वर्तमान में	पूर्व में	वर्तमान में	(प्रतिशत)
१.	स्वयं के हाथ में					
२.	अन्य के हाथ में					
	समस्त योग					

४.३ क्या आपकी सत्ता बदलने पर आपके प्रभाव में कमी आयी है? (हाँ/नहीं)

यदि कोई प्रभाव पडा है तो कारण बताइए...

४.४ परिवार के सदस्यों के साथ सम्बन्धों की प्रकृति-

(१) पूर्ववत् एवं सामान्य (हाँ/नहीं)

(२) कुछ-कुछ परिवर्तित (हाँ/नहीं)

(३) स्पष्टतः परिवर्तित (हाँ/नहीं)

(४) कोई परिवर्तन नहीं (हाँ/नहीं)

४.५ परिवारीजनों के साथ अन्तःक्रियाओं की प्रकृति-

क्रमांक	अन्तःक्रियाओं का स्वरूप/प्रकृति	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
१.	पूर्ववत् एवं सामान्य		
२.	कुछ-कुछ परिवर्तित		
३.	स्पष्टतः परिवर्तित		
४.	कोई परिवर्तन नहीं		
	समस्त योग		

४.६ परिवार के साथ आपकी गतिविधियाँ कैसी हैं?

(१) पूर्ववत् हैं (२) उदासीन गतिविधियाँ (३) गतिविधियाँ पूर्ववत् नहीं (४) अन्य

४.७ परिवारीजनों के साथ अपने सम्बन्धों की प्रकृति बताइए-

(१) सामान्य सम्बन्ध (२) उदासीन सम्बन्ध (३) सन्तोषप्रद (४) कटु सम्बन्ध

४.८ आपका परिजनों के साथ लगाव कैसा है?

(१) लगाव पूर्ववत् हैं (२) लगाव पूर्ववत् नहीं है (३) उदासीन (४) अन्य

४.९ क्या आपके परिजन आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं? (हाँ/नहीं)

(क) यदि हाँ तो क्यों?...

(ख) यदि नहीं तो क्यों?..

४.१० क्या आपके परिजन आपकी इच्छाएं तथा आकाँक्षाएं जानना चाहते हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्यों? (१).........(२)..........(३)..........(४).........(५).........

यदि नहीं तो क्यों? (१).........(२).........(३).........(४).........(५)........

४.११ परिवारिक-सामाजिक सामंजस्य की समस्याएं बताइए-

(१) परिवार में सत्ता हस्तान्तरण के कारण स्थिति दयनीय हुई है। (हाँ/नहीं)

(२) भौतिकवादी तथा व्यक्तिवादी मूल्यों का प्रभाव अधिक होना (हाँ/नहीं)

(३) वृद्ध की स्थिति कर्ता (मुखिया) की न होने के कारण आश्रित हो जाना (हाँ/नहीं)

(४) परिवार में उनके प्रभाव-प्रताप में कमी होना (हाँ/नहीं)

(५) नवीन विचारधारा के साथ तालमेल न खाना (हाँ/नहीं)

(६) स्वयं की कोई आमदनी न होना (हाँ/नहीं)

(७) अपने लिए आवास की कमी अनुभव करना (हाँ/नहीं)

(८) सम्पति के रख रखाव की चिन्ता सताना (हाँ/नहीं)

(९) परिवारीजनों द्वारा विचार विमर्श न करना तथा उपेक्षा करना (हाँ/नहीं)

(१०) अन्य समस्या (यदि कोई हो) (हाँ/नहीं)

(४) नई अर्थव्यवस्था-आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामंजस्य के प्रतिमान :

५.१ आपके परिवार में "सत्ता" किसके हाथ में है?

(क) स्वयं के हाथों में

(ख) ज्येष्ठ पुत्र के हाथों में

(ग) भाई-भतीजों के हाथों में

(घ) बेटी दामाद के हाथ में

(ङ) बटाईगीर के हाथ में

(च) अन्य व्यवस्था (यदि हो)

५.२ नई अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करते हैं?

क्रमांक	आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के स्त्रोत	वृद्धों की संख्या	प्रतिशत
१.	परिवार के सहारे		
२.	पेंशन द्वारा - (क) वृद्धावस्था पेंशन से		
	(ख) सेवानिवृत्त पेंशन से		
३.	अन्य स्त्रोत- (क) कुछ खेती बचा ली है		
	(ख) दुधारू भैंस के सहारे		

५.३ आप नई अर्थव्यवस्था के चलते पारिवारिक सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं?

क्रमांक	सामंजस्य करने सम्बन्धी विवरण	सूचनादाताओं की संख्या/प्रतिशत				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	घर के कामकाज बिना कहे करते रहना					
२.	अपने मन की भावनाओं का दम न करना					
३.	भाग्य भरोसे जो मिल जाय, के सहारे जीवन जीते हैं।					
४.	शारीरिक रूप से जर्जर होते हुएभी परिवार के कामकाज में हाथ बंटाना					
५.	परिवार के छोटे-छोटे बच्चों को खिलाना तथा देखरेख करनी पडती है।					

५.४ क्या परिवारजनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आपको समस्याएं भी आती हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं? (१).............. (४)..............

(२).............. (५)..............

(३).............. (६)..............

५.५ परिवारीजनों के सामंजस्य बनाने में जनित समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हैं?

(१) छोटी मोटी गलतियाँ अनदेखी करके
(२) हानि-लाभ की चिन्ता न करके
(३) सूझबूझ के साथ
(४) स्व विवेक से
(५) संयम व धैर्य से
(६) तत्काल प्रत्युत्तर न देकर
(७) मौन रहकर
(८) अन्य (यदि कोई हो)

(६) वृद्धों के प्रति दृष्टिकोण/सोच :

क्रमांक	वृद्धजनों के प्रति दृष्टिकोण	निदर्शितों के अभिमत/आवृत्तियाँ				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
१.	वृद्धों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपमानित अनुभव न करें।					
२.	वृद्धों के प्रति सहानुभूति तथा दयालुता का व्यवहार करना चाहिए।					
३.	उनकी क्षमताओं, बौद्धिकता एवं अनुभवों का लाभ लेना चाहिए।					
४.	नया कार्य करने से पूर्व तथा विषम परि-स्थितियों में उनकी सलाह लेनी चाहिए।					

५.	उनकी इच्छा तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार किया जाना चाहिए।					
६.	उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मनोरंजन आदि का ध्यान रखना चाहिए।					
७.	उनके साथ सामंजस्य करने के अधिकतम प्रयास करने चाहिए।					
८.	उनके स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय आवश्यक-ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।					
९.	भले ही आपके एवं उनके विचार मेल न खाते हों; फिर भी विरोध न जताएं।					
१०.	उनके जीते जी उनकी सम्पत्ति का बटवारा न करें और न बर्वाद करें।					
११.	उनको कभी ऐसा ऐहसास न होने दें कि आपका परिवार पर प्रभाव कम हो गया है।					

(७) *सामाजिक पुनर्वास : शासकीय एवं गैरशासकीय संगठनों की भूमिकाएं व कल्याण सेवाएं :*

७.१ क्या शासन भी आपकी मदद करता है?

(क) यदि हाँ तो क्यों (१)...........(२)...........(३)...........(४)...........

(ख) यदि नहीं तो क्यों (१)...........(२)...........(३)...........(४).........

७.२ शासकीय योजनाओं की जानकारी होते हुए भी आप लाभान्वित क्यों नहीं हो पा रहे हैं?

(१) निरक्षर व अशिक्षित हैं (४) सरकारी विभागों में खुला भृष्टाचार है

(२) योजनाओं के अन्तर्गत दोष हैं (५) लिए दिए बिना कोई काम नहीं होता है

(३) फार्म नही भर पाते हैं (६) सरकार की कथनी तथा करनी में अन्तर है

७.३ क्या आप यह जानते हैं कि ऐच्छिक संगठन भी वृद्धों के हित में सेवा कार्य करते हैं? (हाँ/नहीं)

७.४ आप निम्न ऐच्छिक संगठनों/संस्थाओं में से किसके बारे में जानते हैं?

(१) एज केयर, दिल्ली (५) वृद्धाश्रम वृन्दावन

(२) क्रिश्चियन सेवाश्रम एटा (६) वृद्ध सेवा सदन (मथुरा/आगरा)

(३) लाइन्स क्लब/रोटरी क्लब (७) वृद्ध छात्रावास इन्दौर (म.प्र.)

(४) सेवाश्रम जबलपुर (म.प्र.) (८) वृद्धाश्रम बाँदा

७.५ क्या आप यह जानते (जानती) हैं कि उक्त संस्थाएं क्या-क्या कार्य करती हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो क्या-

(क) वृद्धों का स्वागत, सम्मान तथा अभिनन्दन करती हैं।

(ख) भोजन-सामग्री, फल आदि वितरित करती हैं।

(ग) वस्त्र तथा (शरत ऋतु में) कम्बल आदि वितरित करती हैं।

(घ) चिकित्सीय जांच कार्य तथा मुफ्त दवाएं वितरित करती हैं।

(ङ) वृद्धों की सम्पति पर कब्जे करने वालों के विरूद्ध कानूनी परामर्श दिलाती हैं।

(च) अन्य कार्यों की जानकारी (यदि हो)

७.६ वृद्धजनों के हित में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए- (निम्न में से आप किससे सहमत हैं)

(१) वृद्धों की समुचित देख रेख के लिए शासन स्तर पर "राष्ट्रीय योजना" बनाई जाय।

(२) वृद्धों के लिए गांवों तथा शहरों में पृथक-पृथक "होस्टल्स" तथा "अवकाश सदनों" की स्थापनाएं की जाय।

(३) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं ऐच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न सेवा कार्यक्रमों में वृद्धजनों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाय।

(४) वृद्धों के प्रति सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व निर्वाह करने सम्बन्धी भावनाओं को बल प्रदान करने के लिए "जनचेतना कार्यक्रम" शासन स्तर से चलाए जांय ताकि वृद्धों के प्रति सहानुभूति जनित हो सके।

(५) जन जागरूकता रैलियां तथा नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जांय।

(६) वृद्धजनों को साथ लेकर उनके सुधार कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु नुक्कड सभाएं की जांय तथा आए हुए सुझावों पर अमल किया जाय। इत्यादि।

७.७ वृद्धों के सामाजिक पुनर्वास हेतु आप अपने सुझाव दीजिए-

(१) .... (४) ....

(२) .... (५) ....

(३) .... (६) ....

७.८ अन्य सुझाव (यदि कोई हों)..

....

Rita Kushwaha
(अनुसंधित्सु के हस्ताक्षर)